खण्ड-359, अंक-7
सोमवार, 25 माघ, शक संवत् 1904
(14 फरवरी, 1983 ई0)

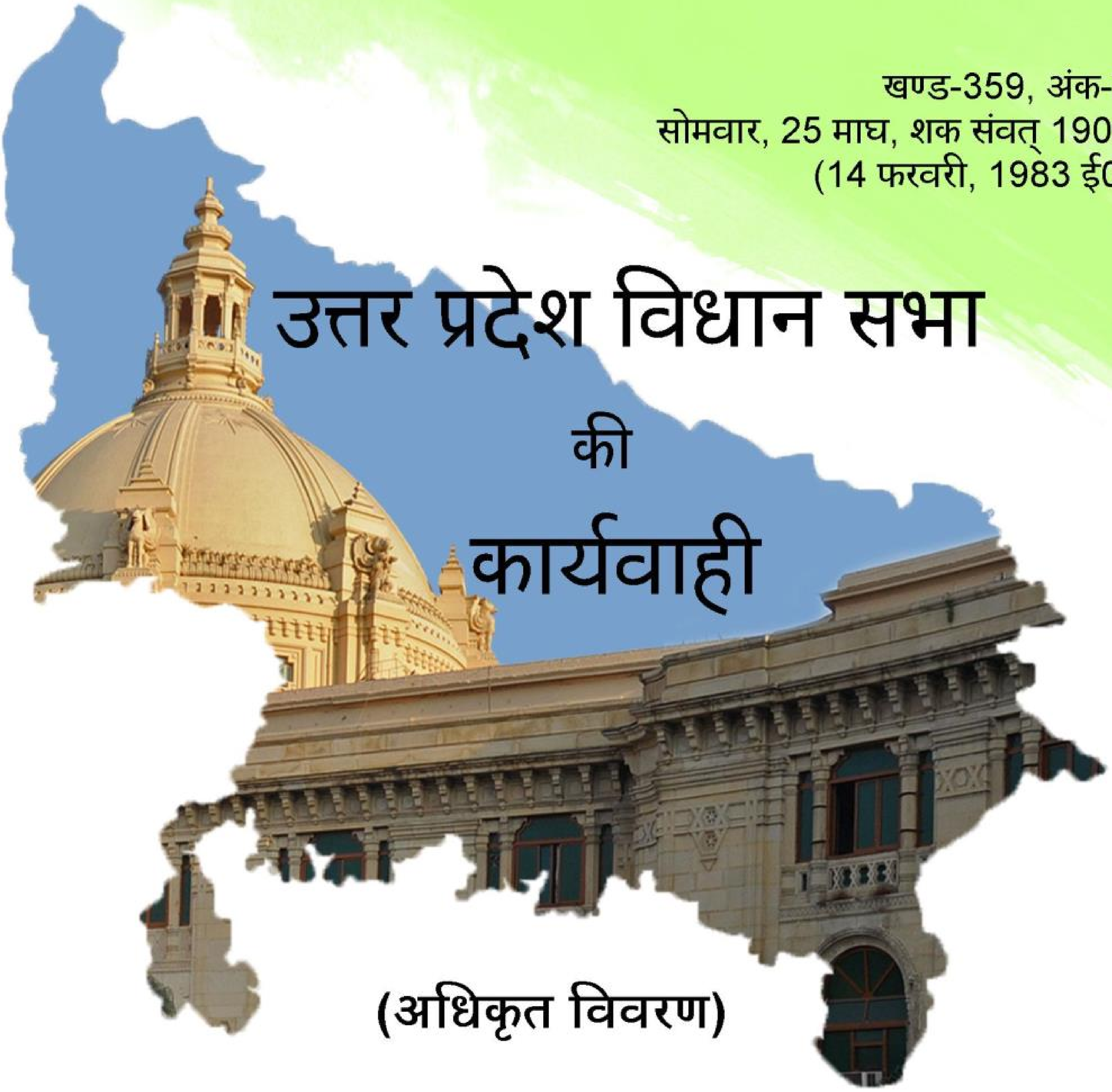

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 359 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1983

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय		पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	...	793–798
प्रश्नोत्तर	...	799–884
पूर्व घोषणा के बावजूद एशियाड में पदक प्राप्त प्रदेशीय खिलाड़ियों को पुरस्कार न दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	885
दि पंजाब शुगर मिल घुघली, गोरखपुर के रिसीवर के तानाशाही एवं भ्रष्ट रवैये के विरोध में कर्मचारियों द्वारा दिये जा रहे धरने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	886
प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के नये पदों के सृजन पर लगी रोक के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	886
कुमार ब्रोंज फैक्ट्री, ताड़ीखेत में तालाबन्दी एवं आमरण अनशन करने वाले श्रमिकों पर पुलिस जुल्म के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	887
ग्राम डुन्डुखेरा एवं ईशोपुर थाना कान्धारा जनपद मुजफ्फरनगर में हुयी सामूहिक हत्याएं एवं डकैतियों में घायल व्यक्तियों के चिकित्सा संबंधी उचित प्रबन्ध न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	888
उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, 1982 (वापस लिया गया)	...	888
सत्र काल में जिला स्तर की समितियों की बैठक बुलाये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	...	889
कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं (जारी)	...	890–901
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर सामान्य चर्चा के समय मुख्य मन्त्री की अनुपस्थिति के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	...	902

विषय		पृष्ठ संख्या
कार्यस्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	...	904
वित्तीय वर्ष 1983-84 के आय-व्ययक परसामान्य चर्चा (जारी)	..	905–911
सदन में किसी अजनबी व्यक्ति के प्रवेश पर व्यवस्था का प्रश्न	...	912
वित्तीय वर्ष 1983-84 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (जारी)	...	912–938
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	...	939
वित्तीय वर्ष 1983-84 के आय व्ययक पर सामान्य चर्चा (जारी)	...	940–952
नत्थियां	...	953–964

———

उत्तर प्रदेश विधान सभा

दिनांक 14 फरवरी, 1983

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन में 11 बज कर 2 मिनट पर अध्यक्ष, श्री धर्म सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—384+12=396

अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अकबाल हुसैन, श्री (गोंडा)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अनवार खां, श्री (अलीगढ़)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री (कानपुर)
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) (फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अमीरुद्दीन, श्री (बिजनौर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
अशफाक अहमद अंसारी, श्री (बरेली)
अशोक कुमार बाजपेयी, श्री (इलाहाबाद)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (तल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (खीरी) (उर्फ सुत्तन भैय्या)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी, (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए0 सी0 ग्राइस, श्री (नाम (निर्देशित) (आंग्ल भारतीय)
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री (आगरा)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल, महेन्द्रू, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्याण सिंह सोलंकी, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काजी मोहिउद्दीन, श्री (सहारनपुर)
काशीनाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किरनपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुबेर भण्डारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)

कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर सिंह, श्री (बदायूं)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
केदारनाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूँ)
कैलाश चन्द्र, श्री (एटा)
कैलाश टण्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुदादीन अन्सारी, श्री (देवरिया)
खुर्शीद अहमद अन्सारी, श्री (मुरादाबाद)
खुर्शेद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रागड़, श्री (टिहरी गढ़वाल)
खैरूल बशर, श्री (आजमगढ़)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपाल राम दास, श्री (अल्मोड़ा)
गोपीनाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोवर्धन तिवारी, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैय्या, श्री (बलिया)
चन्दन सिंह, श्री (मथुरा)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रो0 (बांदा)
चन्द्रबली ब्रह्मचारी, श्री (आजमगढ़)
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री (पौली गढ़वाल)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल, श्री (गोण्डा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश नरायन, श्री (फतेहपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जगदीश सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जफर अली नकवी, श्री (खीरी)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जयदीप सिंह बरार, श्री (बरेली)
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जावेद अली, श्री (मथुरा)
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल,
'विकल साकेती', श्री (फैजाबाद)
जीराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झग्गड़ सिंह, श्री (मेरठ)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
थम्मन सिंह गहलौत, श्री (बिजनौर)
दयाल कृष्ण, श्री (मथुरा)
दलजीत सिंह, श्री (रामपुर)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)

दीप नारायन वन महन्थ, श्री (गोंडा)
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह चन्देल, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनी राम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धरमपाल, श्री (बहराइच)
धर्मपाल सिंह, डाक्टर (अलीगढ)
धर्मवीर सिंह, श्री (मेरठ)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ध्रुप राय, श्री, (देवरिया)
नकली सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री (हरदोई)
नाजिर अली, (शाहजहांपुर)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (बलिया)
(उर्फ लाल बाबू)
निर्मल खत्री, श्री (फैजाबाद)
नौनिहाल सिंह, चौधरी (इलाहाबाद)
पंचानन राय, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री, (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुरुषोत्तम, श्री (मिर्जापुर)
पुष्पा चौहान, श्रीमती (अलीगढ़)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर, श्री (रामपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बच्चा पाठक, श्री (बलिया)
बदन सिंह, श्री (आगरा)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलवीर सिंह, श्री (रामपुर)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तर काशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बुद्ध पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
बृज किशोर मिश्र, डा0 (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झाँसी)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
ब्रह्मदत्त, श्री (देहरादून)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भानु प्रताप सिंह, श्री (बरेली)
भास्कर पाण्डेय, श्री (देवरिया)
भीखा लाल, श्री (उन्नाव)

भीग सिंह, श्री (मेरठ)
भूधर नारायण मिश्रा, श्री (कानपुर)
भूपसिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भोला पाण्डेय, श्री (बलिया)
मंगलदेव, श्री (गोंडा)
मण्डलेश्वर सिंह, श्री (आगरा)
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री (बस्ती)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोंडा)
महाबीर सिंह, श्री सहारनपुर
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)
महेश चन्द्र, श्री (मेरठ)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकण्डेय चन्द, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुन्शी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद वसीम, हाजी (रायबरेली)
मोहम्मद सफीउर्रमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ सिंह, श्री (मिर्जापुर)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
योगेश चन्द्र, श्री (वाराणसी)
रईसउद्दीन वारसी, श्री (मुरादाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुबीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रणजीत सिंह जूदेव, श्री (झाँसी)
रती राम, श्री (बिजनौर)
रमाकान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रवीन्द्र शुक्ल, श्री (आजमगढ़)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राजमंगल पांडेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)
राजेन्द्र सिंह, श्री (एटा)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधेश्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)

राम कृष्ण उपाध्याय, डा0 (जौनपुर)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नारायण (एडवोकेट), श्री (गाजीपुर)
राम नरायन पाठक, श्री (कानपुर)
रामपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम रतन सिंह, श्री (सीतापुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम सिंह रावल, श्री (एटा)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप निम, श्री (सहारनपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रूप राम, श्री (शाहजहांपुर)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
लटूरी सिंह, श्री (एटा)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति त्रिपाठी, श्री (मिर्जापुर)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विजय सिंह राना, श्री (आगरा)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरी गढ़वाल)
विनोद कुमार तिवारी, डा० (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विलायती राम कत्याल, श्री (कानपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर (गाजियाबाद)
वृद्धि नारायन सिंह, श्री (वाराणसी)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शरीयतुल्ला, श्री (मुरादाबाद)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर (कानपुर)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिवमंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)

शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शिवानन्द नौटियाल, डा० (पौड़ी गढ़वाल)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
शौनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम नरायन तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल बाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
श्रीपति मिश्र, श्री (सुल्तानपुर)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया, श्री (नैनीताल)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सिकन्दर अली खां नवाब, श्री (शाहजहांपुर)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुखवीर सिंह गहलौत, श्री (गाजियाबाद)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुजान सिंह बुन्देला, श्री (ललितपुर)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता, श्रीमती (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सुल्तानपुर)
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी) (गाजियाबाद)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूरजभान, पंडित (अलीगढ़)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
सैय्यद जकीउद्दीन, श्री (मेरठ)
सोमांश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंस राज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हर गोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरनरायन सिंह, श्री (रायबरेली)
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद कुरील, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरि सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)
हरी शंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री (मुरादाबाद)
हुकम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
हेमचन्द निमेष, श्री (मेरठ)

प्रश्नोत्तर

सोमवार, 14 फरवरी, 1983

तारांकित प्रश्न

* 1 श्री राम आसरे वर्मा—

(दिनांक 7-2-83 को अतारांकित प्रश्न संख्या 84 द्वारा उत्तरित)

शिक्षा विभाग के स्नातक वेतनक्रम के शिक्षकों का स्थायीकरण

श्री सन्त बक्स रावत—

* 2—क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के राज्य कर्मचारियों का स्थायीकरण में भी आरक्षण के प्राविधान के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग के स्नातक वेतनक्रम 300—550 के शिक्षकों में से 18 प्रतिशत व 2 प्रतिशत का आरक्षित कोटा पूरा किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा मन्त्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)—

जी हां । केवल सीधी भर्ती से आये शिक्षकों के पदों पर जिन पर उक्त प्राविधान लागू होता है ।

श्री सन्त बक्स रावत—

माननीय अध्यक्ष जी, हरिजन विरोधी सरकार का यह उत्तर हरिजनों को गुमराह करने वाला है । मान्यवर, मेरा प्रश्न क्या था और माननीय मन्त्री जी ने क्या उत्तर दिया है । मेरा मूल प्रश्न यह था कि क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के राज्य कर्मचारियों को स्थायीकरण में भी क्रमशः 18 प्रतिशत, 2 प्रतिशत आरक्षण प्राविधान के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग के स्नातक वेतनक्रम रु० 300-550 के शिक्षकों में से स्थायीकरण में 18 प्रतिशत तथा 2 प्रतिशत का आरक्षित कोटा पूरा किया गया है ? इसके लिये मन्त्री जी ने उत्तर दिया कि जी हां । तो क्या मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि किस संस्था में आरक्षण का कोटा पूरा है ? जब तक स्थायीकरण में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति का कोटा पूरा नहीं हो जाता तो क्या मन्त्री जी उन्हें पूरा आरक्षित कोटा दिलाने का प्रयत्न करेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, स्थिति इस प्रकार है 1976 से 1982 दिसम्बर तक की कि सामान्य रूप से जब आरक्षण लागू हुआ है तो उसके बाद की स्थायीकरण की संख्या इस प्रकार है :—सामान्य 24 सीट सवर्ण की, अनुसूचित जाति की 5 और अनुसूचित जन जाति की निल है क्योंकि आरक्षण 2 परसेन्ट का है तो 29 के योग में उसकी संख्या नहीं आती । इसी तरह से भाषा में 5 सवर्ण हैं बाकी की संख्या निल है कला व्यायाम तथा संगीत में यह बिल्कुल निल है । सिचुएशन यह है कि कुल 34 पद हैं जिसमें से 5 कुल अनुसूचित जाति के हैं जिनका स्थायीकरण कर दिया गया है ।

यह 16·5 प्रतिशत कोटा बैठता है। दूसरे विषयों में उनकी स्थिति इस प्रकार है, सवर्ण 50 प्रतिशत, अनुसूचित जाति 11, अनुसूचित जनजाति 2, भाषा में 14 सवर्ण, 3 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति–निल, व्यायाम में 2 सवर्ण, अनुसूचित जाति-निल, संगीत में 2 सवर्ण, और 2 अनुसूचित जन जाति। इस प्रकार 63 का योग आता है और कुल मिलाकर 90 का योग आता है। 2 प्रतिशत के हिसाब से 100 में 200 में 4, लेकिन 90 में ही 4 अनुसूचित जन जाति के लोग हैं। अनुसूचित जाति के 15 लोग हैं जो 16 प्रतिशत होता है। कुल मिलाकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति का हिसाब जोड़ दिया जाये जो यह कोटा मिलकर कम्पलीट हो जाता है।

श्री रियासत हुसैन—

माननीय मन्त्री जी से मैं जानना चाहता हूँ कि अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या 24 प्रतिशत हो गयी है और अनुसूचित जन जाति के लोगों की संख्या 2 प्रतिशत है। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जिनकी संख्या ज्यादा है उनका कोटा पूरा नहीं है। अतः मैं जानना चाहूँगा यह अनुसूचित जाति का कोटा कब तक पूरा हो जायेगा।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, यह हमारे ही इन्टरेस्ट की चीज है। इसको शीघ्र ही पूरा कर दिया जायेगा। पूरा तो हो ही गया है और ज्यादा कर दिया जायेगा।

श्री पंचानन राय—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि हरिजन वर्ग के कितने अध्यापक हैं, जिनकी सेवायें 3 साल से अधिक हो गयी हैं, लेकिन अभी तक स्थायी नहीं किया गया है।

श्री अध्यक्ष—

यह व्यापक प्रश्न है। इसको मैं इजाजत नहीं देता हूँ।

श्री पंचनान राय—

मान्यवर, मैं दूसरा प्रश्न किए लेता हूं। क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि हरिजन अध्यापकों की कितनी संख्या है जिनकी सेवा 3 साल पूरी हो गयी है, लेकिन उनका स्थायीकरण नहीं किया गया है, हरिजनों का कोटा भी पूरा नहीं है और 3-3 और 4-4 साल के हरिजन पड़े हुए हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि हरिजन अध्यापक कितने हैं जिनका कोटा पूरा नहीं है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मैं माननीय सदस्य से निवेदन करती हूँ कि वह अलग से प्रश्न पूंछने का कष्ट करें।

श्याम सुन्दरी बालिका इण्टर कालेज, बिल्थरा रोड, जनपद बलिया में सी० टी० वेतन क्रम के चयन में अनियमिततायें

श्री हरिवंश सहाय—

* 3 क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्याम सुन्दरी बालिका इण्टर कालेज, बिल्थरा रोड, जनपद बलिया में सी० टी० वेतन-क्रम में दिनांक 16 जुलाई, 80 को चयन किया गया ? क्या प्रबन्धक ने विज्ञापन में प्रकाशित विषय के अध्यापिकाओं का चयन न करके शिक्षा संहिता का उल्लंघन किया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इस पर कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस चुनाव को रद्द करके योग्यता के आधार पर चयन किया जायगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां

मंडलीय निरीक्षिका द्वारा चयन में अनियमिततायें पाई गई ।

अनियमितताओं के फलस्वरूप मंडलीय निरीक्षका द्वारा इंटरमीडिएट एजूकेशन एक्ट के अध्याय 2 के विनियम 11 (1) के प्राविधानानुसार चयन प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया था । इसके पश्चात चयनित अभ्यर्थी तथा शिकायतकर्ता दोनों ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर की जो अन्ततः निरस्त हो गईं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इसी बीच शासन ने प्रबंधतंत्र द्वारा चयन प्रक्रिया से की जाने वाली नियुक्तियों पर रोक लगा दिया एवं रिक्त पदों को भरने हेतु उ० प्र० शिक्षा सेवा आयोग एवं चयन बोर्ड का गठन की व्यवस्था की गई । आयोग एवं बोर्ड के गठन में विलम्ब के कारण शासन द्वारा तदर्थ नियुक्तियों का प्राविधान किया गया है जिसके अनुसार कार्यवाही हो चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री हरिवंश सहाय —

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि चयन प्रक्रिया में किस प्रकार की अनियमितता की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, जब चयन किया गया तो विज्ञापन में यह उल्लेख था कि इन्टर सी0 टी0 के लिए अभ्यर्थियों को अंग्रेजी, भूगोल, और गणित विषयों की योग्यता अनिवार्य है । इसमें विज्ञापन किया गया कि इसी विषय के अभ्यर्थी चुने जायेंगे । इसमें मान्यवर 8 अभ्यर्थियों की एप्लीकेशन आई और उसमें से प्रबंधक समिति ने श्रीमती आशा सिंह को चुना । मान्यवर, इनका केवल हाई स्कूल में अंग्रेजी थी इंटर में नहीं थी इसलिए यह अनियमित हुआ ।

श्री सूबेदार सिंह—

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जिस चयनित अभ्यर्थी को जिला-विद्यालय निरीक्षिक ने अनुमोदन किया जो कि अनियमित था तो उसके विरुद्ध भी कोई कार्यवाही गयी या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, चयन का अनुमोदन आर0 आई0 जी0 एस0 करती हैं उन्होंने इसका अनुमोदन नहीं किया और मैनेजिंग कमेटी को निर्देश दिया कि इनको नियुक्त न किया जाय "

श्री हरिवंश सहाय—

चयन में जो अभ्यर्थी आये जिनकी इंटर में अंग्रेजी थी और उनको चयन नहीं किया गया और वह दूसरे नम्बर में थे क्या उनको अब लिया जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, इसमें 8 अभ्यर्थियों की एप्लीकेशन आई श्रीमती गिरिजा कुमारी श्रीमती तहसील फातिमा, हुसैन आरा, आशा सिंह, साधना गुप्ता, पुष्पा सिंह, आरिफ खान, श्रीमती उर्मिला सिंह । इनमें से प्रबंध समिति ने आशा सिंह का चयन किया जिनकी हाई स्कूल में केवल अंग्रेजी थी जिसके कारण आर0 आई0 जी0 एस0 ने चयन निरस्त कर दिया ।

श्री पंचानन राय—

जब अधिनियम में दिया हुआ है कि फार्म आर0 आई0 जी0 एस0 के यहाँ जमा होंगे तो फिर साक्षात्कार के लिए बुलाने का निर्णय उन्होंने ही लिया होगा जो अर्ह नहीं थे उनको कैसे बुला लिया गया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, माननीय, सदस्य चाहेंगे तो इसकी सूचना मंगवा दी जायेगी ।

श्री पंचानन राय—

यह तो अधिनियम में दिया हुआ है...

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें, मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूँ ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जब अधिनियम में इस बात का उल्लेख है कि चयन में शिक्षा विभाग की ओर से अधिकारी रहेंगे । तो उसमें कौन अधिकारी थे जिनके रहते इस प्रकार चुनाव हुआ ? तो क्या उनके विरुद्ध भी कार्यवाही करने जा रही हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, कोई अधिकारी की उसमें सूचना नहीं है और इसीलिए यह अनियमित हुआ और निरस्त कर दिया गया न रहे बांस न बजे बांसुरी ।

कन्या प्राइमरी पाठशाला, बड़ागाँव, जनपद फैजाबाद में दाई श्रीमती अनारा देवी को कम वेतन दिये जाने का शिकायती-पत्र

श्री गोपीनाथ वर्मा—

* 4 क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती अनारा देवी पत्नी श्री भगवान दीन कन्या प्राइमरी पाठशाला, बड़ागांव, इब्राहिमपुर, ब्लाक टांडा, जनपद फैजाबाद को

दाई के पद पर दिनांक 1-8-1965 के नियुक्त किए जाने के पश्चात कुल वेतन दस रुपए प्रति-माह दिए जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 24-2-81 को कोई शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हाँ ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फैजाबाद की आख्या माँगी गई है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, इस सम्बन्ध में मुझे यह भी निवेदन करना है कि जो मुझे लेटेस्ट सूचना इस बारे में मिली है उसके अनुसार श्रीमती अनारा देवी जो हैं वे एक पार्ट टाइम दाई के रूप में स्कूल में काम करती थी और उससमय वे बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत काम करती थी । अब तक उन्हें 10 रुपये मिलता रहा । जब उनकी एप्लीकेशन आयी और यह मालूम हुआ तो उसके पश्चात् जो रिवाइज्ड ग्रेड हुये हैं उसके अन्तर्गत उनको 1-9-81 से 31-12-82 तक जो 5 रुपये की कमी उनके वेतन में थी उसको अब 15 रुपया कर दिया गया है और सारा पैसा पूरा कर दिया है ।

श्री गोपीनाथ वर्मा—

मान्यवर, 24-2-81 को उन्होंने एक पत्र लिखा था और उसमें यह आग्रह किया गया था कि उनका पैसा बढ़ा दिया जाय । इस बारे में बराबर कहते रहे किन्तु मंत्री जी ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि वे इस सम्बन्ध में सूचना एकत्रित करा सकें ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने उत्तर दे दिया ।

श्री गोपीनाथ वर्मा—

जो सूचना मंगानी है वह कब तक आ जायेगी ? जो पांच रुपया बढ़ाने की बात कह रही हैं, पार्ट टाइम के लिये 15 रुपया कर दिया है । तो मैं जानना चाहता हूँ कि किस हिसाब से आप 15 रुपया देना चाहती हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, जो लेटेस्ट सूचना थी, वह आपके समक्ष रख दी । यह मेरा दुर्भाग्य है कि आपने वह सुना नहीं । 15 रुपये के हिसाब से जो दिखाया गया है वह 31-12-82 तक दिया गया है । जो ग्रेड है उसी के अनुसार दिया जा रहा है । कम देने का सवाल ही नहीं है ।

श्री भीखालाल—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि ये जो स्कूलों में दाइयां हैं या स्कूल मातायें हैं यह केवल इसी स्कूल का सवाल नहीं है । हर स्कूल में ये स्कूल मातायें काम करती हैं और स्कूल खुलने से लेकर उसके बन्द होने तक काम करती हैं । इनको 15 रुपया दिया जाता है । ये भी उसी दरमियान स्कूल में आती हैं और रहती हैं जितने समय तक अध्यापक स्कूलों में रहते हैं । इनको क्यों पार्ट टाइम स्केल दिया जाता है, मैं मन्त्री जी से

पूछना चाहता हूँ कि इन दाईयों को पार्ट टाईम कर्मचारी न मानकर होल टाइम वेतन भोगी कर्मचारी मानने पर विचार करेंगे और उनका वेतन पुनः रिवाइज करने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

मान्यवर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। ये जो दाइयाँ हैं ये अंशकालीन कर्मचारी हैं। इसलिये कैसे इनको पूर्णकालीन वेतन दिया जायेगा। मंहगाई जरूर है किन्तु उनके हिसाब से कैसे रखा जायेगा।

श्री मुहम्मद आजम खां---

श्रीमन्, क्योंकि यह मामला स्कूलों से सम्बन्धित है और वहाँ की जो ये कर्मचारी हैं इनको दाई के नाम से पुकारा जाता है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूँ कि दाई नाम से ऐसा लगता है कि जैसे वे कोई अस्पताल की दायी हों या वहाँ की कर्मचारी हो। तो आप क्या कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे इनका नाम दाई न रखकर कोई अच्छा सा नाम रख दिया जाय ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

मान्यवर, दाई शब्द हमारा लोकल शब्द है और बड़ा सुन्दर है। बच्चे बड़े प्यार से दाई माँ कहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि इनका नाम बदल दिया जाय। हमने एक राजाज्ञा निकाली है और आपको सूचना देते हुये हर्ष है कि हमने आपकी समस्या का पहले ही समाधान कर दिया।

हमने राजाज्ञा में 10 के 15 रुपये किये अंश कालीन वर्क्स को, इनको हमने अंशकालिका सफाई कर्मचारी के नाम से पदनाम दिया है। दाई अम्मा अच्छा नाम है।

श्री भगवती सिंह विशारद ---

क्या मंत्री जी बतायेंगी कि स्कूल माताओं के कर्तव्य क्या हैं और उनके आने जाने का क्या समय डयूटी में है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

हमारे यहाँ दो प्रकार के अंशकालिक कार्यकर्ता हैं। एक वह जिनको पहले दाई कहते थे और जो स्कूलों की सफाई का काम अंशकालिक देखती थीं। दूसरे वह मातायें हैं जो बच्चों और लड़कियों को घर से लाती और छुट्टी में घर ले जाती हैं। लेकिन यह प्रश्न उनसे सम्बन्धित नहीं है और वह दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री रियासत हुसैन---

मान्यवर, मन्त्री जी ने उनको अंशकालीन बताया है तो क्या आपके जी० ओ० में यह भी लिखा है कि किस समय से किस समय तक, 8 घंटे वर्किंग आवर्स हैं जिनको 15 रुपये दिये हैं, वह समय बता दें ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

मान्यवर, वह तो स्कूल में लड़कियों को घर से लाने और उनके गाँव तक घर में पहुँचाने जाती हैं, इसमें जो समय लगे।

श्री राजकुमार राय--

मान्यवर, यह हरक्षेत्र में समस्या है कि दायी 10 से 15 रुपये में काम करती हैं और अध्यापकों और अध्यापिकाओं के घर में वह काम करती हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जबकि प्रदेश में वेजेज ऐक्ट लागू है जिसके तहत निर्धारित मजदूरी से कम मजदूरी नहीं देंगे, लेकिन यह उत्तर अंशकालीन कहकर दिया गया है, तो जो दाईयां सीमित समय में काम करती हैं उनको वेजेज ऐक्ट के अनुसार मजदूरी दिलायेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, मैं सदन की भावनाओं का आदर करती हूं और इस मंहगायी के समय में 15 रुपये बहुत छोटी रकम है। मुझे भी दुख है और मैं इस बात का आदर करती हूँ कि आपने गरीबों के प्रति सोचा है, यह ज्वाइन्ट भावना है। लेकिन वह अंशकालिक होने के अलावा और काम कर सकती है, यह उनको अधिकार है। दूसरी बात अभी उनके वेतनमान के परिवर्तन करने या वृद्धि करने का कोई प्रकरण शासन के विचाराधीन नहीं है।

* 5 श्री रामलाल वर्मा—

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

आबकारी अधिकारियों एवं पुलिस द्वारा ठेकेदारों की दुकानों पर डाला गया छापा

श्री नन्दकिशोर सिंह—

* 6 क्या आबकारी मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला लखनऊ के जिलाधिकारी के नेतृत्व में आबकारी अधिकारियों एवं पुलिस द्वारा दिनांक 8-7-82 को शराब के ठेकेदारों के यहां छापा पड़ा ? यदि हां, तो इसमें क्या कार्यवाही हो रही है ?

आबकारी मन्त्री (श्री विद्याभूषण)—

जी हां, सात जुलाई, 1982 को जिलाधिकारी के निर्देश से लखनऊ जिले के मजिस्ट्रेट एवं पुलिस आधिकारियों के नेतृत्व में आबकारी की सोलह दुकानों पर छापा डाला गया।

इसमें कुल तीस व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, दुकानें सील की गयी, उनके लाईसेंस निरस्त किये गये और सभी दूकानें पुनः 29-7-82 को नीलाम की गयी। इस घोटाले के सम्बन्ध में आर्थिक अपराध अनुसंधान विभाग (सी० आई० डी०) द्वारा जांच की कार्यवाही की जा रही है।

श्री नन्द किशोर सिंह--

मा० अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूँ कि छापें के दौरान कौन-कौन सामान बरामद हुआ था ?

श्री विद्याभूषण—

मान्यवर, कुल 14 दुकानें सील की गई थीं, इसमें ताड़ी की दो दुकानें काकोरी और इंटौजा की ताला बन्द मिली। उनमें जो सामान उपलब्ध हुआ, उसकी लिस्ट इस समय मेरे पास उपलब्ध नहीं है।

श्री नन्दकिशोर सिंह—

मन्त्री जी ने कहा कि सभी दुकानें शील कर दी गई और बाद में कहते हैं कि 14 सील की गई, तो एक तो पहले और इस उत्तर में अन्तर है। मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि इन दुकानदारों के नाम क्या हैं और कहाँ के रहने वाले हैं ?

श्री विद्याभूषण—

संचालक, शिवचरन लाल गुप्ता निवासी विक्टोरियागंज, लखनऊ, इनकी पांच दुकानों में केवल एक अंग्रेजी शराब की दुकान है, जो मवैया में स्थित है। एक भांग की दुकान है, बंगला-बाजार, लखनऊ में है और शेष 4 ताड़ी की दुकानें हैं, जो गाजीपुर, इटौंजा, काकोरी और ठाकुरगंज में स्थित है। शेष 11 दुकानों के संचालक श्री प्रदीप कुमार गुप्ता, निवासी विक्टोरियागंज, लखनऊ के हैं और इनके अन्तर्गत के ठेकादारों के नाम इस प्रकार से हैं :—

1. श्री रामगोपाल पुत्र पुत्तीलाल निवासी 119, आर्यनगर, सीतापुर।
2. श्री विनयकुमार पुत्र बाबू लाल निवासी हास्पिटल रोड, सीतापुर।
3. श्री कृष्ण कुमार अरोरा पुत्र राजाराम अरोड़ा, चौक, लखनऊ।
4. श्री अजय कुमार पुत्र दीनानाथ, पक्का बाग, सीतापुर।
5. श्री रामचन्द्र पुत्र चरन निवासी पासामाऊ बंगला, सीतापुर।
6. श्री गिरीश कुमार सिंह पुत्र योगेन्द्र सिंह विजय लक्ष्मी नगर, सीतापुर।
7. श्री नवीन्द्र कुमार पुत्र चांदनारायण, 136 स्टेशन रोड, सीतापुर।
8. श्री रमेश कुमार पुत्र कैलाश चन्द्र मामुरगंज, तुलसीपुर, वाराणसी।
9. श्री रामदयाल पुत्र रामचन्द्र, स्वरूपनगर, कानपुर।
10. श्री विनोद कुमार पुत्र गुरुवचन लाल जायसवाल, मो० मितफेरी पीरबटाउन, नवाबगंज, वाराणसी।
11. श्री नन्दलाल उर्फ नन्द किशोर पुत्र दीनदयाल, 36, कैसरगंज, उन्नाव।
12. श्री सत्येन्द्र कुमार पुत्र महावीर प्रसाद 501 अथवा 165 आलमनगर, लखनऊ।
13. श्री सत्यनारायण पुत्र रामगोपाल, 360/252, सआदतगंज, लखनऊ।
14. श्री शिवमोहन पुत्र सीताराम, नि० शिवपुर परगना शिवपुर, वाराणसी।

श्री मोतीलाल देहलवी—

मान्यवर, आपने मन्त्री जी का जवाब सुना होगा। मन्त्री जी से पूछा गया कि कितना माल पकड़ा गया, जिसकी सूची मन्त्री जी कहते हैं कि उपलब्ध नहीं है इसमें ही बहुत बड़ा रहस्य और घपला छिपा हुआ है कि कोई जवाब देना है मन्त्री जी को और नौकरशाही ने उसकी कोई लिस्ट भी उनको नहीं दी। छापा तो पड़ा, लेकिन कितना कितना सामान, किसका किसका था, इसकी कोई लिस्ट भी नहीं दी तो मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि इस प्रश्न का जवाब देते समय मन्त्री जी को कोई लिस्ट क्यों नहीं दी गई और जबलिस्ट नहीं है तो प्रश्न स्थगित होना चाहिए ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य का कहना है कि जो छापा पड़ा था, उसमें क्या क्या सामान या वस्तुएं प्राप्त हुई हैं ?

श्री विद्या भूषण--

इस मामले में पहले देखने की बात यह है कि यह छापा किस आधार पर पड़ा था। इसका आधार यह था कि विभाग का एक कर्मचारी, खजाने में जो रुपया जमा होता था, उसकी जाली रसीद बनाकर गोदाम से माल निकाल लेता था। इस मामले की सी० आई० डी० जांच कर रही है। इसका कोई भी तथ्य छिपाया नहीं जाएगा। सब चीजें एक-एक कर सामने आ जाएंगी। दुबारा जिस वक्त यह आक्शन किया गया दुकानों का तो उससे 27 लाख 37 हजार 355 रुपये के राजस्व का लाभ हुआ था। और उस वक्त जो उन्होंने बरामदी की, माल की लिस्ट आपको उपलब्ध करा दूंगा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने कहा कि सी० आई० डी० को जांच के लिए दे दिया है, उस सी० आई० डी० की जांच की कोई अन्तरिम रिपोर्ट भी उनके पास होगी, तो क्या माननीय मंत्री जी वह रिपोर्ट कृपा करके दे देंगे ?

श्री विद्या भूषण—

हमारे पास अभी तक कोई अन्तरिम रिपोर्ट नहीं है, मान्यवर।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस छापे में, जो जिलाधिकारी के नेतृत्व में छापा पड़ा है, क्या विभाग की ओर से सत्यापन आदि की जो बातें होती हैं इस अपमिश्रण के बारे में क्या कोई सत्यापन हुआ था कि नहीं ? इस अपमिश्रण के बारे में जो छापा पड़ा, इसके पूर्व क्या विभाग के किसी अधिकारी या कर्मचारी के द्वारा स्टाक का सत्यापन होता रहा है कि नहीं ? यदि सत्यापन नहीं होता रहा है, तो इसमें किसका दोष है, और उस दोषी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री विद्या भूषण—

मान्यवर, एक इक्साइज इन्सपेक्टर जो होता है, वह स्टाक के रजिस्टर को चेक करता है। मान्यवर, इस मामले में जिनकी लापरवाही पाई गयी और वह सब सस्पेंड कर दिये गये हैं।

श्री जटाशंकर श्री नारायण कृषि उच्च माध्यमिक विद्यालय बाबूगंज, उन्नाव को अनुदान सूची में सम्मिलित किये जाने से पूर्व जांच

श्री पंचानन राय—

*7 विधान सभा के द्वितीय सत्र 1982 के दूसरे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या—69 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अनुदान के लिए किन अधिकारियों द्वारा संस्तुति की गयी थी ? विद्यालय को अनुदान सूची में सम्मिलित किए जाने से पूर्व क्या कोई जांच कराई गयी थी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, आप द्वारा जारी यह प्रक्रिया संबंधीकरण है। इसके पृष्ठ 7 पर लिखा हुआ है कि—सामान्यतया प्रश्नों का स्थान केवल एक ही बार स्वीकार किया जाता है, किन्तु यदि दूसरी बार प्रश्नों को स्थगित कराना आवश्यक हो, तो स्थगन की प्रार्थना के साथ उसके कारणों की व्याख्यात्मक टिप्पणी भी संलग्न की जानी चाहिए। परम्परा के अनुसार दूसरा स्थान केवल आपवादिक अवस्थाओं में ही स्वीकृत किया जा सकेगा और सामान्यतया जिन प्रश्नों को सरकार को एक मास की सूचना मिल चुकी होगी उन्हें स्थगित नहीं किया जायगा। मान्यवर; पिछले सोमवार को हमारे 10 सवाल दुबारा स्थगित कर दिये गये, तो मान्यवर, इसमें हम आपका संरक्षण चाहते हैं। मान्यवर, अक्टूबर तक आज सवाल लिये गये हैं। इन सारे सवालों की तीन महीने की सूचना है। 13-14 सवाल हमारे सीधे स्थगित हैं। मान्यवर, इसमें मैं आपका संरक्षण चाहता हूं कि सदन को भविष्य में सही उत्तर से सूचित किया जाय ?

श्री अध्यक्ष—

जहां तक सम्भव हो सके, हर प्रकार से प्रयत्न करें। इस तरह की जो सूचना जो एकत्रित की जा रही है, ऐसे उत्तर आते है, भविष्य में इस तरह का उत्तर नहीं आना चाहिए।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी, जैसी आपकी आज्ञा मान्यवर, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है।

* 8 श्री चेतराम गंगवार—

[दिनांक 7-2-82 के अतारांकित प्रश्न संख्या 38 तथा 61 की पुनरावृत्ति]

* 9 श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद गोण्डा में बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सी0 डी0 एस0 का भुगतान

श्री मसरूर जाफरी—(अनुपस्थित)

* 10 क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सी0 डी0 एस0 का भुगतान संबंधित शिक्षकों को अब तक नहीं किया गया ? यदि हां तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां।

जनपद गोण्डा में बेसिक परिषद् के अन्तर्गत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सी0 डी0 एस0 की अन्तिम किश्त का भुगतान संबंधित शिक्षकों को अब नहीं किया जा सका है।

सी0 डी0 एस0 की अन्तिम किश्त के भुगतान की स्वीकृति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोण्डा द्वारा, क्षेत्रीय आयुक्त, भविष्य निधि, कानपुर से मांगी गई थी। किन्तु क्षेत्रीय आयुक्त ने संबंधित मद में रु0 2,25,195-46 की धनराशि कम जमा किये जाने की आपत्ति 11-9-81 को लगाई और स्वीकृत प्रदान नहीं की। यह कम जमा की गई धनराशि जमा कर दी गई है। किन्तु क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने दिनांक 16 अक्टूबर, 1982 को सूचित किया है कि सी0 डी0 एस0 के धन का भुगतान तभी किया जा सकता है जब कि जनपद द्वारा समय से जमा न की गई धनराशि पर दंडात्मक ब्याज की धनराशि जमा कर दी जाये। भारत सरकार से दंडात्मक ब्याज माफ कराने के संबंध में शासन द्वारा कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

खेती में साधन रूप में प्रयुक्त होने वाले कृषि यन्त्रों के टैक्स माफ किये जाने की मांग

श्री रामस्वरूप वर्मा—

* 11 क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि खेती में साधन रूप में प्रयुक्त होने वाले कृषि यन्त्र (डीजल, खाद, पानी बीज और कीटनाशक दवाइयों) पर प्रदेशीय सरकार के टैक्स माफ कर दिए गए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (श्री यशपाल सिंह)—

पशु चालित एवं हस्त चालित कृषियं-त्र, कृषि रक्षा-यंत्र तथा प्रमाणित बीज बिक्री कर से मुक्त हैं।

उर्वरक पर 5% कीटनाशक रसायनों पर उत्तर प्रदेशीय सेल टेक्स 6% तथा केन्द्रीय सेल टेक्स 4% डीजल आयल के प्रथम विक्रय दर 8% बिक्री कर लागू है जिन्हें प्रदेश के वित्तीय संसाधनों को देखते हुये माफ करना व्यावहारिक नहीं है।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

मान्यवर, इसी सदन में जब माननीय बलराम सिंह यादव कृषि मंत्री थे, तब उन्होंने उत्तर दिया था, हमारा प्रश्न इसी से संबंधित था कि कृषि पर साधन रूप में प्रयुक्त होने वाली जो चीजें हैं उन पर यह सरकार टैक्स माफ करने जा रही है और इस संबंध में वह केन्द्र को भी लिखेगी। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इस नीति में पहले परिवर्तन हुआ, या आपके आने से परिवर्तन हुआ ?

श्री यशपाल सिंह—

मान्यवर, यह नीति मेरे समक्ष नहीं आयी। जब मेरे समक्ष आयेगी तो मैं अवश्य देखूंगा।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

मैं जानना चाहता हूँ कि व्यावहारिक कठिनाई यह आ गयी कि पहले यह केन्द्र सरकार को लिखने वाले थे। अब खुद माफ नहीं कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि जिन साधनों पर आपने लिखा है कि इन पर टैक्स माफ करने से हानि होगी तो इन चीजों पर टैक्स माफ करने से आपको कितनी हानि होगी ?

श्री यशपाल सिंह—

पहले तो मैं सम्मानित सदस्यों को यह बताना चाहता हूँ कि कीटनाशक रासायनों पर से बिक्री कर समाप्त करने या कम करने का एक प्रस्ताव शासन के कृषि अनुभाग—5 के पत्र संख्या 3075 दिनांक 25 8-77 एव 6030/स0-1 दिनांक 4-1-78 द्वारा भेजा गया था। यह प्रस्ताव आयुक्त एवं सचिव, कृषि उत्पादन एवं ग्राम्य विकास की अध्यक्षता में दिनांक 30-6-78 को हुयी पेस्टीसाइड काउंसिल की द्वितीय बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार भेजा गया था। परन्तु तत्कालीन सरकार या उसके पश्चात् वर्तमान सरकार ने यह उपयुक्त माना कि इसमें सेल्स टैक्स माफ करना व्यावहारिक नहीं होगा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, पड़ोसी प्रदेश हरियाणा में इस प्रकार के कृषि यन्त्रों और उर्वरक आदि जो तमाम चीजें हैं उन पर बिक्रीकर माफ कर दिया गया है। इसकापरिणाम यह है कि इस प्रदेश से उद्योग धंध उठकर हरियाणा प्रदेश में जाने लगे हैं। क्या मंत्री जी पुर्नविचार करेंगे कि इन चीजों पर बिक्री कर हमेशा के लिये माफ कर दिया जाय ?

श्री यशपाल सिंह—

कौन से कृषि यन्त्रों पर माफ है हरियाणा में जरा बताने की कृपा करेंगे ?

श्री जर्नादन प्रसाद ओझा—

कृषि यन्त्रों, पेस्टीसाइड्स और इंसेक्टीसाइडस पर वहां की सरकार ने बिक्री कर माफ कर दिया है। इसको देखते हुये क्या मन्त्री जी माफ करने का आदेश देंगें ?

श्री यशपाल सिंह—

मेरी जानकारी है कि पेस्टीसाइडस और फर्टीलाइजर पर हरियाणा मे सेल्स टैक्स है।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, यह देखते हुये कि खाद्यान्न का उत्पादन एक राष्ट्रीय लक्ष्य है। खाद्यान्न उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिये कीटनाशक पदार्थ एक जरूरी चीज हैं। जब कीटनाशकों पर सरकार सब्सिडी भी देती है तो उसको समाप्त करने और कीटनाशक दवाओं पर बिक्री कर माफ करने पर मन्त्री जी विचार करेंगें ?

श्री यशपाल सिंह—

मान्यवर, सम्मानित सदस्य की जो भावना है, कीटनाशक दवाओं पर बिक्री कर माफ हो जाय, जहां तक भावनाओं का सम्बन्ध में इस प्रकार की भावनायें सदन में व्यक्त होती रही हैं। जब हम लोग उधर बैठते थे तो हम भी यही भावना व्यक्त करते थे।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न का उत्तर दें।

श्री यशपाल सिंह—

मान्यवर, सम्मानित सदस्यों की जो भावना कीटनाशक दवाओं पर से सेल्स टैक्स माफ करने की, उस भावना को मैं फिर से मन्त्रि-परिषद् के सदस्यों के सामने रखूँगा।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि कृषि यन्त्रों पर दी जाने वाली सबसिडी एक साल में कितनी पड़ती है और एक साल में इन यन्त्रों से प्राप्त होने वाला सेल्स टैक्स कितना होता है ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो बहुत ही व्यापक सवाल है, मैं इसकी इजाजत नहीं देता ।

(व्यवधान)

श्री किरन पाल सिंह—

मान्यवर, जैसा कि हरियाणा प्रदेश में किसानों को खाद पर सबसिडी दी जा रही है, उसी तरह से हमारे प्रदेश के किसानों को, जो पिछले दो साल से दैवीय आपदा से पीड़ित हैं, हरियाणा सरकार की भाँति, इस वर्ष 25 प्रतिशत सबसिडी पर खाद माननीय मन्त्री जी दिला देने की कृपा करेंगे ?

श्री यशपाल सिंह–

मान्यवर, प्रश्न सेल्स टैक्स से सम्बन्धित है, सबसिडी से नहीं । परन्तु खाद पर हमारे प्रदेश में सबसिडी लघु कृषकों को दी जाती है ।

प्रदेश में हाई स्कूल कक्षा तक राष्ट्रीय शिक्षा योजनान्तर्गत 6 अनिवार्य विषयों का अध्ययन

श्रीमती गौरी देवी—

*12—क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में हाई स्कूल कक्षा तक राष्ट्रीय शिक्षा योजना लागू होने जा रही है जिसके अन्तर्गत छात्रों के लिए 6 अनिवार्य विषयों का अध्ययन आवश्यक होगा ? यदि हां, तो वे 6 अनिवार्य विषय क्या हैं ? इसका प्राविधान व प्रारूप क्या होगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां, 6 अनिवार्य विषय इस प्रकार हैं—

1—हिन्दी

2—एक आधुनिक भारतीय भाषा (उर्दू, गुजराती, पंजाबी, बंगला, मराठी, असामी, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, सिन्धी, तमिल, तेलगू अथवा मलयालम)

अथवा

एक आधुनिक विदेशी भाषा (अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, रूसी, नेपाली, तिब्बती अथवा चीनी)

अथवा

एक शास्त्रीय भाषा (संस्कृत, पालि, अरबी, फारसी अथवा लैटिन)

3—गणित—1 अथवा गणित—2 अथवा गृह विज्ञान (केवल बालिकाओं के लिए)

4—विज्ञान—1 अथवा विज्ञान—2

5—सामाजिक विज्ञान

6—नैतिक, शारीरिक, समाजोपयोगी उत्पादक एवं समाज सेवा कार्य ।

उपरोक्त 6 अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त प्रत्येक छात्र को एक वैकल्पिक विषय भी लेना होगा जो निम्नांकित वर्गों में निर्धारित विषयों में से चुनना होगा—

(क) साहित्यिक वर्ग
(ख) वैज्ञानिक वर्ग
(ग) वाणिज्य वर्ग
(घ) रचनात्मक वर्ग
(च) ललितकला वर्ग
(छ) कृषि वर्ग
(ज) उत्तर बेसिक वर्ग
(झ) प्राविधिक वर्ग

श्रीमती गौरी देवी—

मान्यवर, क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि अधिकांश स्कूलों में, जहां विज्ञान पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, वहां विज्ञान विषय का प्रबन्ध करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, मुझे माननीया विधायक को यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि हमने 1982-83 में 101 विद्यालयों को ऐसी सुविधा दी है । इन विद्यालयों को 10 हजार रुपये की सुविधा अनुदान के रूप में तथा साइंस की मान्यता दी गयी है । इस 10 हजार रुपये में 9 हजार रुपये सरकार ने दिया है और 1 हजार रुपये प्रबन्ध समिति ने दिया है । यह छात्राओं के लिए है ।

छात्रों के लिये 8 हजार सरकार देगी और 2 हजार प्रबन्ध समिति देगी । यह भी सुविधा दी गयी है कि यदि प्रबन्धक महोदय 10 हजार रुपया जमा करा दें तो तुरन्त साइंस की मान्यता दे दी जायेगी । एक चीज और बताना चाहती हूं 83-84 मे भी हम मान्यता और अनुदान देने पर विचार कर रही हूं ।

श्रीमती गौरी देवी—

जो छात्र पुराने विषय को लेकर पढ़ रहे थे और फेल हो गये हैं उनके बारे में इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहा गया ? इस विषय में क्या नीति है सरकार की ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जो पुराने विषय को लेकर पढ़ रहे थे और फेल हो गये हैं उनके लिये पुराने पाठ्यक्रम के अनुसार ही व्यवस्था की गयी है ।

शिक्षा अधीनस्थ सेवा के अधिकारियों के दक्षता रोक के अनिस्तारित मामले

श्री थम्मन सिंह गहलौत—

*13—क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा विभाग में शिक्षा अधीनस्थ सेवा (राजपत्रित) के कितने अधिकारियों के दक्षता-रोक प्रकरण अक्टूबर 1979, से

निदेशालय में अनिर्णीत पड़े हैं और उनका निस्तारण कब तक कर दिया जायेगा ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां । 10 प्रकरण । गोपनीय आख्यायें प्राप्त होने एवं प्रतिकूल प्रविष्टियों इत्यादि पर निर्णय के उपरान्त निस्तारण किया जाना सम्भव होगा ।

श्री थम्मन सिंह गहलौत—

जैसा प्रश्न में पूछा गया है अन्त में आप देखें, उनका निस्तारण कब तक कर दिया जायेगा । इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया केवल 10 मामले हैं । मैं मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि उन दस व्यक्तियों का नाम बताने की कृपा करें और निर्णय देने में क्या कमी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

पहले मैं उन दस व्यक्तियों का नाम बात दूं उसके बाद दूसरे प्रश्न का उत्तर दूं । श्री रामेश्वर प्रसाद, श्री सत्य प्रकाश तायल, श्री रामाशीर्ष लाल, श्री राम दुलारे राय, श्री देवी सिंह ऐड़ी, श्रीमती लाल लाशियर्स, श्रीमती प्रकाश बक्शी, श्रीमती एच0 पाल, श्रीमती निर्मल सब्बरवाल, श्रीमती सावित्री सिंह यह दस है ।

दूसरी बात जो कही गयी है उसके बारे में मैं शासन का एक पत्र जो समस्त सचिवों को सम्बोधित है 28 नवम्बर, 1981 का उसकी 4 लाइन पढ़ दूं तो माननीय सदस्य की बहुत सी शंकायें दूर हो जायेगी । "इस मामले में सम्पर्क विचारोपरान्त शासन ने यह निर्णय लिया है कि उन मामलों को छोड़कर, जिनमें सम्बन्धित कर्मचारी को कोई आरोप पत्र दिया गया है, अनुशासनिक कार्यवाही आरम्भ हो गयी है अथवा उसे निलम्बित कर दिया है जिनमें परिणाम को देखने के बाद ही निर्णय लिया जाना चाहिये, अन्य सामान्य प्रकार के दक्षतारोक वाले मामलों में यदि देय तिथि से एक वर्ष के अन्दर दक्षतारोक रोकने के आदेश जारी नहीं किये जाते हैं तो सम्बन्धित कर्मचारी देय तिथि से दक्षतारोक पार किया हुआ समझा जायेगा ।

श्री थम्मन सिंह गहलौत—

मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि इन मामलों का कब तक निपटारा हो जायेगा ? कोई आश्वासन मन्त्री जी देगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, शीघ्र ही इसके लिए आदेश निर्गत कर दिये जायेंगे और इसमें कोई विशेष विलम्ब नहीं होगा ।

श्री गोपी सिंह प्रभारी बफर भंडार, सीतापुर द्वारा खाद निकाल कर बेचने की जांच

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

* 14 क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर जिले में जून 82 के प्रथम पखवारे में लगभग 12 लाख रुपये की खाद अवैधानिक रूप से निकाल कर बेचने सम्बन्धी भ्रष्टाचार का जो मामला प्रकाश में आया है उसका पूर्ण विवरण क्या है तथा उस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री यशपाल सिंह—

इंडियन पोटाश लि0 के लखनऊ स्थित बफर स्टाकिस्ट मेमर्स सोहनलाल सेवाराम जग्गी द्वारा 200 मी0 टन यूरिया तथा 138.5 मी0 टन डी0 ए0 पी0 जिसकी कीमत 10,

14,622 रु० है जिला कृषि अधिकारी, सीतापुर के खाते मे किसी अनाधिकृत व्यक्ति को दे दी गई थी। इस सम्बन्ध में दिनांक 2-6-82 को जिला कृषि अधिकारी, सीतापुर द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना हजरतगंज, लखनऊ में दर्ज करा दी गई। सी० आई० डी० विशेष अनुसंधान शाखा (कृषि) लखनऊ द्वारा इसकी जांच की जा रही है। अपराध सं० 586/82 धारा 420/467/468/120 भा० द० विधान राज्य बनाम गोपीसिंह बफर गोदाम इंचार्ज व अन्य, थाना हजरतगंज के सम्बन्ध में विशेष अनुसंधान शाखा द्वारा विवेचना की गई और जो साक्ष्य उपलब्ध हुये उनके आधार पर श्री गोपीसिंह प्रभारी बफर भंडार सीतापुर का उक्त अपराध में प्रमुख हाथ पाया गया है। श्री गोपीसिंह सहित 5 अभियुक्त न्यायालय में अपने को समर्पित कर चुके हैं और दो को बन्दी बनाया गया है। अब तक की पुलिस कार्यवाही में रु० 46,5,066 = 27 पैसे का यूरिया और डी०ए०पी० उर्वरक बरामद हो चुका है और जांच की कार्यवाही जारी है। अनाधिकृत रूप से उठाये गये 200 मी० टन यूरिया एवं 138-5 मी० टन डी० ए० पी० में से आई० पी० एल० ने 200 मी० टन यूरिया की जिमेम्दारी स्वीकार की है और इसके मूल्य रु० 4,42,457-75 का भुगतान आई० पी० एल० से ले लिया गया है। शेष 138-5 मी० टन डी० ए० पी० के लिये छानबीन जारी है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि, जैसा कि उन्होने अपने उत्तर में बताया है 10 लाख 14 हजार 622 रुपये का घोटाला था, इसमें कुछ की खाद बरामद हो गई और कुछ की छान-बीन जारी है। शेष जो दो-ढाई लाख बचा, उसके लिए क्या किया जा रहा है तथा इसके साथ ही साथ जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो रही है उसमें क्या तथ्य प्रकाश में आये और उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री यशपाल सिंह—

अभी विवेचना जारी है, तफतीश जारी है और जो तथ्य उस विवेचना की अन्तरिम रिपोर्ट के आधार पर सम्मानित सदन के सामने रखी वह तो इसी प्रकार की है। इसके अतिरिक्त जिस समय पर जो अधिकारी, कर्मचारी उसमें सम्मिलित पाया जायेगा, किसी प्रकार उसे बख्शा नहीं जायेगा। जिन अधिकारियों के सम्बन्ध में बात हमारे सामने आयी, जैसे गोपी सिंह के बारे में, उसको सस्पेंड कर दिया गया है, इसी प्रकार आगे भी कार्यवाही की जायेगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

जो ढाई लाख रुपये का सामान नहीं मिल रहा है उस पर सरकार क्या कर रही है और मान्यवर, मैं इसी कृषि विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में दो ढाई वर्षों से मामले विधान सभा में उठाता रहा हूं। इसके पहले के मंत्रियों ने भी कहा कि छान-बीन जारी है, मैं स्पष्ट जानना चाहता हूं कि पुलिस कार्यवाही के अतिरिक्त डिपार्टमेंटल छान-बीन भी हुई है, उसमें क्या तथ्य प्रकाश में आए और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री यशपाल सिंह—

जो तथ्य सामने आये उसी के आधार पर यह तफतीश जारी है। माननीय सदस्य ने प्रश्न किया दो-ढाई लाख की रिकवरी के सम्बन्ध में, तो जब इसका अन्तिम निर्णय हो जायेगा तभी इस पर विचार किया जायेगा कि इस सम्बन्ध में क्या किया जाये तथा जिस प्रकार से 6 लाख की रिकवरी हुई है, उसी प्रकार से अगर 2 लाख की भी रिकवरी हो जाती है तो जिसके यहाँ से मिलेगा उसके बाद जिम्मेदारी फिक्स करने का प्रश्न उठता है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर से न तो मैं और न ही अन्य सदस्य, न ही सदन की समस्या का समाधान हुआ। मैं यह पूँछना चाहूँगा मा० मन्त्री जी से कि क्या मा० मन्त्री जी को इस बात की जानकारी है कि इस गम्भीर घपले की जाँच जो पुलिस इन्स्पेक्टर कर रहे थे, इस गैंग ने उनकी हत्या करा दी। उस हत्या के बाद कोई दूसरा प्रभारी निरीक्षक तय हुआ ? यदि हाँ, तो वह कौन है और क्या जाँच हो रही है ?

श्री यशपाल सिंह —

इस सम्बन्ध में जो कुछ जानकारी उपलब्ध है वह सम्मानित सदन के सामने रखी जा चुकी है। सम्मानित सद यों से भी कहना चाहूँगा कि इस सम्बन्ध में जाँच हो रही है। यदि कोई और तथ्य मेरी संज्ञान में लायेंगे तो इसके अतिरिक्त कार्यवाही की जायेगी ? जो तथ्य हमारे सामने आये हैं, वह सदन के सामने रख चुका हूँ।

तिलकधारी महाविद्यालय, जौनपुर में साधिकार नियंत्रक की नियुक्ति

श्री मोहन सिंह—

*15 क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश शासन ने तिलकधारी महाविद्यालय जौनपुर में विगत 6 माह के अन्दर किसी साधिकार नियन्त्रक की नियुक्ति की थी ? यदि हाँ, तो क्या वह साधिकार नियन्त्रक इस समय भी कार्यरत हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

तिलकधारी महाविद्यालय जौनपुर में शासनादेश दिनांक 2-3-82 के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 58 (2) के अन्तर्गत अन्तरिम प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति की गई थी।

जी नहीं ?

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 5-3-82 द्वारा प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति सम्बन्धी आदेशों को निलम्बित कर दिया गया।

श्री मोहन सिंह—

मेरी जानकारी के अनुसार शासन के आदेश को मा० उच्च न्यायालय ने निलम्बित नहीं किया है, स्थगन आदेश जारी किया है। ग्यारह महीने हो रहे हैं शासन ने स्थगन आदेश को समाप्त कराने का क्या प्रयास किया। क्या इस सम्बन्ध में कोई याचिका सुप्रीमकोर्ट में दाखिल है। क्या नये चुनाव कराने का कोई निर्देश दिया गया है ? यदि आदेश है, तो चुनाव कराने में प्रबन्ध समिति ने क्या कार्यवाही की ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मैं मा० विधायक की भावनाओं से अपने आपको सम्बद्ध करती हूँ। तिलकधारी महाविद्यालय पूर्वी जिलों का सर्वाधिक विशाल महाविद्यालय है। प्रांगण में प्रवेश करते ही तबियत खुश हो जाती है। रिजल्ट अच्छा रहता है, बिल्डिंग अच्छी है। प्रबन्धकों के विवाद के कारण कुप्रभाव पड़ रहा है। मैं मा० विधायक की भावनाओं को समझती हूँ। मैं भी देखती हूँ, मैंने इसी बात को·····(शोर)

एक सदस्य—

प्रश्न का उत्तर दिलाये, मान्यवर।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

उत्तर आ रहा है, सब्र रखिये। हम लोगों ने उसमें नियन्त्रक अप्वाइंट किया था। लेकिन जब नियंत्रक अप्वाइंट हुआ 2-3-82 को, उसके बाद 5-3-82 को हाई कोर्ट ने नियंत्रक को निरस्त करके प्रबन्धक को मान्यता दे दी तो प्रबन्धक कार्य करने लगे। इसके विपरीत जो दूसरे व्यक्ति कहते हैं कि मैं प्रबन्धक हूँ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर दी। आपको ठीक खबर मिली है। सुप्रीमकोर्ट ने निर्णय दिया कि हम चांसलर का जो निर्णय है उसके विषय में कोई निर्णय नहीं देंगे। उन्होंने आदेश दिया कि प्रबन्धक कार्य कर रहे हैं, वह कमेटी की मीटिंग बुलाकर चुनाव करायें।·····

प्रक्रिया में कुछ व्यवधान उत्पन्न हुआ, उसके क्लेरीफिकेशन के लिये हमारे लायर्स ने सुप्रीम कोर्ट से निवेदन किया है, उसके क्लेरिफिकेशन के आते ही चुनाव करा दिया जायेगा।

जनपद चमोली के बेसिक शिक्षा परिषद के शिल्प अध्यापकों की पदोन्नति के सम्बन्ध में विचार

श्री कुंवर सिंह नेगी—

*16 क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली के बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन कार्यरत शिल्प अध्यापकों की पदोन्नति का मामला सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इन अध्यापकों की कब तक पदोन्नति के आदेश हो जायेंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय दाहा, जनपद मेरठ में प्रधानाचार्य एवं अंग्रेजी प्रवक्ता की व्यवस्था

श्री नरेन्द्र सिंह--

*17 क्या शिक्षा मंत्री जी को ज्ञात है कि राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय दाहा जनपद मेरठ में गत दो वर्षों से कोई प्रधानाचार्य नहीं है और अंग्रेजी भाषा के प्रवक्ता न होने के कारण इण्टर कक्षाओं की छात्राओं को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ?

नोट :—तारांकित प्रश्न संख्या 15 के उपरांत तारांकित प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

यदि हाँ, तो उक्त विद्यालय में प्रधानाचार्य एवं अंग्रेजी प्रवक्ता की व्यवस्था कब तक करा दी जायेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हाँ। अंग्रेजी प्रवक्ता की व्यवस्था कर दी गयी है। प्रधानाचार्य के पद पर शीघ्र व्यवस्था करा दी जायेगी।

बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राइमरी स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति किये जाने का निर्धारित मानक

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

*18 क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि शासन के नियम के अनुसार प्राइमरी व जूनियर विद्यालयों में 40 छात्रों पर एक अध्यापक की नियुक्ति होनी चाहिये परन्तु हरदोई के बी० एस० ए० ने ग्राम अब्दुल पुरवा, बेहटा, चाँद, महोलिया, शिवपार आदि के प्राइमरी पाठशालाओं में मानक से बहुत ज्यादा अध्यापक नियुक्ति कर दिए ? यदि हाँ, तो ऐसा करने का क्या कारण था ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं। बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राइमरी स्कूलों में 40 छात्रों पर एक अध्यापक नियुक्त किये जाने का मानक निर्धारित है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हरदोई ने प्राइमरी पाठशाला अब्दुल पुरवा, बेहटा चाँद व कन्या प्राइमरी पाठशाला महोलिया शिवपार में निर्धारित मानक के अनुसार अध्यापक/अध्यापिकाओं को नियुक्त न करके अधिक अध्यापक/अध्यापिकाओं को नियुक्त किया है तथा प्राइमरी पाठशाला महोलिया शिवपार में निर्धारित मानक के अनुसार उचित संख्या में अध्यापक नियुक्त किये हैं। निर्धारित मानक से अधिक संख्या में नियुक्त किये गये अध्यापक अध्यापिकाओं को अन्यत्र समायोजित किये जाने हेतु आदेश निर्गत कर दिये गये हैं।

जनपद गोंडा, विकास खण्ड गैसण्डी में राजकीय हाई स्कूल खोलने की संस्तुति

श्री अकबाल हुसैन—

*19 क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोंडा के जनजाति आबादी के विकास खण्ड गैसण्डी में राजकीय हाई स्कूल खोलने की संस्तुति जनपद स्तर पर नवम्बर, 1980 में शासन को की गयी ? यदि हां तो सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हाँ।

शिक्षा निदेशक से आख्या प्राप्त की गयी किन्तु सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण उस पर विचार किया जाना सम्भव नहीं हो सका।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम विकास इण्टर कालेज बुधौली, जिला कानपुर के प्रधानाचार्य द्वारा अनधिकृत धन वसूल करने सम्बन्धी पत्र

श्री राम लाल--

*20 क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम विकास इण्टर कालेज बुधौली, जिला कानपुर देहात के छात्रों ने जिलाधिकारी, कानपुर देहात को एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 3-8-82 को इस आशय का दिया था कि उक्त कालेज के प्रधानाचार्य ने अध्यापक अभिभावक संघ के नाम से अनधिकृत धन वसूल करके गबन कर लिया है ? यदि हाँ, तो प्रार्थना-पत्र की मुख्य बातें क्या हैं और सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं ?

प्रश्न नहीं उठता ।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

नगर महापालिका वाराणसी द्वारा करारोपण की कार्यवाही

श्री ऊदल—

** 1 क्या नगर विकास मन्त्री को जानकारी है कि नगर महापालिका वाराणसी में असेसमेन्ट (कर निर्धारण) की कार्यवाही करके उसकी सुनवाई करने की तारीखें निश्चित की गयी हैं और नोटिसें नागरिकों को दी गयी हैं ? क्या यह सही है कि श्री ए० के० रस्तोगी सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ने अपने पत्र संख्या 4392वी/11–9–82/309-82, दिनांक 9 सितम्बर 1982 के द्वारा लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, आगरा, गोरखपुर के प्रशासकों, सभी जिलाधीशों तथा मण्डलीय आयुक्तों को लिखा है कि नये करारोपण एवं करों में वृद्धि की कार्यवाही को स्थगित किया जाय, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं ? यदि हां, तो करो में वृद्धि, नया असेसमेन्ट आदि किसके आदेश से किया जा रहा है ? और क्यों ?

नगर विकास मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)—

जी हां ।

जी हां ।

पंचवर्षीय कर निर्धारण नगरमहापालिका अधिनियम में विहित प्रक्रिया के अधीन किया जाता है । यह संदर्भित शासनादेश से प्रभावित नहीं होता ।

श्री ऊदल--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे की श्री ए० के० रस्तोगी सचिव ने जो पत्र लिखा था वह शासन की नीति के अंतर्गत लिखा था या उन्होंने अलग से लिखा था मैं यह स्पष्ट जानना चाहता हूँ ?

श्री राम सिंह खन्ना--

शासन का यह दृष्टिकोण था और है कि जो चुने हुए नुमाइन्दे या प्रतिनिधि आयेंगे वे ही इन चीजों का फैसला करें कि वे किस तरह से व्यवस्था चलायेंगे, जन प्रतिनिधियों को हटाकर यह कार्य कर्मचारियों के सुपुर्द किया गया और यह समझा गया कि यह थोड़े दिन की व्यवस्था है । और यह शासन की नीति से आदेश दिया गया है । आज भी शासन की यह भावना है ।

श्री हुकुम सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मन्त्री जी ने जो शासन की भावना कही है, उसके संदर्भ में जानना चाहता हूँ कि एक शासनादेश में सरकार की ओर से यह कहा गया कि जहाँ 5 प्रतिशत हाउस टैक्स तथा दूसरे कर है उसको 10 प्रतिशत कर दिया जाय। चाहे महापालिकायें हों या लोकल बाडीज। कुछ जगह तो 5 प्रतिशत की दर से उससे वसूल कर रहे हैं या उसका दुगुना कर 10 प्रतिशत की दर से वसूल कर रहे हैं। क्या आप एक दूसरा आदेश देकर निर्देश करेंगें कि जो पुराना 5 प्रतिशत दर है, उसी दर से वसूल किया जाय ?

श्री राम सिंह खन्ना—

माननीय सदस्य की मंशा यह है कि कुछ जगह कर बढ़ा दिया गया है, जहां अगर बढ़ाकर किया गया है और इस प्रक्रिया के तहत नहीं आता है तो वह रोक दिया जायेगा।

श्री ऊदल—

माननीय मंत्री जी मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो नगरमहापालिका वाराणसी के अन्तर्गत या दूसरी महापालिका के अंतर्गत जो टैक्स लेने की कार्यवाही की जा रही थी, नोटिस दिये गये थे और तारीखें भी लगा दी गयी थी तो क्या सरकार ने उनको आने वाले महापालिका के चुनाव तक स्थगित कर दिया है ?

श्री राम सिंह खन्ना—

श्रीमन्, यह जो हाउस टैक्स के संदर्भ में है, यह कानून प्राविधान के अंतर्गत हर 5 साल बाद इसको फिर से देखा जाता है। 5 साल में कितने नये मकान बन गये हैं और कितने पुराने मकानों को, उसी पर यह निर्धारित किया जाता है। और इसकी वृद्धि करने का सवाल पुरानी प्रक्रिया पर नहीं है। सुनवाई के लिये कहा गया है तो इस ख्याल से कि यह आदेश के विरुद्ध है तब यह उनको कहा गया कि लोगों को समझाकर तथा उनको बताकर यह प्रक्रिया अपनाई जाय, कोई कर नहीं लगाया जा रहा है।

ये कर सन् 1976 से लगे हुए हैं। आज 1981 में फिर से जो नये आवास बन गये हैं, उन पर कर लगाने की प्रक्रिया की जा रही है, कोई नया कर नहीं लगाया जा रहा है।

श्री मुहम्मद आजम खां—

करों के सिलसिले में मा० मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ हालत है। जो ज्यादा गरीब हैं, उनके करों में कमी कर दी जाती है। प्रश्न में जो कहा गया है वह यह है कि इलेक्शन को मद्दे नजर रखते हुए शासनादेश यह हुआ कि फिलहाल कोई कर नहीं बढ़ाये जायेंगे। मैं मा० मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि मौजूदा हालत में कोई इस प्रकार के आदेश करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा भुखमरी फैली हुई है और मेरे शहर में तो जबरन कर वसूल किया जा रहा है, लोगों को नोटिसें दे दी गयी हैं, तो जब तक नये लोग चुनकर न आ जायं, इन आदेशों को वापस लेंगे ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जो कर लगे हुए हैं, उनकी वसूली तो होगी ही। लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल पा रही हैं। करों की वसूली रोककर कैसे काम चलेगा। फिर तो ताला बन्द कर दें यही हो सकता है।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, मैंने यह नहीं पूछा है।

श्री अध्यक्ष—

आपका प्रश्न बहुत व्यापक हो गया। आप बैठें।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

मान्यवर, जैसा प्रश्न में लिखा है, श्री रस्तोगी के पत्र में यह लिखा हुआ है कि चुनाव होने वाले हैं इसलिये करों में वृद्धि की कार्यवाही को स्थगित किया जाय। क्या सरकार इस सदन को अपनी स्थायी नीति बताने की कृपा करेगी कि क्या कर वृद्धि को चुनाव के समय न रखकर बाद में करते हैं ?

श्री राम सिंह खन्ना—

नहीं मान्यवर, ऐसा नहीं है। जनता के प्रतिनिधि स्थानीय निकायों का कार्य स्वयं चलाते हैं। आराजी तौर पर यह व्यवस्था की गयी थी। जब चुनाव आ गये तो यह हुआ कि जनता के प्रतिनिधि चुनकर आ जायँ, तब कार्य करें।

श्री ऊदल—

क्या मा० मन्त्री जी नगर महापालिका, वाराणसी द्वारा जो नोटिसें कर वृद्धि और करारोपण की दी गयी हैं, उनकी जांच कराने की कृपा करेंगे ? यह मेरी जानकारी है कि करों में बहुत ज्यादा बढ़ोत्तरी की गयी है और नया करारोपण किया गया है।

श्री राम सिंह खन्ना—

अगर कोई नया कर लगाया जाता है और वह इस सन्दर्भ में नहीं आता है, तो शासनादेश हैं और वह लागू रहेंगे। जो इसकी परिधि के अन्दर नहीं आता है, उन पर शासनादेश सब पर लागू हैं। जहाँ तक कोई ऐसी चीज है, तो यह तो शासन का कर्तव्य है कि अगर किसी जगह कोई कानून के खिलाफ काम होता है तो शासन उसको देखेगा। आप हमारी नोटिस में लाइए, हम देखेंगे।

श्री भीखा लाल—

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि जैसे शासन ने आदेश दिये हैं कि चूंकि चुनाव होने वाले हैं, जब जनता के नुमाइन्दे आ जायेंगे, तब कर निर्धारण किया जायगा, तो क्या यह आदेश 5 महानगरियों पर ही लागू हैं या टाउन एरिया इत्यादि पर भी लागू होंगे ?

श्री राम सिंह खन्ना—

शासनादेश सब पर लागू हैं। जहां तक गृह-कर का सम्बन्ध है, इसके सम्बन्ध में 5 साल के बाद फिर से देखा जाता है। इस अवधि में जिन लोगों ने नये मकान बना लिये हैं, उन पर जो टैक्स वाजिब होता है, वह लिया जायगा। यहां पर किसी नये कर का सवाल नहीं है।

श्री मोती लाल देहलवी—

इस प्रश्न में स्वायत्त शासन सचिव ने अपने पत्र में यह लिखा है कि चुनाव होने वाले हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार निकट भविष्य में उनके चुनाव कराने वाली है। तो मैं जानना चाहूँगा कि सरकार स्थानीय निकायों के चुनाव कब कराने वाली है, क्या उसकी तिथि तय कर ली है ?

श्री रामसिंह खन्ना—

इसमें लिखा है कि सम्भावित हैं।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पेंशन तथा सुविधाओं में वृद्धि करने का विचार

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

**2—क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों की पेंशन तथा सुविधाओं में कुछ वृद्धि किये जाने का मामला शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो विचाराधीन बिन्दु क्या हैं तथा उन पर निर्णय कब तक हो जायगा ?

श्री राम सिंह खन्ना—

स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों की राज्य पेंशन में वृद्धि करने का मामला शासन के विचाराधीन था। दिनांक 1 नवम्बर, 1982 से सेनानियों की पेंशन में 20/–रुपये प्रति माह की वृद्धि कर दी गयी है। इसके अतिरिक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मृत्यु होने पर उनके दाह-सस्कार के लिए उनके आश्रितों को 500/–रुपये दिये जाने का भी निर्णय शासन द्वारा लिया गया है। इस प्रयोजन हेतु शीघ्र ही आवश्यक धनराशि जिला मजिस्ट्रेटों को आवंटित की जायेगी। सेनानियों को अन्य कोई नई सुविधाएं दिये जाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन इस समय नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

इस बात को ध्यान में रखते हुये कि बहुत से स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी ऐसे हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन आज उनके पास उसका प्रमाण-पत्र नहीं है, और वह इसलिये नहीं है कि उसके बारे में कोई रेकार्ड जेलों में उपलब्ध नहीं है। इस कारण जिलाधिकारियों को सर्टिफिकेट देने में कठिनाई हो रही है। केन्द्रीय सरकार ने यह सहूलियत प्रदान कर दी है कि यदि कोई पेन्शन पाने वाला यह प्रमाणित कर देता है कि अमुक व्यक्ति ने आजादी की लड़ाई में भाग लिया और वह जेल गया तो उसके प्रमाण-पत्र को ही सही मान लिया जाता है और उसे सारी सुविधायें उपलब्ध होती हैं केन्द्र द्वारा। इसके अलावा बहुत से प्रतिभाशाली व्यक्ति ऐसे हैं जो आजादी की लड़ाई में जेल तो नहीं गये, पर काजिल रे रिस्टीकेट कर दिये गये थे जिसके कारण उनकी पढ़ाई-लिखाई नहीं हो सकी थी। तो क्या माननीय मंत्री जी ऐसे मामलों पर भी विचार करेंगे और केन्द्र ने जो नीति अपनाई है उसे यह सरकार भी अपनायेगी ?

श्री राम सिंह खन्ना—

इस पर विचार कर लिया जायेगा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

बहुत से ऐसे केसेज हैं जिनमें केन्द्रीय सरकार तो स्वतन्त्रता, संग्राम सेनानी मानकर उनको पेन्शन दे रही है पर यह प्रदेश की सरकार नहीं दे रहीं है, वह उनको स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी नहीं मान रही है और अपने श्रोतों से जांच करवा रही है। तो जब केन्द्र की सरकार उनको स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी मानती है तो प्रदेश की सरकार उसी आधार पर उनको क्यों नहीं मान रही है, हसका क्या औचित्य है ?

श्री रामसिंह खन्ना—

अगर ऐसे कोई मामले हैं और उनके नाम माननीय सदस्य बतलायेंगे तो उनको देख लिया जायेगा। यह बात हो सकती है कि यहाँ पर उसके बारे में कोई रेकार्ड न मिल रहे हों। वहां के बारे में किसी ने प्रमाण-पत्र दे दिया हो। उसी आधार पर यहां पर भी दिये जाने के प्रश्न पर विचार कर लेंगे, इसमें वजन है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

एक तो माननीय मन्त्री जी ने आश्वासन दे दिया उसके लिये मैं उनका आभारी हूं।

दूसरा आश्वासन यह चाहता हूं कि सरकार के जो सार्वजनिक उपक्रम हैं, अभी तक उनमें स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के लिये कोई आरक्षण नहीं है। क्या इस तरह के आदेश मंत्री जी देंगे कि जिस तरह से सरकार ने अपने यहां आरक्षण प्रदान कर रखा है उसी तरह से उन कारपोरेशन्स में भी आरक्षण रहे स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को ?

श्री राम सिंह खन्ना—

मान्यवर, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आदर के लिये जो भी किया जाय वह कम है। कोई चीज ऐसी नहीं है जो उनके बलिदान और त्याग के फलस्वरूप हो। यह जो हम थोड़ा बहुत करते हैं तो यह ऐसे ही है जैसे कि हम मन्दिरों में जा कर या मस्जिदों में जा कर नियाज दिलाते हैं, इसी तरह से हम उनको इज्जत देने के भावना से यह पेंशन देते हैं। आपका सुझाव अच्छा है, इसको भी ध्यान में रख कर हमसे जो सुविधा हो सकेगी, करने पर विचार करेंगे क्योंकि आज जो हम लोग यहाँ हैं वह उनकी ही बदौलत है। आगे आने वाला देश हर तरह से उनकी इज्जत करने के लिये तैयार है। हम से जो हो सका है वह हम कर रहे हैं, जो कुछ नहीं हो सका उसके लिये हमें दुःख है लेकिन हमसे जो कुछ भी उनके लिये हो सकेगा, वह सुविधा हम उनको देने के लिये हर तरह से तैयार हैं।

प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा—

माननीय अध्यक्ष जी, जनता शासन के दौरान ऐसे बहुत से स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी थे जिन्हें पेंशन मिल रही थी और उनकी पेंशन बाद में रोक दी गयी तो मैं चाहता हूँ कि मन्त्री जी क्या स्पष्ट बतायेंगे कि उनको फिर से पेन्शन देना शुरू किया जायेगा और इसके साथ ही राज्य परिवहन निगम की बसों द्वारा उन्हें निःशुल्क यात्रा करने की सुविधा क्या प्रदान की जायेगी ?

श्री राम सिंह खन्ना—

उनके निःशुल्क यात्रा के लिये विचार कर रहे हैं परन्तु इसमें खर्चा बहुत है। इसके अतिरिक्त उनको कोई और सुविधा दी जाय तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जिनकी पेन्शन काट दी गयी है या जिनको दी जा रही है उसके लिए जैसा कि अभी हमने बताया कि हम उनके काम के लिये उनको हर तरह से सुविधा प्रदान करने के लिये तैयार हैं। जो हमारी जानकारी में नहीं आयी है या कोई त्रुटि हुई है, जिस तरह से भी वह बातें हमारे सामने आयेंगी, हम कोशिश करेंगे कि हम अपने उत्तरदायित्व को निभा सकें।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि जिन स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी को पहले पेन्शन स्वीकृत नहीं हुई और अब उन्हें स्वीकृत हो जाती है तो ऐसे स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों को उनकी पहले से बाकी पेन्शन की धनराशि को व्याज सहित उनको देंगे ?

श्री राम सिंह खन्ना--

यह बात तो हर एक के केस पर निर्भर करेगी, जैसा केस होगा, वैसा किया जायेगा। उसे देख कर ही निर्णय लेना पड़ेगा।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मन्त्री जी अपनी भावनाओं का आदर करते हुए इस बात की स्पष्ट घोषणा करेंगे कि जिन फ्रीडम फाईटर को सेन्ट्रल गर्वनमेन्ट सम्मान के स्वरूप पेन्शन देती है, उनको स्पष्ट डिक्लेरेशन के आधार पर स्टेट गर्वनमेन्ट पेन्शन देना शुरू करेगी ?

श्री राम सिंह खन्ना—

इसके ऊपर विचार करके शीघ्र से शीघ्र निर्णय लेंगे।

श्री बदन सिंह--

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पेन्शन में 1 नवम्बर, 1980 से प्रति माह उनकी धन-राशि में वृद्धि कर दी गयी है, इसी तरह से क्या उनके दाह संस्कार के लिये भी प्रबन्ध किया गया है। क्या माननीय मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उनके दाह संस्कार के समय में उस समय जिलाधिकारी या उनके नुमाइन्दों को वहाँ प्रस्तुत रहने के भी आदेश दिये गये हैं ?

श्री राम सिंह खन्ना—

मान्यवर, ऐसा देखने में आया है कि किसी-किसी स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के कोई आश्रित नहीं था जिसके कारण उनका वह संस्कार करने में आर्थिक दिक्कत सामने आयी। इसलिये यह आदेशित है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के दाह संस्कार के समय जिलाधिकारी या उनका कोई नुमाइन्दा वहाँ चला जाय और उसका संस्कार करा दे। यह उनके सम्मान के लिये है कि उन्होंने देश के लिये अपना बलिदान किया। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो आप बतायें, उन्हें देख कर आदेश दिया जायेगा।

श्री ऊदल--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि बहुत से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ऐसे हैं जिन्होंने अब तक पेंशन के लिए फार्म नहीं भरा है। एक मामला मुझे देखने में आया कि उसको लकवा मार गया, परन्तु उसने पेन्शन के लिए फार्म नहीं भरा। तो जिन लोगों ने अभी तक फार्म नहीं दिया है, यदि वह देते हैं तो क्या उनके प्रार्थना पत्रों पर विचार किया जायेगा।

श्री राम सिंह खन्ना--

ऐसे मामलों पर जरूर विचार किया जायेगा। फार्म अभी भी दे देंगे तो विचार कर लिया जायेगा।

अतारांकित प्रश्न

जनपद आजमगढ़ को विभिन्न जनपदों द्वारा प्राप्त खाद्यान्न तथा खाद्यान्न प्रोक्योर हेतु जिले में हुए व्यय का विवरण

श्री राजकुमार राय—

1 क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1982 के मार्च, अप्रैल व मई महीने में आजमगढ़ जनपद के लिए खाद्यान्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न जन-

---

नोट :—अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

पदों से खाद्यान्न मिले थे ? यदि हां, तो कितने-कितने अनाज का प्राधिकार पत्र किन-किन जिलों के जारी हुए थे और उपरोक्त महीनों में कितना अनाज मिला और प्रोक्योर करने में उक्त महीने में कितना व्यय हुआ ?

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)—

जी हाँ। बकाया मजदूरी भुगतान हेतु आजमगढ़ जनपद को गोरखपुर से 135.95 कुन्तल, प्रतापगढ़ से 143 कुन्तल तथा देवरिया से 12 कुन्तल खाद्यान्न प्रश्नगत अवधि में प्राप्त हुआ था। यह खाद्य निगम से नहीं अपितु विभिन्न जिलों से उठाया जाना था। खाद्यान्न प्रोक्योर करने में जिले में हुए व्यय विवरण को जनपद से प्राप्त किया जा रहा है।

राजकीय जे0 टी0 सी0 गोरखपुर के प्रधानाचार्य श्री नरेन्द्र धर द्विवेदी का स्थानान्तरण

श्री राजकुमार राय—

2 क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय जे0 टी0 सी0 गोरखपुर के प्रधानाचार्य श्री नरेन्द्र धर द्विवेदी का स्थानान्तरण जून, 82 में आर्थिक अनियमितताओं के आरोप तथा 4 वर्ष से अधिक के कार्यकाल हो जाने के आधार पर किया गया था ? यदि हां, तो उसे निरस्त किए जाने का आधार क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद आजमगढ़ के जू0 हाई स्कूल चौबा तथा सतना में अप्रशिक्षित अध्यापक तथा अनुदान सूची में लिये जाने का कारण

श्री राजकुमार राय—

3 विधान सभा के द्वितीय सत्र 82 के दिनांक 23-8-82 के अतारांकित प्रश्न संख्या 189 के सन्दर्भ में शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद के ही जू0 हाई0 स्कूल चौवा जी 1969 का मान्यता प्राप्त था तथा जू0 हा0 स्कूल, सतना जो 1978 का मान्यता प्राप्त था, को अप्रशिक्षित अध्यापकों के होते हुए भी अनुदान सूची पर ला दिया गया है ? यदि हां, तो समान आधार पर सन्दर्भित विद्यालय को भी अनुदान सूची पर लाने में क्या कठिनाई है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हाँ। आजमगढ़ जनपद में जूनियर हाई स्कूल चौवा नामक कोई मान्यता प्राप्त विद्यालय नहीं है। इसको अनुदान सूची पर लिये जाने का प्रश्न नहीं उठता। सरदार पटेल पूर्व माध्यमिक विद्यालय सबेरी, सतना जिसको अनुदान सूची पर लिखा गया, में सभी अध्यापक प्रशिक्षित ही थे।

प्रश्न नहीं उठता।

एग्रो कर्मचारियों को चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें

श्री रामलाल वर्मा—

4 क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या एग्रो में चिकित्सा नियमावली तैयार की गयी है ? यदि हां, तो कृषि मन्त्री बतलायेंगे कि टी0 बी0, कैंसर आदि से पीड़ित कर्मचारियों

को क्या-क्या सुविधाएं दी जाती हैं तथा उनको अवकाश आदि कितने दिनों का स्वीकृत किया जाता है ?

श्री यशपाल सिंह—

जी हाँ ।

टी0 बी0 कैन्सर आदि से पीड़ित कर्मचारियों को उनके एक माह के मूल वेतन तक की धनराशि का व्यय निगम द्वारा वहन किया जाता है एवं दीर्घ कालीन चिकित्सा की स्थिति में अधिक व्यय होने पर विशेष परिस्थितियों में उसका भार निदेशक मंडल के अनुमोदन के उपरान्त निगम द्वारा वहन किया जाता है । निगम के कर्मचारियों को एक वर्ष का चिकित्सा अवकाश अनुमन्य है ।

एग्रो में तालकटोरा वर्कशाप के न्यायालय में दायर हुए श्रमिक विवाद

श्री रामलाल वर्मा—

5 क्या कृषि मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि एग्रो में तालकटोरा वर्कशाप में विगत तीन वर्षों में कितने श्रमिक विवाद न्यायालय में दायर हुए तथा कितने वादों का निपटारा न्यायालय द्वारा किया गया तथा इसके फलस्वरूप कितने रुपये की अदायगी एग्रो को वर्ष वार करनी पड़ी ? इन वादों में एग्रो की ओर से कौन-कौन पैरवीकार था उसे क्या पारिश्रमिक दिया गया ?

श्री यशपाल सिंह—

एग्रो में तालकटोरा वर्कशाप में विगत तीन वर्षों में 174 श्रमिक विवाद न्यायालय में दायर हुए तथा 55 वादों का निपटारा न्यायालय द्वारा किया गया तथा उसके फलस्वरूप एग्रो को वर्ष 1979-80 में 8,86,800-30 रु0, 1980-81 में 1,76,528-03 रु0, वर्ष 1981-82 में 8,301-50 रु0 एवं वर्ष 1982-83 में 66,883-00 रु0 अदायगी करनी पड़ी । इन वादों में एग्रो की ओर से सर्वश्री राजपाल सिंह, श्रम विधि परामर्शी, लल्लू सिंह, एडवोकेट, सगीर अहमद, चीफ स्टैंडिंग कौंसिल एवं पी० एन० माथुर, एडवोकेट पैरवीकार थे तथा श्री राजपाल सिंह को अगस्त 1980 तक 480/– प्रतिमाह तथा सितम्बर 1980 से 800/– प्रतिमाह पारिश्रमिक दिया गया तथा श्री लल्लू सिंह को कुल रु० 550/– पारिश्रमिक दिया गया । श्री सगीर अहमद तथा श्री पी० एन० माथुर को पारिश्रमिक के रूप में कोई धनराशि नहीं दी गयी ।

कृषि विभाग हेतु केन्द्रीय या राज्य भण्डारागारों से उर्वरकों का आवंटन

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

6 क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980-81 एवं 1981-82 में गोरखपुर मण्डल में मण्डल के बाहर के केन्द्रीय भण्डारागार निगम या राज्य खाद्य भण्डारागार निगमों से विभिन्न प्रकार की उर्वरकों का आवंटन किया गया है, जबकि गोरखपुर मण्डल के अन्तर्गत स्थित भण्डारागारों में उर्वरक उपलब्ध थे ? क्या यह भी सच है कि गोरखपुर मण्डल के विभिन्न भण्डारागारों से प्रदेश के अन्य मण्डलों को उर्वरक उक्त अवधि में ही आवंटित किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह—

जी हां, परन्तु कृषि विभाग के लिये केंद्रीन्य या राज्य भण्डारागारों से उर्वरकों का आवंटन भारतीय खाद्य निगम से किया गया । भारतीय खाद्य निगम किस गोदाम से अथवा किस जनपद से उर्वरकों को आपूर्ति करेगा यह उनके विवेक का विषय है और इससे कृषि विभाग का सम्बन्ध नही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कृषि बीज गोदाम परतावल (गोरखपुर) के सहायक कृषि निरीक्षक का कार्यकाल एवं स्थानान्तरण

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

7 क्या कृषि मन्त्री कृपया यह बताने की कृपा करेंगे कि कृषि बीज गोदाम परतावल (गोरखपुर) के स0 कृषि निरीक्षक (श्री श्रीवास्तव) पिछले तीन वर्ष से अधिक अवधि से कार्यरत हैं जबकि विभागीय निदेशों के अनुसार दो वर्ष से अधिक समय तक कोई स0 कृ0 निरीक्षक एक ही स्थान पर नहीं रह सकता ? क्या यह सच है कि इस बीच इनका स्थानान्तरण कई बार हुआ, किन्तु उसे रोक दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह—

जी हां ।

श्री जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव का स्थानान्तरण दो बार किया गया था परन्तु उनकी पारिवारिक समस्याओं तथा उनकी पत्नी की बीमारी के कारण उनके निजी अनुरोध पर उनका स्थानान्तरण रोका गया था । लेकिन उनको बीज भण्डार से हटाकर परतावल में ही सघन योजना में सहायक कृषि निरीक्षक के पद पर तैनात कर दिया गया है ।

भूतपूर्व तथा कार्यवाहक जिला परियोजना अधिकारी (कृषि), गोरखपुर द्वारा दिये गये पत्र के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

8 क्या कृषि मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि भू० पू० जिला परियोजना अधिकारी (कृषि), गोरखपुर एवं वर्तमान कार्यवाहक परियोजना अधिकारी, गोरखपुर ने वर्तमान उप कृषि निदेशक, गोरखपुर मण्डल के साथ सामंजस्य पूर्ण कार्य करने में अपनी असमर्थता से विभाग को अवगत कराया है ? यदि हां, तो दोनों परियोजना अधिकारियों के पत्रों की मुख्य बातें क्या हैं एवं विभाग ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री यशपाल सिंह—

भूतपूर्व जिला परियोजना अधिकारी (कृषि) तथा तत्कालीन कार्यवाहक परियोजना अधिकारी, गोरखपुर के पत्रों में मुख्यतयः उप कृषि निदेशक, गोरखपुर मण्डल द्वारा पत्राचार में कटु भाषा का प्रयोग करने तथा परियोजना अधिकारी के कार्य क्षेत्र सम्बन्धी कतिपय कार्यों की सीधे निष्पादित किये जाने का उल्लेख किया है ।

तत्कालीन परियोजना अधिकारी, गोरखपुर की जनहित में स्थानान्तरण कर दिया गया तथा उस पद पर नियमित अधिकारी की तैनाती की जा चुकी है ।

जिला कृषि परियोजना अधिकारी, बांदा के विरुद्ध शिकायती पत्र

प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा—

9 क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला कृषि परियोजना अधिकारी, बांदा के विरुद्ध कोई शिकायती-पत्र वर्ष 81-82 तथा 1982-83 में उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शिकायती-पत्र का ब्योरा क्या है ? उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री यशपाल सिंह—

जी हां।

कुल 4 शिकायती पत्र प्राप्त हुये थे जिनमें भ्रष्टाचार, अधीनस्थ निम्न वर्गीय कर्मचारियों को प्रताड़ित करने आदि के आरोप लगाये गये हैं।

शिकायती पत्रों में लगाये आरोपों की जांच के आदेश दिये जा चुकें है।

गाजीपुर जनपद में कृषि विज्ञान की शिक्षा तथा इण्टरमीडिएट एवं हायर सेकेन्डरी स्कूल

श्री राम नरायन एडवोकेट तथा श्री यदुनाथ सिंह—

10 क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद में इस समय कृषि विज्ञान की शिक्षा किन-किन शिक्षा संस्थाओं में दी जा रही है और उन संस्थाओं के नाम तथा छात्र संख्या क्या है ? क्या सरकार कृषि शिक्षा की मांग एवं आवश्यकता का ध्यान रखते हुए सम्बन्धित विद्यालयों में प्रवेश संख्या को बढ़ाने की कृपा करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री राम नरायन एडवोकेट तथा श्री यदुनाथ सिंह—

11 क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद में कितने इण्टरमीडिएट कालेज एवं हायर सेकेण्ड्री स्कूल है तथा प्रत्येक संस्थाओं में कितने छात्र हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

खरीफ एवं रबी की फसलों को रोग से बचाने हेतु उपाय

श्री राम नरायन एडवोकेट तथा श्री यदुनाथ सिंह—

12 क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1981-82 में गाजीपुर जिला कृषि रक्षा अधिकारी एवं उनके विभाग द्वारा खरीफ एवं रबी की फसलों को रोग से बचाने हेतु कौन से उपाय किये गये तथा सम्बन्धित खर्च का क्या विवरण है ?

श्री यशपाल सिंह—

वर्ष 1981-82 में खरीफ के फसलों को बीज शोधन, दीमक, झुलसा, झोकलिफ, स्पाट, तना छेदक गंधी चूहा, सैनिक कीट, खरपतवार, अरगट, अकूर वैधक, पारिला अन्य कीट रोगों से बचाने हेतु 40,335-51 हेक्टर क्षेत्र में निवारण कार्य किया गया जिसके अन्तर्गत रु0 1,71, 843-83 के रसायन खर्च हुये।

वर्ष 1981-82 में रबी की फसलों को बीज लिप्त (आल्टनिरिया) झुलसा, दीमक, गुछिया, चूहा, झुलसा माहूँ, फली छेदक, रेतुआ, गालमोज, खरारोग, तुलासिता, फले छेदक गेरुई, भूमि शोधन अगेंता एवं पछेता झुलसा तथा अन्य कीट रोगों से बचाने हेतु 58,485 हैक्टर क्षेत्र में निवारण कार्य किया गया जिसके अन्तर्गत स0 2,46,152-56 के रसायन खर्च हुये ।

13 श्री यदुनाथ सिंह –

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

भूतपूर्व शिक्षा अधीक्षक श्री जय प्रकाश मित्तल, धामपुर, बिजनौर के विरुद्ध सम्परीक्षक द्वारा निकाली गयी अनियमिततायें

श्री श्याम सिंह–

14 क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व शिक्षा अधीक्षक (श्री जय प्रकाश मित्तल) नगर क्षेत्र धामपुर, जनपद बिजनौर के विरुद्ध सम्परीक्षक (आडिटर) द्वारा निकाली गयी अनेक वित्तीय अनियमितताएं तथा गम्भीर आपत्तियों के बाद भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बिजनौर द्वारा अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद गोरखपुर के घुघली विकास क्षेत्र में कुओं का निर्माण एवं भुगतान की जांच

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

15 क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिले के घुघली विकास क्षेत्र में गत तीन वर्षों में जो हरिजन एवं कमजोर वर्ग के लिए कुएं बनने थे वे सभी तैयार हो गये हैं तथा पीने योग्य पानी मिल रहा है ? क्या यह सच है कि आधे से अधिक कुओं में पानी आया भी नहीं जबकि भुगतान पूरा कर दिया गया है ? यदि हां, तो सम्बन्धित विकास अधिकारी के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री बलराम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

राजकीय माध्यमिक विद्यालय में सी0 टी0 वेतन क्रम में कार्यरत अध्यापकों की ज्येष्ठता सूची एवं पदोन्नति

श्री प्रभूनारायण सिंह–

16 विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के सातवें मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 218 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या ज्येष्ठता सूची तैयार कर दी गयी है और अध्यापकों को उपलब्ध रिक्तियों पर पदोन्नतियां दी जा रही हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद जौनपुर के जूनियर बेसिक एवं सीनियर बेसिक विद्यालयों के अध्यापकों के विरुद्ध अनियमितता का आरोप

श्री प्रभूनारायण सिंह—

17 क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद जौनपुर के जूनियर बेसिक एवं सीनियर बेसिक विद्यालयों के कितने अध्यापक वर्ष 1981-82 में कर्त्तव्य की उपेक्षा या अनियमितता के दोषी पाये गये और दण्डित किये गये ? क्या प्राथमिक शिक्षा को प्रभावी बनाने की कोई अभिनव योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जनपद जौनपुर में वर्ष 1981-82 में जूनियर बेसिक एवं सीनियर बेसिक विद्यालयों के 60 अध्यापक उपेक्षा या अनियमितता के दोषी पाये गये तथा दंडित किये गये। प्राथमिक शिक्षा को प्रभावी बनाने की कोई अभिनव योजना वर्तमान में शासन के विचाराधीन नहीं है।

जनपद जौनपुर में संचालित अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र

श्री प्रभूनारायण सिंह—

18 क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर में इस वर्ष अनौपचारिक शिक्षा के केन्द्र किन स्थानों पर संचालित हैं और उनसे कितने छात्र लाभान्वित हैं ? इस योजना से वांछित लाभ हो रहा है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

अनौपचारिक शिक्षा की योजना के अन्तर्गत जनपद जौनपुर में वर्तमान में 360 स्थानों पर अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र संचालित हैं तथा उनमें 8182 छात्र/छात्रायें शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। उपरोक्त के सम्बन्ध में विकास खंडवार विवरण संलग्न है।

जी हाँ।

(देखिये नत्थी (क) आगे पृष्ठ.....पर)

जौनपुर जनपद के विकास क्षेत्र, जलालपुर के प्राथमिक शिक्षकों के वेतन से राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदने हेतु काटा गया धन

श्री प्रभूनारायण सिंह—

19 क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि वर्ष 1976 में जौनपुर जनपद के विकास क्षेत्र, जलालपुर के प्राथमिक शिक्षकों के वेतन से राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदने हेतु धन काटा गया था ? यदि हाँ, तो क्या यह सत्य है कि उक्त धन से न तो बचत पत्र खरीदे गये और न आज तक उनका नकद अथवा बचत-पत्र के रूप में भुगतान ही किया गया ? क्या सरकार इस अनियमितता की जाँच करायेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

बिना मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों की बाढ़ पर नियंत्रण

श्री प्रभूनारायण सिंह—

20 क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतलायेंगे कि जनपद जौनपुर में बिना मान्यता प्राप्त कितने प्राथमिक विद्यालय चलाए जा रहे हैं ? क्या सरकार ऐसे शिक्षालयों की बाढ़ पर नियंत्रण लगाएगी ? नहीं तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

204 प्राथमिक विद्यालयों ऐसे विद्यालयों को बाढ़ पर नियंत्रण लगाने का प्रश्न एक नीति का विषय है जिस पर सम्यक् विचारोपरान्त ही निर्णय लिया जा सकता है।

स्वर्गीय श्री राम राज उपाध्याय के आश्रित को प्रविधायी विधि, पेंशन व जीवन बीमा की धनराशि का भुगतान

श्री प्रभूनारायण सिंह—

21 क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि बेसिक शिक्षा परिषद् जौनपुर के अन्तर्गत कार्यरत अध्यापक श्री राम राज उपाध्याय की मृत्यु बिजली के आघात से सेवा काल में ही दिनांक 29 जून, 1979 को हो गई ? क्या यह सत्य है कि उक्त मृतक शिक्षक के आश्रितों को अब तक किसी भी प्रकार की सहायता नहीं प्रदान की गई ? क्या सरकार मृतक शिक्षक के आश्रितों को शीघ्र पारिवारिक पेंशन प्राविधायी निधि और जीवन बीमा का भुगतान कराएगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हाँ। उनकी प्राविधायी निधि व जीवन बीमा की धनराशि का भुगतान उनके उत्तराधिकारी को हो चुका है। पारिवारिक पेंशन उस समय देय नहीं थी। अतः उसके भुगतान का प्रश्न नहीं उठता।

प्रधानाध्यापक श्री राम दुलार दुबे के पुनः बहाली, उक्त अवधि का वेतन भुगतान

श्री प्रभूनारायण सिंह—

22 क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि बेसिक शिक्षा परिषद् जौनपुर में दिनांक 30 जून, 82 तक कार्यरत प्रधानाध्यापक श्री राम दुलार दुबे दिनांक 28-8-73 से दिनांक 6-12-75 तक निलम्बित रहे और दोषमुक्त पाये जाने पर पुनः बहाल कर दिये गये ? क्या श्री दुबे को उक्त अवधि के वेतन का भुगतान अभी तक नहीं किया गया ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमार बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद जौनपुर के माध्यमिक विद्यालयों में हाई स्कूल स्तर तक विज्ञान विषय की व्यवस्था

श्री प्रभूनारायण सिंह—

23 क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के कितने माध्यमिक विद्यालयों में हाई स्कूल स्तर तक विज्ञान के पठन पाठन की सुविधा उपलब्ध नहीं है ? क्या सरकार इन विद्यालयों में भी विज्ञान की पढ़ाई की व्यवस्था शीघ्र कराएगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद जौनपुर में माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय तथा शिक्षकों को उपलब्ध सुविधायें

श्री प्रभूनारायण सिंह—

24 क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि जनपद जौनपुर के विभिन्न माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध कितने प्राथमिक विद्यालय संचालित है और उनमें कुल कितने अध्यापक कार्यरत हैं ? क्या सरकार इन शिक्षकों को भी वही सुविधाएं प्रदान करेगी जो इनके समकक्ष अन्य प्राथमिक शिक्षकों को उपलब्ध है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र जलालपुर में प्रौढ़ शिक्षा की योजना

श्री प्रभूनारायण सिंह—

25 क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र जलालपुर में शिक्षा सत्र 1981-82 में किन-किन ग्रामों में प्रौढ़ पाठशालाएं चलाई गई उसमें कितने प्रौढ़ शिक्षित किये गए ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र जलालपुर में वर्ष 1981-82 में राजकीय एजेन्सी द्वारा प्रौढ़ शिक्षा की कोई योजना संचालित नहीं की गयी। अतः उक्त विकास क्षेत्र में प्रौढ़ों को शिक्षित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

माध्यमिक शिक्षक संघ, जौनपुर के मंत्री श्री विनोद कुमार द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक को भेजे गये पत्र पर कृत कार्यवाही

श्री प्रभूनारायण सिंह—

26 क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि माध्यमिक शिक्षक संघ जौनपुर के मंत्री श्री विनोद कुमार ने वर्ष 1981-82 में विभिन्न शिक्षक समस्याओं से सम्बन्धित कितने पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक जौनपुर को लिखे ? उनमें से कितनी समस्याओं का निदान कर लिया गया और शेष का कब तक कर लिया जाएगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण तथा अध्ययन अवकाश दिलाने की व्यवस्था

श्री प्रभूनारायण सिंह—

27 क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों को अपनी दक्षता में वृद्धि करने हेतु सुलभ सेवा कालीन प्रशिक्षण और अध्ययन अवकाश अब नहीं

दिया जाता ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उन्हें पूर्व प्रदत्त सेवाकालीन प्रशिक्षण और अध्ययन अवकाश दिलाने की व्यवस्था करायेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हाँ ।

शासन के विचाराधीन है ।

देवरिया जिले के विकास खंडों में कार्यरत ग्राम विकास अधिकारियों, सहायक

विकास अधिकारियों, खंड विकास अधिकारियों का स्थानान्तरण

श्री रुद्र प्रताप सिंह—

28 क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के विभिन्न विकास खंडों में कार्यरत ग्राम विकास अधिकारियों, सहायक विकास अधिकारियों व खण्ड विकास अधिकारियों को निर्धारित अवधि समाप्त हो जाने पर भी स्थानान्तरित नहीं किये गये हैं और नियमों के अधीन उनका कब तक स्थानान्तरण कर दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

ऐसे कर्मचारियों को स्थानान्तरित करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। किन्तु शासन द्वारा सर्वत्र अप्रैल, 1983 तक स्थानान्तरण पर रोक लगा दी गई है ।

माह मई, जून 1983 में नियमानुसार स्थानान्तरण की कार्यवाही संभव होगी ।

लघु सिंचाई विभाग तथा सिंचाई विभाग के अवर अभियन्ताओं के वेतनमानों में भिन्नता

श्री रुद्र प्रताप सिंह—

29 क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लघु सिंचाई विभाग के अवर अभियन्ताओं एवं सिंचाई विभाग के अवर अभियन्ताओं के साधारण वेतनमान एवं सेलेक्शन ग्रेड में कोई भिन्नता है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार इस भिन्नता को समाप्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हाँ । लघु सिंचाई विभाग तथा सिंचाई विभाग के कार्य तथा स्टाफिंग पैटर्न में भिन्नता है, जिसके आधार पर वेतन आयोग ने दोनों विभागों के लिये अलग-अलग वेतनमान संस्तुत किया था जिसे शासन ने स्वीकार कर लिया है । अतएव इस भिन्नता को समाप्त नहीं किया जा सकता है ।

श्री के० डी० गिरि एवं सी० पी० तिवारी, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, गोंडा के विरुद्ध शिकायती पत्र

श्री रुद्र प्रताप सिंह—

30 क्या ग्राम्य विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा में देवरिया एवं गोंडा प्रखण्डों के अधिशासी अभियन्ताओं सर्वश्री के० डी० गिरी एवं सी० पी० तिवारी के भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता एवं गोंडा, देवरिया एवं

गोरखपुर जनपदों के विधायकों सर्वश्री मंगलदेव सिंह, महेश प्रसाद एवं श्रीमती किशोरी शुक्ला के द्वारा भी उन्हें अनेक बार लिखने के बावजूद भी कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

श्री के० डी० गिरि, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, देवरिया के विरुद्ध श्री रुद्र प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा एवं श्री सी० पी० तिवारी, अधिशासी अभिन्यता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, गोण्डा के विरुद्ध श्रीमती किशोरी शुक्ला, सदस्या, विधान सभा के शिकायती पत्र प्राप्त हुए ।

उक्त शिकायती पत्रों की जाँच टेक्नीकल आडिट सेल, ग्रामीण अभिन्त्रण सेवा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा की जा रही है । जाँचोपरान्त दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

जनता विद्यालय चनुकी देवरिया की अवैधानिक अस्थायी मान्यता निरस्त किये जाने के आदेश

श्री रुद्र प्रताप सिंह—

31 क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाद सं० 325/79 मुन्सिफ न्यायालय देवरिया द्वारा जनता विद्यालय चनुकी देवरिया की अवैधानिक अस्थायी मान्यता निरस्त एवं शून्य घोषित करने का आदेश उप शिक्षा निदेशक सप्तम मण्डल गोरखपुर एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी देवरिया को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

एग्रो में लेबर ला एडवाइजर की नियुक्ति

श्री रामलाल वर्मा—

32 क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि एग्रो में क्या कोई लेबर ला एडवाइजर है ? यदि हाँ, तो उसकी नियुक्ति कब व कितने पारिश्रमिक पर किन शर्तों द्वारा किसके माध्यम से की गयी ? यदि नहीं, तो श्रम मंत्री सम्बन्धी मामलों एवं विवादों का निपटारा कैसे किया जाता है ?

श्री यशपाल सिंह—

जी हाँ ।

लेबर ला एडवाइजर की नियुक्ति दिनांक 1-2-1976 से विधि परामर्शी, उत्तर प्रदेश शासन के अनुमोदनोपरान्त प्रबन्ध निदेशक द्वारा की गई । उनकी नियुक्ति रु० 250/- प्रतिमाह पारिश्रमिक पर की गई । उनकी नियुक्ति की शर्तें प्रथक से नहीं बनाई गई हैं ।

एग्रो द्वारा दुहरे भुगतान में धनराशि की वसूली

श्री रामलाल वर्मा—

33 द्वितीय सत्र 1981 के पहले सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 118 के उत्तर के क्रम में क्या कृषि मंत्री कृपया बतलायेंगे कि 25:26 लाख के दुहरे भुगतान में विवाद ग्रस्त

धनराशि मु० 1.66 लाख की रुपये वसूली के सम्बन्ध में कब वकिस न्यायालय में वाद दायर किया गया ?

श्री यशपाल सिंह—

25-26 लाख के दुहरे भुगतान में विवादग्रस्त धनराशि 1.66 लाख रुपये की वसूली के लिये दिनांक 7-1-1981 को सिविल जज लखनऊ के न्यायालय में वाद दायर किया गया।

34—श्री राम लाल वर्मा—

[5वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 16 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

35—श्री राम लाल वर्मा—

[8वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 32 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

36—श्री रुद्र प्रताप सिंह, श्री श्याम नारायन तिवारी तथा श्री कुबेर भण्डारी—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

बछरावाँ विकास खण्ड, जिला रायबरेली में हुए जिप्सम घोटाला काण्ड की जाँच रिपोर्ट

श्री रुद्र प्रताप सिंह तथा श्री कुबेर भंडारी—

37 प्रथम सत्र 1982 के दूसरे सोमवार के उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या 6 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या कृषि मंत्री सतर्कता विभाग की जाँच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह—

प्रश्नगत जाँच रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखना जनहित में न होगा क्योंकि अभी तक परम्परा यही रही कि ऐसी जाँच आख्यायें सदन में प्रस्तुत नहीं की जाती हैं।

बेसिक शिक्षा परिषद, जनपद चमोली के अध्यापकों के वेतन से भविष्य निर्वाह निधि की कटौती

श्री कुंवर सिंह नेगी—

38 क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद जनपद चमोली के अन्तर्गत 1-4-74 के बाद राजकीय विकल्प के पदधारक अध्यापकों की सामान्य भविष्य निर्वाह निधि में जो मासिक कटौती उनके वेतन से की जाती है उस राशि को क्या सम्बन्धित अध्यापकों के खातों में जमा किया जाता है ? यदि हाँ, तो क्या सबको वार्षिक लेखा पर्चियाँ दे दी गई हैं ? यदि नहीं तो क्यों और उक्त कटौती का धन किस खाते में जमा किया जाता है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

राजकीय कन्या दीक्षा विद्यालय, बिजनौर में अध्यापिकाओं के सील बन्द कर रखी गयी सेवा पुस्तिकायें

श्री कुंवर सिंह नेगी—

39 क्या शिक्षा मंत्री बताने की करेंगे कि राजकीय बालिका बी० टी० सी० स्याऊ-चांदपुर जिला बिजनौर के समाप्त हो जाने पर वहाँ के समस्त अभिलेख एवं सेवारत अध्यापिकाओं की सेवा पंजिकायें राजकीय बालिका बी० टी० सी० बिजनौर के कार्यालय में सील बन्द करके रखे गये थे ? यदि हाँ, तो उक्त सेवा पंजिकाओं को अभी तक सम्बन्धित अध्यापिकाओं के वर्तमान सेवारत विद्यालयों में क्यों नहीं भेजा गया और अब वे कब तक भेजे जायेंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हाँ ।

राजकीय बालिका बी० टी० सी० स्याऊ-चाँदपुर, बिजनौर के समाप्त हो जाने के बाद वहाँ के समस्त अभिलेख राजकीय कन्या दीक्षा विद्यालय, बिजनौर में सील बन्द करके रखे गये थे परन्तु किसी भी कार्यरत अध्यापिका की सेवा पंजिका सील रेकार्ड में नहीं रखी गई थी ।

कार्यरत शिक्षिकाओं की सेवा पुस्तिकायें जिन विद्यालयों में उन्हें स्थानान्तरित किया गया वहाँ पूर्व में ही भेजी जा चुकी हैं ।

प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों एवं शासकीय महाविद्यालयों में शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन मानों में अन्तर

श्री कुंवर सिंह नेगी—

40 क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों एवं शासकीय महाविद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारी पदों के वेतनमान समान है ? यदि नहीं तो विषमता का क्या कारण है ? क्या शासन को समान कार्य के लिये समान वेतन की नीति के अनुरूप शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारी पदों के वेतनमान अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारी पदों के बराबर कर असंगतियों को दूर करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सामान्यतया दोनों प्रकार के महाविद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतनमान समान है किन्तु विद्यालयों की छात्र संख्या, पदों की शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव भिन्न-भिन्न होने के कारण कुछ पदों के वेतनमानों में अन्तर है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में प्रधान पद के प्रत्याशियों तथा निर्वाचित प्रधानों की हत्या

श्री कुंवर सिंह नेगी—

41 क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1982 में हुए ग्राम सभा प्रधानों के चुनाव में प्रदेश भर में प्रधान पद के कितने प्रत्याशियों की हत्या हुई है तथा इनमें से कितने नव निर्वाचित प्रधानों की हत्या हुई है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

57 जिलों से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रधान पद के 13 प्रत्याशियों की तथा 73 नव निर्वाचित प्रधानों की हत्या हुई है।

श्री रमाशंकर पाण्डेय, तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक, बस्ती के विरुद्ध जांच रिपोर्ट

श्री पंचानन राय—

42 विधान सभा के द्वितीय सत्र 1982 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 153 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है श्री रमाशंकर पाण्डेय तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक बस्ती के विरुद्ध आई० पी० सिंह उप शिक्षा निदेशक द्वारा जांच प्रारम्भ की गयी थी ? क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त जांच आख्या प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो इसके आधार पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां। विस्तृत जांच आख्या अभी प्राप्त नहीं हुई है।

श्याम कृष्ण उ० मा० विद्यालय थवईपार, गोरखपुर में विभिन्न वेतन क्रमों में सृजित किये गये पदों की जांच

श्री पंचानन राय—

43 द्वितीय सत्र 1982 के प्रथम सोमवार के निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 41 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पद सृजन किन-किन तारीखों को किया गया था ? शिक्षा निदेशक द्वारा जांच कब प्रारम्भ की गयी एवं कब पूरी हुई ? जांच आख्या के प्रमुख बिन्दु क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जी० एन० के० इण्टर कालेज, कानपुर के छात्रों से अवैध शुल्क वसूल किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही

श्री पंचानन राय—

44 द्वितीय सत्र 82 के प्रथम सोमवार के निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 40 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जांच के समय शिकायत कर्त्ताओं को साक्ष्य के लिए न बुलाये जाने का क्या कारण है शिकायतों को सही पाये जाने पर शिक्षा संशोधन अधिनियम की धारा 16 (डी) के अन्तर्गत नोटिस कब जारी किया गया यह कार्यवाही कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

ग्राम समाज इण्टर कालेज जयनगर, आजमगढ़ में आडिट आपत्तियों की अनुपालन आख्या पर कृत कार्यवाही

श्री पंचानन राय—

45 द्वितीय सत्र 1982 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 42 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बमाने की कृपा करेंगे कि 1–7–81 को शिक्षा निदेशक द्वारा आडिट आपत्तियों की अनुपालन आख्या मांगी जाने के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा एक वर्ष तक उसे उपलब्ध न कराने के लिए सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या अनुपालन आख्या अब प्राप्त हो गयी है ? यदि हां तो क्या उस आधार पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अल्प संख्यक घोषित किये जाने का आधार

श्री पंचानन राय—

46 प्रथम सत्र 1982 के पहले सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 43 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अल्प संख्यक घोषित किये जाने का क्या आधार बनाया गया है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

46 धार्मिक अथवा भाषायी अल्प संख्यक वर्ग द्वारा स्थापित एवं संचालित होने के आधार पर किसी अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को अल्प संख्यक विद्यालय को माना जाता है ।

गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के कालातीत प्रबन्धाधिकरणों को अनुरक्षण तथा प्राप्त अनुदान

श्री पंचानन राय—

47 द्वितीय सत्र 82 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 44 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यदि कालातीत प्रबन्धाधिकरणों को विभाग तथा शासन द्वारा सभी अधिकार युक्त नहीं मान्य किया जाता रहा है तो उन्हें अनुरक्षण तथा अन्य अनुदान यथावत कैसे मिलते रहते हैं ? उनके द्वारा नियुक्त शिक्षक एवं अन्य कर्मचारी किस आधार पर विधि मान्य माने जाते रहे हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

48 श्री यदुनाथ सिंह—

[दिनांक 7-2-82 को अतारांकित प्रश्न संख्या 80 द्वारा उत्तरित]

जनपद गाजीपुर में कृषि अधिकारी एवं विभाग द्वारा खरीफ की फसल हेतु उठाये गये प्रभावी कदम

श्री राम नरायन एडवोकेट तथा श्री यदुनाथ सिंह—

49 क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद में कृषि अधिकारी एवं उनके विभाग द्वारा माह जून, एवं जुलाई, 1982 में जनपद में भयावह सूखा का प्रकोप हो जाने के बाद खरीफ की फसलों की बुवाई रखरखाव में कौन से प्रभावी कदम उठाये गये तथा जिला कृषि अधिकारी द्वारा इस अवधि में किन-किन ग्रामों का दौरा किया गया तथा दौरे का क्या तिथिवार विवरण है ? क्या मंत्री जी इस संबंध में कोई उच्च स्तरीय जांच करायेगें ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह—

गाजीपुर जनपद में कृषि अधिकारी एवं उनके विभाग द्वारा माह-जून एवं जुलाई 1982 में जनपद में खरीफ की फसलों की बुआई के लिये पर्याप्त बीज एवं उर्वरक की व्यवस्था की गई तथा कृषकों को कृषि की नवीनतम तकनीकी की जानकारी दी गई तथा जिला कृषि अधिकारी द्वारा इस अवधि में विभिन्न कृषि बीज भण्डार प्रक्षेत्रों एवं विकासखण्डों का निरीक्षण किया गया जिसका तिथिवार विवरण संलग्न है । जिला कृषि अधिकारी ने उपरोक्त दौरे सक्षम अधिकारी के स्वीकृत से किये हैं । अतः जांच का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(देखिए नत्थी "ख" आगे पृष्ठ पर ।)

भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन विभाग के द्वितीय मण्डल में राजपत्रित अधिकारियों की शैक्षिक योग्यताएं

श्री रुद्र प्रताप सिंह—

50 क्या मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन के मण्डल द्वितीय में जनवरी 1982 में नियुक्त प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के समस्त राजपत्रित अधिकारियों की शैक्षिक योग्यताएं क्या थी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन विभाग के मंडल द्वितीय में जनवरी, 1982 में 3 राजपत्रित अधिकारी कार्यरत थे । इनमें से दो अधिकारी प्रथम श्रेणी में थे, जिनकी शैक्षिक योग्यता बी0 ई0 (सिविल) एवं एम0 एस0 सी0 (ज्योलाजी) थी । एक अधिकारी द्वितीय श्रेणी के थे जिनकी शैक्षिक योग्यता बी0 ई0 (सिविल) थी ।

जनपद मुजफ्फरनगर के चौ0 छोटू राम डिग्री कालेज एवं अन्य शिक्षा संस्थाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं संबंधी ज्ञापन

श्री हुकुम सिंह—

51 क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के चौ0 छोटू राम डिग्री कालेज एवं जनपद की कुछ अन्य शिक्षा संस्थाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनिय-

मितताओं के संबंध में अगस्त 1982 के अन्तिम सप्ताह में जनपद के छात्र संगठनों द्वारा एक ज्ञापन जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर के माध्यम से मुख्य मंत्री को प्रेषित किया गया ? यदि हां तो ज्ञापन में उल्लिखित गम्भीर आरोपों की जांच करायी गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग द्वारा जनपद इटावा की सड़कों पर निर्माण कार्य

श्री धनीराम वर्मा—

52 क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1981-82 में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के अन्तर्गत जनपद इटावा में विभिन्न सड़कों पर कितने किलोमीटर लम्बाई पर खड़ंजा लगाया गया है तथा क्या औरैया निर्वाचन क्षेत्र में भी किसी सड़क पर खड़ंजा लगवाया गया है ? यदि हां तो किस सड़क पर और कितनी लम्बाई में ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

वर्ष 81 के अन्तर्गत ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग द्वारा विभिन्न कच्चे मार्गों पर 16-72 किमी0 पर खड़ंजा लगवाया गया है । औरैया निर्वाचन क्षेत्र में वर्ष 1981-82 में किसी भी मार्ग पर कोई खड़ंजा नहीं लगवाया गया है ?

प्रदेश के कन्या प्राइमरी पाठशालाओं में कार्यरत परिचारिकाओं का मासिक वेतन

श्री धनीराम वर्मा —

53 क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के कन्या प्राइमरी पाठशालाओं में कार्यरत परिचारिकाओं का मासिक वेतन क्या है ? क्या अन्य राजकीय कर्मचारियों की भांति कभी इनके वेतन में बढ़ोत्तरी हुई है ? यदि हां तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राइमरी स्कूलों में कार्यरत परिचारिकाओं (स्कूल माता) को 30 रु0 प्रतिमाह पारिश्रमिक दिया जाता है । चूंकि ये परिचारिकायें (स्कूल माता) अंशकालिक कर्मचारी हैं, अतः राजकीय कर्मचारियों की भाँति इनके पारिश्रमिक में बढोत्तरी का प्रश्न नहीं उठता है । वर्तमान पारिश्रमिक की दर गत वर्ष ही निर्धारित की गई है ।

श्रीमती शकुन्तला देवी, प्रधानाध्यापिका का कन्या जू0 हा0 स्कूल मुरादगंज को स्थानान्तरण

श्री धनीराम वर्मा—

54 क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि शकुन्तला देवी प्रधान अध्यापिका जनपद इटावा जो दोनों पैरों से अपंग है कन्या जू0 हाई स्कूल ऊदी में अपने घर से लगभग 65 कि0

मी0 दूरी पर कार्यरत थीं का स्थानान्तरण जुलाई, 1981 में अपंग होने के कारण तथा उनके पति के टी0 बी0 के मरीज होने के कारण उनके निवास स्थान बाबरपुर के निकट कन्या जूनियर हाई स्कूल मुरादगंज में कर दिया गया था। परन्तु सितम्बर, 1981 में ही पुनः उसी कन्या जूनियर हाई स्कूल ऊदी के लिये स्थानान्तरण कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हाँ, परन्तु इस स्थानान्तरण का कारण अध्यापिका का अपंग होना और उसके पति का टी0 बी0 का मरीज होना नहीं था।

जी हाँ।

स्थानीय जनता की श्रीमती शिव रामवती पूर्व प्रा0 अ0 को बच्चा जू0 हा0 स्कूल मुरादगंज पर रोके जाने की मांग पर यह व्यवस्था की गई थी।

श्री धनीराम वर्मा—

55 क्या मंत्री जी अपंग शकुन्तला देवी का स्थानान्तरण पुनः जूनियर हाई स्कूल मुरादगंज में अथवा उनके निवास स्थान बाबरपुर के निकट किसी विद्यालय में करेंगे ? यदि नहीं नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

श्रीमती शकुन्तला देवी प्रधानाध्यपिका का स्थानान्तरण कन्या जू0 हा0 स्कूल मुरादगंज में किया जा चुका है।

बांदा नगर में स्टेडियम का निर्माण कार्य

प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा—

56 क्या खेलकूद मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बाँदा नगर में स्टेडियम का निर्माण कार्य रुका हुआ है ? यदि हां, तो किन कारणों से और क्या सरकार उसके निर्माण को पूरा करने पर विचार करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

निर्माण कार्य प्रगति पर है।

कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर में चावल मिल योजना में स्वीकृत रिक्त पद भरने की कार्यवाही

श्री भूधर नारायण मिश्र—

57 क्या कृषि मन्त्री को जानकारी है कि कृषि विश्वविद्यालय कानपुर में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रारम्भ की गयी चावल मिल योजना को प्रस्तावित वित्तीय सहायता का उपयोग इसलिये नहीं हो पा रहा हैं कि योजना में स्वीकृत अनेकों पद लम्बे अर्से से खाली चल

रहे हैं एवं विश्वविद्यालय द्वारा योजना के लिये आवश्यक भूमि भवन तथा कर्मशाला सुविधा अभी तक उपलब्ध नहीं करायी जा सकी ? यदि हां, तो भूमि भवन तथा कर्मशाला सुविधायें कब तक उपलब्ध करा दी जायेंगी और योजना में स्वीकृत रिक्त पद कब तक भर दिये जायेंगे ?

श्री यशपाल सिंह—

जी हां,

रिक्त पद भरने की कार्यवाही विचाराधीन है । भवन उपलब्ध हैं तथा योजना के अनुरूप और आवश्यक भूमि, भवन एवं कर्मशाला सुविधायें भी यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जा रही है ।

प्रगति आश्रम बालागंज लखनऊ की सहायक अध्यापिका श्रीमती माधुरी पाण्डेय की सेवा में वापस लिये जाने में बिलम्ब

श्री गोपीनाथ वर्मा—

58 विधान सभा के द्वितीय सत्र 1982 के दूसरे सोमवार के लिये निर्धारित अतारांकित संख्या 91 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के आदेश दिनांक 20-1-82 एवं 10-2-82 के अनुपालन में विलम्ब का क्या कारण है ? विलम्ब के लिये कौन उत्तरदायी है ? तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्रबन्धक द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लखनऊ के निर्देशों के विरुद्ध अपील उठायी गयी है ।

बिलम्ब के लिए कोई उत्तरदायी नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

भूमि संरक्षण प्रमाण के श्रेणी 1 एवं श्रेणी 2 के पदों को सेक्शन डी में रखे जाने हेतु कार्यवाही

श्री राम आसरे वर्मा—

59 क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि भूमि संरक्षण प्रभाग के श्रेणी–1 एवं श्रेणी–2 के पदों को सेक्शन डी में रखे जाने के विषय में फरवरी, 1981 में कोई शासनादेश हुआ था और इस सम्बन्ध में कृषि निदेशक से कोई प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसके अनुसार क्या सरकार ने कोई कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह—

जी हाँ ।

कार्यवाही विधाराधीन है ।

कृषि सेवा नियमावली बनाने का विचार

श्री राम आसरे वर्मा—

60 क्या कृषि मन्त्री यह भी बतायेंगे कि इस समय उत्तर प्रदेश कृषि सेवा नियमावली बनाने का मामला शासन के विचाराधीन है ? यदि हां तो क्या उक्त शासनादेश एवं कृषि निदेशक के प्रस्ताव के अनुसार भूमि संरक्षण प्रभाग (तीनों समादेश क्षेत्रों सहित) की श्रेणी-1 के पदों का वर्गीकरण उक्त नियमावली में किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह—

सेवा नियमावली विचाराधीन है ।

अशासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पद के सृजन के संबंध में पत्र

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

61 क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या उन्हें मान्यता प्राप्त अशासकीय उ0 मा0 विद्यालयों में शिक्षकों के पद सृजन के संबंध में श्री राम अवतार गुप्त सहायक अध्यापक गंगा देवी इण्टर कालेज हरदोई के प्रश्नकर्त्ता द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 30 मार्च, 1982 मिला ? यदि हां, तो अभी तक उस संबंध में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

62 श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[दिनांक 15-3-82 को अतारांकित प्रश्न संख्या 63 द्वारा उत्तरित]

63 श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

श्री राजाराम वर्मा, सहायक अध्यापक के अवशेष वेतन का भुगतान

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

64 क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री राजाराम वर्मा सहायक अध्यापक, श्री सत्यनारायण तिवारी विद्या मन्दिर निगोहा, लखनऊ का अगस्त, 1976 से नवम्बर, 1976 तक 4 माह का वेतन अभी तक न दिये जाने का क्या कारण है ? तथा राजाराम वर्मा का अवशेष वेतन कब तक दे दिया जायगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला परिषद गाजियाबाद की आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियों को वितरित दवाईयां

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

65 क्या ग्राम्य विकास मंत्री को इसकी जानकारी है कि जिला परिषद गाजियाबाद की आयुर्वेदिक डिस्पेंसिरियों को 21-6-79 के बाद दवाइयां नहीं जारी की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इसकी व्यवस्था करेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

प्रश्नगत डिस्पेंसरियां दिनांक 1-4-82 से ही जिला परिषद गाजियाबाद के चार्ज में आई । अतः वर्ष 1982-83 ही के बजट में उक्त डिस्पेंसरियों के लिये दवाइयां इत्यादि क्रय करने का प्राविधान किया गया तथा दवाइयां क्रय कर ली गयी हैं । पूर्ण दवाइयां प्राप्त होने पर शीघ्र ही उक्त डिस्पेंसरियों को वितरित कर दी जायेगी ।

जिला विद्यालय निरीक्षक, सीतापुर के विरुद्ध शिकायती पत्र

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

66 क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक, सीतापुर के विरुद्ध कोई शिकायती पत्र जाँच हेतु अग्रसारित होकर 28 मार्च, 82 के आस पास उन्हें मिला ? यदि हां तो मुख्य शिकायतें क्या हैं क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

राष्ट्र सेवा सदन हा0 से0 स्कूल सेडना, फरीदपुर में लेखा परीक्षा में गम्भीर अनियमितताएं

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

67 क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि राष्ट्र सेवा सदन हा0 से0 स्कूल सेडना, फरीदपुर, जिला बुलन्दशहर में वर्ष 1976-77 से 1979-80 तक की अवधि में स्थानीय निधि लेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा में गम्भीर अनियमितताएं पाई गयी थीं ? यदि हां, तो वे अनियमितताएं क्या थीं तथा उस बारे में शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध आयुर्वेदिक कालेजों की परीक्षाएं

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

68 क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध आयुर्वेदिक कालेजों की वर्ष 1980-81 की परीक्षाएं अब तक न होने का क्या कारण है ? परीक्षाएं कब तक करा दी जायेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सम्बन्धित परीक्षायें अगस्त, 1982 में सम्पन्न हो चुकी हैं ।

विकास खंड खैराबाद तथा परसेंडी में राजकीय प्राइमरी पाठशाला तथा जूनियर हाई स्कूल के भवन

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

69 क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर जिले के विकास खण्ड खैराबाद तथा परसेंडी में ऐसे राजकीय प्राइमरी पाठशाला तथा जूनियर हाई स्कूल कौन-कौन हैं जिनके पास अपने भवन नहीं हैं तथा वित्तीय वर्ष 82-83 के अन्त तक किन-किन पाठशालाओं के भवन बन जायेंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सीतापुर जिले के विकास खड खैराबाद तथा परसेंडी में कोई राजकीय प्राइमरी पाठशाला तथा जूनियर हाई स्कूल नहीं है । अतः उनके भवन बनने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जगतगुरु शंकराचार्य इन्टर कालेज मेंहदावल, जिला बस्ती के लेखे के आडिट में आपत्तियों का निराकरण हेतु कार्यवाही

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

70 विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के 7वें मंगलवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्त्ता द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या–56 के उत्तर के संबंध में क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

विद्यालय के लेखे के विशेष आडिट के फलस्वरूप अभिलेखों को सील कवर में रखा गया था जिसे अब खोलकर अपहृत की गई धनराशि के उत्तरदायित्व उपगत करने एवं निराकरण की कार्यवाही करने का आदेश दे दिया गया है ।

श्री पी० के० सिंह, अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, प्रखण्ड गोरखपुर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

71 क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री पन्ने लाल एम०एल०ए० मुण्डेरा बाजार, गोरखपुर ने अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, प्रखण्ड गोरखपुर के विरुद्ध कोई शिकायती पत्र जुलाई, 1981 में शासन को दिया था ? यदि हां, तो प्रमुख आरोप क्या थे तथा इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या विधायक द्वारा की गयी शिकायती पत्र की पुष्टि महालेखाकार उत्तर प्रदेश की वर्ष 1981-82 के रिपोर्ट से भी होती है ? यदि हां, तो सरकार ने उक्त अधिकारी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां।

उक्त शिकायती पत्र में श्री पी० के० सिंह अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, गोरखपुर के विरुद्ध अनियमित रूप से निर्माण सामग्रियों के क्रय एवं कार्य का सम्पादन, आदेशों का उल्लंघन तथा भ्रष्टाचार के विभिन्न आरोप लगाये गये हैं।

उक्त शिकायती पत्र की जाँच मुख्यालय पर स्थापित टेकनिकल आडिट सेल द्वारा की जा चुकी है। विधायक महोदय द्वारा प्रेषित शिकायती पत्र में अंकित आरोप, आंशिक रूप से महालेखाकार उत्तर प्रदेश द्वारा वर्ष 1981-82 में उठाई गई आपत्तियों पर आधारित हैं।

टेक्नीकल आडिट सेल द्वारा प्रस्तुत जाँच रिपोर्ट परीक्षणाधीन है।

बरेली महानगर में राजकीय वर्गीकरण प्रयोगशाला स्थापित किये जाने पर विचार

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

72 क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बरेली महानगर में सरकार राजकीय वर्गीकरण प्रयोगशाला स्थापित किए जाने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो प्रयोगशाला की स्थापना कब तक हो जायगी?

श्री यशपाल सिंह—

जी नहीं।

सीतापुर के कृषि अधिकारी श्री नवल किशोर द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के मामले की जाँच

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

73 क्या मुख्यमन्त्री को प्रश्नकर्त्ता द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 24 मई, 1982 जो सीतापुर के कृषि अधिकारी श्री नवल किशोर द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कराने के सम्बन्ध में है प्राप्त हुआ? यदि हां, तो शासन द्वारा अभी तक उसमें क्या कार्यवाही की गयी तथा जाँच के दौरान क्या तथ्य प्रकाश में आये?

श्री यशपाल सिंह—

जी हाँ।

शिकायत की जांच उप कृषि निदेशक लखनऊ मण्डल से कराये जाने के आदेश दिये जा चुके हैं।

उप कृषि निदेशक (भूमि संरक्षण) बांदा में सहायक लेखाकारों की नियुक्ति का अनुमोदन तथा वार्षिक वेतन वृद्धि एवं दक्षतारोक पार कराने पर विचार

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

74क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उपनिदेशक (भूमि संरक्षण), बांदा मण्डल द्वारा वर्ष, 1969 में प्रतियोगात्मक परीक्षा उपरान्त नियुक्त किए गये वाणिज्य स्नात-

कोत्तर सहायक लेखाकारों की नियुक्ति का अनुमोदन कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उनकी नियुक्ति का अनुमोदन करने व उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि दिलाने एवं दक्षतावरोध पार कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री यशपाल सिंह—

जी नहीं । चूंकि उप कृषि निदेशक (भूमि संरक्षण) बांदा ने वर्ष 1969 में सहायक लेखाकार के पद पर अन्तरोधन व्यवस्था में नियुक्तियां की थी, इसलिये इन नियुक्तियों को अनुमोदित करने व ऐसे नियुक्त किये गये कर्मचारियों का वार्षिक वेतन वृद्धि दिलाने तथा दक्षता रोक पार कराने पर विचार कराने का प्रश्न ही नहीं उठता । सहायक लेखाकार के पद पर नियमित नियुक्ति करने हेतु केवल कृषि निदेशक ही सक्षम अधिकारी हैं ।

विकास खण्ड सरसौलपुर में खाद-बीज आदि के अनुदानों में गम्भीर अनियमितताओं की जाँच

श्री कुबेर भण्डारी तथा श्री श्यामनारायण तिवारी—

75 दिनांक 18–1–82 को अतारांकित प्रश्न संख्या —116 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जनपद के विकास खण्ड सरसौलपुर रबी 1980-81 में खाद बीज आदि के अनुदानों में गम्भीर अनियमिततायें एवं भ्रष्टाचार की जांच पूर्ण करा ली गयी है ? यदि हां, तो मामले में जाँच अधिकारी किसे नियुक्त किया गया तथा विस्तृत जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री यशपाल सिंह—

जी नहीं ।

जिला कृषि अधिकारी कानपुर को जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया है ।

विस्तृत जाँच अभी पूर्ण नहीं हुई है ।

श्री रवि प्रताप मिश्र, भूतपूर्व कैशियर, कृषि कार्यालय, देवरिया द्वारा कर्मचारियों की जमानत के गवन के विरुद्ध जाँच

श्री श्यामनारायन तिवारी तथा श्री कुबेर भंडारी—

76 क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रवि प्रताप मिश्र भूतपूर्व कैशियर कृषि कार्यालय देवरिया द्वारा अपने कार्य-काल दिनांक 1-7-71 से 31-7-73 में कर्मचारियों की की जमानत का गवन किया गया था ? क्या कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश ने अपने अर्ध शासकीय पत्रांक 4301/सी०सी०/डी०ए०सी० दिनांक 29-11-76 द्वारा उक्त कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही हेतु निर्देश दिए थे तथा क्या उप निदेशक कृषि गोरखपुर के कार्यालय की अप्रैल, 82 में एक महत्वपूर्ण पत्रावली, जिसमें लाखों की शासकीय क्षति थी के गायब करने में उक्त कर्मचारी का हाथ था ? यदि हां, तो उक्त कर्मचारी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री यशपाल सिंह—

श्री रवि प्रताप मिश्र, भूतपूर्व कैशियर, कृषि कार्यालय देवरिया ने अपने कार्यालय दिनांक 1-7-71 से 31–7–73 में कर्मचारियों की जमानत का गवन नहीं किया था ।

कृषि निदेशक ने अपने अर्ध-शासकीय पत्रांक दिनांक 29-11-76 में उक्त कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही हेतु निर्देश दिये थे ।

उप निदेशक कृषि गोरखपुर के कार्यालय की अप्रैल 1962 में पत्रावली, जिसमें लाखों की शासकीय क्षति थी, के गायब करने में उक्त कर्मचारी का हाथ नहीं था अतएव उक्त कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

उप कृषि निदेशक, गोरखपुर मण्डल के अधीनस्थ आशुलिपिक के स्वीकृत पद

श्री श्यामनारायन तिवारी तथा श्री कुबेर भंडारी—

77—क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उप कृषि निदेशक, गोरखपुर मण्डल गोरखपुर के अधीनस्थ आशुलिपिक के कितने पद शासन द्वारा स्वीकृत है ? क्या आशुलिपिक दलहन के पद पर ऐसे व्यक्ति कार्यरत हैं, जिनको आशुलिपिक का न तो ज्ञान है और न प्रमाण पत्र ही है ? क्या सरकार इस पर आवश्यक कार्यवाही करेगी ?

श्री यशपाल सिंह—

उप कृषि निदेशक गोरखपुर मंडल गोरखपुर के अधीनस्थ आशुलिपिक के दो पद स्वीकृत हैं । दलहन विकास अधिकारी के लिये स्वीकृत आशुलिपिक के पद पर कार्यरत कर्मचारी को अंग्रेजी आशुलिपिक का ज्ञान है तथा इसका प्रमाण-पत्र भी उपलब्ध है ।

विकास खण्ड बछरावां, जनपद रायबरेली के पावनों का भुगतान

श्री रुद्र प्रताप सिंह, श्री कुबेर भण्डारी तथा श्री श्यामनारायन तिवारी—

78 क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि विकास खण्ड बछरावां जनपद रायबरेली के पावनों का भुगतान जो विकास खण्ड बछरावां के बिल संख्या 9 दिनांक 16-10-75 बिल नं० 11, दिनांक 15-1-76 बिल नं० नं० 10 दिनांक 16-10-75 बिल नम्बर 7, दिनांक 16-9-75 द्वारा बना था सम्बन्धित कर्मचारियों को अब तक नहीं किया गया ? इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का पत्र जिलाधिकारी, रायबरेली परियोजना अधिकारी (कृषि) रायबरेली तथा खण्ड विकास अधिकारी बछरावां का माह अगस्त, 82 में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर अब तक कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

पावनों के भुगतान के सम्बन्ध में महालेखाकार द्वारा लगाई गई आपत्ति का निराकरण सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा अभी तक नहीं किया गया है ।

प्रश्नकर्ता का पत्र प्राप्त हुआ था जिस पर सम्बन्धित कर्मचारी को आपत्ति निराकरण हेतु लिखा गया ।

श्री सी० बी० सिंह प्रभारी लेखाकार, बस्ती के विरुद्ध दुराचरण की शिकायत

श्री श्यामनारायन तिवारी तथा श्री कुबेर भण्डारी—

79 क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सी० बी० सिंह, प्रभारी लेखाकार बस्ती के विरुद्ध संसद सदस्य श्री काजीजलील अब्बासी विधान सभा सदस्य श्री दीनानाथ पाण्डेय एवं श्री हरिश्चन्द्र चतुर्वेदी, निरीक्षक, अनुसन्धान शाखा कृषि ने दुराचरण एवं भ्रष्ट आचरण की शिकायत वर्ष 81 में की थी ? यदि हां, तो उस कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मन्त्री जी ऐसे कर्मचारी को दंडित करने की कृपा करेंगे ?

श्री यशपाल सिंह—

जी हां ।

शिकायतों की जाँच करायी गयी । चूंकि जाँच में शिकायतें निराधार पाई गयीं, अतएव कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

पं० नेहरू इन्टर कालेज सदरपुर, जिला हरदोई में ग्रामीण खेलकूद एवं व्यायाम केन्द्र की समाप्ति

श्री परमाई लाल—

80 क्या खेलकूद मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पं० नेहरू इन्टर कालेज सदरपुर, जिला हरदोई में स्थित ग्रामीण खेलकूद एवं व्यायाम सेन्द्र को समाप्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त केन्द्र को किस आधार पर समाप्त किया गया ? क्या सरकार उक्त केन्द्र को पुनर्जीवित करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हाँ ।

अनुमोदिन योजना के अनुसार एक जनपद में 5 केन्द्रों का स्थापित किये जाने की व्यवस्था है जिसमें तहसील/ब्लाक में एक से अधिक केन्द्र न होगा । माधव गंज ब्लाक में दो केन्द्र होने के कारण एक केन्द्र को समाप्त कर दिया गया है ।

जब तक प्रदेश के प्रत्येक ब्लाक में एक-एक केन्द्र स्थापित नहीं हो जाता है तब तक दूसरा केन्द्र धनाभाव के कारण के कारण खोलना संभव नहीं है ।

सहायक लेखाकारों (भूमि संरक्षण) की दक्षतारोक पार कराने के अदेश

श्री राम आसरे वर्मा—

81 क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 14 अप्रैल, 1982 को बरेली में सहायक लेखाकार (भूमि संरक्षण) की एक बैठक उप निदेशक (संग्रह) की अध्यक्षता में हुई थी तथा उसमें सर्वसम्मति से यह मांग की गयी कि शासनादेश संख्या 12/42–81 कार्मिक-1, दिनांक 28 नवम्बर, 1981 के अनुसार सभी सहायक लेखाकारों की दक्षतारोक जोकि 10-12

वर्षों से रुकी पड़ी है तुरन्त पार कराई जाय ? यदि हां, तो क्या अब तक सहायक लेखाकारों (भूमि संरक्षण) की दक्षतारोक यार कर दी गयी है ?·· यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह—

जी हां । चूंकि लिपिकों से सहायक लेखाकार के पदों पर प्रोन्नति का कोई प्राविधान नियमों में नहीं है, इसलिये भूमि संरक्षण में लिपिकों से अनियमित रूप से प्रोन्नत किये गये केवल दस लेखाकारों की दक्षता रोक पार नहीं कराई गई है ।

82 श्री रुद्र प्रताप सिंह—

दिनांक 1-2-82 को अतारांकित प्रश्न संख्या 4 द्वारा उत्तरित ।

प्राधिकृत नियन्त्रक की नियुक्ति

श्री पंचानन राय—

83 विधान सभा के द्वितीय सत्र 1982 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 69 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने के कृपा करेंगे कि शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

निर्णय ले लिया गया एवं शासनादेश दिनांक 21-10-82 द्वारा प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति कर दी गई है ।

जनपद गाजीपुर के मरदह विकास खण्ड में अपूर्ण कूपों के निर्माण हेतु कार्यवाही

श्री पंचानन राय—

84 विधान सभा के द्वितीय सत्र 1982 के पहले सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 179 के उत्तर के संदर्भ में क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जांच रिपोर्ट के प्रमुख बिन्दु क्या हैं और उनके ऊपर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जांच रिपोर्ट का मुख्य बिन्दु–12 अपूर्ण कूपों के निर्माण की स्थिति एवं उस पर किये गये व्यय का मूल्यांकन था ।

जाँच पूरी होने के उपरान्त अग्रिम के रूप में दी गई धनराशि संबंधित ग्राम्य विकास अधिकारियों से वसूल करने की कार्यवाही चल रही है ।

श्री जगदीश नारायण लाल के अवशेष वेतन का भुगतान

श्री पंचानन राय—

85 विधान सभा के द्वितीय सत्र 1982 के पहले सोमवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 180 के उत्तर के संदर्भ में क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जगदीश नारायण लाल के अवशेष वेतन का भुगतान कर दिया गया है ? तथा क्या इसके

अनुसार उनका वेतन निर्धारित किया गया है ? यदि नहीं तो यह कब तक कर दिया जायगा ?

श्री बलराम सिंह यादव—

श्री जगदीश नारायण लाल को जून 61 से 5-1-74 तक के वेतन भुगतान का मामला लोक सेवा अधिकरण उ0 प्र0 लखनऊ के विचाराधीन है। इनका वेतन निर्धारण दिनांक 18-9-82 को कर दिया गया है।

स्वर्गीय सुरेश राय, सहायक आंकिक, जिला पंचायत राज कार्यालय, आजमगढ़ की सामूहिक जीवन बीमा तथा जी0 पी0 एफ0 का भुगतान

श्री पंचानन राय—

86 विधान सभा के द्वितीय सत्र 1982 के पहले सोमवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 181 के उत्तर के संदर्भ में क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सामूहिक जीवन बीमा तथा जी0 पी0 एफ0 के शीघ्र भुगतान के लिये क्या प्रयास किये गये और यह भुगतान कब तक हो जायेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव—

सामूहिक जीवन बीमा का भुगतान पत्र राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय, लखनऊ के यहां लम्बित है। शीघ्र भुगतान की कार्यवाही करने हेतु व्यक्तिगत रूप से निदेशालय से सम्पर्क स्थापित किया गया है। निदेशालय के आश्वासन के अनुसार बीमा की धनराशि का भुगतान फरवरी 1983 के अन्दर हो जायेगा। जी0 पी0 एफ0 का भुगतान दिनांक 25-1-83 को किया जा चुका है।

87 श्री पंचानन राय—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

गैर सरकारी उ0 मा0 विद्यालयों में नियम विरुद्ध गठित प्रबन्धाधिकरण को मान्यता दिये जाने के विरुद्ध कार्यवाही

श्री पंचानन राय—

88 विधान सभा के द्वितीय सत्र 1982 के प्रथम सोमवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 68 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त तीनों विद्यालयों को जिला विद्यालय निरीक्षक झांसी द्वारा निर्देश कब दिये गये नियम विरुद्ध गठित प्रबन्धाधिकरणों को मान्यता किस अधिकारी द्वारा कब दी गयी तथा इनके विरुद्ध 16 (डी) के अन्तर्गत कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

नेहरू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नहोरा जौनपुर को हाई स्कूल की मान्यता, प्रधानाध्यापक और शिक्षकों के सृजित पद तथा अध्यापन कार्य

श्री हरदेव--

89 क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि नेहरू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय होरा जौनपुर को हाई स्कूल की मान्यता कब मिली और वहाँ के प्रधानाध्यापक और शिक्षकों को पद सृजन और नियुक्ति के लिये अनुमोदन कब लिये गये ? क्या यह सत्य है कि बिना अनुमोदन प्राप्त किए उक्त विद्यालय के सहायक अध्यापक श्री सत्यदेव सिंह से गत सात वर्षों से अध्यापन कार्य कराया गया ? यदि हाँ तो क्या इस शिक्षक की सेवाओं को देखते हुए इन्हें नियमित मान लिया जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

संस्कृत पाठशालाओं में कार्यरत शिक्षकों के वेतन निर्धारण

श्री प्रभूनारायण सिंह—

90 क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के संस्कृत पाठशालाओं में कार्यरत शिक्षकों के वेतन निर्धारण का पूर्ण दायित्व सरकार ने अभी तक नहीं लिया है ? क्या प्रदेश के अन्य स्तर (प्राथमिक माध्यमिक उच्च) के शिक्षकों की भांति इनके भी नियमित और पूर्ण वेतन वितरण का दायित्व सरकार शीघ्र वहन करने जा रही है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हाँ ।

जी नहीं ।

वित्तीय कठिनाईयों के कारण ।

जनपद जौनपुर के माध्यमिक विद्यालयों में बुक बैंक योजना

श्री प्रभूनारायण सिंह—

91 क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के कितने माध्यमिक विद्यालयों में बुक बैंक योजना लागू है तथा इस योजना के शिक्षा सत्र 1981-82 में कितने छात्र लाभान्वित हुए ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

इलाहाबाद में अतिवृष्टि योजनान्तर्गत विद्यालयों को निदेशालय द्वारा दिया गया अनुदान तथा विद्यालयों के अध्यक्ष/प्रबन्धक

श्री रमा कान्त मिश्रा—

92 क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद जनपद के किन-किन विद्यालयों को 1981-82 में बाढ़ एवं अतिवृष्टि से विद्यालय भवन क्षति होने का आवेदन पत्र शिक्षा

निदेशक से संस्तुत हुए थे ? क्या सभी संयुक्त विद्यालयों को उक्त अनुदान दिया गया था ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतलायेंगे कि कुछ असंयुक्त विद्यालयों को भी उक्त अनुदान दिया गया है ? यदि हाँ तो किस आधार पर ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

वर्ष 1981-82 में बाढ़/अतिवृष्टि योजनान्तर्गत कुल 12 विद्यालयों को निदेशालय द्वारा संस्तुत करके प्रस्ताव शासन को भेजा गया था (सूची संलग्न है) तथा इन विद्यालयों को अनुदान दिया गया था ।

इसके अतिरिक्त मंगला प्रसाद इण्टर कालेज, बामपुर, इलाहाबाद को जिला विद्यालय निरीक्षक की संस्तुति पर भी अनुदान दिया गया । निदेशालय में वित्तीय वर्ष के अन्त में हड़-ताल होने से इस प्रकरण पर निदेशालय की संस्तुति प्राप्त न की जा सकी ।

(देखिए नत्थी "ग" आगे पृष्ठ.....पर ।)

श्री रमाकान्त मिश्रा—

93 क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1981-82 में बाढ़ से क्षति ग्रस्त हुए इलाहाबाद शहर के किन-किन विद्यालयों को भवन क्षति पूर्ति मरम्मत अनुदान दिया गया है जिन-जिन विद्यालयों को उक्त अनुदान स्वीकृत हुआ है उनके अध्यक्ष और प्रबन्धक कौन-कौन हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

इन विद्यालयों के नाम निम्न हैं :—

1— के0 पी0 इण्टर कालिज

2—के0 पी0 गर्ल्स इण्टर कालिज

3—कुल भास्कर इण्टर कालिज

4—डी0 ए0 बी0 इण्टर कालिज

प्रथम तीन विद्यालयों के अध्यक्ष/प्रबन्धक श्री चौधरी नौनिहाल सिंह हैं । चौथे विद्या-लय के अध्यक्ष श्री चौधरी नौनिहाल सिंह व प्रबन्धक श्री पी0 एन0 सक्सेना हैं ।

राजकीय इण्टर कालेज पुजार गांव (टिहरी) में अनुमोदित एवं विनियमितीकृत अध्यापक

श्री नन्द किशोर सिंह—

94 क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि राजकीय इण्टर कालेज पुजारगांव टिहरी गढ़वाल में जुलाई 1980 से अगस्त 1982 तक स्थाई प्रधानाचार्य की व्यवस्था न किये जाने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इस अवधि में किन-किन व्यक्तियों को प्रभारी प्रधानाचार्य बनाया गया उनकी ज्येष्ठता सहित सूची सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सितम्बर, 1980 में श्रेणी दो में हुए तदर्थ चयन के कतिपय अधिकारियों की ज्येष्ठता के विरुद्ध श्री राम औतार दूबे तथा अन्य ने उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच में एक याचिका दायर कर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया जिसके कारण वर्ष 1980 से अब तक श्रेणी दो में चयन नहीं कराया जा सका है और प्रश्नगत पद पर प्रधानाचार्य की व्यवस्था नहीं की जा सकी है।

निम्नांकित व्यक्ति प्रश्नगत अवधि में प्रभारी प्रधानाचार्य बनाये गये :—

1—श्री विक्रम सिंह नेगी, प्रवक्ता (भौतिक) दिनांक 2-8-80 से 31-8-81

2—श्री वेताल सिंह विष्ट, प्रवक्ता (इतिहास) दिनांक 1-9-81 से 12-11-81।

3—श्री कौशलेश्वर वत्स सिंह, प्रवक्ता (जीव विज्ञान) दिनांक 13-11-83 से निरन्तर।

सूची संलग्न है।

(देखिए नत्थी "घ" आगे पृष्ठ .....पर।)

जनपद गाजीपुर में ऊसर को उपजाऊ बनाने हेतु क्षेत्रों का चयन

श्री राम नरायन एडवोकेट तथा श्री यदुनाथ सिंह—

95 क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जनपद में संरक्षण विभाग द्वारा आज से विगत 5 वर्षों में ऊसर को उपजाऊ बनाने हेतु किन क्षेत्रों का चयन किया गया तथा उसका क्षेत्रफल एवं खर्च का विवरण क्या है ?

श्री यशपाल सिंह—

विगत 5 वर्षों में गाजीपुर जनपद में ऊसर को उपजाऊ बनाने हेतु 1953 हैक्टेयर क्षेत्र का चयन विरनो, कासिमाबाद, सादात, जखनियां कनिहारी, देवकली, मरदह, बाराचबर, गाजीपुर, करण्डा, सैदपुर आदि विकास खण्डों के अन्तर्गत किया गया जिसमें से 1556 है0 क्षेत्र को उपचारित किया गया तथा रु0 952778-39 का व्यय अनुदान के रूप में शासन द्वारा वहन किया गया।

आजमगढ़ जनपद के शिक्षकों द्वारा धरना एवं शिकायतों के सम्बन्ध में कार्यवाही

श्री पंचानन राय—

96 विधान सभा के द्वितीय सत्र 1982 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 89 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन 12 शिकायतों का निराकरण किया गया है और शेष 15 शिकायतों के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री उमा शंकर मिश्र, तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक के विरुद्ध शिकायतों की जाँच

श्री पंचानन राय—

97 विधान सभा के द्वितीय सत्र 1982 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 86 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री उमा शंकर मिश्र तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक के विरुद्ध शिकायतों की जाँच श्री आई0 पी0 सिंह उप शिक्षा निदेशक द्वारा प्रारम्भ की गयी थी और उन्होंने प्रारम्भिक जाँच के उपरान्त अन्तरिम रिपोर्ट दी थी ? यदि हाँ, तो उस आधार पर क्या कार्यवाही की गयी ? पूरी जाँच कब तक समाप्त हो जायेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हाँ। प्रारम्भिक जाँच में सही पाये गये आरोपों के संबंध में डा0 उमा शंकर मिश्र, तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर के विरुद्ध सी0 सी0 ए0 रुल्स के नियम 55 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

मौलाना आजाद इन्टर कालेज सखावतगंज कादिराबाद, बस्ती को बाढ़ ग्रस्त भवन निर्माण का स्वीकृत अनुदान न मिलने के संबंध में कार्यवाही

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

98 क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 78-79 एवं 79-80 में शासन में बस्ती जनपद के अन्तर्गत मौलाना आजाद इण्टर कालेज सखावतगंज कादिराबाद बस्ती को बाढ़ ग्रस्त भवन निर्माण की मद में अनुदान स्वीकृत किया था ? क्या यह सत्य है कि जिला विद्यालय निरीक्षक बस्ती द्वारा विद्यालय को सूचना देने के बाद भी यह धन उक्त कालेज को नहीं दिया गया ? यदि हाँ तो क्या उपरोक्त अनुदान की धनराशि सम्बन्धित विद्यालय को दिलाने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

बस्ती जनपद को आवंटित उर्वरक अवमुक्त आदेश की निरस्ति

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

99 क्या कृषि मंत्री को यह जानकारी है कि उर्वरक अवमुक्त आदेश संख्या 158 दिनांक 8-12-81 एवं अवमुक्त आदेश संख्या 277 दिनाँक 27-1-82 बस्ती जनपद को आवंटित उर्वरक परियोजना अधिकारी कृषि द्वारा अभी तक नहीं उठाया गया है ? यदि हां तो क्यों ? क्या सरकार जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगी ?

श्री यशपाल सिंह—

जी हाँ।

अवमुक्त आदेश निरस्त कर दिये गये हैं। प्रश्न नहीं उठता।

कृषि विभाग, बस्ती में लिपिक वर्ग में अनुसूचित जाति के आरक्षण का कोटा

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

100 क्या कृषि मंत्री को यह जानकारी है कि कृषि विभाग बस्ती में लिपिक वर्ग में अनुसूचित जाति के आरक्षण का कोटा पूर्ण नहीं हैं ? यदि हाँ, तो क्या यह भी सही है कि श्री राम सवारे कृषि कामदार जो अनुसूचित जाति के है की पदोन्नति न कर श्री गिरीश चन्द्र श्रीवास्तव कामदार की पदोन्नति की गई है ? यदि हां, तो क्या शासनादेशों की अवहेलना करने वाले अधिकारी के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही करेंगे ?

श्री यशपाल सिंह—

जी हाँ।

अनुसूचित जाति का उस समय कोई योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में पात्रता एवं योग्यता के आधार पर श्री गिरीश चन्द्र श्रीवास्तव, कामदार की अंतररोधन प्रबन्ध में तदर्थ रूप से पदोन्नति दिनांक 1-12-81 को की गई थी। उन्हें पुनः दिनांक 26-3-82 से कामदार के पद प्रत्यावर्तित कर दिया गया है। उक्त अंतररोधन प्रबन्ध में की गई पदोन्नति में शासनादेशों की अवहेलना का प्रश्न नहीं उठता।

विकास खण्ड सुकुल बाजार एवं कौंधियारा में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) का पद तथा उप विद्यालय निरीक्षकों की नियुक्ति

श्री रमाकान्त मिश्र—

101 क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर एवं इलाहाबाद में गत वर्ष जो दो नए ब्लाक क्रमशः सुकुल बाजार एवं कौंधियारा बनाए गए हैं उनके अभी तक सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) की नियुक्ति नहीं की गई है ? यदि हां, तो नियुक्ति न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

विकास खण्ड सुकुल बाजार एवं कौंधियारा में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) का पद सृजित नहीं है। अतः नियुक्ति किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री रमाकान्त मिश्रा—

102 क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सुल्तानपुर जिले के सुकुल बाजार एवं इलाहाबाद के कौधियारा विकास खण्ड गत वर्ष सृजित हुए हैं फिर भी इन विकास खण्डों में प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों की नियुक्ति अभी तक नहीं की गई है ? यदि हां तो नियुक्ति अभी तक न किए जाने का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्रश्नगत विकास खण्डों में प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

अवकाश प्राप्त अध्यापकों की पेंशन का भुगतान

श्री राम चरण सिंह—

103 क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अवकाश प्राप्त अध्यापकों के पेंशन का भुगतान प्रत्येक मास में नहीं होता है ? यदि हां तो क्यों ? क्या सरकार यह व्यवस्था करेगी कि सहायता प्राप्त गैर सरकारी स्कूलों के अवकाश प्राप्त अध्यापकों के पेंशन की धनराशि अध्यापकों के गृह जनपद व तहसील के खजाने से होती रहे ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री उमाशंकर सिंह कृषि प्रवक्ता सरदार पटेल इन्टर कालेज, कोलना चुनार मिर्जापुर को वेतन भुगतान सम्बन्धी कार्यवाही

श्री रामचरण सिंह—

104 क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता ने एक पत्र श्री उमाशंकर सिंह कृषि प्रवक्ता सरदार पटेल इन्टर कालेज कोलना चुनार मिर्जापुर के वेतन भुगतान न किए जाने के सम्बन्ध में दिनांक 3-2-82 को शिक्षा मन्त्री जी को लिखा था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हाँ ।

प्रश्नगत प्रकरण पर जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु शिक्षा निदेशक को निर्देशित किया जा चुका है ।

ग्राम लीलाखेड़ा, जनपद लखनऊ में बेसिक परिषदीय स्कूल भवनों के निर्माणार्थ अनुदान की स्वीकृत तथा भूमि का चयन

श्री गोपीनाथ वर्मा—

105 द्वितीय सत्र 1982 के पहले सोमवार दिनांक 23-8-82 के तारांकित प्रश्न संख्या 5 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम लीलाखेड़ा, विकास खण्ड मलिहाबाद जनपद लखनऊ में बेसिक शिक्षा परिषद लखनऊ (जिला परिषद लखनऊ) द्वारा संचालित कक्षा 1–5 तक के स्कूल के भवन निर्माणार्थ अनुदान स्वीकृत करने तथा जिला बेसिक शिक्षा समिति लखनऊ द्वारा प्रश्नगत विद्यालय को भवन के निर्माण हेतु भूमि चयन करने में अभी कितना समय और लगेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित किसी स्कूल विशेष के भवन निर्माणार्थ शासन द्वारा अनुदान स्वीकृत नहीं किया जाता है । शासन द्वारा उपलब्ध संसाधनों के अनुसार बेसिक

परिषदीय स्कूल भवनों के निर्माणार्थ जनपदवार अनुदान स्वीकृत किया जाता है। जिलों के लिये स्वीकृत अनुदान की धनराशि से निर्मित होने वाले स्कूल भवनों के चयन का अधिकार केवल जिला बेसिक शिक्षा समिति को ही है। अतः प्रश्नगत स्कूल भवन के निर्माण हेतु अनुदान की स्वीकृति, तथा भूमि चयन करने में अभी कितना समय और लगेगा, यह बताना सम्भव नहीं है।

बस्ती जनपद में नेशनल सीड कारपोरेशन के गेहूँ का बीज चोर बाजारी में बेचने के सम्बन्ध में जांच

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

106 क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद नेशनल सीड कारपोरेशन के गेहूँ का बीज अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा चोर बाजारी में बेचने के सम्बन्ध में शिकायतों की जांच करने के लिये श्री ईश्वर चन्द्र अग्रवाल संयुक्त-कृषि निदेशक कृषि निदेशालय लखनऊ 3 अप्रैल, 1982 को तथा उसके बाद बस्ती गये थे ? यदि हां, तो उसकी जांच रिपोर्ट क्या है ? उसमें कौन-कौन से लोग दोषी पाये गये हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री यशपाल सिंह—

जी हां।

कथित चोर बाजारी में गेहूँ बेचने के आरोप सिद्ध नहीं हुए। अतएव कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

श्री एन0 एस0 यादव के विरुद्ध सतर्कता विभाग द्वारा जांच

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही—

107 क्या कृषि मन्त्री को ज्ञात है कि श्री एन0 एस0 यादव जब भूमि संरक्षण अधिकारी पुखरायां थे, उस समय उनके विरुद्ध जांच सी0 आई0 डी0 के द्वारा हुई थी और इक्कीस हजार की वसूली आदि के आदेश हुए थे ? यदि हां, तो उस समय क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह—

जी नहीं। वस्तु स्थिति यह है कि श्री एन0 एस0 यादव के विरुद्ध प्रश्न गत कार्यकाल की सतर्कता विभाग की खुली जांच हुई जिसमें रु0 10,474-86 की वसूली की संस्तुति की गई है।

जांच आख्या के आधार पर कार्यवाही प्रचलित है।

उप निदेशक, भूमि संरक्षण गढ़वाल मण्डल द्वारा ओवरसियर्स के पदों पर तदर्थ नियुक्तियों की निरस्ति

श्री कुंवर सिंह नेगी—

108 क्या कृषि मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उप निदेशक भूमि संरक्षण गढ़वाल मण्डल द्वारा जनवरी, 1982 ने ओवरसीयर्स के पदों पर की गई तदर्थ नियुक्तियों को निरस्त

किया गया है ? यदि नहीं, तो इसका कारण क्या है और कब ये नियुक्तियाँ निरस्त कर दी जायेगी ?

श्री यशपाल सिंह—

उप निदेशक, भूमि संरक्षण गढ़वाल मण्डल, द्वारा जनवरी 1982 में ओवरसियर्स के पदों पर की गयी तदर्थ नियुक्तियों को निरस्त कर दिया गया है ।

अन्य प्रश्न नहीं उठते ।

हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट कालेजों में अध्यापकों की एडहाक नियुक्ति

श्री राम चरण सिंह—

109 क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर में वर्ष 1981-82 व 82-83 में हा0 स्कूल एवं इण्टरमीडिएट कालेजों में कितने अध्यापकों की एडहाक नियुक्ति सी0 टी0, एल0 टी0 एवं प्रवक्तता के पद पर किस तारीख एवं किन-किन विद्यालयों मे की गयी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद मिर्जापुर के विद्यालयों को उपलब्ध रियायती मूल्य की कापियां

श्री राम चरण सिंह—

110 क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980-81 व 1981-82 व 1982-83 में रियायती मूल्य की कितनी कापियां जनपद मिर्जापुर के किन-किन विद्यालयों को उपलब्ध करायी गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

शैक्षिक सत्र 1981-82 से विद्यालयों को सीधे कापियाँ उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई । इसके पूर्व यह कार्य जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा सम्पादित किया जाता था जो फुटकर विक्रेताओं के माध्यम से कापियाँ वितरित कराते थे । वर्ष 1981-82 में 6,23,600 तथा वर्ष 1982-83 में (13 जनवरी, 1983 तक) 3,84,715 कापियाँ संलग्न सूची के विद्यालयों को उपलब्ध कराई गई ।

(देखिए नत्थी "ङ" आगे पृष्ठ——पर)

भूमि संरक्षण अधिकारी, इलाहाबाद के शंकरगढ़, कोरांव तथा सिरसा में आडिट से प्रकाश में आई अनियमितताओं की जांच

श्री रमाकान्त मिश्र—

111 क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जनपद में भूमि संरक्षण अधिकारी सिरसा कोरांव तथा शंकरगढ़ के पिछले 4 वर्षों के आडिट से प्रकाश में आए अनियमितता का एवं गबन में लगभग 10 लाख रुपये सरकारी धन के क्षति का मामला प्रकाश में

आया है ? यदि हां तो इन अधिकारियों तथा उप निदेशक भूमि संरक्षण पर कोई कार्यवाही न करके अन्य कर्मचारियों का स्थानान्तरण क्यों कराया गया है ? सरकार ने दोषी पाये गये अधिकारियों को क्या दण्ड दिया ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह—

भूमि संरक्षण अधिकारी इलाहाबाद के शंकरगढ़, कोराँव तथा सिरसा के पिछले वर्षो के आडिट में प्रकाश में आए अनियमितताओं का प्राविधिक परीक्षण किया जा रहा है। सरकारी धन की क्षति की पुष्टि परीक्षण समाप्त होने पर ज्ञात हो सकेगी है।

अभी इस आधार पर किसी कर्मचारी का स्थानान्तरण नही किया गया।

मामले की जांच अभी क्रमित है। जाँच आख्या के आधार पर जिम्मेदारी निर्धारित करके दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

गवर्नमेन्ट कस्ट्रक्टिव कालेज के प्रिंसिपल डा0 उमा शंकर मिश्र के विरुद्ध आरोपों की जांच

श्री केदारनाथ सिंह—

112 क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उप शिक्षा निदेशक, गोरखपुर ने तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर डा0 उमाशंकर मिश्र, जो इस समय गवर्नमेन्ट कन्स्ट्रक्टिव ट्रेनिंग कालेज लखनऊ के प्रिंसिपल हैं, के विरुद्ध निलम्बन हेतु शासन को आरोप पत्र प्रस्तुत किया है ? यदि हां, तो आरोप क्या है तथा कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हाँ।

प्रमुख आरोप प्रधानाचार्यों का वेतन बढ़े दर पर भुगतान करना, अध्यापकों को अनियमित सलेक्शन ग्रेड देना, अनियमित आवास बनाना तथा उसका भुगतान न करना, अध्यापकों के समायोजन, नियुक्ति, पदोन्नति तथा वेतन भुगतान में अनियमितता करना, पद सृजन तथा वेतन वृद्धि देने में अनियमितता एवं अनाधिकृत रूप से मुख्यालय तोड़ना आदि हैं। दिनांक 21-12-1982 को डा0 उमा शंकर मिश्र को आरोप पत्र तामील किया गया है।

जनपद गाजीपुर में कार्यरत चर्चा मण्डल, उनके पते व व्यय की गई धनराशि

श्री राम नरायन एडवोकेट—

113 क्या ग्राम विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद में कितने (कृषि) चर्चा मण्डल कार्य कर रहे हैं तथा कितने वर्ष पहले से और कहाँ पर ये चलाये जा रहे हैं और उनका पता क्या है तथा सरकार के द्वारा प्रति वर्ष इन पर कितना खर्च किया जाता है तथा क्या यह सत्य है कि जनपद गाजीपुर के किसी क्षेत्र में ये कार्य नहीं कर रहे हैं और जनता के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

गाजीपुर जनपद में 296 (कृषि) चर्चा मण्डल कार्यरत हैं। अधिकांश (कृषि) चर्चा मंडल वर्ष 1968-69 से जनपद के समस्त विकास खंडों में चलाये जा रहे हैं। इन (कृषि)

चर्चा मंडलों के पते की जानकारी मेरे कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। सक्रिय (कृषि) चर्चा मंडलों पर कृषक प्रशिक्षण केन्द्र के माध्यम से 34,000 रु0 की धनराशि प्रति वर्ष व्यय की जाती है। जनपद के 16 विकास खंडों में कुल 56 (कृषि) चर्चा मंडल कतिपय कारणों से नहीं चल रहे हैं और इन पर कोई व्यय नहीं किया जा रहा है।

राजकीय कृषि विद्यालय, गोरखपुर के कृषि फार्म पर कम पैदावार का उत्पादन तथा फार्म इंचार्ज को पुरस्कृत किये जाने का औचित्य

श्री श्याम नरायन तिवारी—

114 क्या कृषि मन्त्री को ज्ञात है कि राजकीय कृषि विद्यालय गोरखपुर के कृषि फार्म पर वर्ष 81-82 में विगत दस वर्षो से भी अधिक की तुलना में कम पैदावार हुई है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है ?

श्री यशपाल सिंह—

जी हां,

वर्ष 1981-82 में पिछले दस वर्षों की तुलना में औसत उपज कम हुई है। इस प्रकार की शिकायत शासन को प्राप्त हुई है और जाँच के लिए कृषि निदेशक एवं उप कृषि निदेशक गोरखपुर मंडल को लिखा गया है।

श्री श्याम नरायन तिवारी—

115 क्या यह सही है कि न्यूनतम पैदावार देने के बाद भी सम्बन्धित फार्म इंचार्ज को वर्ष 81-82 में कृषि निदेशक द्वारा अच्छा कायकर्त्ता होने का पुरस्कार दिया गया है ? यदि हां तो इसका क्या औचित्य है।

श्री यशपाल सिंह—

यह सही नहीं है कि न्यूनतम पैदावार देने के लिए पुरस्कार दिया गया है बल्कि फार्म इंचार्ज भूमि एवं भूमि प्रबन्ध विषय के प्रवक्ता भी हैं और उनके पढ़ाये हुये विषय में 50 छात्रों में से 46 ने प्रथम श्रेणी के अंक प्राप्त किये जिसमें से 7 छात्रों ने विशेष योग्यता प्राप्त की। इस आधार पर प्रवक्ता एवं इंचार्ज फार्म को कृषि निदेशक द्वारा वर्ष 81-82 के लिए पुरस्कार दिया गया है।

श्री वीरेन्द्र कुमार, सहायक अध्यापक के अवशेष भुगतान के सम्बन्ध में मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक के यहाँ की गयी अपील पर निर्णय

श्री पंचानन राय—

116 विधान सभा के द्वितीय सत्र 1982 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 158 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि

क्या मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, वाराणसी द्वारा शिक्षा निदेशक के आदेश दिनांक 27-4-81 जिसके द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक बलिया को भुगतान के आदेश दिये गये हैं पर कोई रोक लगा दी गयी है ? अवशेष भुगतान के विरुद्ध प्रबन्धक द्वारा मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक के यहाँ अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत अपील की गयी है और उस पर कब तक निर्णय ले लिया जायगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

हिन्दू इन्टर कालेज चांदपुर, बिजनौर के प्रबन्धाधिकरण के विरुद्ध निर्णय

श्री पंचानन राय—

117 विधान सभा के द्वितीय सत्र 1982 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 162 के उत्तर संदर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हिन्दू इन्टर कालेज, चांदपुर बिजनौर के प्रबन्धाधिकरण के विरुद्ध माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा 16–डी के अन्तर्गत शिक्षा निदेशक की संस्तुति शासन को कब प्राप्त हुई है ? उस पर निर्णय में बिलम्ब के क्या कारण है और यह निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से संस्तुति शासन को दिनांक 16-7-82 को प्राप्त हुई ।

शासन द्वारा शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश को अतिरिक्त आरोपों के सम्बन्ध में स्पष्ट आख्या एवं अद्यावधिक स्थिति भेजने के लिये निर्देशित कर दिया गया है ।

उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के कर्मचारियों को अनिवार्य जमा योजना की किश्तों का भुगतान

श्री पंचानन राय—

118 विधान सभा के द्वितीय सत्र 1982 के पहले सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 168 के उत्तर के संदर्भ में क्या पर्यटन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के कर्मचारियों को अनिवार्य जमा योजना की किस्तों के भुगतान की देय धनराशि निगम को कब प्राप्त हुई है और उसका भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

पर्यटन राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी)—

अनिवार्य जमा योजना से सम्बन्धित धनराशि का भुगतान इम्पलाइज प्राविडेण्ट फण्ड कमिश्नर उत्तर प्रदेश के कार्यालय से दिनांक 19-5-82 को निगम को प्राप्त हो गई थी । निगम

के कर्मचारियों को इस धनराशि का भुगतान दिनांक 6 सितम्बर, 1982 को किया जा चुका है।

गांधी विद्या निकेतन इंटर कालेज, बूटपुर रमाला, मेरठ के प्रबन्धाधिकरण के विरुद्ध शिकायती पत्र

श्री पंचानन राय—

119 विधान सभा के द्वितीय सत्र 1982 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 169 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या शिक्षा निदेशक की जाँच रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी है ? यदि हाँ, तो उसके प्रमुख बिन्दु क्या हैं और उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हाँ।

विद्यालय में आर्थिक एवं प्रशासनिक अनियमितताओं के कारण विद्यालय प्रबन्ध तंत्र को माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा 16-घ की उप धारा (2) के अन्तर्गत नोटिस दे दी गई है।

श्री अमर नाथ सिंह के अवशेष वेतन का भुगतान तथा पेंशन का निर्धारण

श्री पंचानन राय—

120 विधान सभा के द्वितीय सत्र 1982 के पहले सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 174 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अमर नाथ सिंह के अवशेष वेतन का भुगतान तथा पेंशन का निर्धारण कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और यह भुगतान कब तक दिया जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

शिक्षा निदेशक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार श्री अमर नाथ सिंह द्वारा कतिपय औपचारिकतायें पूरा न किये जाने के कारण बकाया वेतन का भुगतान तथा पेन्शन निर्धारण सम्भव नहीं हो पाया। श्री सिंह द्वारा औपचारिकतायें पूर्ण करने पर ही प्रश्नगत भुगतान सम्भव होगा। इसकी जाँच कराई जा रही है।

जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा की गयी तदर्थ नियुक्तियों के विरुद्ध चेतावनी

श्री पंचानन राय—

121 विधान सभा के द्वितीय सत्र 1982 के पहले सोमवार के लिए निर्धारित प्रश्न संख्या 175 के संदर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक फर्रुखाबाद द्वारा नियम विरुद्ध स्थायी पूर्णकालिक रिक्तियों के पदों पर तदर्थ नियुक्ति करने

के निर्देश प्रबन्धकों को दिये जाने तथा इस प्रकार के नियुक्त अध्यापकों का वेतन भुगतान करने के लिए दोषी पाये जाने पर इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जिला विद्यालय निरीक्षक, फर्रुखाबाद को संदर्भगत अनियमितता करने हेतु शिक्षा निदेशक द्वारा लिखित चेतावनी दे दी गई है ।

122 श्री पंचानन राय—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

रतन सेन महाविद्यालय बांस, बस्ती के अध्यापकों की मांगों के सम्बन्ध में निर्णय

श्री पंचानन राय—

123 विधान सभा के द्वितीय सत्र 1982 के पहले सोमवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 176 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रतन सेन महाविद्यालय बांस बस्ती के अध्यापकों की 16 सूत्रीय मांगों के सम्बन्ध में जिला अधिकारी द्वारा कार्यवाही के आदेश कब दिये गये और अब तक प्रत्येक मांग के सम्बन्ध में अलग-अलग क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

दिनांक 16-1-82 को

उक्त तिथि दिनांक 16-1-82 को जिला अधिकारी की अध्यक्षता में अधिकारी एवं प्रवक्ता प्रतिनिधियों की बैठक हुई जिसमें निम्नलिखित दो निर्णय लिये गये :—

1—प्रवक्ताओं की जी0 पी0 एफ0 सी0 डी0 एस0, एल0 आई0 सी0 एवम् शिक्षण शुल्क सम्बन्धित लेखों की जाँच हो ।

2—प्रवक्ताओं की सुरक्षा हेतु प्रभावी कार्यवाही के लिये सक्षम अधिकारी को आदेश दिये जाँय ।

आडिट कराया जा चुका है तथा सुरक्षा व्यवस्था हेतु आवश्यक आदेश निर्गत किये गये ।

उप निदेशक भूमि संरक्षण, गढ़वाल मंडल पौड़ी द्वारा क्रय किये त्रिपालों में बरती गई अनियमितता की जांच

श्री कुंवर सिंह नेगी—

154 क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप निदेशक, भूमि संरक्षण गढ़वाल मंडल पौड़ी द्वारा वर्ष 1981-82 में कितनी धनराशि के त्रिपाल खरीदे गये ? क्या ये अधिकारी

इतनी धनराशि के त्रिपाल खरीदने हेतु सक्षम थे ? यदि नहीं तो इन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री यशपाल सिंह—

उप निदेशक भूमि संरक्षण, गढ़वाल मंडल पौड़ी द्वारा वर्ष 1981-82 में रु0 1-07 लाख के त्रिपाल क्रय किये गये जिसके लिये वे सक्षम नहीं थी । इस बर्ती गई अनियमितता के लिये विस्तृत जांच के आदेश दे दिये गये हैं ।

काकोरी रेलवे स्टेशन से जेहटा जाने वाली सड़क का निर्माण

श्री गोपीनाथ वर्मा—

125 विधान सभा के द्वितीय सत्र 1982 के पहले सोमवार (दिनांक 23-8-82) के अतारांकित प्रश्न संख्या 118 के उत्तर के संदर्भ में क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि काकोरी रेलवे स्टेशन से ग्राम जेहटा तक जाने वाली खड़ंजा निर्मित सड़क को पक्का करने के लिये धन की उपलब्धता तथा डी0 आर0 डी0 ए0 के निर्णय में अभी तक कितना समय और लगेगा ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जिले में सड़कों के पक्का करने का कार्य धन की उपलब्धता के आधार पर जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा किया जाता है । जिले से प्राप्त सूचना के आधार पर वर्ष 1982-83 में किये जाने वाले कार्यों की सूची में काकोरी रेलवे स्टेशन से जेहटा जाने वाली सड़क को नहीं लिया गया है ।

पटेल स्मारक इन्टर कालेज, पटेल नगर, गोरखपुर के प्रबन्धाधिकरण एवं प्रधानाचार्य के विरुद्ध जांच

श्री केदारनाथ सिंह—

126 क्या शिक्षा मंत्री बनाने की कृपा करेंगे कि पटेल स्मारक इन्टर कालेज पटेल नगर भटहट जनपद गोरखपुर के प्रबन्धीकरण एवं प्रधानाचार्य के विरुद्ध इस समय जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर द्वारा कोई जांच की जा रही है ? यदि हाँ, तो जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

126 जी हाँ ।

जांच अभी पूरी नहीं हुई है ।

बांदा नगर में पर्यटक आवास गृह बनाने का विचार

प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा—

127 क्या पर्यटन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बांदा नगर में पर्यटक आवास गृह बनाने का निर्णय शासन ने कर लिया है ? यह भी सत्य है कि सिंचाई विभाग द्वारा उक्त आवास गृह के लिये भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया गया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में 30 अगस्त, 1982 तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

जी नहीं,

प्रश्न नहीं उठता ।

128 श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

जनपद गोंडा के प्राइवेट इन्टर कालेजों में बगैर रसीद के डोनेशन चार्ज किये जाने की जांच

श्री मसरूर जाफरी—

129 क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि जनपद गोंडा के प्राइवेट इन्टर कालेजों में बगैर रसीद के डोनेशन चार्ज किया जा रहा है ? यदि हां तो क्या शासन उसकी जांच सी0 आई0 डी0 द्वारा करा कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

130 श्री कुंवर सिंह नेगी—

[6 ठें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 36 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला पंचायत राज अधिकारी लखनऊ के अधीन स्वीकृत पंचायत सेवकों द्वारा, नये वेतनमान से वेतन का आहरण

श्री राम आसरे वर्मा—

131 क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला पंचायतराज अधिकारी लखनऊ के अधीन कार्यरत 97 पंचायत सेवकों में से कितनों का नये वेतनमान में वेतन निर्धारित कर वेतन आहरित किया जा रहा है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जिला पंचायत राज अधिकारी, लखनऊ के अधीन स्वीकृत 97 पंचायत सेवकों में से 72 पंचायत सेवक कार्यरत है, जिनमें से 70 पंचायत सेवकों का वेतन नये वेतनमान में निर्धारित

कर वेतन आहरित किया जा रहा है। शेष दो पंचायत सेवकों का वेतन अभिलेख अपूर्ण होने के कारण नये वेतनमान में वेतन निर्धारण का मामला विचाराधीन है।

राजकीय सी0 पी0 आई0 इलाहाबाद में रेमेडियल टीचिंग यूनिट की स्थापना तथा सृजित पदों को स्थायी किये जाने का विचार

श्री पंचानन राय—

132 विधान सभा के प्रथम सत्र1982 के तीसरे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 193 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संदर्भित योजना के कार्य का मूल्यांकन हो गया है ? यदि हाँ तो मूल्यांकन रिपोर्ट क्या है और इस आधार पर क्या कार्यवाही की गयो है ? क्या 1970 में सृजित पदों को स्थायी कर दिया गया है ? यदि हां तो कब ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हाँ।

मूल्यांकन में योजना को उपयोगी पाया गया है।

मामला शासन के विचाराधीन है।

गांधी विद्यालय इण्टर कालेज, मारूफपुर मर्यादपुर, आजमगढ़ के प्रधानाचार्य द्वारा गबन से संबंधित शिकायतों की जांच

श्री पंचानन राय—

133 क्या विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के तीसरे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 195 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या श्री कमला प्रसाद सिंह शाखा मंत्री गांधी विद्यालय इंटर कालेज, मारूफपुर मर्यादपुर आजमगढ़ की सन्दर्भित शिकायतों की जांच पूरी हो चुकी है ? यदि हां तो जाँच रिपोर्ट क्या है और उसके आधार पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

134 श्री पंचानन राय—

[4 थे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 134 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद आजमगढ़ के अवकाश प्राप्त शिक्षकों को प्राविधायी निधि के राजकीय अंश का भुगतान

श्री पंचानन राय—

135 विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के चौथे सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 17 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 13 कौन

कौन से अवकाश प्राप्त शिक्षक है जिन्हें प्राविधायी तिथि के राजकीय अंश का भुगतान नहीं किया गया है ? इन्होंने अलग-अलग किन तिथियों में अवकास ग्रहण किया है ? इन्हें उक्त धनराशि का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? कितने शिक्षकों को अभी तक नई दर से पेंशन का भुगतान नहीं हुआ है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य श्री राम लाल मिश्र को पेंशन एवं प्राविडेन्ट फंड का भुगतान

श्री पंचानन राय—

136 विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के चौथे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 20 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम लाल मिश्र को अवकाश ग्रहण किये 6 वर्ष से अधिक होने के उपरान्त भी पेंशन एवं प्राविडेन्ट फंड का भुगतान आज तक प्रारम्भ नहीं हुआ ? यदि हां तो यह भुगतान कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

लेडी प्रसन्न कौर इन्टर कालेज, बसडीला, गोरखपुर के प्रत्यावेदन पर निर्णय

श्री पंचानन राय—

137 विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के चौथे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 27 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लेडी प्रसन्न कौर इंटर कालेज, बसडीला, गोरखपुर के संदर्भित प्रकरण में कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

इस प्रकरण में शीघ्र ही आदेश निर्गत किये जायेंगे ।

जिला परिषदों को समाप्त करने पर विचार

श्रीमती गौरीदेवी—

138 क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार जिला परिषदों को समाप्त करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं तो क्या कारण है कि उसकी सड़कों, स्कूलों, चिकित्सालयों सहित अनेक संस्थाओं आदि को अलग-अलग विभागों में स्थानान्तरित कर दिया गया है ? तथा चुनाव न करने का क्या कारण है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी नहीं ।

सूचना एकत्रित की जा रही है । चुनाव शीघ्रातिशीघ्र कराने के प्रयास किये जा रहे है परन्तु विषय महत्वपूर्ण होने के कारण इसमें अवश्य ही कुछ समय लगेगा ।

कृषि उत्पादन मंडी स्थल, कोंच (जालौन) हेतु सरस्वती शिशु मन्दिर की अधिग्रहीत की गई भूमि को वापस किये जाने का निर्णय

श्री शंकर सिंह—

139 क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कोंच (जालौन) में कृषि उत्पादन मंडी स्थल के लिये अधिग्रहीत सरस्वती शिशु मन्दिर की जिस भूमि को एवार्ड में पुनः शिव मन्दिर को वापिस किये जाने का निर्णय वर्षों पूर्व किया जा चुका है ? उस भूमि को अभी तक शिशु मन्दिर को किन कारणों से वापिस नहीं किया जा सका और कब तक वापिस किया जायेगा ?

श्री यशपाल सिंह—

शिशु मन्दिर को अब भूमि प्राप्त हो गई है ।

जिला परिषदों में कार्यरत खण्ड विकास अधिकारियों एवं जिला पंचायत राज अधिकारियों को उनके मूल विभाग को वापस करने के आदेशों का स्थगन

श्री रामगोविन्द—

140 क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के जिला परिषदों में कार्यरत अतिरिक्त मुख्य अधिकारी जिन्हें उनके मूल विभाग में जाने हेतु आदेशित किया गया था उक्त आदेश को दिनांक 8-9-82 एवं 18-9-82 को संशोधित कर पुनः उन्हें पूर्ववत् कार्य करने को आदेशित कर दिया है ? यदि हां, तो क्या जिला परिषद गोरखपुर के अतिरिक्त मुख्य अधिकारी अपने पूर्व पद पर कार्य कर रहे हैं ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

वेतन आयोग (स्थानीय निकाय) की संस्तुतियों के अनुसार जिला परिषदों में अतिरिक्त मुख्य अधिकारी के पदों पर प्रतिनियुक्ति खण्ड विकास अधिकारियों एवं जिला पंचायत राज अधिकारियों को उनके मूल विभाग को वापस करने के आदेश हुए थे लेकिन उन्हें शासन के आगामी आदेशों तक के लिये शासकीय रेडियोग्राम दिनांक 8-9-82 द्वारा स्थगित कर दिया गया है । चूंकि जिला परिषद गोरखपुर के अतिरिक्त मुख्य अधिकारी को उनके कार्य भार से मुक्त किया जा चुका था इसलिए उन्हें पुनः गोरखपुर में ही कार्यभार ग्रहण करने के आदेश शासकीय रेडियोग्राम द्वारा दिनांक 11 नवम्बर 1982 को भेजे जा चुके हैं ।

इण्टरमीडिएट व्यक्तिगत परीक्षा की परीक्षार्थिनी कु० रेनू श्रीवास्तव का केन्द्र परिवर्तन किये जाने तथा परीक्षा फल एवं अंक पत्र उपलब्ध न होने सम्बन्धी आवेदन पत्र

श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री गोपीनाथ वर्मा—

141 क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित इण्टरमीडिएट व्यक्तिगत परीक्षा 1981 की परीक्षार्थिनी कु० रेनू श्रीवास्तव, रोल नं० 589893 का परीक्षा केन्द्र गोरखपुर से लखनऊ स्थानान्तरित किये जाने एवं परीक्षा फल लखनऊ परीक्षा केन्द्र पर उपलब्ध कराये जाने के आदेश तत्कालीन शिक्षा सचिव (श्री

जी० के० अरोरा) ने दिये थे ? यदि हां तो कु० रेनू श्रीवास्तव का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र कब तक महिला विद्यालय लखनऊ परीक्षा केन्द्र पर उपलब्ध हो सकेगा जो कि अभी तक गोरखपुर स्थित भगवती प्रसाद बालिका विद्यालय जहां से परीक्षा का आवेदन पत्र अग्रसारित कराया गया था में भी उपलब्ध नहीं हो पाया है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

तत्कालीन शिक्षा सचिव ने प्रश्नगत परीक्षार्थिनी के पिता के पत्र दिनांक 30-4-81, 8-5-81 व 3-6-81, जिसमें परीक्षार्थिनी के केन्द्र परिवर्तन तथा साहित्यिक हिन्दी की छूटी हुई परीक्षा की पुनः पूरक परीक्षा के साथ कराने एवं श्रेणी सहित परीक्षाफल प्रदान करने की प्रार्थना की गई थी, पर यथोचित कार्यवाही करने के आदेश दिये थे। इन प्रार्थना-पत्रों में परीक्षाफल लखनऊ स्थित परीक्षा केन्द्र पर उपलब्ध कराने की न तो प्रार्थना की गई थी और न तत्कालीन शिक्षा सचिव के ऐसे आदेश ही थे।

परीक्षार्थिनी का परीक्षाफल एवं अंक पत्र पंजीकरण केन्द्र भगवती प्रसाद कन्या इण्टर कालेज गोरखपुर को देने हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक गोरखपुर को दिनांक 20-12-81 को प्राप्त कराया जा चुका है क्योंकि परीक्षार्थिनी का परीक्षा सम्बन्धी समस्त विवरण इसी मूल केन्द्र पर मुद्रित है। परिषद् के नियम संग्रह के अध्याय 12 के विनियम 3 के अनुसार केवल पंजीकरण केन्द्र ही अंक पत्र एवं प्रमाण-पत्र देने के लिए अधिकृत हैं। फलस्वरूप परिवर्तित केन्द्र पर उक्त अभिलेखों के भेजने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

टी० सी० (महिला) परीक्षा में उत्तीर्ण छात्राओं के प्रमाण पत्र में विलम्ब

श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री गोपीनाथ वर्मा—

142 क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि रजिस्ट्रार, विभागीय परीक्षायें, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित टी० सी० (महिला) परीक्षा, 1978 में सम्मिलित उत्तीर्ण छात्राओं के प्रमाण पत्र निर्गत हो चुके हैं ? यदि हां तो कब ? यदि प्रमाण पत्र अभी तक जारी नहीं हुए तो विलंब का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हाँ।

प्रमाण-पत्र जुलाई, 1980 में परीक्षा आवेदन पत्र अग्रसारित करने वाले अधिकारियों को भेजे जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

भूमि संरक्षण अधिकारी का कार्यालय अगस्त भूमि में स्थापित करने के आदेश

श्री कुंवर सिंह नेगी—

143 क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला चमोली में अगस्तमुनि स्थिति भूमि संरक्षण अधिकारी का कार्यालय अगस्तमुनि से रुद्रप्रयाग किन कारणों से लाया गया है और किसके आदेश से यह स्थानान्तरण हुआ है ?

श्री यशपाल सिंह--

भूमि संरक्षण अधिकारी का कार्यालय अगस्तमुनि में ही स्थापित करने के आदेश हैं।

श्री श्योधन सिंह पांडेय, कार्य अधिकारी जिला परिषद, अलीगढ़ का स्थानान्तण

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री रामगोविन्द—

144 क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या राजाज्ञा संख्या 22790 का/33-1-82 दिनांक 30 अप्रैल 1982 तथा उत्तर प्रदेश जिला परिषद् केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग नियमावली, 1966 के नियम संख्या 28 के अनुसार कोई कार्य अधिकारी जिला परिषद् अपने गृह जनपद में कार्यशील नहीं रह सकते हैं ? यदि हां तो क्या यह सच है कि श्री श्योधन सिंह पाण्डेय, कार्य अधिकारी, जिला परिषद् अलीगढ़ सेवा के आरम्भ से अब तक 36 साल अपने तक गृह जनपद अलीगढ़ में ही तैनात हैं ? यदि हां तो क्यों ? उपरोक्त अधिकारी का प्रशासनिक आधार पर कई बार किया गया स्थानान्तरण क्यों निरस्त हुआ है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

राजाज्ञा संख्या 2279 क/33-1-82 दिनांक 20 अप्रैल 1982 द्वारा जिला परिषदों के अधिकारियों से अपने स्थानान्तरणों के सम्बन्ध में विकल्प मांगे गये थे। श्री श्योधन सिंह पांडेय जिला परिषद् अलीगढ़ में दिनांक 11-6-79 से कार्य अधिकारी के पद पर अस्थाई रूप से कार्यरत हैं। इनकी नियुक्ति कार्य अधिकारी के पद पर अस्थाई रूप से उत्तर प्रदेश जिला परिषद (केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग) नियमावली 1966 (यथा संशोधित) के नियम 33-क के अन्तर्गत तदर्थ आधार पर की गई थी। उक्त नियमावली का नियम 28 इस सम्बन्ध में लागू नहीं होता है क्योंकि अभी इनकी कार्य अधिकारी के पद पर नियमित नियुक्ति नहीं हुई है। श्री पांडेय 11-6-76 से पूर्व जिला परिषद की अकेन्द्रीयित सेवा के कर्मचारी थे। अतः उनके स्थानान्तरण का प्रश्न ही नहीं था।

श्री पांडेय की कार्य अधिकारी के पद पर नियुक्ति किये जाने के पश्चात इन्हें कई बार जिला परिषद अलीगढ़ से स्थानान्तरित किया गया लेकिन बाद में प्रशासनिक आधार पर जनहित में स्थानान्तरण निरस्त कर दिये गये।

145 श्री पंचानन राय—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

ग्राम सभा खलिसपुर, जनपद आजमगढ़ को प्राइमरी पाठशाला की छत की बीम के के निर्माण में अनियमितता की शिकायत

श्री पंचानन राय—

146 विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के चौथे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 143 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है

कि सन्दर्भित पत्र में भवन के निर्माण में अनियमितता की शिकायत है ? यदि हां तो इस भवन का निर्माण किस वर्ष पूर्ण हुआ और बीम कब टूट गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हाँ ।

प्रश्नगत स्कूल भवन का निर्माण वर्ष । 1969-70 में हुआ था । भवन के छत की बीम टूट कर धराशायी नहीं हुई है किन्तु अयन्त जीर्ण स्थिति में है । बीम की यह स्थिति तीन वर्ष पूर्व बरसात के मौसम में प्रकट हुई ।

147 श्री पंचानन राय—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

टाउन इण्टर कालेज, मोहम्मदाबाद गोहना, आजमगढ़ में व्याप्त अनियमितताओं की जांच

श्री पंचानन राय—

148 विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के चौथे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 117 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्यालय में व्याप्त अनियमिततायें की जाँच आख्या शिक्षा निदेशक प्राप्त से हो गयी है ? यदि हां तो उसके प्रमुख बिन्दु क्या हैं उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

शिक्षा निदेशक से अभी जाँच आख्या प्राप्त नहीं हुई है । उन्हें इसके लिये स्मरण कराया गया है ।

विकास क्षेत्र मुफ्तीगंज के अन्तर्गत जमुआरी के नाले पर पुल निर्माण में ग्रामवासियों का योगदान

श्री प्रभूनारायण सिंह—

149 विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के चौथे सोमवार के लिये निर्धारित प्रश्नकर्त्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या 59 के उत्तर के संदर्भ में क्या ग्राम विकास एवं पंचायती राज मंत्री कृपया बतलायेंगे कि क्या उक्त पुल में ग्रामवासियों ने भी योगदान दिया था ? यदि हां तो कितना और किस रूप में ? क्या सरकार जनहित में इस पुल का निर्माण पूर्ण करायेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां ।

ग्रामवासियों ने रु० 5002.00 का कुल योगदान दिया था, जिसमें से रु० 4502.00 सामग्री के रूप में तथा रु० 500.00 श्रम के रूप में सम्मिलित है ।

गांव सभा के पास धन उपलब्ध न होने के कारण पुल का निर्माण कार्य पूर्ण कराना फिलहाल सम्भव नहीं है ।

हाईस्कूल एवं इन्टरमीडियट के छात्रों को प्रमाण पत्र के विवरण के संबंध में कार्यवाही

श्री प्रभूनारायण सिंह—

150 क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि माध्यमिक शिक्षा परिषद की वर्ष 1978 की हाई स्कूल एवं वर्ष 1978 व 1979 की इण्टरमीडिएट के प्रमाणपत्र वितरण हेतु अभी तक शिक्षण संस्थाओं में नहीं भेजे गये ? यदि हां तो क्या सरकार शीघ्रातिशीघ्र उक्त वर्षों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रमाण पत्र वितरित करायेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्रदेश के दस जिलों से संबंधित हाई स्कूल परीक्षा 1978 में यंत्रीकृत प्रमाण-पत्र जो प्राप्त हुये थे उसी वर्ष संबंधित जनपदों के विद्यालयों को वितरित कर दिये गये हैं। शेष 46 जनपदों के आंशिक प्रमाण-पत्र मुद्रित होकर राजकीय मुद्रणालय से प्राप्त हुये हैं जिनके लेखन एवं जांच की कार्यवाही की जा रही है। अंतिम जाँच के उपरान्त संबंधित विद्यालयों में प्रमाण-पत्र भेज दिये जायेंगे।

इण्टर परीक्षा 1978 के प्रमाण-पत्र भी अभी आंशिक रूप से मुद्रित होकर प्राप्त हुये हैं और इनके लेखन मिलान एवं अन्तिम जाँच आदि का कार्य साथ-साथ चल रहा है। आगरा व मेरठ मंडल के दस जिलों के प्रमाण-पत्र विद्यालयों को भेजे जा चुके हैं। बरेली व पर्वतीय मंडलों के प्रमाण-पत्र शीघ्र ही शिक्षण संस्थाओं को भेजे जावेंगे।

हाई स्कूल परीक्षा 1978 के शेष प्रमाण-पत्र एवं इण्टर परीक्षा 1979 के सम्पूर्ण प्रमाण-पत्र अभी तक राजकीय मुद्रणालय से मुद्रित होकर प्राप्त नहीं हो सके हैं। इनको प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है और प्राप्त होने पर हस्तलेखन व जाँच की कार्यवाही की जावेगी।

151—प्रो० चन्द्र प्रकाश शर्मा—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

श्री मोहन सिंह विधायक आबकारी के सम्बन्ध में पत्र पर कृत कार्यवाही

श्री नन्दकिशोर सिंह—

152 क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री मोहन सिंह विधायक का आबकारी के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री जी को अगस्त, 1982 के प्रथम सप्ताह में एक पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में वर्णित बातें क्या हैं तथा सरकार ने उस पर आज तक क्या कार्यवाही किया और नहीं किया तो क्यों ?

श्री विद्या भूषण—

जी हाँ।

पत्र में श्री एम० एम० सिद्दीकी, तत्कालीन पी० ए०, आबकारी आयुक्त के विरुद्ध भ्रष्टचार की शिकायतें हैं जिनके सम्बन्ध में आगामी ढाई माह तक जाँच पूरी हो जाने की आशा है।

प्राप्त शिकायतों के आधार पर श्री सिद्दीकी को इलाहाबाद से मेरठ शासनादेश दिनांक 23-8-82 द्वारा स्थानान्तरित कर दिया गया था।

श्री एम० ए० सिद्दीकी, पी० ए० आबकारी आयुक्त के विरुद्ध श्री मोतीलाल देहलवी के शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

श्री सन्त बक्स रावत--

153 क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मोतीलाल देहलवी, विधायक का आबकारी के सम्बन्ध में 21 जुलाई, 82 का पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो पत्र में वर्णित तथ्य क्या है और सरकार ने उस पर आज तक क्या कार्यवाही किया और यदि नहीं किया तो क्यों ?

श्री विद्या भूषण--

जी हाँ।

पत्र में श्री एम० एम० सिद्दीकी, तत्कालीन पी० ए०, आबकारी आयुक्त के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें जिनके सम्बन्ध में आगामी ढाई माह तक जाँच पूरी हो जाने की आशा है।

प्राप्त शिकायतों के आधार पर श्री सिद्दीकी को इलाहाबाद से मेरठ शासनादेश दिनांक 23-8-82 द्वारा स्थानान्तरित कर दिया गया।

उद्यान एवं फल निदेशालय मैदानी क्षेत्र, लखनऊ में कर्मचारियों को स्वीकृत आवासीय ऋण

श्री यदुनाथ सिंह—

154 क्या कृषि मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उद्यान एवं फल निदेशालय मैदानी क्षेत्र लखनऊ ने उनके कुछ कर्मचारियों को आवासीय ऋण वर्ष 1982-83 (5-7-82) में दिया गया है ? यदि हाँ तो कितने कर्मचारियों को ऋण दिया गया और उसमें कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे ?

श्री यशपाल सिंह—

जी हाँ, वर्ष 1982-83 में निदेशालय में कतिपय कर्मचारियों को आवासीन ऋण स्वीकृत किया गया है। कुल 31 कर्मचारियों को ऋण दिया गया जिसमें 11 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे।

लोक सेवा आयोग द्वारा कृषि निदेशालय में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियाँ

श्री मुन्शीलाल—

155 क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के पत्रांक 1847/135/आर० ए०/63-64 ए० जी० ए०-562/आर० ए०-3 दिनांक 23-3-66 द्वारा किये गये चयन के अन्तर्गत सभी अभ्यर्थियों की नियुक्तियाँ कृषि निदेशालय द्वारा

दी गयी हैं ? यदि नहीं तो अभी और कितने शेष रह गये हैं ?

श्री यशपाल सिंह—

लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के पत्रांक 187/135/आर० ए०/63-64 ए०–52/आर० ए०–3 दिनांक 28-3-66 द्वारा भेजी गयी चयनित अभ्यर्थियों की सूची में केवल एक अभ्यर्थी को छोड़कर सभी अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर दी गयी है। यह अभ्यर्थी श्री गेंदा लाल हैं। इनकी चरित्र लेखा संतोषजनक न होने के कारण आयोग ने अपनी संस्तुति वापस ले ली थी, इसलिये इनकी नियुक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता है।

भू० पू० वरिष्ठ उद्यान निरीक्षक लाल फार्म मालापुर बहराइच के श्री सुदामा त्रिपाठी के विरुद्ध गबन की जाँच

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

156 क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि भू० पू० वरिष्ठ उद्यान निरीक्षक लाल फार्म मालापुर बहराइच (श्री सुदामा त्रिपाठी) के विरुद्ध गबन, शासकीय धन का दुरुपयोग के सम्बन्ध में निदेशक उद्यान उत्तर प्रदेश ने दिनांक 14-6-82, 7-12-81 एवं 17-10-80 के अपने पत्रों द्वारा करीब दो लाख धनराशि के हड़पने सम्बन्धी जाँच करने हेतु लिखा है। यदि हाँ तो क्या जाँच कराई गई ? यदि नहीं तो जाँच न कराये जाने का क्या कारण है ?

श्री यशपाल सिंह—

जी हाँ। प्रक्षेप के लिए सम्प्रेक्षण के फलस्वरूप प्रकाश में आये वित्तीय अनियमितता जाँच हेतु आदेश दे दिये गये हैं।

कृषि विभाग के श्रेणी 1 व श्रेणी 2 सेक्शन 'सी' रसायन शाखा के रिक्त पदों पर कार्यरत अन्य अनुभाग व विषय के अधिकारी

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

157 क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग के श्रेणी–1 व श्रेणी–2 सेक्शन सी० रसायन शाखा के अलग-अलग कितने पद कितने वर्षों से रिक्त हैं। क्या इन पदों पर प्रोन्नति हेतु उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध हैं ? यदि हाँ तो इनकी प्रोन्नति क्यों नहीं की जा रही है ?

श्री यशपाल सिंह—

कृषि विभाग में श्रेणी–1 सेक्शन 'सी' रसायन शाखा का एक पद वर्ष 1977 से तथा श्रेणी-2 सेक्शन 'सी' रसायन शाखा के 18 पद वर्ष 1978 से रिक्त है।

जी हाँ। तदर्थ नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध है इस कारण उपलब्ध अभ्यर्थियों की प्रोन्नति नहीं की जा सकी है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

158 क्या मन्त्री जी यह बतायेंगे कि रसायन शाखा के श्रेणी–1 व श्रेणी–2 के कुछ पदों पर अन्य अनुभाग व विषय के अधिकारी कार्यरत हैं ? यदि हाँ तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह—

रसायन शाखा में श्रेणी–1 के एक पद पर तथा श्रेणी–2 के एक पद पर सेक्शन 'बी' के अधिकारी कार्यरत हैं जो उत्तर प्रदेश कृषि सेवा नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत हैं ।

श्रम विकास इण्टर कालेज बुघौली, जिला कानपुर देहात के ट्रस्टी अध्यक्ष के प्रार्थना पत्र पर कृत कार्यवाही

श्री राम लाल—

159 क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम विकास इण्टर कालेज बुघौली जिला कानपुर देहात के ट्रस्टी अध्यक्ष का एक प्रार्थना पत्र उप शिक्षा निदेशक चतुर्थ मण्डल इलाहाबाद को सम्बोधित एक पत्र शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश व शिक्षा मन्त्री को दिनांक 2 सितम्बर, 1982 को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ तो प्रार्थना पत्र की मुख्य बातें क्या है और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

पूर्वांचल विकास निगम द्वारा विकास खण्ड अकबरपुर एवं कटेहरी में कार्यरत नलकूप

श्री प्रियदर्शी जेतली—

160 क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अकबरपुर व कटेहरी विकास खण्ड जिला फैजाबाद के किन-किन गाँवों में पूर्वांचल विकास निगम द्वारा नलकूप लगाये गये ? क्या उन सभी नलकूपों से किसान सिंचाई कर रहे हैं ? यदि हाँ तो प्रति नलकूप से प्रतिवर्ष कितनी सिंचाई की गई ?

श्री बलराम सिंह यादव—

उत्तर प्रदेश पूर्वांचल विकास निगम लिमिटेड द्वारा विकास खण्ड अकबरपुर एवं कटेहरी में कुल 15 बोरिंग की गयी हैं, जिसका ग्राम वार विवरण निम्न प्रकार है :—

विकास खण्ड अकबरपुर :—

1—सीहमई	5 नलकूप
2—अरियौना	2 नलकूप
3—बैरभपुर बरवा	1 नलकूप
	8 नलकूप

विकास खण्ड कटेहरी :—

1—दुल्लापुर	5 नलकूप
2—घाघूपुर	1 नलकूप
3—डोमनेपुर	1 नलकूप
	7 नलकूप

उपरोक्त 15 नलकूपों में से 12 नलकूप कार्यरत हैं, जिनसे किसानों की माँग के अनुसार सिंचाई की जाती है शेष 3 नलकूपों को कार्यरत करने हेतु विद्युतीकरण सम्बन्धी कार्यवाही की जा रही है। यह तीन नलकूप क्रमशः विकास खण्ड अकबरपुर के बैरमपुर बरवा ग्राम में एक तथा विकास खण्ड कटेहरी के ग्राम दुल्लापुर एवं घाघूपुर में एक-एक स्थित है।

वर्ष 1981-82 एवं 82-83 में नलकूपों द्वारा प्रति नलकूप औसतन 10 एकड़ भूमि प्रति सीजन सिंचाई किसानों की भूमि पर की गयी है।

161—श्री प्रियदर्शी जेतली—

[5वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 18 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

मान्यता प्राप्त विद्यालयों/कालेजों के प्रधान अध्यापकों व अन्य अध्यापकों के स्थानान्तरण की माँग

श्री नन्द किशोर सिंह—

162 क्या सरकार इस विषय पर विचार करने की कृपा करेगी कि राजकीय विद्यालयों/कालेजों की भाँति मान्यता प्राप्त विद्यालयों/कालेजों के प्रधान अध्यापकों व अन्य अध्यापकों को भी तबादले किये जाया करें ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी—

जी नहीं। क्योंकि वे मान्यता प्राप्त विद्यालय राजकीय विद्यालय नहीं हैं।

ग्राम लोहरौली, देवरिया में ग्राम प्रधान के चुनाव मतदान में गड़बड़ी

श्री मोहन सिंह—

163 क्या ग्राम्य विकास मन्त्री को ज्ञात है कि देवरिया के विकास खण्ड सलेमपुर के ग्राम लोहरौली में 4 जुलाई, 82 को होने वाला ग्राम प्रधान का चुनाव मतदान में गड़बड़ी के कारण निरस्त कर दिया गया और क्या यह भी सत्य है कि ब्लाक विकास अधिकारी ने उच्च न्यायालय का झूठा स्थगन आदेश लगाकर 13 जुलाई, 82 को होने वाले पुनर्मतदान को भी रोकवा दिया ? यदि हां तो इस मतदान केन्द्र पर गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार पीठासीन अधिकारी और खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध प्रशासन ने कौन सी कार्यवाही की ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां।

चूँकि जिला अधिकारी 1 निर्वाचन अधिकारी देवरिया द्वारा पुनः मतदान की तिथि 18 जुलाई, 1982 निर्धारित की गई थी, अतएव खंड विकास अधिकारी द्वारा उच्च न्यायालय का झूठा स्थगन आदेश लगाकर दिनांक 13 जुलाई, 1982 को होने वाले मतदान को रोकने का प्रश्न ही नहीं उठता।

मतदान की निस्पक्षता स्थानीय लोगों द्वारा की गई कार्यवाही के कारण संदिग्ध हुई। अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता। यह वाद उच्च न्यायालय के विचाराधीन है।

जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर के विरुद्ध शिकायती पत्र

श्री पंचानन राय—

164 क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक गोरखपुर के विरुद्ध शासन को कोई शिकायती पत्र सितम्बर, 1982 में प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री भगवत स्वरूप सिंघल, प्रवक्ता गणित, श्री वार्ष्णेय कालेज, अलीगढ़ को अधिक धनराशि का भुगतान

डा0 शिवानन्द नौटियाल—

165 क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री भगवत स्वरूप सिंघल प्रवक्ता गणित श्री वार्ष्णेय कालेज अलीगढ़ को 1-1-1973 से 31-3-75 तक वेतन मान रु० 700-1600 का अवशेष धनराशि रु0 5,873 पैसे 78 के चेक नं0 655611, 655612, 655613, 655614 और 655615 पंजाब नेशनल बैंक श्री वार्ष्णेय कालेज ब्रांच अलीगढ़ दिनांक 31-3-81 का भुगतान किस तिथि को किया गया है? यदि नहीं किया गया तो, यह चेक किसके पास है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्रश्न में उल्लिखित चैकों का भुगतान नहीं किया गया और उन्हें रद्द कर दिया गया क्योंकि अवशेषों का पुनः आगणन करने पर ज्ञात हुआ कि श्री भगवत स्वरूप सिंघल को पहले ही अधिक धनराशि का भुगतान उन्हें किया जा चुका था। अब रु० 2042-83 पैसे श्री सिंघल द्वारा कालेज को लौटाने हैं।

166 श्री चेतराम गंगवार—

[दिनांक 7-2-83 को अतारांकित प्रश्न संख्या 36 तथा 6 द्वारा उत्तरित]

मुरादाबाद के सहायता प्राप्त गैर सरकारी उ0 मा0 विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों की सी0 डी0 एस0 का भुगतान

श्री पंचानन राय—

167 क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद जनपद के कितने सहायता प्राप्त गर सरकारी उ0 मा0 विद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को दिनांक 1-5-82 तक अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत काटी गयी धनराशि का पूरा भुगतान नहीं किया गया है तथा भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद आजमगढ़ के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तथा महाविद्यालयों को बाढ़ तथा अतिवृष्टि से क्षति की पूर्ति हेतु स्वीकृत अनुदान

श्री पंचानन राय—

168 विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के छठें मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 199 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 के पहले मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0 91 के उत्तर के संदर्भ में यह कहा गया था कि संलग्न सूची 'ख' में अंकित विद्यालयों को वर्ष 78-79 में स्वीकृत अनुदान नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन विद्यालयों के प्रबन्धकों द्वारा 31 मार्च, 79 तक अनुदान के बिल प्रति हस्ताक्षर के लिए सम्बन्धित अधिकारी को नहीं प्रस्तुत किये थे ? यदि हां, तो दोनों उत्तरों में कौन सा उत्तर सही है तथा कौन सा उत्तर गलत है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्रश्न 199 का दिया गया उत्तर सही है। भ्रमवश हुई त्रुटि के लिये खेद है।

रेड क्रास स्काउटिंग तथा जनपदीय युवक समारोह कोष से गबन की शिकायतों की जांच

श्री पंचानन राय—

169 क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक बहराइच द्वारा रेडक्रास स्काउटिंग तथा जनपदीय युवक समारोह कोष से लाखों रुपये के गबन की शिकायतें शासन को अगस्त एवं सितम्बर 1981 में प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो क्या इनकी जांच करायी गयी तथा जांच के क्या परिणाम निकले क्या यह भी सही है कि रेड क्रास खाते में 82754 रुपये का गबन आडिट द्वारा सिद्ध पाया गया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता ।

रेड क्रास खाते की जांच जिला विद्यालय निरीक्षक, बहराइच के आदेशानुसार उनके कार्यालय के लेखा-अधिकारी द्वारा की गई थी । जांच में 82378-28 रुपये का गबन पाया गया । सम्बन्धित लिपिक निलम्बित कर दिया गया है । कोतवाली बहराइच में एफ0 आई0 आर0 दर्ज करा दी गई है । पुलिस जांच चल रही है ।

जनपद आजमगढ़ में स्थित ग्राम सुरहन में खंडजा के साथ नाली न बनाये जाने की शिकायत

श्री पंचानन राय—

170 क्या ग्राम विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के मार्टीनगंज ब्लाक में स्थित ग्राम सुरहन से वर्ष 1977-78 में खडंजा के साथ नाली न बनाये जाने की शिकायत उसी वर्ष 77-78 में की गयी तथा उसकी जांच तहसीलदार फूलपुर द्वारा किये जाने के उपरान्त ए0 डी0 एम0 आजमगढ़ तथा उप विकास आयुक्त गोरखपुर द्वारा नाली बनाये जाने के आदेश दिया गया ? क्या यह सही है कि नाली के निर्माण न होने से पानी रुकने के कारण श्री लालता प्रसाद शुक्ल का मकान गिर गया ? यदि हां तो इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां तो नाली का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हाँ ।

जी नहीं ।

अधिकारियों द्वारा नाली का निर्माण कराने का प्रयत्न किया गया परन्तु मौके पर दो पक्षों में विवाद होने के कारण नाली का निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं हो सका । अतः किसी अधिकारी के विरूद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

श्रीमती तारावती सक्सेना सहायक अध्यापिका, महात्मा गांधी बालिका विद्यालय इन्टर कालेज, फिरोजाबाद की पेंशन का भुगतान

श्री पंचानन राय—

171 क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि श्रीमती तारावती सक्सेना सहायक अध्यापिका, महात्मा गांधी बालिका विद्यालय इन्टर कालेज फिरोजाबाद आगरा जून, 78 में सेवा निवृत्ति हो गयी थी किन्तु उन्हें सितम्बर, 82 तक पेंशन का भुगतान प्रारम्भ नहीं हुआ है ? यदि हां तो इन्हें पेंशन का भुगतान कब तक हो जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

कृषि बीज भण्डार को बाढ़ से क्षति

श्री नन्द किशोर सिंह—

172 क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि बीज भंडार जो गया जनपद बस्ती वर्ष दिनांक 11/12-8-81 की बाढ़ से प्रभावित हुआ था ? यदि हां तो कितनी क्षति हुई ?

श्री यशपाल सिंह--

जी नहीं, बाढ़ सितम्बर, 1981 में आई थी।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम सभा बरियावन, विकास खण्ड अकबरपुर के पूर्व प्रधान के विरुद्ध आरोपों की जांच

श्री नन्दकिशोर सिंह—

173 क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि तहसील अकबरपुर जनपद फैजाबाद के ग्राम बरियावन के पूर्व प्रधान के विरुद्ध गम्भीर आरोपों की शिकायत की जांच विकास खण्ड अधिकारी अकबरपुर द्वारा 1982 के पूर्व हो गई है ? यदि हां तो सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध क्या-क्या आरोप थे और कितने आरोप सिद्ध पाये गये और अभी सम्पूर्ण जांच रिपोर्ट क्या है तथा इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

ग्राम सभा बरियावन विकास खण्ड अकबरपुर के पूर्व प्रधान के विरुद्ध आरोपों की जाँच खण्ड विकास अधिकारी द्वारा दिनांक 24–5–82 को करके परगनाधिकारी को प्रस्तुत की गई।

आरोपों के विवरण संलग्न हैं। प्रत्येक आरोप के सम्बन्ध में जांच की गई परन्तु आरोपों के संदिग्ध पाये जाने व साक्ष्यों के नितान्त अभाव में कोई कार्यवाही करना सम्भव नहीं पाया गया।

(देखिए नत्थी "च" आगे पृष्ठ·····पर।)

लखनऊ जनपद में देशी शराब, अंग्रेजी शराब की दुकानों में घोटाला

श्री यदुनाथ सिंह—

174 क्या आबकारी मन्त्री को ज्ञात है कि जुलाई, 1982 में लखनऊ जिला अधिकारी ने शराब का एक बहुत बड़ा घोटाला पकड़ा और शराब देशी अंग्रेजी व ताड़ी की दूकानें सील की गयीं ? यदि हां, तो कितने राजस्व का घोटाला पकड़ा गया और कौन-कौन इसके लिये जिम्मेदार है ?

श्री विद्या भूषण—

लखनऊ जनपद में देशी शराब, अंग्रेजी शराब भांग व ताड़ी के कतिपय ठेकेदारों द्वारा स्टेट बैंक की फर्जी मोहरें लगाकर आबकारी शुल्क शराब की कीमत तथा लाईसेंस फीस के घोटाला किये जाने का मामला जुलाई 1982 में पकड़ा गया है। इसके फलस्वरूप दूकानें सील की गयीं कुल रुपये 33,22,569.14 पैसे का घोटाला पकड़ा गया। इन ठेकों के संचालक फाईनेंसर श्री प्रदीप कुमार गुप्ता एवं इनके बड़े भाई श्री शिवशरण लाल गुप्ता निवासी विक्टोरियागंज, लखनऊ घोटाले के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं।

ग्राम विकास इन्टर कालेज बुधाली, जिला कानपुर देहात के प्रधानाचार्य एवं प्रबन्धक के विरुद्ध प्रार्थना पत्र

श्री राम लाल—

175 क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम विकास इन्टर कालेज बुधाली जिला कानपुर देहात के प्रधानाचार्य एवं प्रबन्धक द्वारा शिक्षा संहिता एवं विद्यालय की प्रशासन योजना का उल्लंघन, किए जाने के सम्बन्ध में श्री रामकृष्ण कटियार का प्रार्थना पत्र दिनांक 2-9-82 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्रार्थना पत्र की मुख्य बातें क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

आचार्य नरेन्द्र देव प्राद्योगिक कृषि विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद के खेत मजदूरों द्वारा दिया गया मांग पत्र

श्री मित्रसेन—

176 क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 12 अक्टूबर, वर्ष 1981 को आचार्य नरेन्द्र देव प्राद्योगिक कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज, फैजाबाद के खेत मजदूरों ने अपनी दैनिक मजदूरी, भर्ती, निष्कासन फार्म मैनेजरों की अनियमितताओं के प्रश्न को लेकर कोई प्रदर्शन किया था और मांग पत्र अधिष्ठाता कीर्ति सिंह को दिया था ? यदि हां, तो मांग पत्र की मुख्य मुख्य मांग क्या थी ? अब तक उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह—

जी हाँ।

प्रदर्शनकारियों के मांग-पत्र की मुख्य-मुख्य माँगें इस प्रकार हैं—

(1) मजदूरों की एक वरिष्ठता क्रम सूची बनायें और उसी के अनुसार भर्ती और निकासी करें।

(2) चार पाँच साल तथा पुराने मजदूरों को जिनको निकाल दिया गया है, उन्हें तत्काल काम पर वापस लें।

(3) विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की चोरी करने से बाज आवें।

(4) पूरी मजदूरी दें और विश्वविद्यालय में सामन्ती वातावरण स्थापित न करें।

मांग पत्र की माँगों के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही इस प्रकार है—

(1) माँग संख्या—1 के सम्बन्ध में मजदूरों को अनुसंधान प्रक्षेत्र पर कार्य की महत्ता एवं आवश्यकतानुसार नियत समय पर उपस्थित होने वाले मजदूरों को यथा सम्भव उनकी वरिष्ठता एवं कार्य दक्षता के अनुसार काम पर लगाया जाता है।

(2) माँग संख्या—2 के सम्बन्ध में जाँच करने पर ज्ञात हुआ है कि इन 21 मजदूरों में से 4 मजदूर दूसरी यूनिट पर कार्य पर लगे हुए पाये गये तथा 6 मजदूर स्वयं अपनी इच्छा से कार्य से अनुपस्थित थे। इस प्रकार कार्य से हटाये गये मजदूरों की वास्तविक संख्या केवल 11 पाई गयी। हटाये गये इन 11 मजदूरों में से 9 मजदूरों को काम पड़ने पर काम पर ले लिया गया था।

(3) माँग संख्या 3 व 4 निराधार है।

राम चरण इन्टर कालेज घटौली, जनपद फैजाबाद में प्रवक्ता के पदों पर आरक्षण कोटा

श्री राम स्वरूप वर्मा—

177 क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि रामचरण इन्टर कालेज घटौली; जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत दिनांक 12 जुलाई, 1978 को प्रकाशित गजट शासनादेश संख्या मा0/2642/15–12711/74 के अनुसार सी0 टी0, एल0 टी0 तथा प्रवक्ता के पदों पर अनुसूचित जाति के 18 प्रतिशत तथा पिछड़ी जाति के 15 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर कितने अध्यापक कार्यरत हैं ? क्या आरक्षण के अनुसार अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति का कोटा पूरा है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

15 अध्यापकों में से दो अनुसूचित जाति के तथा दो पिछड़ी जाति के अध्यापक कार्यरत हैं।

आरक्षण के अनुसार पिछड़ी जाति का कोटा पूरा है। लेकिन अनुसूचित जाति के कोटे में एक अध्यापक की कमी है। आगामी नियुक्ति में इसकी पूर्ति का आदेश दिया जा चुका है।

विकास खण्ड अजमतगढ़ में चक रजाक से भटौली तक सम्पर्क मार्ग में पानी के निकास की व्यवस्था सम्बन्धित पत्र पर कृत कार्यवाही

श्री पंचानन राय—

178 क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड अजमतगढ़ में चक रजाक से मटौली तक जाने वाले सम्पर्क मार्ग में पानी के निकास की व्यवस्था से सम्बन्धित प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 28 जनवरी, 82 जिला विकास अधिकारी आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जिलाधिकारी आजमगढ़ से प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक 28 जनवरी 1982, के प्राप्त होने तथा उस पर कृत कार्यवाही की जानकारी प्राप्त की जा रही है।

जनपद सीतापुर में गर्रा झील का अधूरा पुल निर्माण

श्री पंचानन राय—

179 क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि ग्राम सभा समसापुर (औरंगाबाद) तहसील मिश्रिख जनपद सीतापुर के नागरिकों का प्रार्थना पत्र जो गर्रा झील के अधूरे पुल निर्माण से सम्बन्धित है उन्हें 27-8-81 को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ तो सम्बन्धित शिकायतों की जाँच करायी गयी है ? यदि हाँ तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव—

शासन स्तर पर प्रश्नकर्त्ता का पत्र ग्राम्य विकास विभाग में प्राप्त नहीं हुआ प्रतीत होता है। जिले पर पत्र प्राप्त होने तथा उस पर की गई जाँच तथा उसके परिणाम के सम्बन्ध में जिलाधिकारी सीतापुर से सूचना प्राप्त की जा रही है।

हरचरन दास गर्ल्स इन्टर कालेज हाथरस, अलीगढ़ के विरुद्ध धन के गबन की दर्ज रिपोर्ट

श्री पंचानन राय —

108 क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हरचरन दास गर्ल्स इन्टर कालेज हाथरस अलीगढ़ के विरुद्ध जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा 23 सितम्बर, 77 को 10000 (दस हजार) रुपये के गबन की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी तथा पुन: 30–4–81 को 11153 (ग्यारह हजार एक सौ तिरपन) रुपये के सरकारी धन के गबन का एफ0 आई0 आर0 दर्ज किया गया है ? यदि हाँ तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

181 श्री पंचानन राय—

[8 वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 36 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

182 श्री पंचानन राय—

[8 वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 37 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री राजेश्वर सिंह यादव, खण्ड विकास अधिकारी, घुघली के विरुद्ध वित्तीय अनियमिततायें तथा हरिजन कूपों के निर्माण हेतु धनराशि की वसूली

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

183 क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि भू० पू० खण्ड विकास अधिकारी (कार्यवाहक) घुघली (गोरखपुर) श्री राजेश्वर सिंह के विरुद्ध ग्राम पौहरिया विकास

क्षेत्र घुघली में खड़ंजा लगवाने में वित्तीय अनियमितता जाँच में सिद्ध हो चुकी है एवं जाँच अधिकारी ने उससे धन वसूली का निर्देश दिया है ? यदि हाँ तो क्या वसूली हुई ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

ग्राम पौहरिया विकास क्षेत्र घुघली, जनपद गोरखपुर में खड़ंजा लगवाने में 13,000 कम ईंट प्रयुक्त किये जाने एवं 500 से कम 1000 की संख्या में प्रथम श्रेणी के स्थान पर द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के ईंट प्रयुक्त किये जाने की अनियमितताएँ प्रकाश में आईं।

इस अनियमितता के लिए जिम्मेदारी नियत करने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

184 क्या ग्राम्य विकास मंत्री इस बात की भी जाँच करायेंगें कि उक्त खंड विकास अधिकारी ने अपने कार्यकाल में उक्त वि० क्षेत्र में जो हरिजन आवास एवं हरिजन कुएं बनवाये थे वह प्रायः अधूरे है जबकि भुगतान पूरा दिखाया गया है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

श्री राजेश्र सिंह यादव खण्ड विकास अधिकारी, घुघली ने अपने कार्यकाल वित्तीय वर्ष 1979-80 में 33, वर्ष 80-81 में 20 तथा वर्ष 81-82 में 16, कुल 69 हरिजन आवासों के निर्माण की स्वीकृति दी थी, जिसके विपरीत 67 आवास भवन पूर्ण करा दिये गये।

वित्तीय वर्ष 79-80 में 21, 1980-81 में 2 तथा 1981-82 में 2, इस प्रकार कुल 25 हरिजन कूपों के निर्माण की स्वीकृति दी गयी थी, जिसके विपरीत 1979--80 में 17, 80-81 में 2, इस प्रकार कुल 19 पेयजल कूपों का निर्माण पूर्ण कराया गया। वर्ष 1979-80 के चार पेयजल कूपों की जगत का निर्माण शेष है। वर्ष 81-82 में स्वीकृत 2 कूपों के विपरीत एक कूप का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जा चुका है तथा दूसरे कूप के निर्माण कार्य हेतु अग्रिम धनराशि ग्राम पंचायत अधिकारी को दी गई थी किन्तु कार्य प्रारम्भ नहीं कराया गया? धनराशि की वसूली कार्यवाही की जा रही है।

श्री रमा शंकर मिश्र, अवकाश प्राप्त शिक्षक, दयानन्द उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, थौर, जौनपुर की पेंशन का भुगतान

श्री प्रभूनारायण सिंह—

185 विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के छठें मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 186 के सम्बन्ध में क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपया करेंगे कि श्री रमा शंकर मिश्र के उक्त सन्दर्भित प्रकरण में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या सरकार उक्त अवकाश प्राप्त शिक्षक को शीघ्र ही पेंशन का भुगतान कराएगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जौनपुर जनपद में बाढ़ एवं अतिवृष्टि से प्रभावित माध्यमिक विद्यालयों को आर्थिक सहायता

श्री प्रभूनारायण सिंह—

186 विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 छठवें मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 222 के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतलायेंगे कि कौन पचीस माध्यमिक विद्यालय अतिग्रस्त हुए और उन्हें आर्थिक सहायता क्यों नहीं स्वीकृत की जा सकी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

क्षतिग्रस्त माध्यमिक विद्यालयों की सूची संलग्न है ।

इन विद्यालयों में आवेदन-पत्र शिक्षा निदेशक के कार्यालय में विलम्ब से प्राप्त हुए अतः उन्हें आर्थिक सहायता की संस्तुति नहीं की जा सकी ।

(देखिए नत्थी "छ" आगे पृष्ठ····· पर ।)

187 श्री प्रभूनारायण सिंह—

[8वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 72 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

पूर्व घोषणा के बावजूद एशियाड में पदक प्राप्त प्रदेशीय खिलाड़ियों को पुरस्कार न दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

आज नियम 301 के अन्तर्गत 11 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 5 सूचनायें स्वीकार की गयी हैं । इन सूचनाओं में से श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, पंचानन राय, श्री जसवन्त सिंह विष्ट और श्री वीरेन्द्र सिंह की सूचनायें स्वीकृत की गयी हैं ।

[समय 12 बजकर 20 मिनट से]

* श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से आदरणीय सदन के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूँ कि एशियाड प्रारम्भ होने के पूर्व राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि उ0 प्र0 से उन प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले जो प्रतियोगी पदक प्राप्त करेंगे उन्हें अपनी सरकार की ओर से भी पुरस्कार दिए जायेंगे । मान्यवर, अपने प्रदेश की अनेक महिला एवं पुरुष प्रतियोगियों ने पदक प्राप्त कर प्रदेश के सम्मान को बढ़ाया परन्तु सरकार द्वारा उन्हें अभी तक वादे के अनुसार पुरस्कार नहीं दिए गए । इस वादा खिलाफी के कारण वह हतोसाहित हुए हैं तथा उनमें सरकार के प्रति असंतोष एवं उत्तेजना का भाव निरन्तर बढ़ रहा है। अतएव लोक महत्व के इस सुनिश्चित अविलम्बनीय प्रश्न की ओर, ध्यान आकृष्ट करते हुए मेरी मांग है कि पूर्व घोषणा के अनुसार उन्हें तत्काल पुरस्कार दिए जांय तथा कृत कार्यवाही से इस आदरणीय सदन को भी अवगत कराया जाय ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दि पंजाब शुगर मिल घुघली, गोरखपुर के रिसीवर के तानाशाही एवं भ्रष्ट रवैये के विरोध में कर्मचारियों द्वारा दिये जा रहे धरने के संबंध मे 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से शासकीय आदाता (रिसीवर) के नियन्त्रण में चलने वाली दि पंजाब शुगर मिल घुघली (गोरखपुर) के मजदूरों द्वारा गत 9 फरवरी से जिलाधिकारी गोरखपुर के कार्यालय के समक्ष धरना के सम्बन्ध में आदरणीय सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। शासकीय आदाता श्री बृजभूषण चतुर्वेदी की तानाशाही स्वेच्छाचारिता, भाई-भतीजावाद और शासकीय धन के दुरूपयोग एवं अवैध भर्ती तथा मजदूरों के न्याय संगत मांगों की उपेक्षा करने तथा उनके उत्पीडन के सम्बन्ध में बाध्य होकर मजदूरों को जिलाधिकारी के सामने धरना देना पड़ रहा है। करीब एक दर्जन जिलाधिकारी के आदेशों की खुली अवहेलना करने वाले रिसीवर के विरुद्ध गम्भीर भ्रष्टाचार के सैकड़ों आरोप शासन को दिए जा चुके हैं। किन्तु खेद है कि स्वच्छ प्रशासन देने का वादा करने वाली इस सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेग रही है। मजदूरों की मांग है कि जिलाधिकारी गोरखपुर के आदेश का तुरन्त पालन किया जाय, अवैध तरीके से निष्कासित मजदूरों को काम पर लिया जाय जिसके बारे में समझौता हो चुका है। धरना की परिणित पूर्ण हड़ताल में हो सकती है। इससे गन्ना किसानों में भी भय तथा चीनी मिल चलने के सम्बन्ध शंका व्याप्त है। अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के इस सुनिश्चित विषय को आदरणीय सदन के संज्ञान में लाकर तुरन्त समस्याओं के निदान के लिए शासन से हस्तक्षेप की मांग व भ्रष्ट रिसीवर को मुअत्तल करने की भी मांग करता हूं।

प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के नये पदों के सृजन पर लगी रोक के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन तथा राज्य सरकार का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व की घटना की ओर लाना चाहता हूं। प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के नये पदों के सृजन पर एक वर्ष से अधिक से रोक लगी हुई है। इस अवधि में प्रदेश में अनेक नयी मान्यतायें दी गयी हैं, इसके अतिरिक्त जुलाई 82 से 10 वर्षीय नया पाठ्यक्रम लागू किया गया है जिसमें विज्ञान विषय को अनिवार्य किया गया है। यह शैक्षिक सत्र प्रायः समाप्त हो रहा है और प्रदेश में लाखों छात्रों को पढ़ाने के लिए पूरे सत्र शिक्षक नहीं रहे हैं। आगे भी उनकी नियुक्ति की कोई व्यवस्था नहीं की गयी। यहां तक कि विद्यालयों के प्रधानाचार्य पद के लिए भी पद सृजन नहीं हो रहा है। विज्ञान विषय का अध्यापन कार्य केवल विज्ञान में प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षत अध्यापक ही कर सकने में समर्थ

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं। अनिवार्य विज्ञान के शिक्षण के लिए इस प्रकार भारी कठिनाई उत्पन्न हो गयी है। हमारी राज्य सरकार से मांग है कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में नये पदों के सृजन की व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित की जाय।

कुमार ब्रौंज फैक्ट्री ताड़ीखेत में तालाबन्दी एवं आमरण अनशन करने वाले श्रमिकों पर पुलिस जुल्म के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* जसवन्त सिंह बिष्ट—

मान्यवर, मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र रानीखेत के अन्तर्गत ताड़ीखेत में ब्रौंज फैक्ट्री है। उसके प्रबन्ध निदेशक एस0 के0 अग्रवाल द्वारा समय-समय पर फैक्ट्री को भारी क्षति दिखाई गई है। और 8 अक्टूबर 1982 से फैक्ट्री में तालाबन्दी की है। जिसके परिणाम-स्वरूप फैक्टरी श्रमिकों द्वारा शासन को श्री अग्रवाल के द्वारा फैक्टरी को घाटा दिखाये जाने के बाबत शासन से श्री अग्रवाल को प्रबन्ध निदेशक पद से हटाये जाने की मांग की है।

शासन द्वारा श्रमिकों की मांग को गम्भीरता से न लिये जाने पर श्री अग्रवाल द्वारा फैक्टरी को काफी लूट कर फैक्ट्री को घाटा दिखा दिया गया। 8 अक्टूबर से तालाबन्दी के विरोध में और अपने 3 माह के बकाया वेतन तथा फैक्टरी को चालू करने के सम्बन्ध में श्रमिकों को अमरण अनशन करने को मजबूर होना पड़ा।

इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी के रानीखेत आगमन पर उन्हे श्रमिकों का शिष्ट मंडल मिला। शासन की उदासीन्ता के कारण जब श्रमिकों की हालत बहुत चिन्ताजनक हो गई तो श्रमिकों द्वारा 30 अक्टूबर 1982 को ताड़ीखेत बन्द का आयोजन किया गया। 31 अक्टूबर 82 को चक्का जाम होने पर पुलिस द्वारा निर्दोष श्रमिकों पर बर्बर लाठी प्रहार किया गया जिसमें दो महिलाओं एवं एक पुरुष को गम्भीर चोटें पहुंची। चार श्रमिकों को बन्दी बना लिया जो अभी तक जिला जेल में बन्दी हैं। उसके उपरान्त 6 नवम्बर को भारतीय आर्यु-वेदिक अनुसंधान संस्थान मोहान रामनगर के उद्घाटन के अवसर पर माननीय मुख्य मन्त्री जी ने आम जनता के सम्मुख घोषणा की कि ब्रौज फैक्ट्री को तुरन्त चालू किया जायेगा और श्रमिकों को भी रिहा कर दिया जायेगा।

इसके उपरान्त मैं कई बार माननीय मुख्य मन्त्री जी से मिला हूँ। उन्होंने हर बार यही कहा कि श्रमिकों को रिहा करने के आदेश जारी कर दिये हैं। किन्तु अभी तक न तो फैक्टरी चालू की गई है और न श्रमिकों को अब तक का वेतन भुगतान किया गया है।

इस समय भी श्रमिकों द्वारा फैक्ट्री में क्रमिक अनशन चल रहा है जिससे सारे क्षेत्र में असंतोष व्याप्त है।

यदि तत्काल फैक्ट्री मांगों को पूर्ण नहीं किया गया तो सारे क्षेत्र में किसी भी समय कोई दुर्घटना घट सकती है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसलिये मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस विषय पर सदन में चर्चा की जाय और श्रमिकों को न्याय दिलाया जाय।

ग्राम डुन्डुखेरा एवं ईशोपुर थाना कान्धरा जनपद मुजफ्फर नगर में हुयी सामूहिक हत्याए एवं डकैतियों में घायल व्यक्तियों के चिकित्सा संबंधी उचित प्रबन्ध न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री वीरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, हाल ही में 6/7 फरवरी, 1983 की मध्य रात्रि के दौरान मेरे क्षेत्र कान्धरा में ग्राम डुन्डुखेरा एवं ईशोपुर थाना कान्धरा जनपद मुजफ्फर नगर में सामूहिक हत्याओं एवं डकैतियों के कारण आज क्षेत्र की समस्त जनता आतंकित है। उपर्युक्त रात्रि को लगभग 18-20 बदमाशों ने ग्राम डुन्डुखेरा में घुसकर 7-8 व्यक्तियों को गम्भीर रूप से घायल किया एवं लूटपाट के पश्चात् यही गिरोह ग्राम इशोपुर कौंच जहां पर मंदिर के पुजारी की निर्मम हत्या करने के उपरान्त उसकी शरीर को काटकर मंदिर में स्थित शिवमूर्ति पर चढ़ा दिया गया। मन्दिर के ही दो कुत्तो को मार कर बदमाशों ने मूर्ति पर चढ़ाया एवं ग्राम के तीन व्यक्तियों की निर्मम रूप से हत्या की तथा गांव के कई घरों में घन्टों तक लूटपाट करते रहे। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया तथा दर्जनों व्यक्तियों को गम्भीर रूप से घायल कर दिया। यद्यपि गाँव के निकट ही गंगेरू में पुलिस चौकी स्थित है परन्तु पूरी रात दोनों गांवों में कोई पुलिस सहायता समय के भीतर नहीं पहुँची।

इस घटना से समस्त क्षेत्र में हाहाकार मचा हुआ है एवं आतंक की भावना व्याप्त है। गम्भीर चोटें होने के बावजूद भी घायलों का इलाज सरकारी अस्पताल में नहीं किया जा रहा है। यद्यपि सभी घायल अत्यन्त निर्धन परिवारों से हैं परन्तु आज तक उनकी चिकित्सा उचित प्रबन्ध नहीं किया जा सका। कान्धरा स्थित सरकारी अस्पताल के चिकित्सकों ने अत्यन्त उदासीनता, अकर्मण्यता का परिचय दिया है।

माननीय सदन के माध्यम से मैं सरकार के संज्ञान में यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न लाते हुये मेरा अनुरोध है कि मृतक एवं घायलों के परिवार को अविलम्ब आर्थिक सहायता दी जावे। उनकी चिकित्सा का मुख्य प्रबन्ध करके दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जावे।

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, 1982

कारागार एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री अब्दुल रहमान खाँ नश्तर) –

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा दिनांक 7 फरवरी, 1983 को पारित इस प्रस्ताव से सहमत है कि इस सदन द्वारा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पारित तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में लम्बित उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, 1982 को वापस लेने की अनुमति दी जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा दिनांक 7 फरवरी, 1983 को पारित इस प्रस्ताव से सहमत है कि इस सदन द्वारा पारित तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में लम्बित उत्तर मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, 1982 को वापस लेने की अनुमति दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

सत्र काल में जिला स्तर की समितियों की बैठक बुलाये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

[12 बजकर 31 मिनट]

* श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । अध्यक्ष पीठ से निरंतर इस बात के निर्देश दिये गये हैं कि जब यह सदन उपवेशन में हो तो इन दिनों में जो जिलास्तर की महत्वपूर्ण समितियाँ हैं जैसे नियोजन समिति या स्टीयरिंग समिति उनकी बैठकें न हों । लेकिन निर्देशनों के बावजूद मीटिंग हो रही हैं आज भी जिलों में कई बैठकें हैं । मथुरा के हमारे विधायक बैठे हुए हैं इनको आज वहां बुलाया गया है कि बैठक है । ऐसा लगता है कि जिला प्रशासन को हर महीने याद दिलाना पड़ता है । आप एक बार पुनः निर्देशित कर दें माननीय संसदीय कार्य मन्त्री को, कि इस तरह के आदेशों की अवहेलना करने वाले जिलाधिकारियों के विरुद्ध कुछ न कुछ दंड का प्राविधान करें । इस तरह की स्थिति रोज आती है कि हम लोग अपने विकास कार्यों से वंचित रह जाते हैं ।

* संसदीय कार्य मंत्री श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, जो सूचना माननीय मोहन सिंह जी ने दी है अगर आज कोई मीटिंग लगी हुई है तो यह बिलकुल गलत किया है । लेकिन इस बीच में जब तक सदन चल रहा है मीटिंग लगाना आवश्यक हो जाता है क्योंकि फाइनेसियल इयर क्लोज हो रहा है इसलिए शनिवार या रबिवार को बैठकें बुलाई जांय, लेकिन सेशन के दिनों में न लगाई जायें । मैं इस बात की सूचना सब डिस्टिक्ट मैजिस्ट्रेट को भिजवा दूंगा और आपको भी सूचित कर दूंगा ।

श्री अध्यक्ष—

अगर शनिवार को ददन बैठेगा तो उस दिन भी बैठक न लगाई जाय ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कार्यस्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

[समय 12 बजकर 33 मिनट]

श्री अध्यक्ष—

आज दिनांक 14-2-83 के उपवेशन में नियम 56 के अंतर्गत मुझे कुल 15 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जो इस प्रकार हैं—

1. श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की कुख्यात महिला डकैत फूलन तथा घनश्याम की यह शर्त स्वीकार कर लिये जाने से कि उन्हें उत्तर प्रदेश नहीं भेजा जायेगा, से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश पुलिस में उत्पन्न तनाव के संबंध में है। इसी से संबंधित श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री शंकर सिंह, श्री राम आसरे वर्मा, श्री मित्र सेन यादव, श्री खैरुल वसर, श्री परमाई लाल श्री मशरूर जाफरी, जसवंत सिंह विष्ट की भी है।

छठी सूचना श्री ऊदल की टेलीफोन इंडस्ट्री रायबरेली के मजदूरों के ऊपर लाठी चार्ज एवं गोली वर्षा किये जाने के संबंध में है। इसी से संबंधित सूचना श्री कुंवर सिंह नेगी, श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री रियासत हुसैन, श्री राम गोविन्द चौधरी की है।

नवी सूचना श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री की हमीरपुर जनपद में महोबा नगर को जिला बनाने के संबंध में है।

दसवीं सूचना भी कुवेर भंडारी, श्री श्याम नारायन तिवारी श्री कन्हैया लाल की कृषि विभाग के कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार किये जाने के संबंध में है।

ग्यारहवी सूचना श्री धनीराम वर्मा की इटावा कांड के सिलसिले में वहां के पुलिस अधीक्षक श्री पी0 डी0 रतूड़ी द्वारा संबंधित मामले में हस्तक्षेप किये जाने से उत्पन्न असंतोष के संबंध में है।

बारहवी सूचना श्री माता प्रसाद पाण्डेय की बस्ती जिले के इटावा विधान सभा क्षेत्र के अपराधियों व दस्युओं का अभिनन्दन करने के संबंध में है।

तेरहवीं सूचना श्री बदन सिंह ने मा0 परिवहन मंत्री द्वारा भ्रष्ट व्यक्ति के यहां भोजन करने के विरोध में आगरा बाजार बंद से उत्पन्न स्थिति के संबंध में दिया है।

चौदहवीं सूचना श्री फिरंगी प्रसाद विशारद ने गोरखपुर में पुल न बनने उत्पन्न स्थिति के संबंध में दिया है।

पंद्रहवीं सूचना श्री विद्यासागर नौटियाल ने बगदाद में उत्तर प्रदेश के श्रमिकों के साथ अपमानजनक व्यवहार के संबंध में दिया है।

मैंने इन सूचनाओं को देख लिया है मैं उसके बारे में सुनूंगा और निर्णय देना चाहूँगा जहां तक पहली सूचना का संबंध है—जो श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री जनार्दन प्रसाद ओझा,

श्री शंकर सिंह इत्यादि की है, तो इसको पहले ही वक्तव्य के लिये स्वीकार कर लिया गया है। यदि किसी प्रकार से मा0 सदस्य संतुष्ट नहीं होंगे तो इस पर चर्चा हो सकेगी।

(व्यवधान)

मा0 सदस्य बैठ जायं। पहले मैं अपना निर्णय तो दे दूं।

दूसरी सूचना श्री ऊदल की टेलीफोन इंडस्ट्रीज, रायबरेली के संबंध में दिया है। तो नियम 51 में इसके बारे में विचार कर रहे हैं और शाम को इस पर निर्णय दे दिया जायेगा।

तीसरी सूचना श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री की हमीरपुर जनपद में महोबा नगर को जिला बनाने के संबंध में है। इसमें शासन का ध्यान आकर्षण करने के लिये भेज दिया जायेगा।

श्री धनी राम वर्मा की सूचना इटावा कांड के संबंध में है इस विषय पर 16-2-83 को चर्चा के लिये पहले स्वीकार किया जा चुका है।

(व्यवधान)

एक व्यक्ति एक विषय में 2-3 मिनट के लिये अपनी बात कहे तो कुछ समझ में आये और एक साथ बोलने से कोई फायदा नहीं।

* श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, आपने जो व्यवस्था दिया है उसमें आपत्ति है लेकिन उस दिन की जो सूचना थी और आज की जो सूचना है उसका संदर्भ बदला है। आज का संदर्भ है कि फूलन और घनश्याम के आगे मध्य प्रदेश की पुलिस ने जिस तरह आत्मसर्मपण कर दिया है उससे कुछ नीतियों का संबंध है। जनता में इससे एक उत्तेजना है और इस संबंध में शासन की नीति को जनता जानना चाहती। है पहला यह बिन्दु है कि फूलन ने कुछशर्तों के साथ आत्मसमर्पण किया है कि वह उत्तर प्रदेश में नहीं आयेगी। मान्यवर, आपको जानकारी होगी कि फूलन और उसके गिरोह उत्तर प्रदेश में न मालूम कितने अपराध किये हैं। कितनी ही माताओं का सिन्दूर पोछा है और कितनी ही माताओं और बहनों की कोख खाली कर दिया है। इस सब के बावजूद वह यहां उत्तर प्रदेश में आये नहीं और हमारी सरकार ने घुटने टेक दिये हैं कि उन पर कोई मुकदमा नहीं चलेगा जबकि उन्होंने उत्तर प्रदेश में न मालूम कितने अपराध किये हैं तो उनकी सजा भी उसको नहीं मिलेगी।

मान्यवर, दूसरा बिन्दु है कि फूलन ने बयान दिया है और उसने उत्तर प्रदेश के प्रशासन एवं सरकार के गाल पर तमाचा मारा है। उसने अपने बयान में कहा है कि मैं उत्तर प्रदेश में कैसे छिपी रही इसके लिये मैंने सरकार के अधिकारियों को पैसे दिये हैं। तो जिनको पैसे दिये हैं उनके नाम साफ आने चाहिये और नाम साफ नहीं आते हैं तो उत्तर प्रदेश की संपूर्ण प्रशासन की विश्वसनीयता नष्ट हो गयी है।

---

* वक्ता ने भाषण पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, तीसरा बिन्दु डाकुओं की समस्या को हल करने के लिये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के वार्डर पर दोनों राज्यों का एक संयुक्त अभियान डाकुओं के सफाये के संबंध में चल रहा था जिसमें अब नीति सम्बन्धी टकराव पैदा हो गया है, तो इस संबंध में भी हम जानना चाहेंगे ।

मान्यवर, चौथा बिन्दु मध्यप्रदेश की पुलिस ने उन डकैतों को पेश किया है जिनकी वर्दी और बैज उत्तर प्रदेश की पुलिस के लगाये गये हैं, तो इससे उन्होंने उत्तर प्रदेश की पुलिस का अपमान किया है ।

इस तरह से मध्य प्रदेश की पुलिस ने उत्तर प्रदेश के प्रशासन का अपमान किया है । इसमें यह चार बिन्दु उजागर हुए हैं । इन पर इसके द्वारा वक्तव्य नहीं आया तो प्रदेश की जनता में असन्तोष फैलेगा और उसमें अनिश्चितता की भावना पैदा होगी । साथ ही इससे उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेशी के प्रति लोगों की विश्वसनीयता नष्ट हो जाएगी । पिछले दिन की जो सूचना थी, उसमें और इसमें सन्दर्भ बदले हुए हैं । इसको उस सूचना में जोड़ने से हमारा समाधान नहीं होगा । आज इन मुद्दों पर आप चर्चा करा दें । इस सम्बन्ध में हमारे पास और भी जानकारियाँ हैं जिन्हें मैं उस समय कहूँगा और उससे इस प्रशासन का पर्दाफाश हो जाएगा । जनता को मालूम होगा कि यहाँ के नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों से उनकी साँठगाँठ चल रही थी । इस बात की बराबर चर्चा रही कि भूतपूर्व मुख्य मन्त्री विश्वनाथ सिंह ने अपने तिदवारी के चुनाव में वहाँ के मल्लाहों के वोट पाने के लिए फूलन और तमाम डाकुओं के साथ एक समझौता किया था । इसमें यही दुरभि सन्धि भी दिखाई देती है । इसलिये आपसे प्रार्थना है कि आप आज सदन का कार्य रोककर इस पर चर्चा करा दें । मैंने संक्षेप में इसकी ग्राह्यता के बारे में यह कहा है ।

श्री अध्यक्ष—

(श्री राम आसरे वर्मा का नाम पुकारे जाने और कई सदस्यों के खड़े होने पर)

यह किस प्रकार से सम्भव हो सकेगा, यदि जितने माननीय सदस्यों ने नियम 56 में हस्ताक्षर करके दिया है, उन सबको सुनना पड़ा । यह चीज कैसे सम्भव होगी । जो आप ने लिखकर दिया है, मैं शासन को उसकी प्रतियाँ भेज दूंगा और उस समय जब मन्त्री जी वक्तव्य देंगे, उससे यदि माननीय सदस्य सन्तुष्ट नहीं होंगे, सदन सन्तुष्ट नहीं हो सकेगा, तो उन पर विचार भी हो जाएगा । मैं एक मिनट से अधिक की, श्री राम आसरे जी आपको आज्ञा नहीं दूंगा ।

*श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मेरी सूचना का पहलू एकदम दूसरा है । फूलन देवी के आत्मसमर्पण की इस घटना से आज पूरे देश में चर्चा व्याप्त है । और इस बात को लेकर उनमें असन्तोष भी है कि हमारे प्रदेश की पुलिस ने डाकुओं के सफाये के नाम पर जनता की गाढ़ी कमाई का अरबों रुपया खर्च कर डाला, लेकिन वह डाकुओं को पकड़ नहीं सकी, वह अपने अभियान में बिलकुल फेल रही है । भले ही वह उनको न पकड़ पाती, लेकिन पुलिस के प्रयासों से यदि उसमें एक

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नई जिन्दगी की ख्वाहिश पैदा होती तो भी अच्छा था और उसकी जिम्मेदारी भी हमारे प्रदेश की थी। लेकिन इन दोनों मामलों में प्रदेश की पुलिस नाकामयाब रही है और आखिर में उत्तर प्रदेश ऐसे बड़े प्रान्त की पुलिस और सरकार इतनी अक्षम साबित हो गई है कि इन दुर्दान्त डाकुओं को अपना आत्मसमर्पण करने के लिए मध्य प्रदेश जाना पड़ा है। यह दूसरे सन्दर्भ का मामला है और वह सूचना दूसरे सन्दर्भ का मामला है। उस मामले में सिर्फ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की पुलिस के बीच टकराव की बात थी। यह दूसरा है और यह बड़े तत्कालिक महत्त्व का प्रश्न है। इससे सारे प्रदेश की छवि धूमिल हो रही है, प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। इसको आप अवश्य स्वीकार करें।

श्री अध्यक्ष--

मैंने इसके पहले सारा स्वीकार कर लिया है। अब इसको सुनाने से क्या लाभ होगा ? इसके अलावा और कोई बात आपको कहनी हो तो बतावें।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मैंने जो काम रोको प्रस्ताव दिया है, उसके विषय और सन्दर्भ दूसरे हैं। हमारा तो संवैधानिक प्रश्न है, जिस पर चर्चा होनी अतिआवश्यक है। जो आपने स्वीकार किया है उसका सन्दर्भ दूसरा था। यह तो विधान को चैलेंच करने वाली बात है। उसके आत्मसमर्पण में उसकी 27 शर्तें थीं और उनमें यह भी है कि हमें उत्तर प्रदेश में वापस न भेजा जाए। उसके खिलाफ अनेकानेक रिपोर्ट उत्तर प्रदेश में वारदातों की एफ० आई० आर० दर्ज हैं। यदि वह उत्तर प्रदेश में ट्रांसफर होकर नहीं आएगी तो वह कानून के शिकंजे से अछूती रह जाएगी। आज नार्दन इंडिया पत्रिका में जो न्यूज आई है जो हेडिंग आई है, वह हमारे प्रदेश के लिए बड़ी शर्मनाक है। उत्तर प्रदेश के प्रशासन को इस मामले में अन्धकार में रखा गया, धोखे में रखा गया है और यहाँ की पुलिस को डिमारलाईज करने का प्रयास किया गया है।

आम विचार है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस जब वह डाक बंगले में ठहरी हुई थी तो उसको मारने के लिए गयी। वहाँ पर मध्य प्रदेश के पुलिस वालों से झगड़ा हुआ और उत्तर प्रदेश की पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी की मृत्यु हुई। इसलिये आपसे अनुरोध है कि इसकी तात्कालिकता को देखते हुए और जो उत्तर प्रदेश की पुलिस डिमारेलाइज हुई है और जैसा कि फूलन देवी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को वह नियमित रूप से पैसा देती रही है ? इसलिए नहीं पकड़ी गयी और विचरण करती रही है। यह तमाम जो प्रश्न है यह ऐसे हैं जिससे प्रशासन डिमारेलाइज हो रही है। स्थिति बड़ी दयनीय होती जा रही है इसलिए अलग से वक्तव्य दिलाना आवश्यक है।

श्री शंकर सिंह—

मान्यवर, यह बड़ी महत्त्वपूर्ण घटना है।

श्री अध्यक्ष—

आप बोल चुके हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री शंकर सिंह—

मान्यवर, आज परिस्थिति बदली हुई है। यह जो स्थिति हुई है इससे मालूम नहीं पड़ता कि यह दो प्रान्त का मामला है। ऐसा लगता है जैसे कि दो देशों के, दो राजनीतिक धाराओं के देश हैं इस प्रकार की बातें सामने आ रही हैं। ऐसा लगता है कि कोई मुलजिम दूसरी पार भाग गया हो और उसको वहाँ पर संरक्षण प्राप्त हुआ हो। कुछ अधिकारी वहाँ पर इटावा के पहुँचे थे तो मध्य प्रदेश वालों ने निकाल कर बाहर कर दिया।

श्री अध्यक्ष--

अब आप बैठें।

श्री शंकर सिंह--

जालौन जिले की जनता बुरी तरह से आतंकित है। इसलिए आप इसको स्वीकार करें और चर्चा करायें।

श्री अध्यक्ष—

मैंने तो पहले ही इस विषय को स्वीकार किया है।

*श्री काशीनाथ मिश्र—

मान्यवर, विरोध पक्ष की जो भावना है मैं उससे सहमत हूँ लेकिन किस तरह से भावना की अभिव्यक्ति होनी चाहिये ? उत्तर प्रदेश प्रशासन के सामने तो हाजिर नहीं हुई है मध्य प्रदेश प्रशासन के सामने हाजिर हुई है। जहाँ पर डाकू आत्मसमर्पण करता है यह उस प्रशासन की नपुंसकता का प्रतीक है।

(शोर)

श्री जटा शंकर सिंह—

उसके हाजिर होने का समय दूसरा था। वह रात को हाजिर हुआ करती थी।

श्री अध्यक्ष--

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं। आप बैठें।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मेरी बात सुन लें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

आप अपनी बात कह चुके हैं । दो-दो बार कैसे समय दिया जायगा ?

श्री राम आसरे वर्मा—

माननीय मिश्रा जी ने कहा कि जहाँ पर आत्मसमर्पण किया है उस प्रशासन के लिये नपुंसकता का सबूत है क्या मध्य प्रदेश की सरकार नपुंसक है, डाकू तहसीलदार सिंह ने उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया था तो क्या यह उस समय नपुंसकता का प्रतीक था ? इस पर स्पष्टीकरण दिला दें ।

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग बैठें, मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूँ ।

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, 12 फरवरी·····

श्री अध्यक्ष—

आपने कोई नोटिस नहीं दिया, आप कृपा करके बैठिये ।

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, कृपा करके देख लें, मेरी नोटिस है ।

श्री अध्यक्ष—

देखिये, जब आपका नम्बर आयेगा, तब मैं बुलवाऊंगा । आप बैठिये । यह कोई तरीका नहीं है ।

श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी—

मान्यवर, विपक्ष और पक्ष की तरफ से सवाल यह उठा कि मध्य प्रदेश में फूलन देवी और उसके गैंग के लोग सेरेण्डर किये । उनकी एक शर्त है वह यह कि उत्तर प्रदेश के राज्य में उसका ट्रायल नहीं होगा । तो फूलन देवी और भदौरिया साहब की दस्तखत से यह नहीं हो सकता । दो सौ लोग दस्तखत करें, तो भी यह नहीं हो सकता, जब कि आई० पी० सी० और कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर बदला नहीं जायगा, तब तक फूलन देवी का ट्रायल यू० पी० में होगा ।

श्री अध्यक्ष—

दूसरा प्रश्न मैंने ऊदल जी का लिया है ।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

मान्यवर, एक मिनट सुन लें ।

श्री अध्यक्ष—

अब मैंने माननीय ऊदल जी को बुला लिया है ।

श्री ऊदल—

श्रीमन्, सदन उठने के दूसरे दिन, रायबरेली का जो कारखाना है, उसमें मजदूरों के ऊपर पुलिस ने अंधाधुंध गोली चलाई और दो मजदूर मौके पर जान से मारे गये और तमाम मजदूरों को पीट-पीट कर जेलखाने में बन्द कर दिया गया । कारखाना तो बन्द हो गया है श्रीमन्, वह सेन्ट्रल गवर्नमेंट का है, उसमें मुझे कुछ नहीं कहना है । श्रीमन्, वहाँ पर दो मजदूरों की पुलिस की गोली से मृत्यु हो गयी, पूरे रायबरेली में आक्रोष फैला हुआ है । यह बहुत ही लोक महत्व का प्रश्न है, श्रीमन् ! मैं श्रीमन्, चाहता हूं कि इस पर चर्चा करा दें ।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, यह जो घटना हुई है रायबरेली में·····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं यह माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूँ कि जो बहुत से माननीय सदस्य एक ही बिन्दु पर लिखकर देते हैं, उनमें से एक ही माननीय सदस्य को उसके ऊपर बोलना चाहिए । अगर सब कहने लगेंगे, तो बहुत समय लग जायगा ।

* श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, यह सेन्ट्रल गवर्मेंट का कारखाना है, जिसमें 6 हजार मजदूर काम करते हैं । आज यह पुलिस एट्रोसिटीज का नया चैप्टर और खुल गया कि प्रोडक्शन तो वहां का बन्द हो गया है । पुलिस वालों ने एक प्रकार से वहाँ पर अत्याचार किया है, जिसकी वजह से 12 तारीख तक वह कारखाना बन्द हो गया । जैसा कि ऊदल जी ने कहा है, उस चीज का ध्यान रखते हुए, आप इसके ऊपर चर्चा करा दें ।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, एक मिनट सुन लें ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने यह निवेदन किया है कि मैं सबकी नहीं सुन सकूंगा । आप बैठ जांय ।

संसदीय कार्यमन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, यह रायबरेली में, आई0 टी0 आई0 में जो तमाम पुलिस फायरिंग हुई हैं, शासन को सूचना मिली है कि उसमें विवेचना जारी है । जिन लोगों के खिलाफ वारंट है,

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। मान्यवर, जहाँ पर कोई किसी घटना की सम्भावना है, वहाँ पर पुलिस लगी हुई है और पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में है। एक चीज मैंने आपसे अभी निवेदन किया था कि हाउस चलने से पहले कि इस तरह की जो सारी बातें विपक्ष की तरफ से आ रही हैं, इस तरह की नोटिसेज के बारे में बता दिया करें, ताकि हर बात में समय बरबाद न हो।

मान्यवर, अगर आप समय दें, तो जो मुख्य-मुख्य बातें हैं, उन्हें मैं बताऊँ। हर बात में समय जो है, वह बरबाद न हो। सिर्फ एक निवेदन करना चाहूँगा कि इस फूलन देवी के मामले में जो अभी कहा गया कि जो केसेज उसके जहाँ पर, उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, उसके खिलाफ नहीं चलेंगे, तो वह केसेज चलेंगे। जो शर्तें उन्होंने रखी हैं वे उत्तर प्रदेश सरकार को मान्य हैं या नहीं, तो यह सब पहले से मान लेना कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उन शर्तों को मान लिया है, तो यह कोई सही बात नहीं। हमारे उच्चाधिकारियों की इस सम्बन्ध में मध्य प्रदेश सरकार से बात-चीत जारी है। जब इस पर वक्तव्य या चर्चा होगी, तो उनके अन्दर इसको जोड़ दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष—

माननीय राजेन्द्र अग्निहोत्री जी, हमीरपुर जनपद में महोबा को जिला बनाने के लिए जो आपने नोटिस दिया था, उसे मैंने शासन के पास कार्यवाही के लिए भेज दिया है और ध्यान आकृष्ट कर दिया है।

* श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

शासन को आपने निर्देशित कर दिया है। यह हमीरपुर ही नहीं सम्पूर्ण बुन्देलखण्ड क्षेत्र का मामला है। माननीय अध्यक्ष जी, चार माह से महोबा को हमीरपुर जनपद में नया जिला बनाने के लिए आंदोलन चल रहा है। और एक माह से वकीलों ने कचहरी का बहिष्कार कर रखा है। सारे न्यायालय वहाँ के बन्द हैं। गरीब जनता को किसी भी प्रकार से न्याय दिलाने की वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। और आज इस आंदोलन ने जन आंदोलन का रूप धारण कर लिया है। 16 तारीख को वहाँ की संघर्ष समिति ने सम्पूर्ण हमीरपुर को बन्द करने का आह्वान किया है। सारे कार्यालय, कारखाने, शिक्षा संस्थाएं सब बन्द होने का एक उन्होंने आह्वान किया है। वहाँ की शिक्षण संस्थाओं के जितने छात्र हैं उन्होंने इस आंदोलन में सम्मिलित होने की घोषणा कर दी है।

सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि इनके मन्त्री जलती हुई आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। इनमें कई माननीय मन्त्री वहाँ पर भिन्न-भिन्न तरह के आश्वासन दिये हुए हैं। वहाँ का एक प्रतिनिधि मण्डल माननीय मुख्यमन्त्री जी से मिल चुका है उन्होंने भी आश्वासन दिया है। लेकिन आज, यहाँ के मंत्रियों की भिन्न-भिन्न बातें होने के कारण, भिन्न

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भिन्न नीतियों के कारण हमारा सम्पूर्ण बुन्देलखण्ड इस आंदोलन के पीछे खड़ा हो गया है। सम्पूर्ण बुन्देलखण्ड क्षेत्र की यह एक बहुत बड़ी समस्या बन गयी है।

मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि आप इस पर चर्चा करायें या सरकार स्पष्ट वक्तव्य दे ताकि उस पर चर्चा हो सके।

* श्री बदन सिंह–

मान्यवर, दिनांक 12-2-1983 को माननीय परिवहन मन्त्री श्री बल्देव सिंह आर्य आगरा पधारे थे। इन्होंने लोहा मण्डी जत्ती वाली गली के एक भ्रष्ट व्यक्ति श्री श्रवण लाल के यहाँ निमंत्रण स्वीकार किया। तो माननीय मंत्री जी जब उस भ्रष्ट व्यक्ति के यहाँ खाना खाने के लिए जा रहे थे तो शहर कांग्रेस कमेटी के महामंत्री और कुछ कार्यकर्ताओं ने एक ज्ञापन देना चाहा कि आपको उस भ्रष्ट व्यक्ति के यहाँ निमंत्रण में नहीं जाना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप सदस्य हैं आप भी तो इस बात को उनसे कह सकते थे।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, आगरा की लोहा मण्डी का पूरा बाजार इसी कारण से बन्द है।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

श्रीमन् आपने इनको आज्ञा नहीं दी है इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

आप कौशल जी कृपा करके बैठें। माननीय बदन सिंह जी आप अपनी बात को संक्षेप में कहें, भूमिका न बाँधे जो साफ-साफ बात है वह कहिये।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, पुलिस के बल से इन ज्ञापन देने वालों को वहाँ से हटा दिया गया। साढ़े तीन बजे जब वे खाना खाकर वहाँ से लौट रहे थे तो 10-12 व्यक्तियों ने उन्हें पुनः ज्ञापन देना चाहा तो उस भ्रष्ट व्यक्ति ने उन लोगों को मरवाया और उनको बचाने के लिये जो व्यक्ति वहाँ पहुँचे उन सब को राइफलधारियों ने मारापीटा और 2 दिन तक लोहामण्डी बाजार बन्द रहा। वहाँ पर जनता को कोई भी आवश्यक वस्तु उपलब्ध नहीं हो रही है। वहाँ के व्यापारियों ने यह निर्णय ले रखा है कि पुलिस कर्मचारियों को जब तक दण्डित नहीं किया जायेगा, वह बाजार नहीं खोलेगें। जिला प्रशासन चूंकि इसमें एक वरिष्ठ मन्त्री का

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रश्न है इसलिये उन्हें दण्डित नहीं करना चाहता है। यह 12 तारीख की घटना है। इसलिये अविलम्बनीय लोकमहत्व की है। श्रीमन्, आज की कार्यवाही रुकवाकर इस पर चर्चा करवायें।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल—

माननीय सदस्य ने जो कुछ भी आपके संज्ञान में बातें कहीं है वह तथ्यों से परे है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य आगरा के रहने वाले हैं इनको अधिकार है कहने का।

(व्यवधान)

श्री चन्दन सिंह—

मंत्री जी बैठे हैं वह जवाब दें

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी बैठे हैं चाहेंगे तो उत्तर देंगे। यह आपका काम नहीं है, बताने का।

श्री कुबेर भण्डारी—

माननीय सदस्य को किस नियम में बोलवा रहे हैं।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल—

माननीय सदस्य की बातों की सत्यता को इस बात से आंका जा सकता है कि यह उनका क्षेत्र नहीं है और मथुरा के विधायक इनकी वकालत कर रहे हैं।

(व्यवधान)

मैं आपकी आज्ञा से बोल रहा हूं और यह लोग बिना आपकी आज्ञा से बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप अपनी बात एक मिनट में कहें। नुकताचीनी न करें।

* डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल—

मान्यवर, माननीय विधायक का हमेशा से यह काम रहा है बाजारों को बन्द करवाना और अनशन करवाना

(व्यवधान)

आगरे के इतिहास को आप उठाकर देख लें इन्होंने वहां पर कोई रचनात्मक कार्य कभी नहीं किया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

आप आक्षेप कर रहे हैं अपनी बात बता दें ।

*श्री डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल—

मान्यवर, मंत्री जी शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जैन जैन साहब के यहाँ भोजन करने जा रहे थे उसी समय एक पागल आदमी अर्धविक्षिप्त सा कार के सामने आ गया उसको कार के सामने से हटा दिया गया । माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं यह असत्य है ।

(व्यवधान)

*श्री धनीराम वर्मा—

मान्यवर, जो विषय मैंने दिया है वह 16 तारीख को जो चर्चा होने वाली है उससे भिन्न है । 1/2 फरवरी को राजवीर सिंह के घर के आठ व्यक्तियों को मार डाला गया । वहां पर एक शोक सभा का आयोजन किया गया जिसमें दिल्ली और लखनऊ के पत्रकार आये उसमें इटावा के संसद सदस्य श्री रामसिंह शाक्य भी थे । उस सभा में राजवीर सिंह भी शामिल होने के लिये जा रहे थे लेकिन पुलिस ने उनको कार से बाहर निकाल लिया और वह उसमें शामिल नहीं हो पाये । सारे पत्रकार दिल्ली और लखनऊ के इसके सबूत हैं । पुलिस जुल्म इतना बढ़ गया है, डाकुओं से सांठ गांठ है । इस पर चर्चा अवश्य करायी जाये और शासन से वक्तव्य दिलवाया जाय । इसलिए सदन की सारी कार्यवाही को रोक कर इस सदन की कार्यवाही की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

जो श्री धनी राम वर्मा जी ने तथ्य प्रस्तुत किये हैं, उन पर 16 तारीख को जब इस पर चर्चा होगी तो इस पर विचार कर लिया जायेगा ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मान्यवर, हमारे यहाँ यह कहावत थी पहले कि जब कोई पुल बनता था, कोई निर्माण कार्य होता था, तो उसके संबंध में लोगों की आहुति दी जाती थी । मेरे क्षेत्र महराजगंज में नालों का जाल बिछा हुआ हैं इसमें नावों का चलना नहर ऐक्ट के अनुसार गलत है जब कि वे नहरें साल भर, बरसात में तो पूरी-पूरी चलती हैं । और इनका डिसचार्ज पानी इन नालों में गिराया जाता है । दर्जनों लोग उसमें डूब कर मर चुके हैं । जो नावें चलती हैं तो उन मललाहों पर कर लगता है । मैंने कई बार इस बारे में प्रश्न किया, अन्य तरीकों से मामले को उठाया···

श्री अध्यक्ष—

आप अपनी बात संक्षेप में कहें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुर्नीक्षण नहीं किया ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मान्यवर, कटहरा है, झंझनपुर के पास, रिहाव गांव के पास, बेलवा काजी, महराजगंज के पास, इन जगहों पर दर्जनों लोग डूब कर मर चुके हैं ले लेकिन यह शासन आज तक अपने दिये हुए आश्वासनों पर, जो पुलों के बनवाने की बात कहा था, पूरा नहीं किया है। इसलिए मान्यवर, मैं चाहता हूँ कि सारी कार्यवाही को रोक कर इस पर चर्चा करा ली जाये ताकि जनता को संतोष मिले।

* श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब इस सदन में गरमा-गरम बहस चल रही है दूसरी तरफ हमारे प्रदेश के मुख्य मन्त्री हैलीकाप्टर से दो स्थानों पर उतरते हैं—इटावा और कटहरी। वहाँ एक सभा कांग्रेस की और दूसरी असामाजिक तत्वों द्वारा लगायी जाती है। मान्यवर, हमारे पूर्ववर्ती मुख्य मन्त्री जी ने जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार करने के आदेश जारी किये उसे मुख्य मंत्री के बगल में बैठा कर सैकड़ों लाइसेंसी, गैर लाइसेंसी बन्दूकों के सामने, जिसे पुलिस खोजती थी, जिसकी पुलिस को तलाश थी, उसे मुख्य मंत्री के पास बैठा कर नारे बाजी हुई·····

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

उसका मानस परिवर्तन हो गया होगा।

* श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, एक पर्चा मैंने उसके संबंध में आपको दिया है, मैं उसका हवाला देता हूं, इटावा क्षेत्र के इस असामाजिक तत्व के बारे में मैंने पर्चे की एक कापी आप को दी है, पूर्वांचल के वरिष्ठ नेता पंडित हरि शंकर तिवारी जी आ रहे हैं, मेरे क्षेत्र गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी आयेंगे और उनके साथ किस तरह के लोग रहेंगे, पूरे प्रदेश को इसकी जानकारी है। मान्यवर, अपराधी लोगों को अगर इस तरह का संरक्षण दिया जायेगा तो यह एक गम्भीर मामला है, पूर्ववर्ती मुख्य मंत्री की छवि को धूमिल करने के लिए इस तरह की कार्यवाही की जा रही है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस मामले पर सदन की कार्यवाही को रोक कर चर्चा करा दें।

* संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, माता प्रसाद जी ने जिस घटना का उल्लेख किया है और कहा है कि मुख्य मंत्री जी असामाजिक तत्वों के बुलावे पर गये, यह बिल्कुल निराधार और गलत है तथा सत्य नहीं है। माता प्रसाद जी ने जो बात कही, मुख्य मंत्री जी जो हमारे संसद सदस्य हैं मनकापुर के, उनके आमंत्रण पर वहाँ गये थे। उसके बाद अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी, काजी जलील

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अब्बासी साहब और मथुरा प्रसाद जी पाण्डे जो सीनियर विधायक हैं, उनके निमंत्रण पर गये। सभा में कौन-कौन बैठा था, कहां-कहां बैठा था, यह सुनिश्चित कोई नहीं कर सकता।

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

कृपया बैठें।

(शोर)

श्री कुबेर भण्डारी—

मा० संसदीय कार्य मन्त्री को गोमती में डूबकर मरना चाहिये।

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिये।

(व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी—

यदि भंडारी जी गोमती में डूबने के लिये तैयार हैं तो मैं इनके साथ डूबने के लिये तैयार हूँ, यह आगे आगे चलें हमारा नेतृत्व करें। यह तो डूबे ही हैं और क्या डूबेगें ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

कृपया बैठिये ! मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूँ आप न बोले मैंने कार्य स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना को स्वीकार नहीं किया।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर सामान्य चर्चा के समय मुख्य मंत्री की अनुपस्थिति के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न [1 बचकर 11 मिनट]

* श्री हुकुम सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी आपकी अनुमति से मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूँ। पहली तारीख से यह सदन प्रारम्भ हुआ और महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के उपरांत चार दिन चर्चा चली। केवल पहले दिन को छोड़कर मुख्य मंत्री जी किसी भी दिन चर्चा में सरीक नहीं हुये, केवल उत्तर देने चले आये। आज 5 दिन की चर्चा शुरू होने जा रही है। आज नेता विरोधी दल प्रारम्भ करेंगे। कोई बैठ जायेगा। वह मुख्य मन्त्री जी को सब क्षमा होगा। उसके बाद छोटा मोटा, कटा पिटा उत्तर आ जायेगा। साल भर में कितने कम दिन के लिये सदन हो रहा है ? अब तक यहां पर न वित्त मन्त्री आये न मुख्य मंत्री आये

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जबकि आज सामान्य चर्चा प्रारम्भ होने जा रही है। मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूँ कि इनकी नजरों में इस सदन की क्या यही महिमा है ? न वित्त मन्त्री होंगे, न मुख्य मन्त्री होंगे तो क्या जरूरत है यहां बैठने की, क्या जरूरत है इस चर्चा की ? आप प्रताड़ित करें मुख्य मंत्री जी को, वित्त मन्त्री जी को कि जब तक चर्चा चले वह यहां पर मौजूद रहें।

* श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, बड़े दुख के साथ कहना पड़ा रहा है कि राज्यपाल के अभिभाषण पर थैंक्स हुआ 4 दिन, उसमें मुख्य मंत्री जी नहीं रहे। इटावा गये थे, प्लानिंग कमीशन का कार्य था। व्यक्तिगत रूप से नेता, विरोधी दल तथा अन्य लोगों को नहीं सुना। अब बजट डिस्कशन शुरू होगा। नेता, विरोधी दल बोलेंगे और लोग बोलेंगे, पांच दिन सदन में चलेगा। सत्र चल रहा है, इससे अह्म और कौन काम हैं ? बिना मौजूदगी के नहीं हो सकता। खाना पूरी कर रहे हैं। हर साल बजट पर डिस्कसन होता है, ग्रान्ट पर डिस्कसन होता है, खाना पूरी करनी है तो और बात है। मैं तो समझता हूं कि माननीय सदन, के अन्दर जब भी चर्चा हो, हर विभाग के मन्त्री को मौजूद रहना चाहिये। चर्चा को सुनना चाहिये, हर विधायक को सुनना चाहिये और उसके अनुसार कार्यवाही करना चाहिये। इस पर व्यवस्था देकर, डिवेट शुरू करायें।

* श्री भीखा लाल—

आपको स्मरण होगा जब मैंने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव के विरोध में कहा था तो यहीं से शुरू किया था कि खेद है कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है और मुख्य मन्त्री जी सदन में नहीं हैं। मुख्य मन्त्री जी केवल उत्तर देने के लिये यहां आयें, यह काफी नहीं है। नीतियों पर, अन्य मामलों पर चर्चा होती है। मंत्रिमंडल के लोग शिलान्यास और उद्घाटन करते हैं। यह तो वह जिन्दगी भर करते रहेगे। बजट चल रहा है, शिलान्यास और उद्घाटन रोक कर सदन को महत्व दें। सदन में मुख्य मन्त्री जी होने चाहिये। वित्त मन्त्री जी की बात तो समझ में आती है, क्योंकि वे कौंसिल हाउस के नेता भी हैं। लेकिन माननीय मुख्य मन्त्री जी इस सदन के नेता है अतएव उनका होना अनिवार्य है। महामहिम गवर्नर के अभिभाषण पर कई बार ऐसे मौके देखे गये हैं कि कोई मन्त्री नहीं होता है और उनकी दिलचस्पी भी सुनने को नहीं होती है। श्रीमन, इस पर व्यवस्था आप दें। माननीय मुख्य मन्त्री जी सदन में उपस्थित रहें और मंत्रि-मंडल के अन्य सदस्य भी उपस्थित रहें।

*श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, ऐसी परम्परा रही है, और परम्परा ही व्यवस्था बन जाती है। अब तक परम्परा यह थी कि जब नेता विरोधी दल बोलते थे तो नेता सदन उपस्थिति रहते थे। पक्ष विपक्ष उनको अच्छी तरह से सुनने को रहने चाहिये। वित्त मन्त्री भी उपस्थित नहीं है, जिस

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पर चर्चा आरम्भ हो रही। मान्यवर, आज एक जनतांत्रिक परम्परा रही है जनतांत्रिक परम्परा का संहार यदि पक्ष के लोग करेंगे, और वे विपक्ष की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है तो जनतंत्र कैसे चल सकता है ? मान्यवर, भले ही यह हमारी प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली नहीं है लेकिन यह अपेक्षणीय है और यह जनतन्त्र की मान्य परम्परा है। दूसरे प्रदेशों में यह परम्परा चालू है किन्तु इस सबसे बड़े प्रदेश में माननीय मुख्य मन्त्री जी सदन में उपस्थित नहीं हैं। मान्यवर, जब तक माननीय मुख्य मन्त्री जी और वित्त मन्त्री जी सदन में उपस्थित न हों तब तक के लिये सदन के कार्य को स्थगित कर दें।

श्री अध्यक्ष—

जहाँ तक सम्भव हो सके, जब सामान्य विवाद हो रहा हो तो माननीय मुख्य मन्त्री जी और वित्त मन्त्री जी को, यदि उनके पास इस प्रकार का कोई कार्य न हो, जिसको टाल न सकते हो तो सदन में अवश्य उपस्थित होना चाहिये। और इसके साथ ही साथ जो माननीय मंत्रीगण हैं, क्योंकि सभी के विषय होते हैं सामान्य चर्चा के समय, इसलिए उनको भी अधिक से अधिक संख्या में सदन में उपस्थित रहना चाहिये।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, माननीय मुख्य मन्त्री जी आज किस कारण बाहर हैं, इसका उत्तर नहीं आया ?

संसदीय कार्य मन्त्री श्री अम्मार रिजवी—

आज जब यह कार्य स्थगन का प्रस्ताव था, नेता विरोधी दल का तो माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अपने आप कहा था। उनको सूचना भिजवाई गई है।

श्री अध्यक्ष—

नेता सदन को और वित्त मंत्री जी को बुलवाया गया है।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं (क्रमागत)

(1 बजकर 19 मिनट)

श्री विद्यासागर नौटियाल—

मान्यवर, मेरे प्रश्न की कोई सुनवाई नहीं की गई, बाकी माननीय सदस्यों की सुनवाई आपने कर ली है। मान्यवर, जबकि मैंने लिखकर दिया है। आप सब को सुनना चाहते हैं और मुझे सुनना क्यों नहीं चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष —

माननीय नौटियाल जी कृपाकर आप बैठें। आपका प्रश्न दूसरे देशों से सम्बन्धित है, मैंने उसे अपने चैम्बर में ही मना कर दिया था।

(नेता, विरोधी दल को पुकारे जाने पर ।)

श्री विद्यासागर नौटियाल—

बलिया, बस्ती और आजमगढ़ के अन्दर ये लेबर बाउण्ड होते हैं, फिर इन लोगों को जबह करने के लिये ले जाया जाता है । ईराक में उनको जेल में रखा जाता है, वहाँ से यहाँ भेज दिया जाता है ।

श्री अध्यक्ष—

मा० नौटियाल जी । आप बैठें, मैंने आपकी बात को नोट कर लिया है । भविष्य में ध्यान रखा जायगा ।

वित्तीय वर्ष 1983-84 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा

[समय 1 बजकर 20 मिनट]

श्री राजेन्द्र सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, आज हम सब वर्ष 1983-84 के बजट पर सामान्य चर्चा के लिये यहाँ बैठे हुए हैं ।

श्रीमन्, यह बजट सत्र ही बड़ी अपशगुनों की घड़ियों में शुरू हुआ है । 1 फरवरी को बजट सत्र प्रारम्भ हुआ और 1 फरवरी की रात्रि में ही इस प्रदेश के ग्राम—कछपुरा में लोम-हर्षक घटना हुई । आज 14 तारीख है, जब कि बजट पर सामान्य चर्चा होने जा रही है । प्रजातांत्रिक तरीकों के मातहत वहाँ पर आसाम के अन्दर इनके दल की सरकार और इनके दल के लोग बन्दूक की नोक पर प्रजातंत्र को चलाने जा रहे हैं, जो निन्दनीय है ।

(व्यवधान)

हमारे कुछ साथियों को मेरे शब्दों पर आपत्ति है । मैं जानता हूँ किसी दिन आपको भी दुख होने की स्थिति आ सकती है, उसके लिये भी आपको तैयार रहना चाहिये ।

10 तारीख को जब मा० वित्त मन्त्री जी ने यह बजट पेश किया तो लखनऊ महोत्सव के नूपुरों की झनझनाहट के परिप्रेक्ष्य में यह बजट पेश किया गया । जहां एक ओर इस प्रदेश की जनता भुखमरी, ठंड और गरीबी से तड़प रही हो, वहाँ इस प्रदेश का प्रशासन लखनऊ के अन्दर नाच और गाने में लगा हुआ है । जैसा मा० वित्तमन्त्री की अदा है, उन्होंने बजट भी उसी लखनवी अन्दाज में नवाबी ढंग से पेश किया । यह परम्परा-गत बजट है, परम्परा पड़ा गयी है कि बजट आता है, इस साल एकमद में 2 करोड़ रुपया है तो अगले साल 2.2 करोड़ रुपया रख दिया जायगा, यह एक परम्परा है । यह इससे जाहिर है कि योजना आयोग से धनराशि तय नहीं हुई और बजट तैयार था । यह नयी मदों पर विचार करते हैं, लेकिन पुरानी मदों का पुनरीक्षण नहीं करते हैं कि सही हैं या नहीं हैं ? यही कारण

है कि यह बजट जन-आकांक्षाओं को निराशा में परिणित करने वाला और निरुत्साहित करने वाला है। जितने हरिजन और गरीब वर्ग, जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करते हैं, उनके लिये भी कोई नयी चीज इस बजट में नहीं है। वही पुरानी चीज है कि गत वर्ष 2 लाख रुपया रखा था, इस बार 2–1/2 लाख रु० रख दिया। छठी पंचवर्षीय योजना के 2 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी वही पुराना ढांचा इस बजट में देखने को मिल रहा है।

जब बजट पेश किया गया उससे पूर्व ही मा० वित्त मन्त्री और प्रदेश के मा० मुख्य मन्त्री जी ने बड़े जोर-शोर से भाषण किया कि कोई नये कर नहीं लगेंगे।

जब बजट आया तो उसमें भी नये कर नहीं हैं। लेकिन इनकी कथनी और करनी में प्रदेश की जनता को विश्वास नहीं रह गया है। पिछले वर्ष भी इसी तरह से भ्रम में डाला गया और असत्य बोला गया था कि नये टैक्स नहीं लगाये जायेंगे, पर पुराने टैक्सों को बढ़ा कर, नये टैक्स लगाकर, रेवीन्यू कलेक्ट किया गया। इस वर्ष 119 करोड़ के घाटे का बजट है, यह नहीं बताया गया कि इसे कैसे पूरा किया जायेगा ? पिछले वर्ष यह घोषणा करने के बाद भी कि नये कर नहीं लगाये जायेंगे, स्टैम्प ड्यूटी बढ़ा कर, बसों का किराया बढ़ा कर, बिजली की दरें बढ़ा कर, बजट के घाटे को पूरा किया। तो यह कैसे विश्वास हो कि यह सरकार इस वर्ष कोई नया कर नहीं लगायेगी ? मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि वह इस भ्रम को तोड़े। अगर आपको धन संचय करने के लिये कर लगाने की आवश्यकता है तो उसका जिक्र आप बजट में अवश्य कीजिये ताकि हम उस पर यहाँ चर्चा कर सकें। सत्ता पक्ष के बैठने वाले लोग हमारी हर बात पर शंका करने लगते हैं। आप जन कल्याणकारी राज्य चाहते हैं, हम भी शपथ लेकर यह कहते हैं कि हम भी जन कल्याण ही चाहते हैं। हम चाहते यह हैं कि आप जनता को भ्रमित न करें।

माननीय वित्त मन्त्री जी ने कहा है कि हम वित्तीय नियन्त्रण के बहुत हामी है। सरकार द्वारा जो यह पुस्तक सांख्यकीयि सेल द्वारा प्रकाशित प्रदेश की आर्थिक समीक्षा छपी है, इसमें यह स्वीकार किया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य खर्चों में जो बढोत्तरी हुई है उसमें वित्तीय संयम से लक्षण प्रतीत नहीं होते। यह उन्हीं के विभाग का असेसमेंट है।

मान्यवर, प्रदेश के शासन पर प्रति दिन 9 करोड़ रुपया खर्च होता है। प्रशासनिक व्यय भी साढ़े 300 करोड़ रुपये का बढ़ गया है। कानून व्यवस्था को इस प्रदेश में मेन्टेन करने के लिये यह सरकार 1 करोड़ रुपया प्रतिदिन खर्च कर रही है। करों की वसूली के लिये भी इनका खर्चा 50 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। विगत वर्षों में जो धन बिजली बोर्ड को दिया गया उसकी वापसी की बात तो बहुत दूर रही, जो ब्याज है वह भी वसूल नहीं हो पा रहा है और उसमें घाटे पर घाटा होता चला जा रहा है। यह इसलिये हो रहा है क्योंकि उस पर प्रशासनिक पकड़ मजबूत नहीं है। और उनके भ्रष्टाचार की, उनकी अकुशलता की और उनके अव्यवस्था का यह परिणाम है कि आज बिजली बोर्ड करीब 600 करोड़ के घाटे पर जा चुका है। मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ बिजली बोर्ड के भ्रष्टाचार को, कि यहाँ पर एक मिस्टर हैं श्री एस0

एन0 सिंह जो चेयरमैन थे बिजली बोर्ड के, उन्होंने कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ एक विस्तृत जाँच करायी तो जाँच बहुत लम्बी हुई। इस बात को सात आठ साल हो चुके हैं। इसके सम्बन्ध में एक आडिट का पैरा भी बना 122 ए, यह 1970–71 का हैं। श्रीमन्, पैरा का भी एक तरीका होता है, जाँच करने का तो उसमें कई उच्चाधिकारी दोषी पाये गये। निर्णय हुआ कि उनके खिलाफ क्रिमिनल केस चलाये जाँय। लेकिन एक बहुत बड़े उस पक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्य और माननीय मन्त्री के हस्तक्षेप से वह मामले को फाईल सबसे नीचे दबा दी गयी है और कुछ एक्शन नहीं हो पा रहा है।

श्रीमन्, इस तरह से सिंचाई प्रतिष्ठान, दुग्ध उत्पादन व वितरण की योजना, स्थानीय निकाय, यह जो घाटे के संस्थान बनते चले जा रहे हैं इसके लिये सरकार ने एक नया तरीका निकाल लिया कि इन्हें घाटे में न दिखा कर इसे अनुदान दे दें तो घाटा अपने आप ही समाप्त हो जायेगा। मेरी समझ में नहीं आता कि सत्तापक्ष क्यों ऐसी बातों को प्रोत्साहित कर रहा है। श्रीमन्, आपके 12 प्रतिष्ठान हैं चाहे वे निगम हों या चाहे सार्वजनिक उपक्रम हों, करीब करीब सभी घाटे पर चल रहे हैं। एक दो निगम जो आगे बढ़ने का प्रयास कर भी रहे हैं, अपनी प्रगति दिखाना चाहते हैं। यदि आप उनके खातों को देखें और उसकी छानबीन करें तो वहां भी आपको घाटा ही मिलेगा।

श्री प्रमोद कुमार—

चौधरी चरण सिंह के दमाद भी एक निगम के अध्यक्ष थे जिन्होंने जमीन खरीदी थी।

श्री श्यामलाल बाजपेयी—

मान्यवर, आपकी ही देन को हम ढ़ो रहे है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष —

नियम यह है कि जब तक माननीय सदस्य न बैठें, आप लोगों को कुछ नहीं कहना चाहिये।

श्री राजेन्द्र सिंह—

श्रीमन्, अगर यहाँ की व्यवस्था सुचारु रूप से चलानी है तो आप यह देखने का प्रयास करें यहाँ पर कई माईक निरन्तर चलते रहते हैं। यदि माननीय सदस्य बोलना ही चाहते हैं तो मैं तैयार हूं वे सवाल करें और मैं जवाब दूंगा परन्तु फिर उन्हें दिल थाम कर सुनना होगा।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मान्यवर, हम तो दिल थाम कर ही बैठे हैं···

(श्री प्रमोद कुमार व श्री श्याम लाल बाजपेयी द्वारा खड़े हो कर एक साथ बोलने के कारण व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग बैठिये, यह हमारे देखने का काम है, आपका नहीं ।

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, यह तो माननीय सदस्यों का अधिकार है ।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा करके बैठें ।

श्री राजेन्द्र सिंह—

मान्यवर, शायद माननीय बाजपेयी जी ने मुझे गलत समझने का प्रयास किया है । मेरी कोई भावना यह नहीं थी कि माननीय सदस्य को माइक नहीं मिलना चाहिए । मैंने किसी व्यक्ति के लिए नहीं कहा । मेरे कहने के बाद बाजपेयी जी को खड़ा होना पड़ा, इस बार उनका माइक नहीं खुला हुआ था । मेरा कोई एतराज नहीं है, जब आपके आदेश हो तो माननीय सदस्य बोलें । मेरी सही बात कहने पर माननीय बाजपेयी जी को जो तकलीफ हुई उसका मुझको खेद है । मैंने जब शुरू किया था तो एक बात कही थी कि प्रजातन्त्र में जब आप सत्ता में हैं तो आप दोषी कर्मचारियों को बचाने की कोशिश कतई न कीजिए, अगर आप करेंगे तो प्रजातन्त्र नहीं चलेगा । मान्यवर, गलती कहीं पर भी हो, हमारे शासन के समय की गलती हो, जिसके कारण आपके शासन को घाटा हुआ, लेकिन मेरा तो कहना है कि आप उन अधिकारियों को जो उस घाटे के लिए जिम्मेदार हैं, उनको बचाने का प्रयास न कीजिए । आप यह भावना न रखें । अगर यह भावना है और पूरी ठेकेदारी आप ले रहे हैं और हम लोगों को केवल विरोधी मानते हैं तो प्रजातन्त्र नहीं चलेगा ।

(एक सदस्य के बैठे ही बैठे बोलने पर)

आप सुनने का प्रयास कीजिए । मैंने निगम कहा, कोई नाम नहीं लिया । नाम लेने पर अगर आपको कष्ट हुआ हो तो उसके लिए मुझे खेद है । अगर आप जन कल्याण की भावना चाहते हैं, आप भ्रष्टाचार को रूट आउट करना चाहते हैं तो इसको करने की आपकी क्षमता नहीं है इसलिए यह नहीं होगा । हां आप प्रयास करें, मेरा सहयोग होगा । आज आप सत्ता में बैठे हैं । अगर उस समय के किसी अधिकारी की गलती है जिसके कारण निगम को घाटा हुआ हो तो उसकी सिफारिश न करें, उसको बचाये नहीं । व्यक्ति कोई भी किसी दल से सम्बन्धित हो, कोई भी अधिकारी हो वह चाहे जितने उच्च पद पर हो अगर आप उसकी गलती पर एक्शन नहीं लेगें तो प्रदेश जो आज स्थिति में है उससे नीचे चला जायेगा । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि निगमों के बारे में निगमों के बनाने का उद्देश्य था कि जन साधारण को रोजगार मिलेगा, उनकी आवश्यकता की चीजों में उनको मदद मिलेगी लेकिन वह नहीं हो रहा है । मान्यवर, निगम कम दाम पर ज्यादा सेवा करने के लिए बने थे । लेकिन हो नहीं रहा है । कहीं पर बैठकर आप विचार करें । 80-85 जो निगम बने हैं, उनके कार्य को ठीक कैसे करें । अगर हम दोषी हैं तो आप 33 साल की गलती मान लीजिए, आपने

इतने समय में क्या किया ? यह घाटे की परम्परा आपके यहाँ से ही चली है। एग्रो में 7 करोड़ का घाटा हुआ है, यह आपके यहां से ही हुआ है । इसके दोषी न हम और न आप, दोषी वह व्यक्ति है जो उसका नियन्त्रण करता है । अभी एक माननीय सदस्य ने कहा, आप मेरे पिछले सत्र के भाषण को निकाल कर पढ़ लें जिसमें मैंने साबित किया है कि इसको बरबाद हमने नहीं किया है, आपसे अधिक छोड़कर हम गये हैं, बरबाद आप कर रहे हैं । अभी लोक सभा में वित्त मन्त्री भारत सरकार ने यह स्वीकार किया है जो भारत सरकार की आर्थिक समीक्षा दी है, उसमें कहा है कि उत्तर प्रदेश बहुत पिछड़ा और गरीब प्रदेश है, वहाँ पर कर भार सबसे अधिक है ।

इसलिये घाटे का बजट लाने से प्राइसेज का इंफेलेखन हो गया और उससे गरीब जनता का कोई लाभ पहुंचने वाला नहीं है । कीमतें बढ़ने से चाहे वह गरीब जनता हो, सरकारी कर्मचारी हो, कोई भी हो उस पर उसका बोझ पड़ेगा, अच्छी स्थिति में कोई नहीं हो सकेगा । श्रीमन्, अब में प्रदेश की आर्थिक स्थिति के बारे में कुछ बता दूँ । संसार में 125 देश ऐसे हैं जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक है । उस लिस्ट में 1963 में हमारे देश का नम्बर 25वां है आय के हिसाब से । वह नम्बर सन् 73 में 104 पर आ गया, 1976 में 111 पर हो गया, 1977 में 121 वे स्थान पर हो गया तथा आज वह 123बें स्थान पर है । अधिष्ठाता महोदय, यह स्थिति तब है जब हम लगातार पंचवर्षीय योजनायें बनाते चले जा रहे हैं और वे क्रियान्वित होती चली जा रही हैं जिन पर कि अरबों रुपया खर्च होता चला जा रहा है । श्रीमन्, यही नहीं । अफ्रीका के 43 राष्ट्र हैं जो कि हमसे यानी जो सन् 47 के बाद आजाद हुई जिनके पास कुछ भी इन्फा-स्ट्रक्चर नहीं था, आज वे भी हमसे आगे हो गये हैं । अब मैं अपने प्रदेश की बता दूं । श्रीमन्, प्रति व्यक्ति आय के लिहाज से उत्तर प्रदेश का नम्बर भारत के अन्तिम चार में आता है । आप गर्व कीजिये ।

(इस समय 1 बजकर 40 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री श्याम सूरत उपाध्याय पीठासीन हुए)

श्री धरमपाल—

और बच्चे पैदा कीजिये ।

श्री राजेन्द्र सिंह—

त्रिपाठी जी को सिखाइये । अपने पुराने तजुर्बे उन्हें बताइये । श्रीमन्, मैं बता रहा था कि हमारे प्रतिशत का नम्बर अन्तिम चार में है । ठीक है जनसंख्या बढ़ी है । इससे कोई इन्कार नहीं कर रहा है और आज उत्तर प्रदेश की जनता सन् 81 की जनगणना के हिसाब से 11 करोड़ 88 लाख है । इसमें 9 करोड़ 10 लाख लोग गांवों में बसते हैं । अभी माननीय योजना मन्त्री भारत सरकार ने सन् 81 के बजट सत्र में यह स्वीकार किया कि भारत जैसे देश के अन्दर 384 मिलियन लोग ऐसे हैं जो गरीबी की रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं जिनमें 118 मिलियन बच्चे 12 साल से कम उम्र के है जबकि पूरे देश का औसत 55 प्रतिशत है । वही बात हमारे यहाँ लागू होती है । 51 प्रतिशत शहरों में 52 प्रतिशत

देहातों में आंका जाता है ।

जहाँ तक देश की आर्थिक स्थिति का सवाल है हमारे देश की प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी 15 नवम्बर 1980 को हरिओम आश्रम ट्रस्ट गई और उन्होंने वहां एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अधिक समय देश की यात्रा करने में बिताती हूँ विशेष रूप से गत तीन वर्षों में जब कि मेरे पास कोई सरकारी सवारी नहीं थी मुझे कोई भी कुपोषित का उदाहरण नहीं मिला । वास्तव में बच्चे अधिक स्वस्थ दिखाई दिये और उनकी आँखें अधिक चमकीली दिखाई दीं और वे अच्छे कपड़े पहने हुये थे । यह आंकलन है हमारे देश की प्रधान मन्त्री का । श्रीमन, इससे पूर्व मैंने बताया था उनकी कैबिनेट के योजना मन्त्री ने बयान दिया था ।

श्रीमन, दिल्ली के अन्दर जहाँ हमारी केन्द्रीय सरकार है और माननीया प्रधान मन्त्री रहती हैं वहाँ भी 26 प्रतिशत लोग झुग्गी झोपड़ियों गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं । आप कल्पना कर सकते हैं कि कौन सच बोलता है और कौन गलत बोलता है ?

श्रीमन, बेरोजगारी की स्थिति बताना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश में रोजगार कार्यालयों में 1980 के अंत तक पंजीकृत लोगों की संख्या 150 करोड़ थी जिनमें से साढ़े 24 लाख हरिजन थे उसमें भी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इस सुविधा की जानकारी नहीं रहती है उनकी संख्या अलग है । अभी एक राष्ट्रीय जांच आयोग ने प्रति व्यक्ति आय का विश्लेषण किया उससे पता चलता है कि 1979 में 70-71 के स्थिर मूल्यों में आम हिन्दुस्तानी की दैनिक आय 1·83 से बढ़ कर 1·93 रु0 हो गयी है ।

अभी माननीय वित्त मन्त्री भारत सरकार कानपुर पधारे थे स्टाक इक्सचेंज एसोशियेशन का उद्घाटन करने के लिए...

श्री श्यामलाल बाजपेयी—

उत्तर प्रदेश की बताईये ।

श्री राजेन्द्र सिंह—

बाजपेयी जी कानपुर उत्तर प्रदेश में ही है । उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है । पूरे देश के भूखंड में बिहार का दक्षिणी भाग और उत्तर प्रदेश के 15 पूर्वी जिलों की स्थिति अति दयनीय है । पूरे देश की आबादी में उत्तर प्रदेश की आबादी 16·02 प्रतिशत है और भौगोलिक विस्तार में 9 प्रतिशत है । उन्होंने आगे कहा कि बनों के कटान से उत्तर प्रदेश बाढ़ से हर साल पीड़ित रहता है । यहाँ 2 लाख 50 हजार हैक्टेयर भूमि हर साल बाढ़ से प्रभावित रहती है और करीब 71 करोड़ रु0 की हानि फसल, सम्पत्ति, मवेशी में होती है । यह उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति के बारे में आंकलन मैंने माननीय सदन में रखा ।

पिछले 30 वर्षों में अनेक पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से गरीबी मिटाने और देश को समृद्ध बनाने के हमने प्रयास किये और इसमें 8 करोड़ रुपया योजनाओं के अन्तर्गत व्यय हो चुका है। लेकिन आज भी 38 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं। योजना आयोग ने स्वीकार किया है कि योजनाओं में देरी होने से उनका वांच्छित लाभ नहीं मिलता है और खर्च भी बढ़ता चला जाता है। वही स्थिति हमारे प्रदेश में भी है।

मेरा निवेदन है कि आप योजनाओं को फैलायें मत। होता यह है कि योजना का आकार आप बढ़ा देते हैं लेकिन उचित होगा कि शीघ्र लाभ देने वाली योजनाओं को आप प्राथमिकता के आधार पर पूरी करायें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री श्यामलाल बाजपेयी—

योजना का नाम बता दें।

श्री राजेन्द्र सिंह—

टेहरी डैम योजना पर 20 वर्षों से काम चल रहा है जिसकी प्रारम्भिक लागत 100 करोड़ रुपये थी जो अब बढ़ते-बढ़ते 2,000 करोड़ हो गयी है। योजना बड़ी है और उससे लाभ भी होगा चूंकि उससे विद्युत और कृषि के लिये पानी मिलेगा लेकिन प्रयास करें कि अधिक धन देकर शीघ्र इस योजना को पूरी करायें तो अधिक लाभ होगा।

मान्यवर, मध्य गंगा नहर सिंचाई विभाग ने बनायी। उसका लाभ तब मिलेगा जब कि टेहरी डैम बन जायेगा और वह 20 साल में बनेगा परन्तु मध्य गंगा नहर खुद कर तैयार हो रही है जिससे किसानों की जमीन ले ली गयी है और उससे उनकी फसल को नुकसान हुआ है जिससे कि प्रदेश कृषि उत्पादन से वंचित रहा और योजना 20 वर्ष बाद पूरी होगी, तो ऐसी योजनायें बनाने पर आप नियन्त्रण करें और योजनायें ऐसी बनायें जिनसे लाभ जल्दी और अधिक मिले।

मान्यवर, मैंने जैसा कि पहले कहा है वित्त मन्त्री, श्री वेंकटरमण ने पिछले सत्र में स्वीकार किया है कि लक्ष्यों की उपलब्धि टारगेट से कम हो रही है, इसलिये गलती को हमको मानना चाहिये और हठवादी नही होना चाहिये। मान्यवर, प्रयास यह होना चाहिये कि योजना में कहाँ गलती हो रही है मालूम करने का प्रयास करना चाहिये और उसको दूर करना चाहिये चूंकि हम विपक्ष का कर्त्तव्य और दायित्व है इसलिये हम शासन की गल्तियों को यहाँ सदन में कहकर उजागर करते हैं।

श्रीमन्, अनेकों योजनायें चली हैं, जैसा पहले कहा उसमें काम के बदले अनाज, श्रीमती इंदिरा गांधी का पुराना 20 सूत्री और संजय गांधी का 5 सूत्री कार्यक्रम जो बहुत दिनों तक चला।

(व्यवधान)

(बैठे बैठे कई मा० सदस्यों ने कहा कि अभी चल रहा है और अभी चलेगा)

अधिष्ठाता महोदय, मैं भी चाहूंगा कि सत्ता पक्ष के मा० सदस्य कहें कि पुराना 20 सूत्री और 5 सूत्री कार्यक्रम का हम समर्थन करते हैं, तो मुझे भी खुशी होगी लेकिन ऐसा कहने में चुप हो जायेंगे ।

श्री श्यामलाल बाजपेयी—

पहले 20 सूत्री में 5 सूत्री मिलाकर 20 सूत्री नया कार्यक्रम बना हुआ है ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मैंने तो यही कहा है कि चलायें तो ठीक है ।

सदन में किसी अजनबी व्यक्ति के प्रवेश पर व्यवस्था का प्रश्न

[1 बजकर 5 मिनट]

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है कि माननीय सदन में मैं एक ऐसे व्यक्ति को देख रहा हूं जो सदन के सदस्य नहीं हैं, तो सदन के चलते हुये कोई व्यक्ति क्या यहाँ आकर मा० मंत्री से ब्रीफिंग कर सकते हैं ? यह सदन का अवमान है कि नहीं ? इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

यहाँ ब्रीफिंग का कोई प्रश्न नहीं । मैं यहाँ बैठा हुआ था, मेरे पास एक सज्जन आए, उन्होंने पूछा, मैंने उनको कुछ बताया । वह चले भी गये हैं और मैं उनको जानता नहीं··

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह--

वह आ जाएं मंत्री जी से बात करने और वह उन्हें देख न पाएं तो यह समझ में आने वाली बात नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता—

यदि कोई सदन का सदस्य नहीं है, तो उसको सदन में नहीं आना चाहिए । जैसा मंत्री जी ने बताया कि उन्होंने देखा नहीं कि वह कौन हैं····· (व्यवधान) ऐसे व्यक्ति को सदन के अन्दर नहीं आना चाहिए ।

वित्तीय वर्ष 1983-84 को आय-व्यय पर सामान्य चर्चा (क्रमागत)

[समय 1 बजकर 55 मिनट]

श्री राजेन्द्र सिंह—

मान्यवर, मैं समझ रहा था उस पक्ष के माननीय सदस्यों की नैतिक कमजोरी को, तभी मैंने कहा, आप संजयगांधी का नाम नहीं ले पायेंगे, भले ही कुछ करें या उनके सूत्रों को

उन बीस सूत्रों में जोड़ें या और कुछ करें। (व्यवधान)। एक लघु व सीमान्त कृषक योजना है, ग्रामीण रोजगार योजना चली है, आई0 आर0 डी0 और पौष्टिक आहार योजना है। मैंने 10 तारीख को मुख्य मंत्री जी को, पौष्टिक आहार का गर्भवती महिलाओं को जो चना बांटा जा रहा है उन्नाव में उसके बारे में कहा था जब वह वहाँ गये थे उन्होंने ऐसे पैकेट देखे थे, तो उन्होंने कहा कि इस तरह से गलत और सब स्टैन्डर्ड चीजें बंट रही हैं, लेकिन उनको फुरसत नहीं थी क्योंकि उनको शाम को अवध के लिए उसी दिन लखनऊ लौटना था। तो ऐसी चीजों को वह नियन्त्रित करने का प्रयास करें। एक पेय जल योजना है, लेकिन उसका भी नतीजा वही है, जिसके लिए यह बनी है, उसका जीवन इनसे टस से मस नहीं हुआ है।

योजना बनती है तो कितना धन उसमें खर्च होगा, कितने आफिसर्स उसमें रखे जायेंगे, कितने बाबू और चपरासी रखे जाएंगे, कितनी मेज-कुर्सियां होंगी, कितना टी0 ए0, डी0 ए0 पर खर्च होगा, यह सब तो देखा जाता है, इसके बारे में सब आ जाएगा. लेकिन यह कभी सामने नहीं आएगा कि किसको कितना लाभ पहुँचा ? आप समीक्षा करें तो उसकी भौतिक उपलब्धि को कम से कम अवश्य देखें। केवल यह देखकर आप संतुष्ट न हो जायें कि इतने परसेंट धन खर्च होगा। कभी किसी आकलन में यह नहीं आया है कि इससे कितने लोगों को ठोस लाभ हुआ। मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज के लिए एक नई परम्परा डालें। लक्ष्य तो आ जाता है कि इतने लोग लाभान्वित होंगे, लेकिन श्रीमन् वह ठोस परिणाम नहीं है। हमारी योजनाएँ इन्हीं ठोस आकलनों की वजह से फेल हो रहीं हैं और हम उनसे जिस भौतिक लक्ष्य की प्राप्ति चाहते थे वह हमसे कोसों दूर पड़ी हुई है। मैंने कहा है कि बहुत सा धन उडेला गया है। पिछले वर्षों अनेक एजेंशियां खोली गई, उन्हें कभी यह मिला देते हैं और कभी अलग-अलग कर देते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के लिए योजना बनी है, उसका उसको कोई लाभ नहीं पहुँचा। जो व्यक्ति कार्यान्वियन के लिए लगाए गए हैं, वह इसका कार्यान्वियन नहीं करते हैं। उस ग्रामीण जनता से बहुत दूर हैं, कोसों दूर हैं। जितने कार्यक्रम चलते हैं उसमें जो चतुर लोग हैं, वह लाभ उठा रहे हैं।

पैसा दे आये हैं, वह चाहे कुछ भ्रष्टाचार में चला गया हो और कुछ चतुर लोगों ने उसका फायदा उठा लिया हो, जो उसके लिए वांछित नहीं थे, इसको भी देखना होगा कि जो योजनाएँ जिस प्रकार के व्यक्तियों के लिए जा रही हैं, उसका लाभ उसी को पहुँचे, कुछ चतुर लोग उसका लाभ न उठा पावें। श्रीमन्, जैसा मैंने कहा इस फेल्योर का कारण क्या है ? इसके फेल्योर का कारण यह है कि जो व्यायकेट अंग्रेज ने कानून-व्यवस्था और राजस्व की वसूली के लिए सिस्टम बनाया था, हमने डवलपमेंट का भार उसी ब्योरोक्रेसी के आस-पास कर दिया। मैंने पहले भी कहा था और फिर कहता हूँ, उनकी मानसिक प्रवृत्ति ग्रामीण से बहुत दूर है शायद माननीय बाजपेयी जी इस बात से सहमत होंगे, क्योंकि वह इस सदन में बार-बार इस ब्युरोक्रेसी के बारे में बोलते रहते हैं। तो श्रीमन् उसका परिणाम हमसे सहा नहीं जा रहा है। अभी श्रीमन्, एक सेमीनार हुई थी, नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ रूरल डेवल-पमेंट के संबंध में, उसमें 710 व्यक्ति भाग लिये थे, जिसमें से 500 सरकारी आदमी थे। जिस गाँव के लिए वह योजनाएं या जिस गांव के बारे में विचार होना था, उसके आसपास

का कोई व्यक्ति डिस्कशन में भाग लेने वाला नहीं था। यह तरीका हो रहा है, इस देश के अन्दर, श्रीमन् ? यह भी एक बात है कि अगर हमें इन योजनाओं को सही कार्यान्वित कराना है और हम चाहते हैं कि इसका लाभ उन व्यक्तियों तक पहुंचे, जिनके लिए वह योजनायें बनी हैं, तो शासक दल और जिस व्यक्ति के लिए लाभ पहुँचाना है, उसका फासला कम करना होगा। उसको नजदीक लाना होगा।

* श्री प्रियदर्शी जेतली—

अधिष्ठाता महोदय, मैं इसी संदर्भ में नेता विरोधी दल से कहना चाहूँगा कि अभी 6 तारीख से 8 तारीख तक इसी इन्स्टीट्यूट में सेमीनार हुई और इस सम्मानित सदन के माननीय सदस्य विरोधी पक्ष और सत्ता पक्ष से भेजे गये, अफसोस की बात यह है कि सत्ता पक्ष का प्रतिनिधि तो गया, लेकिन विरोधी पक्ष का एक भी प्रतिनिधि नहीं गया।

श्री राजेन्द्र सिंह—

श्रीमन्, माननीय सदस्य ने जो बात कही, मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य उस चीज को देखें कि हमको सूचना कब मिली थी। सूचना मुझे एलेबेन्थ आवर पर मिली, सदन नहीं चल रहा था और मैं कंटैक्ट नहीं कर पाया। जो बात साफ है, वह कहना सही है। मैं तो कहता हूं कि आप गये होंगे, तो शहरी गये होंगे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र का आदमी कोई नहीं गया होगा।

श्री प्रियदर्शी जेतली—

श्रीमन् मैं कह दूं कि ग्रामीण क्षेत्र का मैं गया हुआ था।

श्री राजेन्द्र सिंह—

आप अब शहरी हो गये हैं। श्रीमन्, इन योजनाओं के बारे में कहता हूँ। श्रीमन् योजनाओं के निर्माताओं ने आधुनिक बैलगाड़ी का बड़ा ढिंढोरा पीटा था, वह कहाँ गयी ? श्रीमन्, यह गोबर गैस संयंत्र बहुत चला था और श्रीमन्, यह अम्बर चर्खा, जिसका कि बहुत बड़ा प्रचार हुआ, क्या हुआ ? उन तीनों चीजों का मैं चाहूंगा कि हमें बतलाने की कृपा करें। श्रीमन् इसी संदर्भ में हमें कहना है कि हवाई किला व्यक्ति के संदर्भ में बनाना हानिकारक है और हवाई छलांग राष्ट्र के संबंध में लगाई जाय, तो कितनी घातक होगी।

श्रीमन् एक प्रोग्राम चला है हरिजनों में भूमि वितरण का। मैं भी इसका समर्थन करता हूं। मैं चाहता हूं कि सत्ता पक्ष में बैठे हुये लोग कम से कम विशारद कमेटी की रिपोर्ट को भी निकाल कर पढ़ने का प्रयास करें। विशारद कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उसमें सत्ता-पक्ष से चिपके अनेक व्यक्तियों के पास हजारों हेक्टेयर भूमि गलत तरीके से रखने की बात दर्शायी गयी है। बांटिये उसको भूमिहीनों, में हिम्मत कीजिये। लिप सर्विस न कीजिये। ठीक प्रकार से कीजिये। एक बात 20 सूत्रीय कार्यक्रम की आयी है। उसका आंकलन आप चाहते हैं। वित्त मंत्री भारत सरकार ने 20 सूत्री कार्यक्रम की वर्षगांठ पर कहा है :—

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

"ए टेन्डेन्सी टू रिले लारजली आन स्टैटास्टिक्स क्लेमिंग ग्रेट स्टारिडेस इन इमप्ली-मेन्टेशन आफ दि न्यू ट्युन्टी प्वाइन्ट प्रोग्राम, वाज मेयरली प्रोवाइडिंग ए टेन्टेड पिक्चर आफ दि प्रोग्राम्स इफेक्टिवनेस"

उन्होंने स्वीकार किया है कि 20 प्वाइन्ट प्रोग्राम के आंकड़े देकर जो बड़ी अच्छी पिक्चर बनायी जा रही है वह सही नहीं है, आंकड़े सही नहीं हैं ।

श्रीमन् वह खुद इस बात को स्वीकार करते हैं । श्रीमन्, बात आती है, अभी पिछले दिनों एक पत्र के माध्यम से पढ़ने को मिला । अनेक विभागों का बजट समय पर खर्च नहीं हो पाता है । बजट पास हो गया, एक हफ्ते के अंदर सैंक्शन भेज दी गयी लेकिन अभी पता चला है कि डेढ-दो सौ करोड़ रुपया विभिन्न विभागों ने इस्तेमाल नहीं किया है । शिक्षा, कृषि उद्यान, राष्ट्रीय ग्रामीण योजना आदि विभागों का पैसा खर्च समय पर नहीं हो पाया है । इसी तरह से एकीकृत ग्रामीण विकास योजना, में खर्च नहीं हो पाया है । प्रौढ़ शिक्षा के के नाम से जो योजना चलायी जा रही है उसकी प्रगति भी बहुत पीछे चल रही है । तो यह क्यों हो रहा है ?

वित्त मंत्री जी का कहना है कि योजना का पैसा अगर प्रथम 6 महीनों में तिमाही के हिसाब से खर्च नहीं होगा तो 31 मार्च को जो पेमेंट होता है वह भ्रष्टाचार से जुड़ता है । यह देखना चाहिये कि पेमेंट मार्च के महीने में मिनिमम हो । इसलिये पहले से ही इसकी ठीक से शुरुआत और समय पर खर्च होना चाहिये । मैं उद्यान विभाग की बात कर रहा हूँ । एक वर्ष हो गया है वहाँ डाइरेक्टर नहीं हैं । क्यों वहां पर डाइरेक्टर नहीं हैं ? आप और हम सभी जानते हैं ? एक माननीय मंत्री जी ने उसे प्रेस्टिज का ईशू बना लिया है । प्रमोशन कीजिये । जो डाइरेक्टर का कार्यभार संभाले हुये हैं उनकी निष्ठा पर मुझे कोई शंका नहीं है लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है ? एक वर्ष से राजनीतिक खींचतान की वजह से यह हो रहा है । एक वर्ष तक किसी विभाग का विभागाध्यक्ष न रहे इससे बड़ी अकुशलता सरकार की तरफ से और क्या हो सकती है ?

श्रीमन यह बात हमारे मंत्रियों के नियंत्रण की है वरना यह पोस्ट क्यों वेकेन्ट रहीं । इसकी योजनाओं के कार्यान्वियन का और भौतिक लक्ष्य की प्राप्ति का अनुमान और सर्वेक्षण आप लोगों ने क्यों नहीं किया । इसके लिए तो दोषी आप ही होंगे, यह जिम्मेदारी हमारी तो नहीं हो सकती है ? श्रीमन, निगम के बारे में मैंने बात कही थी । 2-3 बातें निगमों के बारे में और कहना चाहूँगा । श्रीमन्, निगम आज अड्डा बन गये हैं, कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को वहां पहुँचाने के लिए । तो जब मैं सुझाव दूँगा उसमें भी कहूँगा और अभी भी कहता हूँ कि निगम की कार्य प्रणाली को सही चलाना है तो उसमें परमानेंट व्यक्तियों की, कुशल लोगों की, जो उसके दक्ष हों, उन्हें आप ओपेन मार्केट से लीजिए । अगर ब्यूरोक्रेसी के लोग उसमें जाना चाहते तो उनका लियन परमानेन्ट समाप्त कर दीजिए एक स्टेबिलीटि होनी चाहिए । कोई अधिकारी अगर लखनऊ में रहना चाहता है, ट्रांसफर कर दिया हरदोई या चमोली, और जाना नहीं है तो कहीं एडजे ट हो 3-4 महीने के लिए, तो निगम के नाम पर यह प्रवृति आपको बदलना होगी । निगमों में होल टाइमस परमानेन्ट लोग जायेंगे तो वह जिम्मेदारी महसूस करेंगे तो

उसमें आप भी उनके ऊपर यह कह सकेंगे कि अमुक कार्य की जिम्मेदारी उनकी थी। आज ऐसा कोई निगम नहीं है आप पता लगा लें जिसमें एम० डी० या चेयरमेन दो साल से ज्यादा रहे हों। अनेक आई० ए० एस० अधिकारी विदेशों से विशेष कार्यों की ट्रेनिंग लेकर आते हैं सरकारी खर्चे पर। तो जब एक आई० ए० एस० विशेष ट्रेनिंग लेकर वहां से आता है तो उसकी नालेज का, उनके अनुभव का लाभ, उनको निश्चित विभाग में भेजकर उठाना चाहिए न कि ट्रिप मिल गयी तो घूम आये और उनको इधर-उधर कर दिया। इस पर नियंत्रण रखने का प्रयास कीजिए। श्रीमन, राज्य विद्युत परिषद् के घाटे के बारे में बहुत कहा जा चुका है। एक दूसरा निगम है राज्य परिवहन निगम। माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय मंत्री जी को पता है कि जब केन्द्र के योजना मंत्री यहां पर आये थे तो इन दोनों निगमों के बारे में जो हमारे प्रदेश के बड़े निगम हैं, जिनमें बहुत बड़ी पूंजी लगी हुई है, उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की थी। बहुत बड़ी चिंता व्यक्त की थी। श्रीमन्, परिवहन निगम में एक अरब की पूंजी है और 6 हजार बसें इसके अन्दर हैं। ढाई हजार बसें आफ दि रोड खराब रहती हैं। जैसा हम समझते हैं इसके दो कारण हैं एक प्राइवेट बसों को रोडवेज में लिया जा सके, दूसरा प्राइवेट आपरेटर्स को लाभ पहुंचाने के लिए, यह बसें खराब रखी जाती हैं। अब इसमें श्रीमन्, टैकनीकल और नान टेक्नीकल का मामला है। यह टेक्नीकल विभाग है। जो टेक्नीकल है उनके प्रोमोशन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। नानटेक्नीकल इस विभाग का कन्डेक्टर डिप्टी जनरल मैनेजर तक प्रोमोट हो गया।

श्रीमन्, इस विभाग के अन्दर कुछ कन्डेक्टर ऐसे हैं जो जनरल मैनेजर तक पहुँच गये। तो श्रीमन्, टेक्नीकल व्यक्तियों में यह कुण्ठा अनुभव होती है। इसको आप देखें। इनके यहाँ परचेज कमेटी है। परचेज कमेटी में नान टेक्नीकल आदमी है। दो मिसाल दूँगा। माननीय मन्त्री जी आ गये हैं यह देखने का प्रयास करें। यह जो टाटा मर्सीडीस खरीदते हैं! इसकी जो टेल्को कं० है उसने कुछ दिन पहले निवेदन किया था सब जगह एक पत्र लिखा था कि शायद विक्रम सूरी के बारे में उन्होंने लिखा था कि यह गाड़ी में न लगाये इससे ऐक्सीडेन्ट हो रहे हैं लेकिन विभाग अपने निहित स्वार्थों से उसका प्रयोग कर रहा है। एक श्रीमन्, आटो फर्म है यह स्प्रिंग बनाती, कमानी की स्प्रिंग बनाती है।

इसकी वार्षिक क्षमता 17 लाख रुपये की है। इस विभाग ने 3 महीने के अन्दर 25 लाख का आर्डर दे दिया 50 फीसदी अधिक दे दिया गया। ऐसा क्यों हो रहा है सन् 80 में 6 कर्मचारियों को इस विभाग के द्वारा चार्जशीट दी गयी। शासन ने आदेश दिया उसमें से 4 रिवर्ट हो गये 2 नहीं हुये और फिर राजनीतिक दबाव से उनको रख लिया गया। सब काम कर रहे हैं।

मेरा मतलब यह नहीं है कि उनको क्यों रखा गया? लेकिन इन मामलों में शीघ्रता करनी चाहिये थी और शासन को अपने आदेशों को सख्ती से कियान्वयन करना चाहिये। पिछली 12 तारीख को माननीय मुख्यमन्त्री जी ने कहा आजमगढ़ में प्राईवेट आपरेशन हो रहा था इसको रोकने से 50 हजार का लाभ हुआ। मैं कहना चाहता हूँ कि अनेकों व्यक्ति सत्ता पक्ष के लोग राजनीतिक लाभ से प्राईवेट आपरेशन कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि

चेकिंग के लिये आपने करीब-हर जिले या दो जिले में ए0 आर0 टी0 ओ0 बना रखा है। जब प्राईवेट आपरेशन हो रहा था आजमगढ़ में, तो आपने आइ0 टी0 ओ0 और ए0 आर0 टी0 ओ0 को क्यों नहीं निलम्बित किया ? उसके रहते ऐसा क्यों हो रहा था ?

श्रीमन, मैं कहना चाहूंगा यह सब लोग उसमें मिले रहते हैं। आर0 टी0 ओ0, ए0 आर0 टी0 ओ0 और पुलिस वाले सब पैसा लेते हैं। हम जब तक उच्च व्यक्ति को दण्डित नहीं करेंगे स्टेशन के छोटे से बाबू को दण्डित करेंगे तब तक यह चीज दूर नहीं हो सकती है। शासन को सबसे पहले सबसे उच्च अधिकारी के खिलाफ ऐक्शन लेना चाहिये कि आपके रहते ऐसी चीजें क्यों हो रही है ? मेरा सुझाव है आप ऐसा करें देखें काम ठीक चलता है या नहीं ? श्रीमन्, एशियाड के लिये बहुत सी बसें गयी जो वहां पर आइडिल खड़ी रही इससे बहुत नुकसान हुआ।

इन सब के अतिरिक्त 40 लाख रुपया कांग्रेस पार्टी पर भी इस निगम का बकाया है। यह सत्ता पक्ष जब जन समूह को इकट्ठा करने के लिये इस विभाग की गाड़ियों का इस्तेमाल करता है, तो इस दल पर भी इस संस्थान का बहुत पैसा बकाया है इसको वसूल होना चाहिये। एग्रो के बारे में मैं कहना चाहता हूँ मैंने पिछले साल भी कहा था। सोमांश प्रकाश जी थे उन्होंने कहा था भ्रष्टाचार ईश्वर की तरह सर्वव्यापी हो गया है इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहिये। वह एक कमेटी के मेम्बर थे। एक अधिकारी के खिलाफ जांच हुई थी और उसको हटाया गया लेकिन फिर उसको रख लिया गया मेरा कहना है राष्ट्रपति शासन में एक एडवाइजर के पद पर थे जिनको पिछली सरकार ने नैतिक शिक्षा के नाम पर रखा। उन्होंने पैसा लेकर पुनः उनको रखा मेरा चार्ज है आप जांच करालें। 7 करोड़ की पूंजी थी खा गये 2 करोड़ पहले दिया गया वह पूरा हो गया फिर दिया जा रहा है। मेरा निवेदन है आपके जो वर्कशाप हैं। सर्विस स्टेशन जो एग्रो के हैं, आप वहां पता करें, सब सरकारी गाड़ियां आती हैं। सरकारी निगम है, सरकारी गाड़ी है, कोई पूंछने वाला नहीं है। इसलिए सरकारी गाड़ियों की रिपेयर्स पर यह विभाग चल रहा है। बहुत बड़ा वर्कशाप है, कभी यहां ट्रैक्टर असेम्बिल होते थे, अब तो आपके प्रतापगढ़ में ट्रैक्टर बन रहे हैं, यहां भी बन सकते हैं। भारत सरकार ने भी कहा, डीजल इंजिन हैं अगर आप उसे बनवायें तो यहां पर इतने कर्मचारी हैं जिनके पास काम नहीं हैं, जो मैटेरियल बनता है अगर जबरदस्ती प्रशासन उसे बिकवाने का प्रयास न करे तो उसे कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन चूंकि सरकारी विभाग का ममला है, इसलिए सब सरकार के मत्थे मढ़ दिया जाता है। अगर आप सभी पार्ट्स की सेल्स और रिपेयर्स एग्रो के माध्यम से आप करायें तो बहुत बड़ी मार्केट आप को मिल सकती है और जो सब-सिडीज आदि आप देते हैं वह सब एग्रो को मिल सकेगी।

इसी प्रकार का नलकूप निगम है, एक छोटा सफेद हाथी। इसमें आर्गेनाइज्ड करप्शन है। इसमें दो करोड़ रुपये का कुछ माल खरीदा था जो सबका सब स्टैण्डर्ड है। पी0 वी0 सी0 पाइप हों या स्टार्टर सभी सब स्टैण्डर्ड। गोदामों में माल रखा है, शाम तक दिखवा कर 5 बजे तक इसकी छान-बीन हो सकती है और ऐक्शन लिया जा सकता है। अगर आप चाहें तो हो सकता

है। इस निगम द्वारा गण्डक समादेश के अन्तर्गत दो सौ नलकूप बनवाये गये। कुछ धन माननीय सदन ने दिया और कुछ बाहर से, जैसे वर्ल्ड बैंक आदि के माध्यम से लिया गया। चूँकि इसके इस्टीमेट ही गलत बनाये गये थे, जानबूझ कर, इसलिए सब बेकार खड़े हैं। मान्यवर 204 नलकूप बेकार पड़े हैं, छिद्रण हो चुका है, मशीनें लग चुकी हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि योजना बनाने वाले पर, ज्यादा नहीं तो कम से कम एक दो पर तो जरूर कार्यवाही करें। मुजफ्फरनगर, आगरा, मथुरा के अन्दर कुछ नलकूप बने थे, वे सब बेकार पड़े हैं। क्योंकि उनका छिद्रण हो चुका है इसलिए शासन को हानि उठानी पड़ रही है, इस तरह से दो करोड़ रुपये जो नलकूप निगम को दिये गये थे, जहाँ पर सूखा पड़ा था प्रदेश में, वहां छिद्रण करने के लिए आज तक वह पैसा पड़ा है। मिस एप्रोप्रियेशन आफ फंड। इस पैसे को दूसरे कार्यों में लिया गया। जिस कार्य के लिये मिला था वह नहीं हुआ। पिछले दिनों इस निगम ने बहुत बड़ा सामान खरीदा, करोड़ी रुपये का। आवश्यकता तो नहीं थी, अच्छा कमीशन मिलना था, इसलिये बहुत सामान खरीदा गया। डेढ़ करोड़ रुपये का सामान दूसरे विभागों को सेल कर दिया गया। दो करोड़ का सामान नलकूप निगम के भंडार में पड़ा है जिसकी आवश्यकता नहीं है। 15 लाख रुपये का सामान चोरी दिखाकर बट्टे खाते में चला गया। गरीब देश है। जहां हम 13 सौ, चौदह सौ करोड़ का बजट रखते हैं, यह बहुत छोटी रकम है लेकिन यह इस गरीब प्रान्त के लिए बहुत बड़ी रकम है।

हुआ यह कि वह अधिकारी जिसने यह सब कुछ किया, श्रीमन्, चीफ इंजीनियर बन गया। सेतु निगम है, हमारे माननीय मंत्री जी उसके कार्य कलाप को देखने के लिये तीन बार विदेश जा चुके हैं। मुझे सूचना है कि अभी तक उसकी कोई बैलेन्ससीट नहीं बन पायी जिसका बहुत बखान यहां किया जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि हमारे प्रदेश का सम्मान ऊँचा हुआ है, उसका विदेशों में कांट्रेक्ट लेने के लिए 5 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। यहां के अधिकारी महीने में दो बार विदेश जाते है। यह है अनुत्पादक खर्च जिसपर नियंत्रण होना चाहिये। मंत्री जी चले गये तो अधिकारी को कैसे रोकेंगे? यह तीन दफा जायेंगे, वह 15 दफा जायेगा।

श्रीमन्, ग्रामीण अभियन्त्रण, सिंचाई विभाग का आदमी जो असिस्टेंट इंजीनियर पर कंफर्म यहीं हुआ, ग्रामीण विभाग में जहां करोड़ों का बजट है, जो हमारे प्रदेश की आधी गरीब जनता की सेवा के लिए बना है, का मुख्य अभियन्ता हैं। श्रीमन्, बड़ा कहा जाता है कि उत्पादन बढ़ायेंगे। तीन साल के आंकड़े देता हूं। खरबों रुपये खर्च करने के बाद जब सिंचन क्षमता अर्जित कर लिया है तो उपयोग क्यों नहीं हो पा रहा है।

मान्यवर, 80-81 में इस प्रदेश की सिंचन क्षमता 90.99 लाख हेक्टेयर थी इसमें उपयोग हुआ सिर्फ 54.96 लाख हेक्टेयर थी। 81-82 में सिंचन क्षमता 95.39 लाख हेक्टेयर जिसमें उपयोग हुआ केवल 55.75 लाख हेक्टेयर, 82-83 में सिंचन क्षमता 99 लाख हेक्टेयर जिसमें उपयोग हुआ, अभी आंकड़े नहीं आ पाये हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, अनुमानित है 57.28 लाख हेक्टेयर। ऐसा न हो, इस पर देखना होगा कि जब प्रदेश में इतनी सिंचन क्षमता

उपलब्ध हो चुकी है, अनेक योजनाओं के द्वारा इस सिंचन क्षमता को जब हम बना लेते हैं तो उसका उपयोग क्यों नहीं हो रहा है ? अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि योजना बता दीजिये । दो योजनाओं को थोड़ी देर बाद रखते पहले इसको पूरा कीजिये । जो सिंचन क्षमता बन चुकी है, जिसे हम प्राप्त कर चुके हैं । इस प्रदेश को इस पर ध्यान देना चाहिये ।

श्रीमन, एक बात मैं कहूँ कि बहुत बार कहा जाता है हमारे सत्ता पक्ष की ओर से कि 10 घण्टे बिजली देहातों को दी । आप कहते हैं कि दी और हम कहते हैं कि नहीं दी । एक मापदण्ड मैं आपको बताना चाहता हूं । आपके जितने भी सरकारी ट्यूबबेल्स हैं उनका आप सर्वेक्षण कर लें, जिनसे पानी देने की व्यवस्था थी तो आपको पता चल जायेगा । प्रदेश में जितने सरकारी ट्यूबेलस हैं उनकी क्षमता देख लें और यह भी देख लें कि कितने घण्टे चले और आपने कितने घण्टे बिजली दी तब इसमें कोई विवाद नहीं होगा ।

श्रीमन्, नहरों कों बात है । कुछ दिन मुझे भी इस विभाग का कार्य देखने को मिला था । उस समय मेरी तथा हमारे साथियों की जो मनोवृत्ति थी, उसको देखेंगे तो शायद समझने का प्रयास करेंगे ? मैंने उस समय बैंच से कहा था कि यह दुर्भाग्य है कि अनेक वर्षों से सिंचन क्षमता बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन वह प्रोटेक्टेड है, सब खर्च के लिये हैं । एश्योरड इरीगेशन आज भी इस प्रदेश में एक परसेन्ट है । महाराष्ट्र के अन्दर एश्योरड इरीगेशन है । हमारा प्रदेश जो गंगा और यमुना के बीच में पड़ता है, जिनमें अपार जल है, लेकिन हमारा प्रदेश अभी तक एश्योरड इरीगेशन क्रिएट नहीं करता है । सब प्रोटेक्टेड इरीगेशन है । श्रीमन्, अभी राज्य नियोजन संस्थान ने अपना एक सर्वेक्षण किया तो यह पाया कि पांच सौ करोड़ रुपये की हैवी अर्थ मूविंग मशीनें सिंचाई विभाग के पास हैं तथा जल निगम के पास हैं । इन तोनों विभागों में पांच सौ करोड़ रुपये की मशीनों का 33 प्रतिशत इस्तेमाल किया जाता है जबकि 80 प्रतिशत क्षमता इस्तेमाल होनी चाहिये । श्रीमन्, यह एक बहुत बड़ा अपराध है । इस गरीब प्रदेश के लिए । 500 करोड़ रुपये की मशोनें हैं लेकिन हम फिर भी मशीनें खरीदते जा रहे हैं ।

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से सत्ता पक्ष से कहना चाहता हूं कि जब माननीय पण्डित कमला पति त्रिपाठी जी इस प्रदेश के सिंचाई मन्त्री थे तो उन्होंने एक सिफारिश की थी कि सेन्ट्रल मशीनों के संबंध में सेन्ट्रल मेकेनिकल यूनिट बनाई जाय । श्रीमन्, जैसा कि मैं बहुत पहले भी कहता रहा हूं और आज भी कहता हूँ कि आपके कार्य करने तथा हमारे कार्य करने के ढंग में अन्तर है । पण्डित कमलापति त्रिपाठी जी हेतु सुझाव, लेकिन जब मैं उधर बैठा हुआ था, को स्वीकार किया । जन सहयोग के लिये जो योजनायें बनाई और जो आदेश उसको हमने नकारा नहीं । हमारी यह कभी भावना नहीं रही कि यह कांग्रेस शासन का सुझाव है । श्रीमन्, यह होता है, जब दूसरी सरकार आती है तो पूर्व सरकार के आदशों की स्कूटनी करती है, करनी भी चाहिये । लेकिन श्रीमन्, जो जन कल्याण के आदेश हैं उसे परिवर्तित न किया जाय । मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि यह ब्यूरोक्रेशी सदैव सत्ता तथा विपक्ष के लिये काँटे खड़ी करती रहती है ।

अगर पुरानी सत्ता का कोई अच्छा आदेश है तो उसका पालन कीजिये, गलत आदेश हों तो परिवर्तित कीजिये । तो मैं यह कह रहा था कि यह आज भी नहीं बन पाया । अभी इंग्लैंड से 50 करोड़ रु० की मशीनें आयी थीं । यह आदेश किया गया था कि वे मशीनें ठेकेदार को नहीं दी जायेंगी, इनसे विभाग स्वयं काम करायेगा । आज वे मशीनें ठेकेदार को दे दी गयी हैं, रख-रखाव विभाग करता है । पैसा उत्तर प्रदेश शासन ने खर्च किया, उपयोग ठेकेदार कर रहा है ।

(व्यवधान)

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मान्यवर मैं आपके माध्यम से मा० नेता, विरोधी दल से बड़े विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्र की भाषा हिन्दी है । "एक" का बहुवचन होता है 'अनेक', मा० नेता, विरोधी दल "अनेकों" न कहा करें ।

श्री राजेन्द्र सिंह—

मैं मा० बाजपेयी जी के भाषा ज्ञान का आभारी हूँ । जैसा ब्रह्मचारी जी ने कहा था कि वह संस्कृत का पाठ पढ़ाया करेंगे, तो मा० बाजपेयी जी बता दें कि वह हिन्दी कब पढ़ाया करेंगे, मैं कब पहुंच जाऊं ?

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

अरे सरकार, आपका बच्चा हूं, जब आप आदेश देंगे, मैं पहुँच जाऊंगा ।

(हँसी)

श्री राजेन्द्र सिंह—

तो मैकेनिकल यूनिट अभी तक नहीं बन पायी । होता यह है कि वही ठेकेदार सरकारी मशीनों की निलामी कराकर थोड़े-बहुत दामों पर ले जाता है । राम गंगा परियोजना के पास के गोदामों में आज भी हजारों करोड़ रु० की मशीनें बेकार पड़ी हुई हैं । किसी का कोई पुर्जा खराब है, किसी का कोई पार्ट खराब है । समय बीतता चला गया लोग फायदा उठाते चले गये ।

जल निगम ने कुछ मशीनें खरीदीं । उन मशीनों की क्षमता का केवल 20 प्रतिशत उपयोग किया गया । अब वे आइडिल खड़ी हुई हैं । हर विभाग अपनी क्षमता के हिसाब से से लगातार मशीनें खरीदता रहता है । सेण्ट्रल मैकेनिकल यूनिट बन जाय तो वह रख-रखाव करेगा । ठेकेदारी प्रथा भी समाप्त होगी और उन मशीनों की क्षमता भी बढ़ जायगी । 4000 आदमी इन मशीनों पर काम किया करते थे । अगर आज यह यूनिट बन गयी होती तो 4000

लेबर, जो कि इतने निपुण हैं कि अगर विदेशों में चले जायं तो उनको 8-8 हजार और 10-10 हजार रु० प्रति माह मिलेगा, आपने उनको निकाल दिया और ठेकेदारों से काम कराया। इस पर आप ध्यान देने की कृपा करें।

जैसा मैंने कहा कि अच्छे आदेशों का सम्मान करना चाहिए। जनता सरकार के जमाने में एक आदेश था और वह फाइल पर है कि नलकूपों की क्षमता के लिये मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में दो स्टैण्डर्ड बने हुए थे। देखा यह गया कि बुन्देलखण्ड में 16 हजार गैलन पर ही नलकूप बनता है, 30 हजार गैलन की क्षमता नहीं हो सकती क्योंकि पानी कम है। सुल्तानपुर, रायबरेली और जो बयान दिया गया था कि रेगिस्तान बढ़ता चला आ रहा है तो मैंने सुझाव दिया था, कि आप अगर वहाँ पर नलकूप उस क्षमता के लगवा दें, जो स्टैन्डर्ड बुन्देलखंड का है, क्योंकि वहाँ खारी पानी है, तो समस्या का समाधान हो सकता है। आदेश पहले से इसके हैं मगर इसको कार्यान्वित कराने की आवश्यकता है।

एक और समस्या सीपेज की है जो बड़ी ही भयंकर है हमारे यहाँ। बड़ी-बड़ी नहरें बनती जा रही हैं जिनके कारण सीपेज की समस्या बढ़ती जा रही है। यह पाकिस्तान, हरियाणा और पंजाब में भी पहले आ गयी थी। लेकिन वहाँ पर उन्होंने कुछ उपाय किये। उन्होंने 4 उपायें किये, हो सकता है कुछ और उपायें हों, आपको चाहिये कि उन्हें अपना कर इसको ठीक करें। उन उपायों में एक यह भी है कि नहरों को पक्का कराया जाये। एक यह भी है कि एक्सटेन्सिव सर्विस ड्रेनेज हो, नेचुरल बहाव के माध्यम से ड्रेनेज सिस्टम हो। तीसरा अन्डर ग्राऊन्ड ड्रेनेज और 4 था ड्रेनेज वेल्स (ट्यूब वेल्स) स्कीम चालू की जाये।

अब मैं ला एन्ड आर्डर की समस्या पर आता हूँ। हमारे यहां 156 विधायकों को शैडो मिले हुये हैं। कुछ तो पर्सनल डिग्नटी के कारण रखे हुये हैं, कुछ को अपनी जान का खतरा बना हुआ है इसलिये रखे हैं। जब जन प्रतिनिधियों को खतरा है तो इसी से आप अन्दाज लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है इसकी रकछपुरा की बात यहां पर आयी थी, 10 तारीख को मैंने कहा था। माननीय मुख्य मन्त्री जी जहाँ नहीं हैं, उनके पास समय नहीं है हमारी बात सुनने के लिये। मेरे पास एक संसद सदस्य माननीय रामसिंह शाक्य का एक टेलीग्राम आया है जिसे मैं आपके सामने पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ—उन्होंने लिखा है, मैं कछपुरा नरसंहार में जीवित एक मात्र पुरुष राजवीरसिंह जो जसवन्तनगर में उसके परिवार को श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु आयोजित विशाल जन सभा में हिस्सा लेने के लिये मेरे साथ आ रहा था, पुलिस ने उसे जबरन मुझसे छीन लिया। उस समय मेरे साथ श्री संतोष भारती रविवार प्रदीप, प्रकाश, बसन्त

श्रीवास्तव एवं विद्याशंकर चौबे पत्रकार भी थे। मुझे शंका है कि उससे जबरन किसी मजिस्ट्रेट के सामने गलत बयान कराये जा सकते हैं।

मैं चाहता हूँ कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कि जो बात मैंने 10 तारीख को यहां सदन में कही और आज 14 तारीख है आप इसको देखें कि इटावा का पुलिस प्रशासन राजवीर सिंह को क्यों घेरे हुए है, क्यों उसे बाहर नहीं आने देती है ?

इसी तरह से मिस्टर गौड के बारे में कहना चाहता हूँ कि उनके प्रति एक्शन क्यों नहीं लिया गया। यह मैं जानता हूँ कि सत्तापक्ष उसे बचाने का प्रयास कर रहा है। उसी का भाई है डी0 एम0। हमीरपुर में एक व्यक्ति है अब्दुल मजीद, थाना मौढ़ा, जिला हमीरपुर का वह रहने वाला है, उसे गुण्डा ऐक्ट में बन्द किया गया वह हाईकोर्ट गया वहाँ उसे छोड़ने के लिये फैसला हुआ परन्तु डी0 एम0 ने उसे छोड़ने नहीं दिया। इसी सिलसिले में उन्हें हाईकोर्ट से क्षमायाचना भी करनी पड़ी तब जा कर वह छूट पाया। वहाँ की पुलिस अब्दुल मजीद को विभिन्न मामलों में फंसाने का प्रयास कर रही है क्योंकि वह उनके विरुद्ध कन्टेम्प आफ कोर्ट के मामले अदालत में ले जाना चाहता है।

इसी तरह से जो 17 सब इंस्पेक्टर्स के ट्रान्सफर्स हुए थे उसे 6 महीने हो गये बराबर शासन से आदेश जा रहे हैं लेकिन राजनैतिक दबाव के कारण वे वहां जमे हुए हैं। माननीय वित्त मंत्री जी ने खासतौर से यह परम्परा ड़ाली है और उन्होंने दो एडवरटाईजमेन्ट दिये हैं जिसमें सेल्स टैक्स के पुराने बकाये जो थे उनको वसूल करने के लिये उन्होंने एक तरीका निकाला कि उसमें पहले का इन्टरेस्ट माफ किया' कुछ का थोड़ा सा लिया। पुराने बकाये के रियलाईजेशन में सुविधा दी इन्टरेस्ट की थोड़ी बहुत छूट दे कर। इसी प्रकार से विद्युत उपभोक्ताओं के लिये कहा गया लेकिन इसका लाभ किसानों को नहीं मिला। इस छूट का लाभ बिजनेसमैन को मिला। यह छूट 31 मार्च, 1981 को दी गयी है, जिनका उस समय बकाया था उन्हें दी गयी। तो श्रीमन्, किसानों का कनेक्शन तो आप फौरन काट देते हैं लेकिन किसानों के बहाने आपने यह लाभ पहुंचाया बड़े-बड़े इण्डस्ट्रियलिस्टों को आप इस तरह का लाभ इस प्रकार से ग्रामीण किसानों को गरीब व्यक्तियों को दें जिनके पास आपकी कोआपरेटिव संस्थाओं का बकाया है और जो उन्हें देने की स्थिति में नहीं हैं, उनके इन्टरेस्ट को आप माफ करें और उसके बाद फिर उनसे मूल धन को वापस लेने का प्रयास करें। यह यह सरकार तो बिजनेस मैन के हित में यह कार्य कर रही है, नहीं तो आप गरीबों के लिये इसको कीजिये।

इसी तरह से भ्रष्टाचार के बारे में कुछ बातें मैं कह रहा था, इसी संबंध में एक-दो बातें और कहूंगा।

हरिजन वेलफेयर डिपार्टमेंट है, अभी मैंने पहले कहा था कि इस विभाग में भ्रष्टाचार है। इस विभाग में, मैं कहना चाहता हूं और चार्ज करता हूँ कि कोआपरेटिव विभाग के अन्दर जो नियुक्तियां हुई हैं वह पैसा लेकर हुई हैं। शासन अपनी छाप ठीक करने के लिए इसकी जांच कराने का प्रयास करे। हरिजन फन्ड और जो इसी तरह के और फन्ड हैं उनमें बहुत ही भ्रष्टाचार है, बहुत सी गड़बडियां हैं। एक व्यक्ति था जो 24 संस्थायें चलाता था, आजमगढ़ में हरिजनों के नाम पर, उसका सीधा सम्बन्ध है सत्ता पक्ष से। मेरा निवेदन है कि जब 24 संस्थायें एक व्यक्ति चला रहा है, वहाँ पर गबन हो गया करीब लाखों रुपये का, इसकी फीगर याद नहीं, हैं। 2 लाख का मिस एप्रोप्रिएशन किया गया, मेरा कहना है कि वहाँ पर उच्चाधिकारी थे, वह काम करते थे। जितनी भी डेवलपमेंट की योजनाये हैं उसका इन्चार्ज डी0 एम0 होता है। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि जिलाधीश को आप पकड़ें कि इस तरह की संस्थायें क्यों चलायी जा रही हैं? वहाँ पर डी0 एम0 हर समय रहता है, हरिजन अधिकारी हर समय रहता है और अब तो चीफ डेवलपमेंट आफीसर बन गये हैं। इनको आप पकड़ें।

आप केवल कैशियर या क्लर्क को ही राउन्ड अप करते हैं तो इससे कुछ नहीं होगा। इसमें हाथ उच्च अधिकारियों का होता है। अगर आप हैवी पनिशमेंट, भारी ऐक्शन उनके खिलाफ लेंगे तो आपको आगे भी सुविधा मिलेगी। माननीय कृषि मंत्री जी नहीं हैं। कृषि विभाग का एक मामला है। यह बहुत बड़ा मामला है। मैं संक्षेप में कहूंगा कि एक व्यक्ति है जो हर समय उच्च अधिकारियों से सम्बन्ध बनाये रखता है। एक रण बीर सिंह हैं, इस विभाग में, वह इस विभाग में गलत कामों को सही कराने का आदी हैं। वह एक उच्च अधिकारी का दलाल है। जब से उनका एप्वान्इटमेंट हुआ है, थोड़ी अवधि में बाहर रहे फिर यहीं पर आ गये। श्री भानु प्रताप सिंह अपने समय में स्थानान्तरण किया था लेकिन वह केन्द्र के मंत्री की एक चिट्ठी लेकर आ गये और पुनः लखनऊ हेडक्वार्टस में पोस्टेड हैं। आप पता करें, मेरा तो कहना है। एक दूसरे अधिकारी हैं भीम सिंह त्यागी, यह रिसर्च फार्म मेरठ पर हैं और यह मेरठ के ही रहने वाले हैं, थोड़ी सी अवधि का ब्रेक दिखाने के लिए लखनऊ में और फिर वहीं। इनके ट्रान्सफर को कराने में वहां के निदेशक ने जो मदद की है वह इससे साफ जाहिर होती है। यह भ्रष्टाचार का बड़ा मामला है। मैं इसको आपके पास भेज दूंगा। ऐसा कहीं नहीं देखा गया कि एक व्यक्ति को एक-एक दिन में दो-दो बार ट्रान्सफर किया

गया। मेरे पास इसकी फोटो स्टेट कापी है। आदेश सं0 134 दिनांक जुलाई 2। पहले आदेश से इनका ट्रान्सफर अन्यत्र किया गया और फिर वही संख्या फट जाती है और उसी क्रम संख्या से दूसरा आदेश जाता है, उसी संख्या पर और उसका ट्रान्सफर रुक जाता है। मेरे पास इसकी फोटो स्टेट कापी है। इस अधिकारी को वहां से हटाने के लिए शासन का आदेश हुआ, उसकी कापी मेरे पास है, उस पर श्रीपुष्कर, उप सचिव के हस्ताक्षर हैं, 18 दिसम्बर, 1982 का है।

जिसमें यह कहा गया है कि भीम सिंह त्यागी को तुरन्त हटा दें लेकिन आज भी वह व्यक्ति वहां पर मौजूद है। एक प्रोजेक्ट आफीसर थे मिस्टर के0 पी0 सिंह। उन्होंने एक पत्र लिखा था कि यह आदमी गलत है उसका तुरन्त स्थानांतरण कर दिया जाय। वह पत्र है जुलाई 82 का। मुरादाबाद के कृषि अधिकारी के बारे में था। लेकिन यहाँ के एक उच्चतम अधिकारी उनको अपना प्रश्रय दिये हुये हैं। कारण सभी जानते हैं। मैं अपनी जबान से नहीं कहना चाहता। श्रीमन्, इसी संदर्भ में एक बात आती है कृषि के बारे में। समय काफी हो गया है संक्षेप में पूरी बात कहने का प्रयास करूँगा। दो बार-एक बार सन् 81-82 में और दूसरी बार 1982-83 में भारत सरकार ने और हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक लम्बी घोषणा की कि रिकार्ड उत्पादन हुआ। हमने मान लिया। लेकिन इस रिकार्ड उत्पादन के बावजूद भी विदेशों से गेहूँ आ रहा है और इस रिकार्ड उत्पादन के बावजूद कीमतें बढ़ीं। ये प्राइसेज की इन्डेक्स 80-81 में 11.4 प्रतिशत बढ़ीं और 81-82 में 12.7 प्रतिशत बढ़ीं और होल सेल प्राइसेज का इन्डेक्स 6 महीने में 6 प्रतिशत बढ़ गया है। यह बात उन घोषणाओं से मेल नहीं खाती। कोई कमी जरूर है। या तो घोषणायें सही नहीं थीं अथवा रिकार्ड उत्पादन नहीं हुआ है। वह तो एक परिपाटी चली आ रही और एक जमाने से चली आ रही है। आंकड़े चलते हैं, तहसील लेबुल से चलते हैं फिर कलेक्टर बैठता है और वह देखता है कि यदि पिछले साल 10 हजार क्विंटल उत्पादन लिखा था तो इस साल 10 हजार पांच क्विंटल लिख दो। जब देखा कि कोई अकाल पढ़ रहा है, पकड़े जायेंगे तो कुछ कम कर दिया। तो इन चीजों से ऐसा लगता है कि या तो घोषणायें सही नहीं थीं या फिर रिकार्ड उत्पादन नहीं हुआ है। या तो दूसरी बात यह है कि आज की गरीब देशों की अधिकांश सरकारें अपनी कुर्सी को बचाने के लिये खाद्यान्न की कीमत को योजनाबद्ध तरीके से नहीं रखती हैं, उनका तरीका पक्षपातपूर्ण रहा है। शहरी जनता के लिये हो या ग्रामीण के लिये हो, चाहे वह खाद्यान्न परचेज कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन लगाने वाली बात हो या प्रोक्योरमेंट की बात हो या इम्पोर्ट को एनाउन्स करने की बात हो। हमारे देश के अन्दर बुनियादी संघर्ष श्रम और पूँजी में नहीं है

बल्कि कुछ गरीब और शहरी के बीच का है और अपने-अपने दृष्टिकोण से टकराव का है। इसी टकराव के लिये जो सरकारें कुर्सी बचाना चाहती हैं वे शांति बनाये रखने के लिये चाहे वह उद्योग के लिये हो कि लेबर हल्ला न मचाये या किसानों को उचित लाभ पहुँचाने की बात हो, उनका एक तरीका हो गया है। श्रीमन् एक हैं मिस्टर वी0 एम0 डांडेकर, गोखले इंस्टीट्यूट के। उन्होंने भी एक बात कही है—

दि इफर्ट इज टू ब्रिंग डाउन प्राइज आफ फूड एन्ड अदर प्रोडक्टस आफ एग्रीकल्चर वाई एनी मीन्स रिगुलेशन कट्रोल प्रोक्योरमेंट मैसिव इम्प्रोर्ट आर थ्रेन्ट आफ इम्प्रोर्टस देयर इजदी लोग होल्ड व्यू दैट एकोनामिक डेवलपमेन्ट नीडस इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट नीडस इन्डस्ट्रियल पीस दि इनस्ट्रियल डेपलपमेन्ट नीडस लेवर प्रोसेस आफ फूड एन्ड इन्डस्ट्रियल शमैट्रियल

[3 बजे अपराह्न]

हमारे देश की प्रधान मंत्री ने भी 10 अप्रैल 1976 को इण्डियन एग्रीकलचरल कांग्रेस में भाषण देते हुए कहा—

वी कैन नाट कीप अप दि प्राइस आफ फार्म प्रोडयूस एट दि हायर लेविल। इन-फ्लेसन डज नाट हेल्प फारर्म्स। हाई प्राईस आफ फूड ग्रेन्स एन्ड कामर्शियल क्राप्स यूटीलिटी लीड टू, डिमान्ड फार हायर वेज एलाउन्स इसेट्रा।

श्री अधिष्ठाता—

इसका हिन्दी में अनुवाद कर दीजिये।

श्री राजेन्द्र सिंह—

माननीया प्रधान मंत्री ने कहा कि हम एग्रीकलचरल कमोडिटीज की प्राइसेज को ज्यादा नहीं कर सकते हैं क्योंकि इससे इनफलेशन आयेगा। श्रीमन्, एग्रीकलचरल कमोडिटोज की प्राईस बढ़ने से इंफलेशन नहीं आता है। जब दूसरी चीजों के दाम बढ़ जाते हैं तो किसान कहता है मुझे भी कुछ दो क्योंकि मुझें भी काफी खर्च कृषि पर करना पड़ता है।

श्रीमन्, एक और बात बताना चाहता हूँ अच्छी चीज है इसलिए आपकी इजाजत से पढ़ देना चाहता हूँ एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं डियोडैस डब्लू सूज जिनको नोबुल प्राइस मिला है उन्होंने कहा है—

"एग्रीकलचर प्राडक्टस, हाउएवर आर ओवर प्राइज्ड इन शम कन्ट्रीज नोटेविली इन योरोपियन इकोनोमिक्स कम्यूनिटी एण्ड इन जापान। दीज कन्ट्रीज हैव आपटेड पोलिटीकली फार ए ग्रीन हाउस एग्रीकल्चर कन्ट्रीवाइज, मेनी लो इन्कम कन्ट्रीज हैव टेन्डेड टू अन्डर प्राइज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टस एन्ड इन ड्राईंग सो, दे हैव बाई पोलीटिकल मीन्स क्रियेटेड ऐन इन-डेन्चर्ड एग्रीकल्चर, टू सप्लाई चीप फूड फार अरबन पीपुल'।

राजनीतिक कारणों से कृषि वस्तुओं की कीमते कम रखी जाती हैं उन्होंने इसकी मिसाल दी हैं जिनमें कृषि को इनडैंचर्ड माने नैगलैक्ट किया जाता है। उनका उद्देश्य पोलि-टिकल होता है कि कृषि फार्मो के उत्पादन को कम रखा जाय। ताकि अरबन पापुलेशन लाभान्वित हो सके। मैं समझता हूँ कि हमारे देश का भी यही नजरिया है।

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ सोसल एण्ड इकोनामिक चेंज, बंगलोर में एक सेमीनार हुआ रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्टेशन पर जिसका उद्घाटन योजना आयोग के एक सदस्य श्री सी० एच० हनुमंतैया राव ने किया था तथा जिसकी अध्यक्षता श्री वी० के० आर० वी० राव ने की थी। उन्होंने विकास खंड के एडमिनिस्टेशन को सुदृढ़ बनाने तथा अन्य विभागों से कोआर्डिनेशन स्थापित करने की बात कही। उन्होंने आगे कहा पिछले कुछ वर्षों में कृषि विकास पर जोर देने हट कर गरीब के उत्थान पर सोचने की बात की गयी है और कृषि विकास की उपेक्षा रही। हमारा उद्देश्य डायवेर्ट हो गया है।

श्रीमन्, मैं यहां पहले भी कह चुका हूँ और आज भी कहना चाहता हूँ, कि कृषि के बारे में कि यदि अन्डरमाइन्ड कर रहे हैं कृषि के महत्व को तो यह प्रदेश का दुर्भाग्य होगा। यदि शासन में बैठे लोग कृषि के विकास की उपेक्षा करेंगे तो मैं फिर कहना चाहता हूँ कि ग्रामीण के उत्थान के दो रास्ते हैं—एक तो कृषि के उत्पादन को बढ़ाना है और कृषि पर आधारित जो कार्यक्रम हैं उनका विकास और दूसरे नान एग्रीकल्चर पर आधारित कार्यक्रमों का विकास। इन दोनों कार्यक्रमों पर बल देना है। एक कार्यक्रम का विकास करके हम ग्रामीण जनता का विकास नहीं कर सकते हैं लेकिन बड़े-बड़े लोग जो शासन में बैठे हैं वह दूसरी बातें करते हैं। इसलिये इस पर डिबेट होनी चाहिये।

मान्यवर, बी० एल० डब्लू० को अब विलेज आफिसर का नाम दे दिया है, जो मल्टि-पिल परपज का है और दूसरे ए० पी० सी० मल्टिपिल परपज के हैं लेकिन लोएस्ट परपज में बी० एल० डब्लू० है। इनसे काम नहीं चलेगा। इसलिये मेरा सुझाव है कि दो चीजों को साथ-साथ लेकर न चलें। कृषि को बढ़ाने के लिये कार्यक्रमों को एक विभाग को सौंपे और नान

एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की योजनाओं को दूसरे विभाग को सौंपे और इनके विकास की जिम्मेदारी अलग-अलग रखें। चूंकि नानएग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिये बाजार ढूंढना होगा, नई-नई चीजें इजाद करनी होंगी, इसलिये एक अलग विभाग होना चाहिये। ऐसा न होने से अभी जैसा कि होता है कि जिस साल फसल अच्छी हो जाती है तो कृषि विभाग कहता है कि हमने किया, कोआपरेटिव विभाग कहता है कि हमने किया और ब्लाक वाले कहते हैं कि हमने सब काम किया इसलिये फसल अच्छी हुई। जिस सालफसल खराब हो जाती है तो कृषि विभाग कहता है कि कोआपरेटिव विभाग ने खाद नहीं दिया इसलिये ऐसा हुआ, तो एक दूसरे पर आरोप लगाये जाते हैं। इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि यदि आपका मन है तो जिम्मेदारी निश्चित करें कि कृषि की जिम्मेदारी किस की है और नान एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के विकास की जिम्मेदारी किस की है। इस प्रकार दोनों की अलग-अलग जिम्मेदारी जब तक आप निश्चित नहीं करेंगे तब तक प्रदेश का भला नहीं होगा।

श्रीमन्, अब मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ, जैसा कि मा० सदस्यों ने कहा कि सुझाव नहीं देते हैं, तो तीनों कृषि विश्वविद्यालयों के संबंध में आप विचार करें कि इनको अब कोई रिसर्च वर्क नहीं रह गया है। मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले 20 सालों में जितनी वैरायटी निकाली हैं वह 3 सालों में फेल हो गयी हैं।

कोई नई वैरायटी उसने प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए नहीं निकाली है। कृषि मन्त्री जी यहाँ नहीं हैं, वह स्टेट लेवेल की सीड रिलाजिंग, कमेटी के मेम्बर होते हैं, मैं उनसे जानना चाहता था कि क्या पिछले दो-तीन सालों में इन इन्स्ट्यूशन्स ने कोई नई वैरायटी खोज निकाली हैं ? मेरा अपना पक्का ख्याल है कि पिछले दो-तीन सालों में कोई अच्छी वेराइटी रिलीज नहीं की गई है।

एक भूमि सुधार की बात है। आप भूमि वितरण की बात कह रहे हैं, वह बहुत अच्छी है, लेकिन लाखों एकड़ भूमि सड़कों के किनारे पड़ी हुई हैं। मैंने पी० डब्लू० डी० मिनिस्टर से कहा था कि वह एक बार यहाँ से दिल्ली तक जी० टी० रोड बाई रोड चले जाएं तो एक तो उन्हें उससे अपने विभाग की कार्य। प्रणाली और कारगुजारी मालूम हो जाएगी और दूसरे उस बेकार जमीन को भी देख सकेंगे। उन्हें जी० टी० रोड की हालत मालूम हो जाएगी, जो सड़क पिछले साल बनी है, वह इस साल टूट गई हैं। मैंने यह भी कहा है कि मेरे क्षेत्र में एक सड़क सब स्टैन्डर्ड बनी थी, जो टूट गई है। मैं आपसे चाहूंगा कि आप एक रिसर्च इंस्टीट्यूट बनावयें, जो हमारी जमीनें हैं, बंजर आदि हैं, उसको वह कृषि योग्य बनाने का प्रयास करे।

शायद हिसार या पंजाब में इस प्रकार की एक संस्था है। मैं चाहता हूं कि उसी प्रकार का एक इंस्ट्यूशन अपने प्रदेश में हरदोई, एटा या कुमारगंज में हो। जितनी बढ़िया कृषि लैण्ड है वह शहरों के पास है, उसको हम मकानों आदि के लिए एक्वायर करते चले जा रहे हैं। आप हरदोई में सचिवालय का कोई खण्ड बना दें, लेकिन आप वहाँ तक नहीं जाएंगे। कुमारगंज में आपने यूनिवर्सिटी बनवाई है, इस इंस्ट्यूशन को वहाँ पर बनवायें।

जनता सरकार ने दो करोड़ रुपये की पूंजी से एक भूमि सुधार निगम बनाया था, जो अब तक वैसे ही पड़ा है पत्रावलियों में, उस पर कोई काम नहीं हुआ है। आपने भूमि-सेना बनाई है। उत्तर प्रदेश से गरीबी मिटाने के लिए और भूमिहीनों में भूमि का वितरण करने के लिए इस योजना का कार्यान्वयन बहुत जरूरी है।

एक चम्बल विकास योजना बनी थी, जिसके लिए भारत सरकार से प्रदेश की रुपया मिला था, लेकिन वह भी रुका पड़ा है, उस पर आगे आपने कुछ नहीं किया है। एक पन्तनगर विश्वविद्यालय है, वहां पर एक झगड़ा बराबर रहता है। हमने उसे हल करने का प्रयास किया था, लेकिन नहीं हुआ। वहां पर एक बहुत बड़ा कृषि फार्म हैं, उसके इन्कम से उस यूनिवर्सिटी को चलाने की बात है और इसीलिए वह बनी थी। लेकिन अब वहाँ पर कर्मचारियों के मजबूत संगठन बन गये हैं जिससे वहां पर परस्पर झगड़ा बना रहता है। इसलिए इस सबके लिए यही रास्ता है कि आप रिसर्च फार्म और सीड उत्पादन फार्म को अलग-अलग कर दीजिए। लेकिन जो वाईस चांसलर वहाँ पर हैं, उसके सिर पर इसका दर्द न रखिये कि वह 5-6 हजार लेबर्स से रोज बात करता रहे इस पत्रावली को आप आगे चलाने का प्रयत्न करें।

श्री अधिष्ठाता—

अभी आप कितना समय और लेंगे ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

केवल 15-20 मिनट ही लूंगा। इस बजट के बारे में कुछ बातें हैं आपने अपने बजट भाषण में कहा है कि सन् 83-84 की योजना वर्ष 82-83 की अपेक्षा 173 करोड़ रुपया अधिक की है। लेकिन आप यह नहीं देखते हैं कि तब से अब मूल्य कितने अधिक बढ़ गये हैं, उस दृष्टि उसे देखेंगे तो यह योजना वास्तव में पिछले साल से कम की है।

दूसरी बात श्रीमन्, कही गयी कि अक्तूबर 82 तक 1-40 लाख एकड़ भूमि 1-43 लाख व्यक्तियों को बांटी गयी। आप खाली आँसू पोंछने के लिए कोई काम न करें, तो अच्छा है।

हरिजन को दें, लेकिन कम से कम इतना तो दें कि जिस पर कि वह काम कर सके। ऐसे लोगों को मत दें कि वह बटाई पर दे। 42,60 लाख रुपया आपने आबंटियों को बांटा। श्रीमन् इतने आबंटियों को बांटने में 29 रुपया फी परिवार आया ऐसी आंसू पोछने वाली योजना आप मत बनाइये। एक और श्रीमन्, आई, बड़ी अजीब सी चीज है। इसी तरह की है, 19,09 एकड़ भूमि इस तरह से बांटी गयी।

अभी एक आया था रायबरेली का, एक एकड़ जमीन को तीन परिवारों में बांटा गया। खाली नाम के लिए यह परिपाटी मत डालिये। जल निगम के लिए 25 लाख रुपया आपने इसमें रखा है। वह क्यों निष्क्रिय हो गयी? इन योजनाओं को कार्यान्वित करने से पहले, जिनकी वजह से यह निष्क्रिय हो गयी, उसमें आपने क्या कार्यवाही की? यहाँ पर राज्य कृषि अनुसंधान एवं शिक्षापरिषद् का गठन किया जायगा, जो सरकार को सलाह-मशबिरा देगी। आपके सचिव, विभागाध्यक्ष, वाइस-चान्सलर यूनिवर्सिटी के जो हैं, इनके अलावा अगर और किसी आदमी को आपको ऐडजस्ट करना है, तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन इतने सलाहकार मत रखिये। अगर सलाह आपको लेना है, तो विशेषज्ञ से लीजिए, जो उस विषय के विशेषज्ञ हैं, उनसे सलाह लीजिए। यह अनावश्यक और अनप्रोडिक्टव खर्चा आप करने जा रहे हैं।

श्रीमन् इसी तरह से एक प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन है। मेरा मतलब है है कि ऐसा मत कीजिए, जितनी भी डेरी हैं प्रादेशिक, वह श्रीमन्, चाहे लखनऊ की हो, कानपुर की हो, मेरठ की हो, मथुरा, अलीगढ़ की हो, श्रीमन्, मैं कहता हूँ कि इसमें जो व्यक्ति रहें, पहले उनकी जिम्मेदारी फिक्स कर लीजिए, जिनकी बदौलत इन प्रतिष्ठानों में नुकसान हुआ, आप उन पर जिम्मेदारी फिक्स कीजिए। पुरानी हानि को लाभ में परिवर्तित कर दीजिए। श्रीमन्, इसके साथ एक सुझाव और है। श्रीमन् 55 फीसदी लोग ग्रामीण अंचल में रहते हैं, जो कि गरीबी रेखा से बहुत नीचे हैं। मेरा निवेदन है कि उनको भी राशन कार्ड के माध्यम से जीवनोपयोगी जो आवश्यक चीजें हैं, जैसे भोजन, वस्त्र आदि, उसकी व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्र में कर दीजिए।

मान्यवर, सेवा निवृत्ति के बारे में प्रधान मंत्री जी ने भी कहा है, सेवा निवृत्ति के बाद आप किसी को सेवा में न रखें। क्योंकि अन इंपलायमेंट बहुत बढ़ता चला जा रहा है। जिस व्यक्ति ने 30-35 साल सर्विस कर ली उसको सेवा में न रखें तो अच्छा रहेगा। नौजवानों को आगे आने दें, रिटायर्ड आदमी को सेवा में लेना यह भी एक अनुत्पादक व्यय है। मान्यवर, सेवाओं में वेतनमान और पदोन्नतियों के अवसर बराबर होने चाहिये। मिसाल के तौर पर

प्रशासनिक सेवाओं में डिस्टिंग्विस किया गया है । जिस वर्ग विशेष के पास यहाँ सचिवालय के संचालन का कार्यभार है उनका वेतनमान कुछ और है और प्रशासनिक सेवाओं में उसी वर्ग के व्यक्तियों का वेतनमान कुछ और है । इसमें विसंगति नहीं होनी चाहिये ।

मान्यवर, मैं गबन के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूँ । गुप्ता जी ने प्रश्न प्रहर के दौरान पूछा भी था । कृषि विभाग के सीड स्टोर्स में जो गबन होता है तो जब 10-15 लाख का गबन हो जाता है तब जाकर पता चलता है कि सीड इचार्ज ने गबन किया है । मेरा निवेदन है, कि शासन के आदेश भी हैं, बी० डी० ओज० को सुपरवाइजरी पावर्स देने चाहिए ताकि वह 15 दिन में एक बार चेकिंग करें । ए० डी० ओज० इतने दिनों चेकिंग करे और जिला कृषि अधिकारी इतने दिनों में चेकिंग करे ऐसी कुछ व्यवस्था करनी चाहिए । क्योंकि इतना बड़ा गबन एक दिन में नहीं हो जाता है, साल डेढ़ साल में यह गबन होता है जिसका पता बाद में चलता है । इसके बावजूद भी अगर कहीं गबन हो, तो आप बी० डी० ओ० और ए० डी० ओज को सस्पेंड करिये कि आपके पास जीप वगैरह के साधन मौजूद हैं तो आपने अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन क्यों नहीं किया ? जब तक आप पनिशमेंट नहीं देंगे तब तक गबन होते चले जायेंगे और सुपरवाइजर अपने बीबी बच्चों को दौलत देकर नेपाल के बार्डर पर चले गये तो आप कुछ नहीं कर पायेंगे ।

एक सदस्य—

जनता सरकार के समय में क्या होता था ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

जनता सरकार का नहीं यह इस सरकार के कुकर्मों का फल है जो प्रदेश की स्थिति यह है । हममें नैतिकता समाप्त हो गयी है । जब शासन आपको मिला तो नैतिकता और राष्ट्रीयता का कोई पाठ आपने नहीं पढ़ा ।

श्रीमन्, प्रदेश में काफी मात्रा में आलू का उत्पादन होता है । प्रदेश में गन्ने की समस्या रहती है । हर किसान चाहता है कि वह कुछ कामर्शियल क्राप पैदा करे । हर पाँच साल पर गन्ने की समस्या आती है । 50-55 परसेंट आलू हमारे यहाँ होता है । तो आप आलू को वाणिज्यिक क्राप में लेकर उसका निर्यात कराने की व्यवस्था अपने माध्यम से करें तो जो गन्ने की समस्या आती है वह नहीं आयेगी और किसान आलू की ओर डाइवर्ट होगा ।

श्रीमन्, सहकारी समितियों की बात है। एल० डी० बी० के जरिये किसानों को खाद वगैरह के लिये ऋण मिलता है। मान लीजिये एक गोदाम में वह खाद नहीं है जो किसान चाहता है तो उसको दिक्कत होती है। इसलिए ऐसी व्यवस्था करें कि जिन सरकारी गोदामों में चाहे वह कृषि विभाग के हों, एग्रो के हों या कोई गोदाम हों तो किसान को जो खाद चाहिए वह जहाँ उपलब्ध हो वहीं से वह खाद ले सके। विभाग बैठकर अपनी ट्रांसफर इंटरीज करें। किसान को यह सुविधा मिलनी चाहिये यह मेरा निवेदन है।

श्रीमन्, अब मैं लोक आयुक्त के अधिकार के बारे में कहना चाहता हूँ। लोक आयुक्त ने एक इन्टरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि अधिकार क्षेत्र बढ़ने चाहिये। मैं चाहता हूँ कि मुख्य मन्त्री को इसमें शामिल किया जाना चाहिये, ऐसा होना चाहिए। एक दूसरा सुझाव है कि एक हजार रुपये आप प्रतिभूति के रूप में माँगते हैं, उसमें संशोधन कर दें, और वह न मांगे। अच्छा यह हो कि अगर वह शिकायत सही न पायी जाय, तो उसमें करेक्टर एसोसियेशन के सम्बन्ध में शिकायतकर्ता पर एक हजार रुपये के जुर्माने का प्राविधान आप उसमें कर दें। हो सकता है मैं गलत हूँ, यह मेरा सुझाव है। लोक आयुक्त ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा था कि किन्हीं दो माननीय मंत्रियों को दोषी पाया गया है और कुछ अधिकारों का भी दोष सिद्ध हुआ है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने उनको प्रताड़ित भी कर दिया है। तो यह शंकायें बनी रहती हैं कि वे कौन हैं? अच्छा होगा अगर माननीय मुख्य मन्त्री जी उनके नाम सदन में बतायें। ताकि उन मंत्रियों और अधिकारियों के नाम हम लोगों को पता चलें, लोगों को पता चलें। पता चला कि आपका जो इन्टेलीजेन्स प्रतिष्ठान है सर्तकता, उसमें कुछ आफिसर्स, सीनियर आफिसर्स के खिलाफ चार्जसीट देने और मुकदमा टालने की बात कहा है। लेकिन उन व्यक्तियों के प्रभाव के कारण वे फाइलें दबा दी गयी। ऐसा नहीं होना चाहिए, उनके खिलाफ कार्यवाही अवश्य होनी चाहिए।

बजट के अन्दर एक हम लोगों को, विधायकों को टुकड़ा डालने का प्रयास किया गया, आवासीय सुविधा का। उसको नहीं आना चाहिए यह अनुपयोगी व्यय है। हम लोग अपने क्षेत्र के अंदर रहते हैं, हमको लखनऊ न बसाइये। वरना यह होगा कि यह लोग दुबारा नहीं आ पायेंगे। मैं गलत हो सकता हूँ। यह अपनी-अपनी भावना है। जो लोग सत्ता का उपयोग करना चाहते हैं, मैं उनको कैसे रोक सकता हूँ? जो सत्ता का उपयोग करने के आदी हैं, मैं उन्हें रोक नहीं सकता हूँ। मैं अपनी भावना व्यक्त कर रहा हूँ। यह आवश्यक नहीं है कि जो कुछ मैंने कहा है, वह मान लिया जाय। यह मेरा सुझाव है। बहुमत आपके साथ है। मैं अपने कर्त्तव्य के नाते यह बात कह रहा हूँ। श्रीमन्, मैं इन शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देता हूँ।

श्री अधिष्ठाता—

मैं, एक सूचना देना चाहता हूं। यह सामान्य बजट पर जो चर्चा होगी, उसमें जो समय का निर्धारित है, वह इस प्रकार है। विभिन्न दलों के नेता व मंत्रीगण बोलेंगे 25 मिनट। मुख्यमन्त्री जी व नेता विरोधी दल का कोई समय निश्चित नहीं और सदस्यगण 10 मिनट तक बोलेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि नेता विरोधी दल ने जैसा कहा है कि लखनऊ में न बसाइये। जो आज एक लाख रुपये का मकानों के लिए प्राविधान किया गया है, उसमें किसी प्रकार से यह नहीं हैकि लखनऊ में ही मकान लें। विधायकों को यह सुविधा दी गयी है कि जिस स्थान पर वह चाहें, जहाँ उनका मकान न हों, वह ले सकते हैं।

(इस समय 3 बजकर 21 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

श्री ध्रुप राय——

अध्यक्ष महोदय, अभी बजट पर जो चर्चा चल रही है, उसमें नेता विरोधी दल की बातों को सुनने का अवसर मिला है। यह बजट हमारा घाटे का बजट है। इसमें 119.29 करोड़ रुपये का घाटा है।

इंफेलेशन के कारण, मुद्रास्फीति की उत्पन्न स्थिति होने के कारण कीमतें बढ़ती हैं। यह परिस्थिति है। इस परिस्थिति में आपको देखना चाहिये कि यह बजट प्रदेश को किस तरफ और किस गति से किस दिशा में ले जा रहा है ? आप देखें इनफेलेशन सबसे ज्यादा कब आया ? जनता पार्टी की रिजीम में इनकी हुकूमत में 1979 में इनफेलेशन 23 प्रतिशत था। 1980-81 में 16-7 हुआ कांग्रेस के काल में 1982 में यह 1-7 प्रतिशत हुआ और 82 के अन्त में यह निल हो गया। रिजर्व बैंक के प्रयास जो कदम उसने उठाये और जो कन्ट्रोल किया उससे यह निल हो गया। ऐसी परिस्थिति में अगर देखा जाय, तो यह बजट सुनियोजित योजना के अन्तर्गत इस प्रदेश को आगे बढ़ाने की दिशा में है।

हम आपसे बताना चाहते हैं कि जनता पार्टी की रिजीम में हमारी ग्रोथ क्या थी ? नेगेटिव थी।

हमारे प्रदेश और देश की ग्रोथ निल थी। कांग्रेस की हुकूमत में आने के बाद मध्य 79 से यह बढ़ना चालू हुई और 80-81 में 7-5 प्रतिशत ग्रोथ बढ़ी। उसी साल 4-4 प्रतिशत की

प्रगति और हुई। कृषि उत्पादन में 15-4 प्रतिश की वृद्धि हुई। 80-81 में फिर ग्रोथ रेट बढ़ा और हर दिशा में यह ग्रोथ रेट बढ़ता जा रहा है। मान्यवर, आप देखें तेल के बारे क्रूड आयल जिसकी देश को सबसे अधिक आवश्यकता है 21-9 मिलियन टन तेल पैदा हुआ है। 40 लाख मिलियन टन की आवश्यकता है।

इस सरकार के शासन में आने के बाद यू० पी० की इनकम 22-8 प्रतिशत बढ़ी है और कृषि की इनकम 7-5 प्रतिशत बढ़ी है। इस प्रकार कांग्रेस की रिजीम यह प्रदेश सुनिश्चित दिशा में प्रगति के पथ पर जा रहा है। अभी राज्यपाल के अभिभाषण पर किसी विरोधी दल के नेता ने कहा कि हमारी प्रगति 3-7 प्रतिशत हुई है। उन्होंने देखा नहीं पिछले वर्ष दुनिया के जितने देश है उनमें सब में प्रगति में कमी आयी है जापान में यह प्रतिशत 1-7 था 2-7 पूरी कन्टीनेट और जर्मनी का था। इंग्लैंड और अमेरिका की प्रगति कम थी। ऐसी स्थिति में हमारे प्रदेश और प्रदेश की प्रगति साढ़े 4 पांच प्रतिशत थी। अतः हमारा प्रदेश सुनिश्चित रूप से प्रगति की दिशा में है। कृषि उत्पादन इस वर्ष 132 मिलियन टन की योजना थी यह बढ़कर 134 हो गयी। गन्ने का जहाँ तक सवाल है। पिछले तीन सालों से आप देखें। उत्तर प्रदेश में 716 लाख टन गन्ना पैदा हुआ और 20-8 लाख टन चीनी पैदा हुई है। ऐसी स्थिति में जो भाव गन्ने का दिया गया वह सराहनीय है। हमने गन्ने का 19-22 का रेट दिया और पिछले साल 20-50 का रेट दिया और इस साल भी 20-50 का रेट दे रहे हैं।

यह सराहनीय विषय है और इतनी तेजी से हमारी योजना आगे बढ़ रही है। आई० आर० डी० स्कीम में, स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान है, 23 करोड़ रुपया वितरण किया। यह चूंकि जिला स्तर से होता है इसलिए जो 2 माह में काम होना चाहिए उसमें एक साल लगता है। भ्रष्टाचार का मामला है, यह एक सिलसिला है। इससे हर व्यक्ति संबंधित है। अगर हम भ्रष्टाचार को दूर करना चाहते हैं तो हर व्यक्ति को इसके लिए सोचना चाहिए। जब हर व्यक्ति अपने को सुधारेगा तभी भ्रष्टाचार हटेगा। ब्यूरोक्रेसी के अन्तर्गत, हमने योजना को विकेन्द्रीकृत किया है लेकिन उसमें हम यह भी देख लेते हैं कि जिला स्तर से जो योजनायें बनती हैं उसमें क्षेत्रीय लोगों को, विधायकों को बिना समझे हुए बनती है। जन प्रतिनिधि से छिपा कर ये योजनायें सफल नहीं हो सकती है। किसी भी एग्रीकल्चरल कण्ट्री या दुनिया के बढ़ते हुए देश का मूल तत्व पंचायत है। अगर वह मजबूत नहीं होगी तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। स्वीडन एक ऐसा देश है जो 10 साल पहले सबसे गरीब देश था लेकिन आज वह अमेरिका से, सबसे धनी देश है। बड़े उद्योग नहीं बल्कि छोटे-छोटे उद्योग हैं, लेकिन हर चीज की प्लानिंग पंचायत से होती है। मारल हो, पढ़ाई हो, ऐसा सुधार लाना पड़ेगा कि हम

पंचायत को मजबूत कर सकें, अपने को मजबूत कर सकें ताकि हम प्रगति कर सकें। केवल सेन्ट्रल या प्राविंस में होने से यह नहीं हो सकेगा। आप का सहयोग मूलभूत होना चाहिए ताकि देश और प्रान्त आगे बढ़ सके।

अध्यक्ष जी, इसके अलावा हम वितरण प्रणाली को देखें। हमारा अनाज गांवों में जाता है परन्तु लोगों के पास तक ठीक ढंग से नहीं पहुँचता। इसके पीछे कारण क्या है? वितरण प्रणाली की जो स्थिति है, लोकल लेविल पर ही गड़बड़ी हो जाती है। इन चीजों को सुधारने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हम को उन पर ध्यान देना अति आवश्यक है।

मैं अपने क्षेत्र देवरिया के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। सबसे पिछड़ा जिला है यह परन्तु जागृति है। वहाँ का टोटल एरिया 5.35 लाख किलोमीटर है और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन 4.49 लाख हेक्टेयर जमीन में होता है लेकिन सबसे बड़ी समस्या वहाँ बेकारी की है। 34 लाख 87 हजार की आबादी है। प्रति स्क्वायर आबादी सबसे ज्यादा है लेकिन इस योजना में, बजट में वहाँ के लिए ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया कि वहाँ के अनइम्प्लायड लोगों को इम्प्लायमेन्ट मिल सके। कितने उद्योग प्रपोज्ड हैं परन्तु वे हम लोगों को नहीं दिये जा सके। मेरी समझ में नहीं आता है कि पूर्वांचल के सबसे जागरूक जिले देवरिया जिसे पूर्वांचल का हृदय कहा जा सकता है, वहाँ के लिए इतनी उदासीनता क्यों हैं? मैं वित्तमन्त्री मुख्य मंत्री से अनुरोध करूँगा कि वहाँ के लिए भी ध्यान दें। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूँ और अध्यक्ष जी, आपने जो कीमती समय दिया उसके लिए आप का मैं आभारी हूँ।

श्री ऊदल—

मान्यवर, इस बजट को मैं इस कसौटी पर देखना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश का विकास, शान्ति और व्यवस्था और बेकारी का कितना समाधान इससे है। जब हम इस कसौटी पर इसको कसते हैं तो यह बजट बिलकुल निर्जीव और लकीर का फकीर मालूम होता है। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में इस बार फिर दोहराया कि यह छोटे का बजट है एक सौ करोड़ से ज्यादा का, इसमें हम कोई टैक्स नहीं लगायेंगे लेकिन में सरकार को याद दिलाना चाहता हूँ और मा० सदस्यों को याद दिलाना चाहता हूँ कि इसी तरह की बात पिछले वर्ष भी और इसके वर्ष भी मा० वित्त मंत्री ने और उनकी सरकार ने कहा था। उसके बाद हुआ क्या, एक-दो आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं। सन 80 में जब यह सरकार बनी और जिसमें यह व्यवस्था की गयी थी कि अन्य टैक्स नहीं लगेगें उसी साल

बिजली की दरों में सवाया की वृद्धि कर दी गयी। 12 रुपया प्रति हार्स पावर की जगह पर 15 रुपया प्रति हार्स पावर की दर से जनता से वसूला गया। दूसरे टैक्सों में भी बढ़ोत्तरी की गयी।

पिछले वर्ष वादा किया गया था कि कोई टैक्स नहीं लगेगें, आप जानते हैं और सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि इसी सरकार ने पिछले वर्ष बसों का किराया 25 प्रतिशत बढ़ाया और बिजली का टैक्स 15 रुपया प्रति हार्स पावर की जगह पर साढ़े बाइस रुपया प्रति हार्स पावर किया। नवम्बर के महीने से बल्कि अक्टूबर या सितम्बर के महीने से उसकी वसूली किसानों से की जा रही है। इसके अतिरिक्त बसों का किराया बढ़ाया जाना पुनः प्रस्तावित है। इनके शब्द जाल को देखें कि हम इस बजट के जरिये इस प्रदेश की विद्युत की जो स्थिति है उसमें सुधार करेंगे।

मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश में विद्युत उत्पादन की क्षमता 3,500 मेगावाट के करीब है लेकिन उत्पादन इस वक्त केवल 22 सौ मेगावाट या उससे भी कम है। ओबरा थर्मल पावर की ताजी रिपोर्ट देना चाहता हूँ कि इसकी क्षमता 1500 मेगावाट की है, आज उत्पादन केवल 900 मेगावाट ही हो रहा हैं शब्द जाल देखने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। देहाती अंचलों में दस घंटे बिजली देने की बात की जाती है। दस घंटे कहीं नहीं मिल रही है। कहीं पांच घंटे, कहीं छ घंटे ही दी जाती है। विद्युत के साधनों में कहीं बढ़ोत्तरी होने बाली नहीं है। रिहन्द का पानी सामान्य स्तर से इस वक्त बारह फीट ऊँचा है। उसी से बिजली का उत्पादन किया जाता है। रिहन्द का पानी अगर सूख गया तो गर्मी के दिनों में पूरे प्रदेश में बिजली का संकट आ जायेगा। सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ कि सरकार होशियार हो जाये। विद्युत विभाग के ऊपर अरबों रुपये का उर्जा संस्थाओं और बैंकों का पड़ा है। सरकार उनको रुपये देती चली जा रही है। विद्युत विभाग में जो मन-मानी तानाशाही, भ्रष्टाचार, निकम्मापन व्याप्त है, उस तरह का निकम्मापन कभी व्याप्त नहीं था।

श्रीमन् अब मैं दूसरी बात आपके सामने कहना चाहता हूँ कि अभी इस बजट भाषण में दुग्ध उत्पादन की दशा को सुधारने की बात कही गयी है। श्रीमन्, आप भी देखें उसको। कुछ अर्से पहले इस सरकार के लोगों ने उसका नाम रखा था श्वेत क्रान्ति। श्रीमन्, श्वेत क्रान्ति के नाम पर लखनऊ की डेरी, रामनगर वाराणसी की डेरी तथा अलीगढ़ की डेरी में करोड़ों रुपये का गबन, दुर्पयोग और भ्रष्टाचार किया गया, किन्तु आज तक भी इस श्वेत क्रान्ति के जरिये इन डेरियों की दशा सुधरी नहीं। श्रीमन्, अब श्वेत क्रान्ति को बदलकर आनन्द पद्धति रखा गया है। मेरे गाँव में एक कहावत है नाम के बड़ी दर्शन का छोटा।

इस प्रकार मान्यवर, नाम बदलने से श्वेत क्रान्ति में कोई सुधार होने वाला नहीं है । मैं आप से कहना चाहता हूं कि सभी डेरियों का मूल्यांकन हो जाय । जहां-जहां गबन हुआ है उसके गबन का और उसके दुर्पयोग का भी ।

श्रीमन् आपकी कृपा से मुझे 8-10 देशों में जाने का मौका मिला । जहाँ एक–एक गाय 40 किलो से भी ज्यादा दूध देती है । मैं रिजवी साहब से पूछना चाहता हूं कि जो आप आनन्द पध्दति लागू करना चाहते हैं और जो आप बाजार या हाट लगवाकर जानवरों को लाकर जैसे भैंस, बकरी और गाय, आदि, किसानों को ब्लाकों के माध्यम से बेचते हैं । वे गायें तथा भैंसे कितनी दूध देती हैं ? इसका मूल्यांकन किया गया ।

श्रीमन्, इसमें कहा गया है कि वनों में वृक्षारोपण । वृक्षारोपण तो कर लिया लेकिन सूख कितने गये, जल कितने गये और मर कितने गये, आपको इसमें कितनी सफलता मिली, यह मैं जानना चाहता हूं । मुख्य बात तो सफलता की है । श्रीमन्, इसमें बड़ी डींग हाँकी गयी है । मैं आपकी आज्ञा से यह कहना चाहता हूँ कि जो मौजूदा बजट है यह बेकारी दूर करने वाला नहीं है । हमारे एक मित्र देवरिया के बोल रहे थे कि मुद्रा स्फीति कम हुई है । मैं आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूं कि जो महँगाई इस वक्त है ऐसी महंगाई अभी तक इसके पहले कभी नहीं आयी थी । इस वक्त सन्, 1982 की तुलना में, पिछले साल की तुलना में मुद्रास्फीति 7 फीसदी बढ़ गई है । महंगाई का जो सूचकाँक सन 1981 में 440.5 था वह सूचकांक औसतन 1982 में 475 हो गया है । श्रीमन्, उपभोगताओं का जो मूल्य सूचकांक है वह 497 हो गया है । मैं माननीय सदस्यों एवं इस सरकार से पूछना चाहता हूँ जो यह दावा करती है कि हम इतने रुपये खर्च करने जा रहे हैं । इस महंगाई सूचकांक को माननीय लोकपति त्रिपाठी जी बड़े गौर से सुन रहे हैं । श्रीमन् आज हमारे रुपये की कीमत 20.12 पैसे हो गई है ।

इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की जो पंचवर्षीय योजनायें हैं, उनमें कितनी गिरावट आ गई है । पंचवर्षीय योजनाओं की जगह पर वार्षिक योजनायें बनने लगी इनमें कितनी गिरावट आ गई है । मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार देश की जनता को धोखा देने के बजाय कुछ ठोस कार्यक्रम, कुछ ठोस आधारशिला जनता के विकास के लिये, रोजगार के लिये, मंहगाई रोकने के लिये और बेरोजगारी को दूर करने के लिये अगर यह सरकार दे सके, तो मैं समझूंगा कि हाँ कुछ है । सिंचाई में लिख दिया कि इतने हैक्टेयर की हमारी क्षमता है, मैं पूँछना चाहता हू कि जितने हैक्टेयर की क्षमता है, उसके मुकाबले सिंचाई कितनी हुई, प्रश्न यह है । सिंचाई हुई क्षमता के प्रतिकूल 60 प्रतिशत । इसका मूल्यांकन क्यों नहीं किया

जा रहा है कि प्रगति कितनी हुई है कितनी नहीं हुई है ? आज नहरों को देख लीजिये, दरियाबाद, बारांबकी और सीतापुर में हजारों एकड़ जमीन सीपेज से खराब हो गयी है। किसानों को न मुआवजा दिया जा रहा है न लगान माफ की जा रही है और न उस जमीन में अन्न उत्पादन हो रहा है।

सरकार सब्जी बाग दिखाकर खुश न हो। सन् 81 में बहुत डींग हांकी गयी। सन् 82 में हांकी गयी कि इतनी पैदावार बढ़ी है, इतना अन्न पैदा कर लेंगे। इसी बजट भाषण में कहा गया है कि दैवी आपदाओं की वजह से आज हम उसको प्राप्त नहीं कर सके, लेकिन दिखाया यह गया, वित्त मन्त्री की सरकार समझती है कि सब मूर्ख हैं, दिखाया गया कि 79-80 के मुकाबले इतनी पैदावार अधिक है। पैदावार तो हर साल बढ़नी चाहिये, 4 साल पीछे के आंकड़े देने से क्या लाभ है ? हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है, लेकिन किसानों की आज जो दुर्दशा हो रही है, आप स्वयं जानते हैं। इस सरकार ने तमाम एजेन्सियाँ खोल रखी हैं। सरकारी एजेन्सियों से खाद, प्राइवेट कारखानों से खाद और बड़े-बड़े कारखानेदारों से खाद मंगवाते हैं और प्राइवेट लोगों को खाद का मिक्सचर बनाने का लाइसेंस दे रखा है।

सहारनपुर, जौनपुर और बाराबंकी तथा अन्य जगहों पर जितने लोगों को लाइसेंस दे रखा है, सब रद्दी खाद बनाकर मिलावट करके बेचते हैं, जिससे किसानों का नुकसान होता है और जमीन भी खराब होती हैं। माननीय बदन सिंह जी ने बताया था कि आगरा में सारी फसल खराब खाद की वजह से हो गयी। मैं पूछना चाहता हूँ कि प्राइवेट एजेन्सियों को खाद बनाने का लाइसेंस क्यों दिया गया है, जो रद्दी किस्म की खाद बनाते हैं। मेरा एक सवाल था, पिछले साल सरकार ने चना मंगवाया था। हमारे प्रदेश के लिये वह चना करोड़ रु0 से ज्यादा का था। वह चना हिसार और राजस्थान से आया था और वह प्रदेश में पहुंचा 19 अक्टूबर को। मैंने उसको देखा बीज भण्डार पर उस समय जब कि खेतों में चना 2–2, 3–3 इंच का उग आया था। वह सारा चना बीज गोदामों में सड़ रहा है और मिट्टी के मोल नीलाम किया जा रहा है। इस कृषि प्रधान प्रदेश में अगर सचमुच सरकार किसानों के प्रति सजग है, उनकी उन्नति चाहती है तो अच्छा बीज, अच्छी खाद, कीटनाशक दवायें और सस्ती दर पर बिजली पानी किसानों को मुहैया करे।

और किसानों की उपज का बीमा कराइये। आज एक ट्रक या जीप दुर्घटना-ग्रस्त हो जाती है, उसका बीमा होता है, मगर किसान की फसल अगर दैवी प्रकोप के कारण बरबाद हो जाती है तो उसको कुछ नहीं मिलता। इसके अलावा जो अंग्रेजों के समय के कानून बने हुये हैं किसानों को राहत देने के, जैसे कि 1892 तथा 1814 फसली आदि के जिसके अनुसार

यह है कि अगर फसल 50 प्रतिशत से अधिक बरबाद हुई है तभी सहायता दी जायेगी, इसको बदला जाये । यह कानून बहुत पुराने हो चुके हैं । इसकी मांग बहुत पहले से होती रही है ।

इसी तरह से एक सब्जबाग इसमें नसबन्दी का दिखाया गया है । हम इसके समर्थक रहे हैं और रहेंगे । मगर स्वास्थ्य विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है कि इसके लिये जो उपक्रम, दवायें तथा साज-सज्जा की जरूरत है वह उपलब्ध नहीं है । एक जगह 200 महिलायें नसबन्दी कराने के लिये एकत्र हुई । दूरबीन पद्धति की एक डाक्टर महिला आने वाली थीं, वह नहीं आयीं और वे महिलायें थककर इन्तजार करके चली गयीं । तो इस तरह से उनको निराशा पैदा नहीं करना चाहिए ।

साथ ही नसबन्दी के साथ-साथ और भी कल्याणकारी कार्य हैं जैसे मात्र शिशु कल्याण के कार्य । इसके लिये इसमें कुछ नहीं है । विकास विश्व बैंक द्वारा अस्पताल आदि तो खोले जा रहे हैं पर इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है । शिशु कल्याण की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये ।

20 सूत्रीय कार्यक्रम का बड़ा ढिंडोरा पीटा जा रहा है । इसके अन्तर्गत भूमि आवंटन करने की बात कही गयी है । मैं आपको जौनपुर तहसील केराकत के कुसरना ग्राम के कुछ लोगों के नाम बता रहा हूँ जिन्हें भूमि आवंटित की गयी, पर कब्जा नहीं मिला, उनके नाम हैं, मुन्नू, शामा, मेवा, हरीलाल, बेचन, मिठाई हरिजन ।

[4 बजे सायंकाल से]

यह बात जौनपुर जिले के बारे में थी । प्रधान मंत्री के जिले में जहाँ आप संजय गांधी के लिये आप लोग दिन रात मर रहे हैं, अब तो मेनका भी आ गयी हैं लेकिन वहाँ की हालत बहुत दयनीय है । वहाँ पर जितने भूमिहीन हरिजन हैं उनको 1975-76 में पट्टा मिला था, अभी 31 जनवरी से 3 फरवरी तक तहसील डलमऊ में अनशन किया और वे पट्टे लेकर घूम रहे थे । डलमऊ रायबरेली में है वहाँ की तहसील के गांवों के नाम हैं घूरी, भेलखा, चारखा, भेलपुम्सा, रसूलपुर धतां, लठगर, दरिमापुर, और गाहबरी यह सब डलमऊ तहसील के गाँव हैं । इनको आप आधार बना कर जांच कर ली जाय, आपकी आज्ञा से सरकार से मांग करता हूं कि झूठी रिपोर्ट, झूठे आंकड़े कम से कम यह प्रस्तुत न करे । मैं समझता हूं कि आत्म सन्तुष्टि के लिये है । दिल को बहलाने को गालिब के यह ख्याल अच्छे है, ऐसा ही आप करते हैं । दिल तो आपका बहल गया परन्तु असल में दशा क्या होगी यह आप देखें और अगर इसको कम कर सकें तो अच्छा हो ।

मान्यवर, अखबारों में आपने निगमों के बारे में अवश्य पढ़ा होगा। निगमों के लिये प्रधान मन्त्री जी ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिये हैं कि हिन्दुस्तान के सभी निगम यदि वे घाटे में चल रहे हैं और भ्रष्टाचार के अड्डे हैं तो इनको खत्म करना चाहिये। मैं रिजवी साहब से जानना चाहता हूं कि चाहे जो निगम हो, चाहे चीनी निगम हो, चाहे आवास निगम हो, चाहे परिवहन निगम हो, आप इनको देखिये। मैं रिजवी साहब से इसलिये कह रहा हूं कि ज्यादातर वे ही मुख्य मन्त्री जी की ओर से सभी प्रश्नों का जवाब देते हैं। हमारे मुख्य मन्त्री जी ने जिस दिन मुख्य मन्त्री पद की शपथ ली, तो उसके बाद मैंने उनको एक पत्र लिखा और उनसे मिला और कहा कि इन निगमों के कार्यकलापों की आप जाँच करा लें और इसमें पनपते भ्रष्टाचार को आप रोकें। पता नहीं क्या हुआ, कुछ हुआ भी या नहीं ? तो मैं इस सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि इन निगमों को क्यों बना रखा है ? श्रीमन्, आपको सुन कर ताज्जुब होगा कि वही अधिकारी यदि दूसरे पदों पर है।

श्री धरमपाल—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य निगमों के बारे में कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक कम्यूनिटी है जिसको निगम कहते हैं तो वे लोग समझेंगे कि उनके लिये कहा जा रहा है।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए। यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री ऊदल—

श्रीमन्, मैं कह रहा था कि अगर वही अधिकारी दूसरे पदों पर कार्य करते हैं तो उन्हें 25 रु0 डेली एलाउन्स के मिलते हैं और वही अधिकारी अगर निगमों के काम से बाहर जाते हैं तो उन्हें दो-दो सौ और तीन-तीन सौ रुपये मिलते हैं और वे अशोका होटल में या इसी तरह के किसी बड़े होटलों में ठहरते हैं और उनका टी०ए० और डी०ए० भी उसी तरह से निर्धारित होता है, तो मैं कहता हूँ कि सरकार से कि यह ढोंग छोड़ दे और जो काम करना है उसे नियोजित करके, नियोजन के जरिये अर्थ व्यवस्था को नियंत्रण में रख कर खर्च करिये तभी प्रदेश का चौमुखी विकास हो सकता है और प्रदेश की जनता को राहत मिल सकती है।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत 4 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं—

पहली सूचना है श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री विद्या सागर नौटियाल तथा श्री मोहन सिंह की जो कि टेलीफोन इण्डस्ट्रीज, रायबरेली के कर्मचारियों पर

लाठी चार्ज एवं गोली वर्षा के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री श्याम नारायन तिवारी की है जो कृषि विभाग मथुरा में अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार किये जाने के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री माता प्रसाद पाण्डेय की है बस्ती जिले के ग्राम इटवा में नकली सेनेटरी इंस्पेक्टर के पकड़े जाने के सम्बन्ध में।

पहली सूचना जो कि सर्वश्री राजेन्द्र अग्निहोत्री, राजेन्द्र कुमार गुप्त, विद्या सागर नौटियाल तथा मोहन सिंह से सम्बन्धित है उसे मैंने वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है। माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी आप कब इस पर वक्तव्य देंगे ?

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

इसको 20 के बाद रख दें।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर इसको इसी वीक में आना चाहिए। रायबरेली का मामला है।

श्री अम्मार रिजवी—

18 को रख सकते हैं।

वित्तीय वर्ष 1983-84 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमागत)

*श्री चन्द्रबली ब्रह्मचारी—

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत ही कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं पूरी सभा को नमस्कार कर रहा हूं कि मुझे जो कुछ कहना है, उसको कहने दें। क्योंकि जब से मैं बैठा हूं सभी लोगों को मालूम है कि आप चाहे जो कुछ बोले मैं ही ऐसा हूँ जो चुपचाप सुनता रहता हूं, इसलिए मेरे बोलने में आप बाधा उपस्थित न करें।

मैं प्रस्तुत बजट के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, इससे पहले दिन भी मैंने अपने विचार व्यक्त किये थे, उसी तरह की बात मैं आज भी करूंगा। जब यहाँ बैठा, इसके पहले नेता विरोधी दल बोल रहे थे काफी देर तक अपने विचारों को रखा और ऊदल जी का भाषण सुना लेकिन एकौ हमारी समझ में नहीं आया कि आखिर यह क्या कहना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं ? श्रीमन्, ऐसा है पहले तो सब आदमी भ्रष्टाचारी है और सत्ता पक्ष जो काम कर रहा है वह भ्रष्टाचार है। एक बात जो कही जाती है उसी पर विचार करने की आवश्यकता है। दूसरे बात जो है वह यह देखने की है कि जो बात कर रहे है उसमें कहाँ तक सत्यता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आप मान्यवर, आपके सामने कौन-कौन सी बातों को रखूं। अगर आप उनको सुन लें और सरकार उनका अनुपालन कर ले तो बहुत हद तक काम बन सकते हैं। जहाँ तक इसकी प्रगति का सवाल है, 35 वर्ष हो गये हैं, हमारी विकास की योजनायें चल रही हैं। यह कथन कहाँ तक उचित है कि प्रगति नहीं हो रही है। प्रगति हुई है और प्रगति बहुत प्रकार से हो रही है। ऐसी दशा में मैं आपसे यह कहूंगा कि जो त्रुटि है उसको आप सही ढङ्ग से रखें और सरकार उसको पालन करेगी। सरकार जो काम कर रही है, वह कुछ नहीं कर रही है वह बिलकुल गलत है और जनता पार्टी ने अपने शासन में जो काम किया है वही बिलकुल ठीक हैं। आप अपने कामों को अपने सामने रखें और देखें। कौन-कौन प्रगति हुई है उस पर आप ध्यान दें? हमारी सरकार के माध्यम से क्या-क्या काम हुए हैं, हम बताते हैं कि कौन-कौन सी प्रगति हुई है? एक तो श्रीमन, यह है कि शिक्षा जगत में काफी उन्नति हुई है। लाखों करोड़ों की तादाद में छात्रों को शिक्षा दी जा रही है। शिक्षा की तरफ काफी हद तक उसमें प्रगति लायी गयी है।

और कुछ अगर कोई त्रुटि रह जाती है तो उसे आपके सुझावों से दूर करने का प्रयास किया जाता है। श्रीमन्, हम कुछ सुझाव देना चाहते हैं जिससे कि बजट प्रस्तुत करने वालों को खर्च भी न करना पड़े और काम भी हो जाय। एक सुझाव मेरा यह है कि जितने डी० आई० हैं उनको हटा दिया जाय। उनके दफ्तर हैं उनको भी हटा दिया जाये साथ ही जितने भी कमिश्नर हैं उनको भी हटा दिया जाय। इससे काफी बचत हो सकेगी। साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि प्रदेश में राज्यपाल की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके सचिवालय की भी आवश्यकता नहीं है। उन पर जो खर्चा होता है उससे बचत हो सकती है। इस तरह से जो बड़े-बड़े खर्चे हैं उनको बन्द कर देने से बचत हो सकती है। उस पैसे को अन्न के उत्पादन में, स्वास्थ्य में और ऐसी चीजों में लगाया जाय जिससे प्रदेश का बिकास हो सके। मैं सबसे अधिक स्वास्थ्य के बारे में कहना चाहता हूँ।

स्वास्थ्य विभाग के अन्दर काफी प्रगति हुई है और खास तौर से इन दो-एक वर्षों के अन्दर। जैसे कि लखनऊ में आर्युवैदिक विज्ञान संस्थान का एक बड़ा कालेज खुला है। यह एक तरह से बहुत बड़ी चीज है। हो सकता है अभी उसकी इमारत न बनी हो, उसमें कोई गड़बड़ी आ गई हो, अध्यापक अच्छे न हों लेकिन वह बहुत अच्छा कदम है। दूसरी बात यह है कि जो होम्योपैथिक कालेजों का झगड़ा था, राजेन्द्र गुप्त जी जानते हैं, जनता पार्टी के जमाने से चला रहा था, 8 हजार लड़के थे जिनका कहना था कि हमें सरकारी कालेजों के साथ अधिगृहीत कर लो। जनता पार्टी किन्हीं कारणों से उसे न कर सकी लेकिन इस सरकार ने उन कालेजों को अधिग्रहण कर लिया है।

मैं स्वास्थ्य मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि इस तरह से आयुर्वेदिक और यूनानी कालेजों का मामला भी है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आयुर्वेदिक औषधियों पर अधिक से अधिक ध्यान दिया जाय। ·· (व्यवधान)। सत्ता पक्ष के लोग कृपा करके पीछे से न बोलें। चुपचाप सुनें। अन्यथा हम भी शोर मचायेंगे और बोलने नहीं देंगे।

दूसरी बात मैं कृषि उत्पादन के बारे में कहना चाहता हूँ। अगर यह कहा जाय कि कृषि उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई तो यह बात समीचीन मालूम नहीं होती। यह बात हो सकती है कि दैवी आपदा से, ओले गिरने से अथवा बाढ़ आदि से नुकसान हुआ हो लेकिन यह कहा जा सकता है कि जो गल्ला हम बाहर से मंगाते थे, उसके बारे में हम आत्म निर्भर हो गये हैं। मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री से कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास फन्ड नही है तो जितने भी एग्रीकल्चरल कालेजेज हैं या इन्टरमीडियेट एग्रिकल्चरल कालेजेज हैं उनको ब्लाकों से सम्बद्ध किया जाय ताकि जो छात्र हैं वे गाँवों में काम कर दिया करेंगे। मैंने पहले भी निवेदन किया था कि आपको बिना पैसा दिये बहुत से आदमी मिल जायेंगे।

ऊसर के सुधार के लिये आप प्रयत्नशील है और इन्टरमीडियेट एग्रीकल्चरल कालेजों के लोगों को उसमें ले लेते हैं, बहुत से लोग पैसा नहीं चाहते हैं और योग्यताक्रम से नई पद्धति से आप काम करें तो सुचारु रूप से काम चल पायेगा। दूसरी बात आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप आयुर्वेदिक और होमियोपैथी को बढ़ावा दें। ऐलोपैथी के लिये न तो आपके पास इतना पैसा है और न हो सकेगा। इस दिशा में जो अस्पताल खुले हैं उनमें दवायें नहीं है।

डाक्टर वहाँ नहीं है। इसलिये मेरा सुझाव है कि होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक पद्धति को अधिक से अधिक सुविधा दी जाय उनके जो छात्र और अध्यापक हैं उनको ज्यादा सुविधा दी जाय तो ज्यादा फायदा लोगों का होगा और कम पैसे में काम चल सकता है।

श्री अध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हो रहा है।

*श्री चन्द्रबली ब्रह्मचारी—

मैं सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि एक काम आप और करें अगर फंड हो तो हमारी जो बेरोजगारी की समस्या है पढ़े लिखे लोगों को उनके लिए कोई न कोई रास्ता निकालें ताकि यह जो असंतोष उनमें बढ़ रहा है वह कम हो सके। इसके लिए मेरा सुझाव है कि उद्योग विभाग कम से कम एक सौ रुपया प्रत्येक स्नातक को दो वर्ष तक स्कालरशिप के रूप में दे और उनसे कह दे कि आप अपनी रुचि से कोई रोजगार खोज लें और उद्योग विभाग उनकी रुचि के मुताबिक कुटीर उद्योग खोलने में मदद दे अगर इन दो वर्षों में वह कुछ नहीं कर सकता है तो उससे कह दें कि अब आप जो चाहे करें और स्कालरशिप बन्द कर दे। इससे यह होगा कि इनकी तरफ मे जो उनसे कहा जाता है कि हुल्लड़ करो वह भी बन्द हो जायेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि शिक्षित बेरोजगारों को स्कालरशिप दिया जाय। इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि हम देश सेवा और निर्माण में सतत जागरूक रहे।

श्री अध्यक्ष—

(श्री थम्मन सिंह का नाम पुकारे जाने पर) केवल 10 मिनट में समाप्त करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री थम्मन सिंह गहलौत—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बजट की सामान्य चर्चा पर बोलने का अवसर दिया। बजट पर जो माननीय नेता विरोधी दल ने जो कटौती प्रस्ताव……

श्री श्यामलाल बाजपेयी—

इसमें कटौती प्रस्ताव नहीं होते।

* श्री थम्मन सिंह गहलौत—

क्षमा करें गलती से निकल गया। यह जो बजट प्रस्तुत हुआ है इसमें बहुत लम्बे-चौड़े आँकड़े हैं क्योंकि बजट लम्बे चौड़े आँकड़ों का खेल होता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा चिंतन करने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ एक नियम बन गया है कि जिस मद में जितना रुपया रखा गया है अगर वह खर्च हो गया है तो यह समझा जाता है कि लक्ष्य की पूर्ति हो गयी है। वास्तव में यह देखा जाय तो जितना रुपया आपने निश्चित किया था उसमें से कितना ठेकेदार खा गये कितना अधिकारी खा गये और सामान किस कोटि का उसमें लगा? अधिकारी कितना गड़बड़ करते हैं इसका एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यह एक समाचार है गाजियाबाद जिले में केवल 13 गाँवों में सर्वेक्षण किया गया जहाँ कहा गया था कि भूमि विकास बैंक ने 105 नलकूप लगाये हैं लेकिन जाँच करने पर पता चला कि केवल 10 नलकूप लगाये गये हैं और 95 नलकूप केवल फाइलों में ही लगे हुए हैं। अगर यह सत्य बात है तो सरकार ने हिसाब लगा लिया है कि हमारे लक्ष्य की पूर्ति हो गयी, कृषि विभाग ने जोड़ लिया कि प्रति नलकूप ढाई सौ एकड़ की सिंचाई होती है तो 105 नलकूपों से इतनी सिंचाई होगी और इतने क्षेत्रफल में इतना अन्न पैदा हो गया।

एक और बात कहना चाहता हूं कि किस तरह से हमारे यहाँ फिजूलखर्ची होती है? हमारा प्रदेश बहुत गरीब है लेकिन यहाँ किस तरह से खर्च होता है? पिछले महीने 15 ता० को हमारे यहाँ बिजनौर में उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार समिति का वार्षिक सम्मेलन हुआ था उसमें उन्होंने कई मन्त्रियों को बुलाया था लेकिन उसमें केवल एक राज्य मन्त्री वहाँ पहुँचे थे।

वह लखनऊ से हेलीकाप्टर द्वारा बिजनौर से इसी काम के लिये गये। मैं सरकारी मीटिंग के सम्बन्ध में बिजनौर में उपस्थित था, तो वह केवल 29 मिनट वहाँ रहे और फिर बिजनौर से सीधे हेलीकाप्टर द्वारा लखनऊ आ गये। तो आप सोचें कि कितना रुपया इसमें खर्च हुआ होगा? क्या यह गरीब प्रदेश इसको वहन कर सकता है।

मान्यवर, आय और भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में पहले कहा जा चुका है, कि परिवहन विभाग को छोड़कर मैं कहूं कि सारे प्रदेश में शायद ऐसा कोई बड़ा नगर होगा जहाँ कि सारे

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सरकारी नियमों को भंग करके मिनी बसें न चलती हों। नगर निगम के बस स्टेशन से सवारियाँ ले जाती हैं और नगर निगम के बस स्टेशन पर ही सवारियों को उतारती हैं, इस प्रकार की हजारों बसें चलती हैं जिससे हजारों रुपये का सरकारी नुकसान होता है। इसलिये मेरा कहना है कि या तो मिनी बसों को अपने अन्डर में लें। जैसे कि प्राइवेट अनुबन्धित बसें आप चलवाते हैं या फिर उनको बन्द करवायें।

मान्यवर, सरकारी निगम के बारे में जो बातें कहीं गयी हैं वह कम हैं, इसलिये इन प्राइवेट मिनी बसों को अनुबंधित किया जाय या फिर इनको बन्द किया जाना चाहिये।

मान्यवर, जहाँ तक फिजूल खर्ची की बात है तो फिजूल खर्ची सरकार ही नहीं करती है बल्कि बड़े-बड़े पूंजीपति भी सरकारी धन का दुरुपयोग करते हैं। उनके बहुत से खर्चे बही खातों में जोड़े जाते हैं जिससे उनको इंकमटैक्स में फायदा होता है। इस प्रकार यह जो खर्चा करते हैं वह गरीब जनता का खर्चा करते हैं। इसका मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि 20 साल पहले मोदी बन्धु एक छोटे व्यापारी थे और आज वह बड़े उद्योगपति हैं और उनका मोदी नगर बसा है, उन्होंने मोदी नगर से दिल्ली तक एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया है। वह दिल्ली से मोदीनगर तक यदि अपनी मोटर, जो कि एयर कंडीशन रखते हैं, आयें और जायें तो केवल 45 मिनट लगें लेकिन फिजूल खर्ची की सीमा को देखें तो इस यात्रा के लिये उन्होंने हेलीकाप्टर ले रखा है। मोदी का बंगला दिल्ली में है और वहीं से मोदीनगर आते-जाते हैं। उनकी कोठी को देखें तो पाँच सितारे होटलों में जो सुविधायें नहीं होगीं वह उनकी रहने की कोठी में है। एयर कंडीशन उनकी कोठियाँ हैं। तो यह गरीब जनता का एक अंग है। यह वह अपने खर्चे से नहीं कर रहे हैं। इसलिये सुझाव है कि सरकार इन पूंजीपतियों के अधिकतम खर्च करने की सीमा पर अंकुश लगाये और उसके बाद वह अपने शुद्ध मुनाफे से खर्च करें लेकिन वह प्राइवेट कम्पनियाँ जो निगम के अन्तर्गत हैं उनसे खर्च कर रहे हैं, तो वह उचित नहीं है।

मान्यवर, ग्रामीण जनता जो है उसके सम्बन्ध में मैं कहते-कहते निराश हो चुका हूँ और समझता हूं कि उनका कभी भी उद्धार नहीं हो सकता है, उनकी आर्थिक स्थिति कभी सुधरेगी नहीं। हम जो परिश्रम करते हैं और जो सरकार नियम बनाती है उनका पालन कभी नहीं होता है। हमारे ग्रामीण जनता की अधिकांश कमाई जो परिश्रम करते हैं वह मुकदमे बाजी में खर्च हो जाती है। मान्यवर, ग्रामीण जनता और शहर की जनता में देखें तो ग्रामीण जनता बिना मतलब मुकदमेबाजी में फंसी रहती है, वह जो कमाते हैं वह व्यर्थ मुकदमेबाजी में चला जाता है। मान्यवर, इसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि किसान कोई लखपति नहीं हैं, करोड़पति की कोई बात नहीं। मान्यवर, एक साइकिल पर बीड़ी बेचने वाला व्यक्ति 10-15 सालों में करोड़पति बन जाता है।

और किसान, उसकी सारी स्थिति आप देख रहे हैं। हमारी गेहूँ 142 रुपया क्वींटल खरीदा गया और आज उसे अपने खाने के लिए गेहूँ 300 रुपया क्वींटल खरीदना पड़ता है। आप आज किसान के गन्ना तौल सेन्टर पर जाइये, किसी भी समय, किसी भी सेन्टर की आप चेकिंग कर लीजिए 50 किलो से डेढ़-दो सौ किलो तक उसका गन्ना प्रति गाड़ी कम तौला

जाता है। इस तरह से हमारा सारा मुनाफा इसी में निकल जाता है। कहने के लिए बहुत कुछ कहा जाता है, कहने को तो कहा गया है बजट भाषण में लेकिन वास्तविकता कुछ भी नहीं है। मैं सरकार से चाहता हूं कि वह कम से कम एक यह व्यवस्था करा दे कि जो गन्ना हम मिल को सप्लाई करते हैं, जब हम गाड़ी तौलाते हैं तो तुरन्त हमें उसके मूल्य का भुगतान मिल जाया करे। आज हम महीनों महीने, उसके भुगतान के लिए फँसे रहते हैं। वह बिना अपना पैसा पाए अपना काम नहीं चला पाता है। पैसा न मिलने के कारण उसको मजबूर होकर साहूकार से सूद पर अपनी जरूरतों के लिए रुपया लेना पड़ता है।

मैंने पिछले बरसात के सत्र में यह कहा था कि आप ऐसी व्यवस्था करा दें कि जो सरकारी देय हैं हमारे जिम्मे, अगर हमें चीनी मिल से रुपया नहीं मिलता है, तो उन मिलों की पर्चियों को सरकारी विभाग ले लें और रसीद काटकर हमको दे दें। और इस तरह से वह हमारी छुट्टी कर दें। लेकिन अभी तक इस व्यवस्था को लागू करने के लिए कुछ नहीं किया गया है। अल्प बचत की जो बात है, उससे बड़ा धोखा कोई नहीं है और यह केवल आंकड़े का खेल है। जिनके ऊपर तहसील से डंडा घुमाया जाता है, तो मिलवालों और बैंक वालों से रुपया जमा करा दिया जाता है और बड़े लोगों से कह दिया जाता है कि इस समय तुम रुपया जमा कर दो और अगले महीने पहली तारीख को निकाल लेना। वित्त मंत्री जी कहते हैं कि हम पूरा रुपया वसूल करके काम चला लेंगे, नया कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि जो आपका लोगों पर बकाया बाकी है, क्या वह वसूल भी हो सकेगा? वह उनसे कतई वसूल नहीं होगा। इसको तो आपने देख लिया होता या यों ही आप वसूल कर लेने की बात कह रहे हैं। इसमें से अधिकांश पैसा तो कभी वसूल होने वाला नहीं है। अब मेरा समय समाप्त हो गया है, मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्रीमती कमला साहनी—

मान्यवर, मैं आपकी आभारी हूँ कि आपने बजट की सामान्य चर्चा पर बोलने के लिए मुझे अवसर दिया। यह बजट, जिसमें घाटा होते हुए भी कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है, निश्चय ही प्रदेश की बहबूदी तरक्की और प्रदेश के विकास के लिए आशादायी है यह प्रदेश को आगे ले जाएगा, इसमें कोई सन्देह नहीं। इसमें चाहे चिकित्सा हो, सिंचाई हो, उद्योग हो, विद्युत हो, ग्राम्य विकास हो, हरिजन कल्याण हो, जो भी पक्ष हैं, हर पक्ष को अच्छी तरह से ध्यान में रखा गया है। निसन्देह यह बजट प्रदेश को आगे ले जायगा। यह कोई नई बात नहीं है, महात्मा गांधी से लेकर इन्दिरा गांधी तक सबने इस प्रदेश को आगे ले जाने का जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को यह बजट पूरा करेगा। अभी विपक्ष ने यहाँ पर तमाम बातें कही हैं, उनको सुनकर मुझे एक शेर याद आया, उसे मैं यहाँ पर पेश करना चाहती हूँ—

"पलटा जो तीर खाकर कमीगाह की तरफ,
अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई।"

मान्यवर, यह वही लोग हैं, जिनकी तीर से गन्ना किसान घायल हुआ था, जिसने अपने गन्ने को फूंका, यह वही हैं, जिनकी तीर से किसान घायल हुआ था, जिनकी वजह से

किसान तेल, डीजल के लिए तरसता रहा। मान्यवर, इनको भी समय दिया था जनता ने, लेकिन जब वह खुद ही घायल हो गये, तो मजबूर होकर इनको हटाना पड़ा और पुनः श्रीमती इंदिरा गांधी को शासन में लाकर अपने विश्वास को प्रकट किया। मान्यवर, किसानों के लिए मौजूदा सरकार ने इस बजट में काफी काम किया है, गन्ने की कीमत बढ़ा कर, बकाया दिलवा कर, उनके मनोबल को ऊंचा उठाया है, लेकिन इसमें संतोष नहीं है।

किसानों ने गन्ना बोया और उस गन्ने के संबंध में मैं इस समय कुछ मुद्दों पर प्रकाश डालना चाहती हूँ। किसान परेशान हैं, श्रीमन्, यह प्रश्न है रिकवरी का, जैसे पूरब में गन्ना किसान गन्ना बोता है, बस्ती में, गन्ना एक गांव में बोया गया, वहाँ का कुछ गन्ना बस्ती मिल पर, कुछ गन्ना आनन्द नगर मिल पर, भेजा गया कुछ किसानों का गन्ना साढ़े 20 में लिया जाता है, और कुछ का साढ़े 21 पर लिया जाता है। तो मैं इस संदर्भ में यह निवेदन करना चाहती हूँ कि फ्रांस में एक ऐसी मशीन का ईजाद किया गया है, जो रिकवरी बतलाती है। उस मशीन को मिल पर लगाया जाय, तो वह मशीन रिकवरी बता देगी और वह जो रिकवरी बताये, वही पैसा किसानों को दिया जाय।

हालांकि किसानों के गन्ने के बकाये को काफी हद तक चुकता किया गया है। यह तो अक्सर बाकी रह जाता है। लेकिन फिर भी मैं निवेदन करना चाहती हूं कि जो बकाया किसानों का मिल पर हो, उस पर किसानों को मिल से ब्याज मिले ताकि किसानों को यह आशा रहे कि हमारा पैसा रखा है, हमें इसमें ब्याज मिलेगा। महाराष्ट्र और अन्य प्रदेशों में गन्ना की ढुलाई के लिए सरकार पैसा देती है। लेकिन उत्तर प्रदेशों में ऐसी व्यवस्था नहीं है। मैं शासन से यह निवेदन करना चाहती हूँ कि किसानों के गन्ने के बकाये मूल्य पर उन्हें ब्याज देने की व्यवस्था हो, तथा गन्ने की ढुलाई का पैसा किसानों को मिलने की व्यवस्था हो ताकि उन्हें सुविधा मिल सके मान्यवर, यह तो गन्ने की बात रही। अब मैं अपने क्षेत्र की बात कहना चाहती हूं। मान्यवर, हमारे जनपद में हमारे सोहरतगढ़ क्षेत्र में बढ़नी गन्ना समिति है, उसकी वार्षिक आमदनी 50 हजार रुपया है, लेकिन उसका खर्च डेढ़ लाख रुपया है। वह 1 लाख रुपया खर्च हमेशा किसानों की खून-पसीने की कमाई से लिया जाता है। मान्यवर, ऐसी घाटे की समिति को भंग कर दिया जाय और दूसरी समिति का निर्माण कर दिया जाय।

मान्यवर, बढ़नी समिति पर किसानों को गन्ने का बकाया काफी साल से पड़ा हुआ है। मान्यवर, चीनी मिल ने समिति को पैसा दिया, लेकिन समिति ने पैसे को खा लिया। अगर हम सरकार का ध्यान आकर्षित करती हूं। तो सरकार कहती है कि पैसा हमने चीनी मिलों को दे दिया और अगर मैं चीनी मिलों का ध्यान आकर्षित करती हूं तो वे कहते हैं कि हमने समिति को पैसा दे दिया है। मान्यवर, जिस तरह से भी हो, किसानों की खून-पसीने की कमाई का पैसा देने की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि वहां के गन्ना किसानों में व्याप्त असंतोष दूर किया जा सके। दूसरी चीज मैं ग्राम्य विकास के संबंध में कहना चाहती हूं।

हलांकि हमारी सरकार ने विकास के संबन्ध में काफी ध्यान दिया है। ग्रामों के संबंध में गांधी जी ने भी यही कहा था कि गांवों के विकास के बगैर देश का विकास संभव नहीं है।

क्योंकि हमारे देश की 85 फीसदी जनता गांवों में रहती है। गांवों में पेयजल की व्यवस्था, हरिजन कूप योजना, आवास योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण योजना, एकीकृत विकास योजना, पुष्टाहार योजनायें हैं। योजनायें तो बहुत सी हैं लेकिन कहीं-कहीं पर उनका कार्यान्वयन ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। कितनी ही जगहों पर हरिजनों के लिये जो कूप बनाये गये हैं उनके संबंध में गड़बड़ियां की गयी हैं, मैंने कई बार शासन का ध्यान आकृष्ट किया है, प्रश्न भी दे रखे हैं। कुयें खुदे पड़े हैं लेकिन कुयें जल आपूर्ति की जगह कब्रगाह साबित हो रहा हैं, क्योंकि गांवों में जानवर उनमें गिरते हैं और उनके पैर वगैरह टूटते रहते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि ऐसे कुयें जिनका भुगतान हो चुका है और बनाये नहीं जा सके हैं तो जिस व्यक्ति ने भुगतान लेकर रख लिया है उसके खिलाफ कार्यवाही की जाय ताकि आगे कोई ऐसा करने की हिम्मत न कर सके कि पैसा लेकर खा जाय।

मान्यवर, एकीकृत ग्रामीण योजना में गरीब लोगों को ऋण देने की व्यवस्था की गयी है। लेकिन गांवों में आने-जाने की समस्या है, जो गांव इन्टीरियर में है वहाँ पर आने-जाने के साधन नहीं हैं। बैंकों से गरीब लोगों का ऋण नहीं मिल पाता है, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों को उसका फायदा नहीं मिल पाता है इसलिये मैं शासन से निवेदन करना चाहती हूँ कि ऐसी जगह इस रोशनी को पहुँचाये ताकि वहां के लोग भी फायदा उठा सकें।

मान्यवर, हरिजनों को उठाने के लिये, उनको आगे बढ़ाने के लिये हमारी सरकार ने काफी हद तक कार्य किया है। जिन हरिजनों को एक जमाने में लोग अपने पास बैठाना बुरा समझते थे, गांव के दक्खिन में बसाते थे उनके साथ दुर्व्यहार होता था उनके लिये हमारी सरकार ने ध्यान दिया है और ऐसी व्यवस्था की गयी है जिसमें वे भी आगे बढ़ें। लेकिन उसके बावजूद भी नौकरियों में उनका आरक्षण पूरा नहीं किया जा सका है। इसका कारण यह है कि जिन कमेटियों के द्वारा उनका चयन होता है उनमें हरिजन वर्ग के अधिकारी कभी नहीं रहते हैं और कभी अगर होते भी हैं तो कम होते हैं। तो मेरा निवेदन है कि यह व्यवस्था निश्चित रूप से होनी चाहिये कि जिन कमेटियों द्वारा चयन किया जाता है उनमें हरिजन लोग रहें ताकि उनके आरक्षण को पूरा किया जा सके।

मान्यवर, 299 करोड़ रुपये की सरजू नहर योजना पूर्वी उत्तर प्रदेश में चलायी गयी है और तेजी से काम हो रहा है। आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि वह उसमें और तेजी लायें ताकि उसका लाभ किसानों को जल्दी मिल सके। इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूँ कि विश्व बैंक द्वारा 2200 नलकूप पूरे प्रदेश में लगने हैं। पश्चिम में तो गलगली हर खेत में ट्यूबवेल की सुविधा है लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसकी सुविधा नहीं है। सिंचाई मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि इन 2200 ट्यूबवेल्स में से अधिकांश ट्यूबवेल वह हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में दें ताकि किसानों को लाभ हो सके। जो बच्चा कमजोर होता है उसके रहन-सहन और खान-पान पर मां बाप ज्यादा ध्यान देते हैं उसी तरह से पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर हमारी सरकार ज्यादा ध्यान देगी यह हमारा विश्वास है। सरकार ने हमारे प्रदेश की तरक्की के लिये जो बजट रखा है वह बहुत ही प्रशंसनीय है। मैं

मान्यवर, इसका समर्थन करती हूँ और आपने जो समय दिया उसके लिये मैं आपकी आभारी हूं ।

श्री श्यामलाल वाजपेयी—

कुछ सार्वजनिक निर्माण मन्त्री जी से कह दीजिये । आपने सार्वजनिक निर्माण मंत्री को छोड़ दिया है ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ जो आपने मुझे सामान्य बजट पर बोलने का अवसर दिया है । माननीय नेता विरोधी दल ने जो बहुत सी बातें प्रदेश की प्रगति के संबंध में बतायी हैं उन पर सरकार को अमल करना चाहिये ।

मान्यवर, हिन्दुस्तान गांवों का देश है । जब तक गांव की प्रगति नहीं होगी, तब तक इस देश की किसी भी किस्म की प्रगति नहीं हो सकती । गांधी जी ने यह सपना देखा था कि गाँव बढ़े, तभी देश बढ़ेगा । लेकिन गाँधी जी के चले जाने के बाद जब देश की बागडोर कांग्रेसियों के हाथ में आयी, तो ये कांग्रेसी उस मूल मंत्र को भुलाकर के केवल अपने निहित स्वार्थ में फंस गये । लेकिन जब देश में लड़ाई हो रही थी, तो पूरा देश इस देश की स्वतंत्रता के लिए लगा हुआ था । लेकिन राजनीति का प्रवेश इस जनतांत्रिक प्रणाली से शुरू हुआ तब से देखा जाय ।

हम लोग यह कहते है कि भ्रष्टाचार हैं, भ्रष्टाचार है । माननीय अध्यक्ष जी, ऊपर से देखा जाय कि जो राजनीतिज्ञ थे, वह पहले क्या थे, अब क्या हो गये हैं तो किसी को कहने से पहले हमें यह सोचना चाहिए कि हमारी तरफ भी जनता की निगाहें टकटकी लगाये रहती हैं, हमारे ऊपर कितना कीचड़ उछाला जा सकता है ।

मान्यवर, भ्रष्टाचार ऊपर से चलता है । जब प्रशासन में, शासन में बैठे लोगों का दामन साफ नहीं होगा, तो नीचे के लोगों में कीचड़ की धुलाई हो ही नहीं सकती । मैं यह कहना चाहता हूं कि गांव की प्रगति आज रुकी पड़ी है । शहर में जहां कहीं भी कोई बात होती है, तो शहर की बात पहले आ जाती है । गांव जो उत्तर प्रदेश के कार्नर में, दोबाव में, पड़े हुए हैं, वहां की कोई बात इस विधान सभा तक नहीं पहुँचती । जो भी चुने हुए प्रतिनिधि बेचारे होते हैं, वह जनता के काम को लेकर आते हैं । लेकिन जितनी भी सुविधाएं हैं, चाहे सड़क मान लीजिए, अस्पताल मान लीजिए, जितनी भी सार्वजनिक सेवा की संस्थायें हैं, वे केवल शहर तक ही सीमित रह गयी हैं, और पूर्वांचल के गांवों में उनकी विकास की एक भी किरण नहीं पहुँची है ।

सरकार वहां के विकास के लिए जितनी भी मदें विधान सभा से पास कराती है, वह जहां की तहां रह जाती हैं और जो धनराशि वहां पहुँचती है, उसका कुछ प्रतिशत खर्च किया जाता है और शेष धनराशि लोगों की जेबों में चली जाती है ।

मान्यवर, आज की वर्तमान समस्या गांवों में यह है कि गांवों में जो बड़े जोतदार हैं उनकी सीलिंग से निकली हुई या बची जमीने जो हैं उसमें कहीं भी गांव में पाखाने की व्यवस्था नहीं की गयी। मान्यवर, मैं ऐसे गांव की जगह से आता हूँ और बहुत से हमारे साथी इस समस्या को जानते होंगे कि शहरों में तो बसपुलिस, लैट्रिन हाउस बने हुए हैं लेकिन देहातों में जो हमारी माताएँ और बहनें हैं उनके लिए वहां पर कोई व्यवस्था पाखाने आदि की नहीं हैं। मान्यवर, जो यह सरकार स्वांग रचती है कि हम गांव के लिए ऐसा करने जा रहे हैं तो मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि बजट में ऐसा भी होना चाहिए कि गांव में बहू-बेटियों के बैठने के लिए 1-2 लैट्रीन हाउस जरूर बनवा दिये जायं। चूँकि हम ऐसा देखते हैं कि जब कोई विदेशी दिल्ली में आता है तो जिस सड़क से वह निकलता है उस सड़क को साफ कर दिया जाता है और यह प्रतिबन्ध लगा दिया जाता है कि सड़क पर कोई बैठेगा नहीं।

मान्यवर, सिंचाई विभाग में बहुत सा कार्य एन0 आर0 ई0 पी0 योजना के अन्तर्गत पूरा कराया जा रहा है। इस विभाग में जो भी कार्य इस योजना के अन्तर्गत किया जाता है वह सब लूट के लिए है। मैं एक दिन अपने क्षेत्र में गया तो देखा कि नहरों से बालू को निकालकर के, उसको पाट कर, बोर बनाया गया है। मान्यवर, स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान, आई0 आर0 डी0 या एन0 आर0 पी0 के अन्तर्गत किसानों को जो लोग या सबसिड़ी देने हेतु बैंकों को अधिकृत किया गया है, वह खुले मन से उनको ऋण नहीं दे रहे हैं। शासन को चाहिए कि इस दिशा में कोई ऐसा प्रयास करें ताकि किसानों को भारत सरकार के बैंको से जो अनुदान मिल रहा है, वह बैंकों से आसानी से मिल सके।

मान्यवर, इसी के साथ-साथ सिंचाई विभाग के सम्बन्ध में मुख्य रूप से गोरखपुर की बात कहना चाहता हूं। इस पंचवर्षीय योजना के पूर्व की पंचवर्षीय योजना की ट्यूबवेल विभाग की जितनी पुरानी नालियां थी उनको तोड़कर वही पुराना ईंटा फिर से लगा दिया गया और नई ईंट का टेन्डर डालकर दोहरा भुगतान कराया गया है। इस तरह अगर जांच कराया जाय तो भ्रष्टाचार का मामला सामने आयेगा। मेरा निश्चित मत है कि इसमें बहुत घपला किया गया है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ आज ही विधान सभा में मैंने ध्यान आकृष्ट किया था। गोड़ जाति उत्तर प्रदेश में एक समस्या बन गई है हरिजनों के लिये। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में गोरखपुर बस्ती, आजमगढ़, बलिया देवरिया और जौनपुर में यह समस्या मुख्य रूप से है। यहाँ पर जो कहार जाति के लोग हैं वह अपने को गौंड जाति प्राईमरी स्कूल में लिखाकर जो जनगणना हुई भारत सरकार की 81 में उसमें गोंड़-गोंड़ अंकित कराकर हरिजन के 18 प्रतिशत के कोटे की सुविधा मारते जा रहे है। यह लोग हरिजनों के प्रोमोशन और नियुक्ति में एक रोड़ा बन गये हैं।

मैं चाहता हूँ सरकार जांच के लिये केवल गोरखपुर को ही रखे। गोंड जाति हरिजनों को मिलने वाली सुविधा और वजीफा आदि का लाभ ले रहे हैं। उनके स्कूल की छात्र पंजिका में कहार लिखा हुआ है लेकिन तहसीलदार या जिलाधिकारी से गोड जाति का सर्टिफिकेट लेकर वह

सारी सुविधायें उठा रहे हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय सरजू प्रसाद गोन्ड मुडेरवा बाजार गोरखपुर से सन् 80 में गोंड़ जाति का सर्टिफिकेट लेकर चुनाव लड़े हमने प्रश्न किया और राजाज्ञा हो गयी कि गुप्ता और कहार अनुसूचित जाति में नहीं आते हैं । मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में हरिजनों के अन्दर बहुत आक्रोश है । मिर्जापुर जिले के कैमूर पहाड़ियों पर रहने वाली गोड़ जाति यदि वहाँ से शिफ्ट करती है तो उसको यह सर्टिफिकेट दिया जा सकता है और वह अनुसूचित जाति का लाभ प्राप्त कर सकते हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं और अपने क्षेत्र की बताना चाहता हूँ हमारे यहाँ एक बी0 डी0 ओ0 श्री नरसिंह तिवारी है । उन्होंने महराज गंज ब्लाक में एक जगह 1 लाख 20 हजार ईंट का खंड़जा होना था उसकी जगह 80 हजार ईंट लगवाई थी। इस बी0 डी0 ओ0 ने महाराज गंज के के उत्तर में 25 किलोमीटर पर अपनी पत्नी के नाम फार्म खरीद रखा है और महराज गंज के दक्षिण में परतावल के पास 25 किलोमीटर पर अपने लड़के की शादी कर रखी है । इनको ब्लाक में रहने की फुरसत नहीं रहती है बल्कि यह हर समय अपने फार्म का कार्य देखते रहते हैं । इस अधिकारी ने स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत जो हरिजनों को भैंस आदि खरीदने की योजना थी उस धनराशि को निकाल कर अपना कार्य किया ।

इस अधिकारी की मैंने कई बार शिकायत की लेकिन इसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी । इससे लगता है कि यह प्रशासन बिल्कुल चुस्त नहीं है । हम लोगों की शिकायत नम्बर दो की शिकायत समझी जाती है । सत्ता पक्ष का विधायक अगर शिकायत किये होता तो यह अधिकारी तुरन्त निलम्बित हो जाता । एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में सिंचाई मंत्री श्री वीरबहादुर सिंह का कार्यक्रम 3 जुलाई 82 को लगा था गोरखपुर से महराज गंज होते कुठीवारी से नेपाल को सड़क जाती है उस पर उनको महराजगंज के पास एक शिलान्यास करना था । लेकिन जब उनको मालूम हुआ कि यह विरोधी पक्ष का क्षेत्र है तो वह नहीं आये । मंत्री जी नहीं पहुँचे लेकिन और सभी अधिकारी इंजीनियर और चीफ इंजीनियर सभी वहाँ पहुँचे ।

वह वहां इसलिए नहीं पहुँचे क्योंकि कहा गया कि यह विरोध पक्ष का क्षेत्र है । जहाँ इस तरह से काम होगा वहाँ के लिए और क्या कहा जाये ? इन शब्दों के साथ मैं आपनी बात समाप्त करता हूँ । एक बात और कहनी है मेरे क्षेत्र महराजगंज के एक थानेदार हैं, मेरा वर्कर वहाँ पर गया, उसके जाने पर उसने वहां कहा कि बिहार से यहाँ गेहूँ लेने व्यापारी आते हैं, इस सूचना पर उसको बहुत सी बातें कहीं । तो मान्यवर, इसकी जाँच करायी जाय ।

* श्री धरम पाल

पिछले अनेक वर्षों के बाद पहली बार नहीं बल्कि तीन-तीन बार वित्त मंत्री जी ने समय से बजट प्रस्तुत किया है इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ । साथ ही प्रशासन को चलाने के लिए मैं चुनौती भी देता हूँ कि इस तरह का अगर आपने कोई काम किया हो तो आप बतायें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

माननीय नेता विरोधी दल ने भाषण दिया। उनका भाषण ऐसा था कि कागज के खेत पर कलम का हल चलाया हो और स्याही से उसकी सिंचाई की हो। यदि नेता विरोधी दल बजट भाषण को पढ़ कर आते तो उनकी समझ में आता और वे कुछ प्रकाश भी डालते। मात्र कतरनों की कटिंग थी। कुछ किताबों की कतरन लेकर सदन में प्रस्तुत कर देना ही शायद वे सम्पूर्ण जानकारी समझ बैठे हैं। इस बजट को देखने के बाद कोई भी व्यक्ति यदि वह जरा भी अर्थशास्त्री होगा तो उसे मालूम होगा कि चाहे जिस क्षेत्र में हो, शिक्षा, हरिजनों का मामला हो, सामाजिक हो, गरीब लोगों का मामला हो, चाहे जिस क्षेत्र के लोगों का मामला हो, सत्ता के लोलुप लोगों का मामला हो किसी भी प्रकार के लोग हों, उनके लिए बजट सम्पूर्ण है।

नेता विरोधी दल ने वनों के बारे में कहा कि अनाप-शनाप पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। अभी मोहन सिंह जी का बयान अखबारों में पढ़ने को मिला, उन्होंने कहा था कि पेड़ों की कटाई फ्री होनी चाहिए। तो जिन लोगों के बयान इस तरह के हों उनके लिए क्या कहा जाये ?

मान्यवर, एक सन्यासी रहा करता था वनों में, उसके पास एक चूहा रहता था वह सन्यासी का घी, अनाज, मसाला आदि खा जाया करता था। एक दिन एक बिल्ली ने उसे दौड़ाया तो उस चूहे ने सन्यासी से कहा महाराज मुझे बिल्ली बना दीजिये। सन्यासी ने उसे बिल्ली बना दिया। उसके बाद एक दिन वह घूमते-घूमते कुछ दूर चला गया तो एक कुत्ते ने उसे दौड़ा लिया। इस पर उस चूहे ने कहा कि मुझे कुत्ता बना दीजिये। सन्यासी महाराज ने उसे कुत्ता बना दिया। फिर एक दिन वह जंगल में घूमते हुए चले गये तो वहाँ एक शेर ने उसका पीछा किया और लौटने पर उस चूहे ने महाराज से कहा कि महाराज मुझे शेर बना दीजिये। उन महाराज ने उसे शेर बना दिया कुछ दिनों के बाद उसकी नियत सन्यासी पर खराब हो गयी तो उन सन्यासी महाराज ने कहा पुनः मूषको भव।

इसी प्रकार जब आप जनता की अदालत में गये तो जनता ने आपको बिल्ली बना दिया उसके बाद 77 में जनता ने आपको शेर बना दिया। उसके बाद आप जनता को नोचने खसोटने लगे। तब उसने कहा कि पुनः मूषको भव। विरोधी दल का काम होता है सुझाव देना, रास्ता दिखाना। न तो उन्होंने कोई नीति बतायी और न ही कोई रास्ता बताया है। केवल विरोध करने के लिए है।

मान्यवर, थोड़े से सुझाव शिक्षा मंत्री जी को देना चाहता हूं। इस प्रदेश के अन्दर शिक्षा में बड़ा अन्तर है।

कई जगह कान्वेन्ट के स्कूल चल रहे हैं।

श्री श्यामलाल बाजपेयी—

थोड़ा सा कुवेर भंडारी के लिये कह दें। (हंसी)

श्री धरमपाल—

कई जगह म्यूनिसपिलटीज चल रहे हैं, कई जगह अन्य सहायता प्राप्त स्कूल चल रहे हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रदेश के अन्दर कुछ और भी विद्यालय हैं जो बच्चों को मानव नहीं मानव से हैवान बनाते हैं जो बच्चों की प्रारम्भिक भावना में ही साम्प्रदायिकता का जहर घोलते हैं। ऐसे शिक्षा संस्थान चाहे वे शिशु मंदिर हों, चाहे मदरसे हों उन्हें बन्द कर देना चाहिये जिससे कि इन्सान इन्सान बन सके। माननीय नेता विरोधी दल ने सिंचाई की कुछ बातें कहीं। आश्चर्य है कि वे इस विभाग के मंत्री भी रह चुके हैं। जितना बड़ा स्कैन्डिल इनके जमाने में हुआ सीमेंट का उतना बड़ा इतिहास में कभी नहीं हुआ और न ही होगा।

(व्यवधान)

ऊदल जी ने विद्युत उत्पादन की बात कही कि 3,000 मेगावाट से घटकर 2300 मेगावाट रह गयी। अगर उन्हें जानकारी होती तो वह ऐसी बात न कहते। 46% उत्पादन है जिसे 70% प्रतिशत पहुचाने जा रहे हैं। और यह निश्चित है कि हम पहुंचा कर ही रहेंगे। आने वाले समय में मालूम पड़ेगा जब प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचेगी, प्रत्येक घर में बिजली पहुंचेगी। सड़क के सबंध में बताया, इतना कहना चाहूंगा कि घाघरा का पुल नहीं था, बन रहा है करोड़ों की लागत से बनता हुआ पुल इन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। सालों से विकास रुका था। आश्चर्य है कि पूर्वान्चल के लोग ही क्रीटीसाइज कर रहे हैं, टांग पकड़ कर घसीट रहे हैं, विकास नहीं देख सकते। आज भी पूर्वान्चल के लोग ही विकास की गति को रोकना चाहते हैं। आपके माध्यम से मान्यवर, इन लोगों का ध्यान उद्योगों की ओर दिलाना चाहता हूं। सरकार ने घोषणा की है कि प्रत्येक जनपद के अन्दर अब उद्योगों की स्थापना होगी। इतिहास में मिसाल नहीं मिलेगी कि प्रत्येक जनपद में उद्योग खोले गये हों और बेरोजगारों की बेरोजगारी दूर करने का प्रयास किया गया हो। यह योजना सरकार ने बनाई। इसके बाद भी विरोधी दल के लोगों को विकास नहीं दिखाई देता, अफसोस है। ऊदल जी ने कहा कि नये कर लगाये गये। कोई भी नये कर नहीं लगाये गये और न ही पिछले साल कोई नये कर लगाये गये थे। 129 करोड़ रुपये का घाटा इस बजट में है। निगमें स्वायत्तशासी संस्थायें होती हैं, उनके अपने अधिकार होते हैं, उनसे सरकार को लेना देना नहीं होता है। विद्युत का अलग परिषद है। इतना सामान्य ज्ञान भी इन लोगों को नहीं है। आश्चर्य है इस प्रकार की तैयारी करके यह लोग इस सदन में आत हैं। आलोचना-आलोचना के लिये नहीं की जानी चाहिये, प्रगति की, विकास की भावना होनी चाहिये। दुख के साथ कहना पड़ता है कि इन्होंने केवल एक सूत्री कार्यक्रम चलाया आखिरी समय तक कि कैसे चौधरी चरण सिंह प्रधान मंत्री हो जांये, कैसे अटल बिहारी जी, राजनारायण जी प्रधान मंत्री हो जांये। इनके पास और कार्यक्रम नहीं है और न सोंचने का समय है। बहुमूल्य समय इन्होंने नष्ट कर दिया, जो हमने प्रदेश को गति दी थी, वह रोक दिया। करोड़ों टन अनाज खाद्यान योजना के अन्तर्गत बिना सोचे समझे सड़क बनाने के नाम पर बांट दिया। इनको यह तक पता नहीं कि सड़क बनाने के लिये सर्वे होना चाहिये, कोई ड्राफ्ट हो, इस तरह से

तो अंधेर नगरी चौपट राज । मान्यवर, सीपेज की बात करते हैं । मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सीपेज पर इन्होंने कंट्रोल नहीं किया । मान्यवर, इस प्रदेश को आगे ले जाने का बहाना करने वाली, किसानों की कही जाने वाली इनकी सरकार ने किसानों का शोषण किया है । यह किसानों के हित की बात करते हैं । इन बातों के साथ के साथ इस बात की आशा करते हुये कि यह कन्क्रीट बात कहेंगे मैं समाप्त करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं कल 11 बजे फिर बैठेगें ।

(इसके बाद सदन 5 बजे अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

भाल चन्द्र शुक्ल
सचिव, विधान सभा
उत्तर प्रदेश

लखनऊ :
14 फरवरी, 1983

नत्थी "क"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या—18 का उत्तर पीछे पृष्ठ .....पर ।)

जनपद जौनपुर में अनौपचारिक शिक्षा की योजना के अन्तर्गत संचालित अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों तथा उनमें पढ़ रहे छात्र/छात्राओं का विकास खंडवार विवरण :—

विकास खंड का नाम	संचालित केन्द्रों की संख्या			पढ़ रहे छात्र/छात्राओं की संख्या
	प्राइमरी स्तर	मिडिल स्तर	योग की	
1	2	3	4	5
1—रामपुर	50	20	70	1491
2—शाहगंज	50	16	66	1332
3—मड़ियाहूं	52	8	58	1445
4—मछलीशहर	50	7	57	1425
5—करजाकला	50	4	54	1286
6—सुईयाकला	50	5	55	1203
योग—	300	60	360	8182

नत्थी "ख"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या—49 का उत्तर पीछे पृष्ठ.....पर।)

जे० पी० त्रिपाठी, जिला कृषि अधिकारी, गाजीपुर का संशोधित दौरा कार्यक्रम माह जून, 1982

दिनांक	दौरा का स्थान	दौरा का उद्देश्य	रात्रि निवास
1-6-82	कार्यालय कार्य किया	—	—
2-6-82	भावरकोल, मीरजाबद	कृषि बीज भण्डार का निरीक्षण	1
3-6-82	कार्यालय कार्य किया	—	—
4-6-82	टिसौरा, जमानियाँ	रा० कृ० बीज भंडार एवं प्रक्षेत्र का निरीक्षण	1
5-6-82	मुहम्मदाबाद, बारावकर	उर्वरक बीज की व्यवस्था एवं कृषकों से सम्पर्क	1
6-6-82	वाराणसी	उर्वरक एवं बीज की आपूर्ति के सम्बन्ध में	—
7-6-82	कार्यालय कार्य के बाद देवकली नन्दगंज पिपरी वासूचक	कृषि राज्य मंत्री के दौरे के कार्यक्रम में भाग लेने	—
8-6-82	दुल्लहपुर	कृषि कार्यक्रमों के सम्बन्ध में कृषकों से सम्पर्क	—
9-6-82	वाराणसी	कृषि निदेशक की बैठक में भाग लेने	1
10-6-82			
11-6-82	वाराणसी वापस	—	—
12-6-82	अवकाश पर रहा	द्वितीय शनिवार/रविवार के उपलक्ष्य में	—
13-6-82			
14-6-82	आंकुशपुर	रा० कृ० प्रक्षेत्र का निरीक्षण	1
15-6-82	कार्यालय कार्य किया	—	—
16-6-82	दुल्लहपुर	कृ० बीज भंडार का निरीक्षण	—
17-6-82	टिमौरा	रा०कृ० बीज भंडार का निरीक्षण	1
18-6-82	मुहम्मदाबाद	रा०कृ० बीज भंडार का निरीक्षण	1
19-6-82	कार्यालय कार्य तथा बड़ा बाग	रा०कृ० प्रक्षेत्र बड़ा बाग का निरीक्षण	—
20-6-82	अवकाश	रविवार	—
21-6-82	बाराचवर	वि० ख० कृ० बीज भंडार का निरीक्षण	1

22-6-82	चाड़ीपुर, चोचकपुर	बृक्षारोपण कार्य में जिला विकास अधिकारी के साथ	—
23-6-82	जखनियां	निजी उर्वरक विक्रेताओं तथा वा० गे० स्थापना के सम्बन्ध में	1
24-6-82	कार्यालय कार्य किया	—	—
25-6-82	जमनियां	कृ० बीज भंडार एवं वि० ख० का निरीक्षण	1
			1
26-6-82	सैदपुर	—	—
27-6-82	रविवार	अवकाश	—
28-6-82	कार्यालय कार्य	—	—
29-6-82	मनिहारी	कृ० बीज भंडार एवं वि० खं० का निरीक्षण	—
30-6-82	कार्यालय कार्य किया	—	—
			10

स्वीकृति/ह0
जिला विकास अधिकारी
गाजीपुर ।

ह० जिला कृषि अधिकारी
गाजीपुर

जे०पी० त्रिपाठी जिला कृषि अधिकारी, गाजीपुर का माह जुलाई का संशोधित दौरा कार्यक्रम

दिनांक	दौरे का स्थान	दौरे का उद्देश्य	रात्रि निवास
1-7-82	मनिहारी	वि०ख० द्वारा स्थापित	—
2-7-82	कार्यालय	जनता वा०गै० के प्रगति की समीक्षा करने विभागीय कर्मचारियों की बैठक लिया	—
3-7-82	दिसौरा	रा०कृ० प्रक्षेत्र का निरीक्षण	1
4-7-82	रविवार	अवकाश	—
5-7-82	सादात	कृषि बीज भण्डार का निरीक्षण तथा ग्राम के कृषकों से सम्पर्क	1
6-7-82	कार्यालय कार्य किया	— — — —	—
7-7-82	आकुशपुर	रा०कृ० प्रक्षेत्र का निरीक्षण	1
8-7-82	कार्यालय कार्य, विरनों	कृ०बीज भण्डार का निरीक्षण	—

अमर उजाला प्रतिष्ठान सभी

9-7-82	कासिमाबाद	वि०ख० का निरीक्षण तथा ग्राम मिर्जापुर के कृषकों से सम्पर्क	1
10/11-7-82	अवकाश	द्वितीय शनिवार तथा रविवार	—
12-7-82	महराजगंज, मोहाब	कृषकों से सम्पर्क करने	—
13-7-82	सादात	कृ०बीज भण्डार व वि०ख० का निरीक्षण	—
14-7-82	बड़ाबाग	रा०कृ० प्रक्षेत्र का निरीक्षण	—
15-7-82	वाराणसी	उप कृषि निदेशक महोदय से उर्वरक आपूर्ति के सम्बन्ध में गये	1
16-7-82	वाराणसी	उप कृषि निदेशक वाराणसी, कार्यालय में कृषि कार्यक्रमों की समीक्षा किया	—
17-7-82	सादात	कृषि बीज भण्डार का निरीक्षण	—
18-7-82	मरीमुद्दीनपुर, मीरजाबाद देवकली	ग्रामीण कृषकों से सम्पर्क	—
19-7-82	टिसौरा	रा०कृ० प्रक्षेत्र का निरीक्षण	—
20-7-82	कार्यालय कार्य किया	— —	—
21-7-82	भावरकोल, खरडीहा	कृषि कार्यक्रमो का निरीक्षण वि०ख० व कृषि बीज भण्डार का निरीक्षण	1
22-7-82	मनिहारी	— —	
23-7-82	सादात	वि०ख० व कृ० बीज भण्डार का निरीक्षण	1
24-7-82	आंकुशपुर	रा०कृ० प्रक्षेत्र का निरीक्षण	1
25-7-82	रविवार	अवकाश	—
26-7-82	मुहम्मदाबाद	निजी उर्वरक विक्रेताओं एवं कृषि कार्यक्रमों की समीक्षा	1
27-7-82	नन्दगंज, देवकली	कृषि कार्यक्रमों की समीक्षा	—
28-7-82	कार्यालय कार्य किया	— —	—
29-7-82	कार्यालय कार्य किया	मरदह कृषि बीज भण्डार का निरीक्षण	1
30-7-82	आकस्मिक अवकाश पर रहा	— —	—

31-7-82	टिसौरा	रा०क्रू० प्रक्षेत्र का निरीक्षण	1
			11

— — — ह० जिला कृषि अधिकारी
गाजीपुर ।

प्रतिलिपि—जिला विकास अधिकारी, गाजीपुर की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित ।

ह०/—
जे०पी० त्रिपाठी
जिला कृषि अधिकारी
गाजीपुर

स्वीकृत
ह०—
जिला विकास अधिकारी,
गाजीपुर

नत्थी "ग"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या—92 का उत्तर पीछे पृष्ठ———पर)

शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा वर्ष 1981-82 में बाढ़ तथा अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सहायता प्राप्त विद्यालयों को क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत हेतु अनावर्तक अनुदान दिये जाने हेतु संस्तुत जनपद इलाहाबाद के विद्यालयों की सूची ।

1—काली प्रसाद इण्टर कालेज, इलाहाबाद
2—कुल भाष्कर आश्रम कृषि इं०का०, इलाहाबाद
3—के०पी० गर्ल्स इण्टर कालेज, इलाहाबाद
4—पं० जवाहर लाल नेहरू इं०का०, भूपतपुर, इलाहाबाद
5—आदर्श इ०कालेज, सरायअकिल, इलाहाबाद
6—कौशाम्बी उ०मा०वि०, कोठी कनैली, इलाहाबाद
7—श्री लालबहादुर शास्त्री इं०का० चायल, इलाहाबाद
8—केदारनाथ जायसवाल हा०से० स्कूल, नैनी, इलाहाबाद
9—डी०ए०बी० इं०का०, इलाहाबाद
10—श्री ब्रह्मचारी इ०का०, तिल्हापुर
11—राजा कमलाकर इ०का० शंकरगढ़, इलाहाबाद
12—शेरवानी रुरल इण्टर कालेज सलाहपुर, इलाहाबाद ।

उ० प्र० विधान सभा

नत्थी "घ"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या-94 का उत्तर पीछे पृष्ठ.....पर)

राजकीय इण्टर कालेज पुजार गाँव (टिहरी) में अनुमोदित एवं विनियमितीकृत अध्यापकों की सूची—

सर्वश्री

1—कौशलेश्वर वत्स सिंह
प्रवक्ता (जीव विज्ञान)

2—वीरेन्द्र सिंह
प्रवक्ता (नागरिक शास्त्र)

3—विक्रम सिंह नेगी
प्रवक्ता (इतिहास)

4—वैताल सिंह बिष्ट,
प्रवक्ता (इतिहास)

5—धनभान सिंह,
प्रवक्ता (भूगोल)

नत्थी "ङ"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या-110 का उत्तर पीछे पृष्ठ.....पर)

उन विद्यालयों की सूची जिन्होंने जुलाई 81 से मार्च 82 तक रियायती मूल्य की कापियाँ छात्रों में वितरित करने हेतु प्राप्त की—

1—शिव इण्टर कालेज, मिर्जापुर
2—ए०एस०जे०ई०पा०, मिर्जापुर
3—शांति निकेतन इं०का० पचावरा
4—आर्य कन्या इन्टर कालेज, मिर्जापुर
5—बसन्त इंटर कालेज, मिर्जापुर
6—सुन्दर मुन्दर बालिका इं०का०, मिर्जापुर
7—राजस्थान इं० का०, मिर्जापुर
8—हिन्दू बालिका उ०मा०वि०, मिर्जापुर
9—वी०एल० जे०इं०का०, मिर्जापुर
10—राजकीय इं०का०, मिर्जापुर
11—महा शक्ति उ०मा०वि०, बिहराड़ा
12—किसान इं०का० राजगढ़, मिर्जापुर
13—शिव प्रताप इं०का० पवारीकला, मिर्जापुर
14—राजकीय इं०का०, दंद्धी, मिर्जापुर
15—उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मधुपुर

16—हिन्डालको उ०मा०वि०, रेनुकूट
17—माता प्रसाद माताभेष इं०का०, मिर्जापुर
18—राजकीय उ०मा०वि० कोन, मिर्जापुर
19—महेश भट्टाचार्या इं०का०, अकोड़ी
20—स्वामी गोविन्द दास इं०का०, पेड़ापुर
21—सी०के० इं०का० गुरमा, मिर्जापुर
22—राजकीय उ०मा०वि०, थीरावल
23—बापू उपराध इं०का०, लालगंज
24—रेमृपाधर उ०मा०वि०, रेनुसागर
25—जयहिन्द विद्या मन्दिर इं०का०, अहरौरा
26—सी०फे०इं०का० चुर्क, मिर्जापुर
27—गोवर्धन दास विन्नरनो महा०वि०, मिर्जापुर
28—जंगबहादुर सिंह उ०मा०वि०, शाहगंज
29—ओवरा इं०का०, ओवरा मिर्जापुर
30—राजकीय इं०का०, पिपरी, मिर्जापुर
31—रमवन्ती देवी उ०मा०वि०, नौगाँव
32—राजकीय उ०मा०वि०, सिरसिया ठकुराई
33—आदर्श इं०का०, विसुन्दरापुर
34—जनता उ०मा०वि०, पराखो पाण्डेय
35—रेल कर्मचारी उ०मा०वि०, चोफ्न
36—मौनी स्वामी इं०का० श्री निवासधाम
37—वृजराज सिंह उ०मा०वि०, चौखड़ा
38—सीमेन्ट फैक्टरी इं०का०, डाला
39—भारतीय उ०मा०वि० विढंमगंज
40—आनान्दाचरण उ०मा०वि०, चन्द्रईपुर
41—राजाशारदा महेश इं०का०, रावर्टसगंज
42—विन्ध विद्यापीठ इं०का०, विन्धाचल
43—राजकीय उ०मा०वि०, चपकी
44—भान माधव उ०मा०वि०, विजयपुर
45—गांधी विद्यालय इं०का० कछवा
46—मिश्री लाल इं०का०, भवया
47—शिवाजी नेशनल इं०का०, हाँसीपुर
48—के०वी० डिग्री कालेज, मिर्जापुर
49—माधव विद्याय मन्दिर इं०का०, पुरुषोत्तमपुर
50—महाराजा प्रताप इं०का० रामपुरी
51—रामप्रसाद वाह बालिका इं०का०, शोरपुर
52—सरदार पटेल इं०का०, कोलना

53—विठलभाई पटेल उ०मा०वि०, गागंपुर

54—पी०डी०एन०डी० इं०का०, चुनार

55—राष्ट्रीय इं०का०, शेरपुर

56—सर्वोदय इं०का०, अधवार

57—ज०ज०इं०का०, भुकड़ा

58—नव ज्योति उ०मा०वि०, मडौरी

59—श्रीमती देवकली इं०का०, जमालपुर

60—उ०मा०वि०, कुवाबरगवां

61—रा०वा०इं०का० चुनार, मिर्जापुर

62—उ०मा०वि०, मठना

63—शंकराश्रम इं०का०, सीखड़

64—जनता इं०का०, बरेवा

65—उ०मा०वि०, जफरपुर

66—उ०मा०वि०, अहरौरा

67—क्षत्रपति शिवाजी इं०का०, खजुरौल

68—आदर्श उ०मा०वि०, अदलहाट

विधान सभा के प्रथम सत्र (1983) के द्वितीय रविवार के लिए निर्धारित श्री राम चरण सिंह के अतारांकित प्रश्न संख्या 110 के उत्तर का संलग्न—2

उन विद्यालयों की सूची जिन्होंने अप्रैल 82 से 13 जनवरी 1983 तक रियायती मूल्य की कापियाँ छात्रों में वितरित करने हेतु प्राप्त की :—

1—रा०सी०फै०उ०मा०वि०, गुरमा

2—ओवरा इं०का०, ओवरा

3—राजकीय इं०का०, पिपरी

4—रा०उ०मा०वि०, फौन

5—मौनी स्वामी इं०का०, श्री निवास धाम

6—उ०मा०वि० मधुपुर

7—शिवाजी नेशनल इं०का०, हालीपुर

8—ए०एस०इं०का०, मिर्जापुर

9—जयहिन्द विद्या मंदिर इं०का०, अहरौरा

10—वल्लभ भाई पटेल उ०मा०वि०, जमालपुर

11—ज०ज०इं०का०, भुड़पुड़ा

12—बापू इं०का०, लालगंज

13—महा शक्ति उ०मा०वि०, विहराड़ा

14—महेश भट्टाचार्या उ०मा०वि०, अकोड़ी

15—भारतीय उ०मा०वि०, विढमगंज

16—रमवन्ती देवी उ०मा०वि०, नोवगांव

17—हिन्दू बालिका उ०मा०वि०, मिर्जापुर

18—राजकीय इं०का०, दुद्धी

19—राजकीय उ०मा०वि०, धारावल

20—हिन्डालको उ०मा०वि०, रेनूकूट

21—आनन्दाचरण उ०मा०वि०, चन्द्रईपुर

22—आर्य कन्या इं०का०, मिर्जापुर

23—लालवती सिंह उ०मा०वि०, मनउपुर

24—राजकीय उ०मा०वि०, अनपारा

25—राजा शारदा महेश इं०का०, रावर्टसगज

26—बसन्त वि०इं०का०, मिर्जापुर

27—किसान इं०का०, राजगढ़

28—इं० का०, मिर्जापुर

29—राजस्थान इं०का०, मिर्जापुर

30—शान्ति निकेतन इं०का०, पचौखरा

31—गोविन्द आश्रम इं०का०, पैड़ापुर

32—राजकीय उ०मा०वि०, सिरसिगांठकुराई

33—राजकीय सी०फै०इं०का०, डाला

34—रैगुपावर उ०मा०वि०, रैणुसागर

35—शंकराश्रम इं०का०, सीखड़

36—रा०सी०फै०, चुर्क

37—राजकीय वा०इं०का०, चुनार

38—सरदार पटेल इं०का०, कोलना

39—उ०मा०वि०, अदलहाट

40—पी०डी०एन०डी०, चुनार

41—राष्ट्रीय इं०का०, शोरपुर

विधान सभा

42—महाराणा प्रताप इं०का०, रायपुरी

43—ज०ज०इं०का०, बरेली

44—उ०मा०वि०, बरगवा कूदा

45—सर्वोदय इं०का०, अधवार

नत्थी "च"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 173 का उत्तर पीछे पृष्ठ·····पर ।)

आरोपो का विवरण

1—बाजार नीलाम की वसूली पासबुक में जमा न कर खडंजा निर्माण दिखा कर खर्च दिखाना ।

2—1979-80 में बाजार नीलामी का कुल रुपया जमा कराने के बाद किस्तों में रसीदें जारी करना तथा कुछ धनराशि की रसीद जारी न करना ।

3—475 रु० हैन्डपम्प लगाने का व्यय दिखा कर हैन्डपम्पन लगवाना ।

4—बाजार सफाई हेतु सफाई मजदूर की फर्जी नियुक्ति दर्शाना ।

5—गाँव समाज के दो मुकदमें अनुचित रूप से प्रधान द्वारा सुलह करा कर निपटाया जाना ।

6—1980-81 में 500 रु० की हैन्ड स्प्रे मशीन का फर्जी क्रय किया जाना ।

7—2000 ईंट का फर्जी क्रय प्रधान द्वारा किया जाना ।

8—सड़क के किनारे कई हैन्डपम्प लगवाने के लिए काफी धनराशि पंचायत कोष से निकालने पर भी हैन्डपम्प न लगवाना ।

9—चकबन्दी में छोड़ी गई भूमि को रुपया लेकर एक व्यक्ति को देना ।

10—पुलिया का फर्जी निर्माण दिखाना ।

11—गाँव समाज की ओर से दायर मुकदमा पुष्ट सबूत न होने के कारण खरिज हो जाना ।

12—खड़ंजा निर्माण में अधिक ईंटों का व्यय दिखाया जाना ।

13—अनुचित रूप से गाँव समाज की भूमि पर किये गये कब्जों के विरुद्ध प्रधान द्वारा कार्यवाही न किया जाना ।

14—प्रधान द्वारा नाजायज रूप से 15 विस्वा चकबन्दी की जमीन जोतना ।

नत्थी "छ"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 186 का उत्तर पीछे पृष्ठ.....पर ।)

जौनपुर जिले के क्षतिग्रस्त विद्यालयों की सूची

1—सरस्वती बाल मन्दिर उ०मा०वि०, जौनपुर

2—सर्वहितैषी उ०मा०वि०, मसोदा

3—उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नीभापुर

4—श्री बजरंग इण्टर कालेज, घनश्यामपुर

5—पंचशील इण्टर कालेज, फतेहगंज

6—टी०डी० इण्टर कालेज, जौनपुर

7—श्री ना०कु०उ०मा०वि०, बैलावं

8—श्री गणेशराय इण्टर कालेज, डोभी

9—श्री शंकर आदर्श इ०का०, इमला पाण्डेय पट्टी ।

10—रा०वि०म० इण्टर कालेज, चन्दवक ।

11—जनता उ०मा०वि० जफराबाद ।

12—कु० इण्टर कालेज, थाना गद्दी ।

13—इण्टर, कालेज बडेरी ।

14—स०इ०का० सुदनीपुर ।

15—ने०इ०का०, कूवरदा ।

16—श्री कृ०उ०मा०वि०, मोरगंज ।

17—सार्वजनिक इ०का०, मुगरा बादशाहपुर ।

18— बी०डी०उ०मा०वि०, मनिहा गोविन्दपुर ।

19—अकबाल इ०का०, सूरतपुर, पेसारा ।

विधान सभा

20—हिन्दू इ०का०, मुगरा बादशाहपुर ।

21—हरपाल इ०का०; सिगरामऊ ।

22—गजराज सिंह इ०का०, जमुनिया ।

23—उ०मा०वि०, मीठेपार (जूनियर स्तर तक सहायता प्राप्त)

24—श्री गंगाराम इण्टर कालेज, बटाऊबीर ।

25—म०स०प्र०इ०का०, रामदयालगंज ।

विधान सभा सचिवालय

अशोक मुद्रण गृह, इलाहाबाद–60 विधान सभा—5-12-83 (813 प्रतियाँ)